मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट
1994-95
भाग-I

NIEPA DC
D08536

भारत सरकार
शिक्षा विभाग
1995

- 5-4
370.6
[illegible] - V.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8536
Date 18-4-95

विषय-वस्तु

पृष्ठ सं०

1. **भूमिका** 1

2. **सिंहावलोकन** 7

निधियों का आवंटन और उनका उपयोग . . . . .

सभी के लिए शिक्षा . . . . .

प्रारंभिक शिक्षा . . . . .

प्रौढ़ शिक्षा . . . . .

माध्यमिक शिक्षा . . . . .

तकनीकी शिक्षा . . . . .

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा . . . . .

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग . . . . .

भाषा विकास . . . . .

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा . . . . .

अल्पसंख्यकों की शिक्षा . . . . .

शिक्षा के लिए संसाधन . . . . .

बीस-सूत्री कार्यक्रम . . . . .

3. **प्रशासन** 11

संगठनात्मक संरचना (ढांचा) . . . . .

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन . . . . .

कार्य . . . . .

सतर्कता कार्यकलाप . . . . .

शिक्षा विभाग में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग . . . . .

प्रकाशन . . . . .

बजट अनुमान . . . . .

कर्मचारियों का व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण . . . . .

वेतन आयोग सैल . . . . .

4. **महिला समानता के लिए शिक्षा** 15

नवाचारी कार्यक्रम . . . . .

महिला सामख्या . . . . .

5. **प्रारम्भिक शिक्षा** 19

प्रारम्भिक शिक्षा जन-जन तक पहुंचाना . . . . .

पृष्ठ सं०

लिंगगत विषमताएं
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां
कार्यनीति विषयक ढांचा
विषय-वस्तु, प्रक्रिया तथा उपलब्धि स्तर
अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
आपरेशन ब्लैकबोर्ड
सूक्ष्म आयोजना संचालन योजना
शिक्षक शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
शिक्षा कर्मी परियोजना
बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली
जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम
लोक जुम्बिश
बिहार शिक्षा परियोजना

6. **माध्यमिक शिक्षा** 33

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण
शैक्षिक प्रौद्योगिकी
शिक्षा में संस्कृति एवं मूल्य
राष्ट्रीय खुला विद्यालय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार
स्कूली शिक्षा में पर्यावरण बोध
अन्तर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना
विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा
स्कूलों में योग शिक्षा
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नवोदय विद्यालय
केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

7. **उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान** 45

उच्चतर शिक्षा पद्धति का विकास
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

पृष्ठ सं०

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय
जामिया मिलिया इस्लामिया
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
हैदराबाद विश्वविद्यालय
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय
पांडिचेरी विश्वविद्यालय
विश्व-भारती
असम विश्वविद्यालय
तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर
नागालैंड विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान
भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक संस्थान
भारतीय अध्ययन के लिए अमरीकी संस्थान
राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान
भारतीय प्रोन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्
अखिल भारतीय महत्व की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता सम्बंधी योजना
ज़ाकिर हुसैन स्मारक न्यास
भारतीय विश्वविद्यालय संघ

तकनीकी शिक्षा 55

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
भारतीय प्रबंध संस्थान
प्रौद्योगिकी विकास मिशन
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
क्षेत्रीय कार्यालय
क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (क्षे० इं० का०)
प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड
कोलम्बो स्टाफ कालेज परियोजना, मनीला
भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

पृष्ठ सं०

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन—राज्य सरकारों को सहायता देना . . . . . .
विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना . . . . . .
उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए पास-बुक योजना/सीमा शुल्क छूट प्रमाण-पत्र . . . . . .
शैक्षणिक अर्हता निर्धारण बोर्ड . . . . . .
सामुदायिक पॉलिटेक्निक . . . . . .
उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान . . . . . .
शैक्षिक परामर्शक भारत लिमिटेड, नई दिल्ली . . . . . .
संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान . . . . . .

9. **प्रौढ़ शिक्षा** 65

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन . . . . . .
मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा . . . . . .
1 जुलाई, 1994 को भोपाल में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक . . .
कुल साक्षरता अभियान . . . . . .
उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा . . . . . .
स्वैच्छिक एजेंसियां . . . . . .
ग्रामीण कार्यालय साक्षरता परियोजना . . . . . .
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय . . . . . .
श्रमिक विद्यापीठ . . . . . .
प्रकाशन . . . . . .
जनसंख्या शिक्षा . . . . . .
भारत में साक्षरता अभियान के स्तर एवं प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित अरूण घोष समिति . . . . . .
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार . . . . . .
भारतीय शिष्ट-मंडल के विदेशों में दौरे . . . . . .
अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस . . . . . .
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं . . . . . .
परिशिष्ट 'क' . . . . . .
परिशिष्ट 'ख' . . . . . .

10. **संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा—** 79

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . . . . . .
चण्डीगढ़ . . . . . .
दादरा और नागर हवेली . . . . . .
दमन और दीव . . . . . .
दिल्ली . . . . . .

पृष्ठ सं०

दिल्ली नगर निगम

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

लक्षद्वीप

पांडिचेरी

111. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट— 83

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

प्रकाशन

पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

पुस्तकों के लिए निर्यात तथा आयात नीति

राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय

कापीराइट

कापीराइट को लागू करना

कापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं

अन्तराष्ट्रीय कापीराइट

अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश

12. भाषाओं की प्रोन्नति 87

हिन्दी की प्रोन्नति और विकास

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा

भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड

अंग्रेजी भाषा अध्ययन में सुधार

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

वैदिक पाठ की मौखिक परंपरा का परिरक्षण/अखिल भारतीय वाक प्रतियोगिता

अरबी और फ़ारसी के प्रसार तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

13. छात्रवृत्तियां 95

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी-भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

संस्कृत के अलावा अन्य प्राचीन भाषाओं अर्थात् अरबी और फ़ारसी आदि के अध्ययन में संलग्न परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां

यू० के०, कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियां

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां/पुरस्कार . . . .
ब्रिटिश परिषद विजिटरशिप कार्यक्रम . . . .
ब्रिटिश उद्योग परिसंघ विदेश (ओवरसीज़) छात्रवृत्ति स्कीम . . . .
आस्ट्रेलिया विकास सहयोग छात्रवृत्ति (ए० डी० सी० ओ० एस०) . . . .

14. बीस-सूत्रीय कार्यक्रम और विकलांगों के लिए शिक्षा तक पहुंच 97

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा . . . .
अल्पसंख्यकों की शिक्षा . . . .

15. आयोजना, प्रबंध और अनुश्रवण 99

राष्ट्रीय शिक्षा नीति . . . .
10वां वित्त आयोग . . . .
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली . . . .
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि हेतु सहायता योजना . . . . .
वार्षिक योजना . . . .
शैक्षिक सांख्यिकी . . . .
कम्प्यूटरीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली . . . .
शिक्षा विभाग के लिए एन० आई० सी० द्वारा विकसित कम्प्यूटर आधारित प्रबंध सूचना प्रणालियां . . . . . .

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 105

नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा के शिखर सम्मेलन की अनुवर्ती कार्यवाही . . . .
सामाजिक विकास हेतु विश्व शिखर सम्मेलन के आयोजन में एशिया प्रशांत मंत्रिमंडलीय सम्मेलन, मनीला . . .
विकास के लिए एशिया प्रशांत शैक्षिक नवाचार कार्यक्रम (एपीड) . . . .
यूनेस्को . . . .
बाह्य शैक्षिक सम्बन्ध . . . .
आरोविल . . . .
बहुपक्षी/द्विपक्षी परियोजनाएं . . . .
उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना . . . .
जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम . . . .
महिला समाख्या . . . .
लोक-जुम्बिश . . . .
बिहार शिक्षा परियोजना . . . .

संलग्नक . . . .
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन 113
केन्द्रीय प्रायोजित रा० शि० नि० योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता सम्बन्धी परिशिष्ट 121
चार्ट 131
शैक्षिक सांख्यिकी विवरण 149
स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान 177
अनिर्णीत लेखापरीक्षा पैरा का विवरण 235
प्रशासनिक चार्ट . . . .

1. भूमिका

2—1000 M/o HRD/94

1. भूमिका

11.1.0 वर्ष 1985 में, अपने गठन के साथ ही, मानव संसाधन विकासस मंत्रालय शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कला एवं संस्कृति, युवा कार्य एएवं खेल के क्षेत्रों में मानव क्षमता के विकास के लिए एकीकृत प्रयासों की ओगेर अग्रसर रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस मंत्रालय ने शिक्षा, संस्कृतिति, युवा कार्य एवं खेल और महिला एवं बाल विकास के माध्यम से इस उद्देश्य ा की पूर्ति के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। इस रिपोर्ट में मंत्रालय के चारों विभागों के क्रियाकलापों को शामिल किया गया है जिन्हें निम्नलिखित चार भागों में प्रस्तुत किया गया है :—

भाग I — शिक्षा विभाग

भाग II — संस्कृति विभाग

भाग III — युवा कार्य एवं खेल विभाग

भाग IV — महिला एवं बाल विकास विभाग

शिक्षा विभाग

11.2.1 नौ जनसंख्या बहुलता वाले देशों का ''सभी के लिए शिक्षा'' शिखर सम्मेलन दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसमें उसके कार्यान्वयन की कार्य पद्धतियों और नीति की घोषणा की गईई। नीति घोषणा में प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी शैक्षिक सुविधाओं और बच्चों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए समेकित प्रयासों का प्रावधान किया गया है। सभी के लिए शिक्षा हेतु बुनियादी शिक्षा की एकीकृत कार्यपद्धति के संदर्भ में साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता है, इसके साथ-साथ इसकी उपलब्धताओं की विषमताओं की दूर करने, गुणवत्ता और सार्थकता में सुधार लाने की आवश्यकता भी है। मानव विकास को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय और सामुदायिक संसाधनों का बढ़ता हुआ हिस्सा बुनियादी शिक्षा को समर्पित हो।

11.2.2 नौ देशों के बीच अनुभवों को बांटना, परामर्शों और दूरस्थ अनुभवों के लिए सहयोगात्मक पद्धति का विकास करना, शिक्षा के ढांचे का विकेन्द्रीकृत प्रबंधन ताकि विद्यालय समाज के प्रति अपनी विश्वसनीयता को और अधिक मजबूत कर सकें, शिक्षकों के लिए निष्पादन मानदंडों और आचरण संहिता को विकसित करना और जिला विशेष कार्यक्रमों का विकास करना, इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं।

1.2.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना, 1992 21वीं शताब्दी के पूर्व 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक स्तर की अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा ही सुनिश्चित नहीं करते अपितु ''सभी के लिए शिक्षा'' शिखर सम्मेलन में दिए गए नीति संबंधी वक्तव्य की पुष्टि भी करते हैं। परिणामत: नई पहल और प्राथमिकताओं के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई योजना कार्यक्रमों में तेजी लाना, ''सभी के लिए शिक्षा'' शिखर सम्मेलन के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एक प्रयास भी है।

1.2.4 प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए पांच विशेष क्षेत्रों का चुनाव किया गया है ताकि शिक्षा को समुदाय की आवश्यकताओं का अनुसार ढाला जा सके और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण से संबंधित चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके। ये क्षेत्र हैं : प्रौढ़ साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा के प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा।

1.2.5 प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यनीति का निर्धारण विखंडित ढंग से किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में जिला विशेष, जनसंख्या विशेष योजनाओं को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

1.2.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना का अनुपालन करते हुए, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थापना के माध्यम से एक नई पहल की गई है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा का एक समग्र दृष्टिकोण लिया गया है और इसमें जिला विशेष आयोजना और विखंडित लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु कार्यनीति के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम में आयोजना और प्रबंधन के लिए भागीदार प्रक्रिया, लिंग और शिक्षक प्रशिक्षण और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन में निवेश के माध्यम से विद्यालय को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ-साथ, सभी स्तरों पर क्षमता के वर्धन पर भी बल दिया गया है तथा प्रतिकृत्य और लम्बे समय तक कार्यान्वित की जा सकने वाली कार्यनीतियां तैयार करने का प्रावधान किया गया है।

1.2.7 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा केन्द्र में पूर्ण-रूपेण विकास और सुधार लाने का आधार बिन्दु है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य इस योजना के खण्डश: कार्यान्वयन की अपेक्षा जिलों में प्राथमिक शिक्षा को एक इकाई के तौर पर पुनर्गठित करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को एक विदेशी अंत:क्षेत्रीय परियोजना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए अपितु यह एक प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना है।

1.2.8 वर्तमान स्थिति यह है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के 42 जिलों में आरंभ किया गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पांच-पांच जिलों में आयोजना प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इसे ओ० डी० ए० द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश के 19 जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूरोपीय समुदाय के वित्तीय सहायता कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष 23 जिलों को आई० डी० ए० द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

1.2.9 प्रत्येक दाखिले और प्रतिधारण तथा उपलब्धि पर बल दिया गया है। सूक्ष्म आयोजना व्यापक सुलभता और भागीदारी का कार्य ढाँचा प्रस्तुत करेगी। आठवीं योजना के लक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हैं (i) बालिकाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों सहित सभी बच्चों का व्यापक दाखिला, (ii) 200 की आबादी वाली बस्तियों के लिए एक किलोमीटर की परिधि के भीतर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय और/अथवा स्कूल छोड़कर जाने वाले, कार्यरत बच्चों और स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान, (iii) 4:1 से 2:1 के मौजूदा अनुपात की तुलना में प्राथमिक विद्यालयों से उच्चतर विद्यालयों के अनुपात में सुधार, (iv) स्कूल छोड़कर जाने की दरों में कमी, (v) उच्चतर प्राथमिक स्तर सहित बुनियादी सुविधाओं में सुधार, (vi)प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक अवस्था में न्यूनतम अध्ययन स्तर की उपलब्धि, (vii) शैक्षिक विषय-सामग्री की गुणवत्ता में सुधार लाना और अनौपचारिक पाठ्यचर्या को लक्ष्य समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, (viii) अनौपचारिक शिक्षा के लाभार्थियों को औपचारिक प्रणाली में सुविधाजनक प्रविष्टि की व्यवस्था करना।

1.2.10 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् स्कूली शिक्षा के निर्णायक क्षेत्रों में संसाधन सहयोग प्रदान कर रही है और देश में स्कूली शिक्षा की मौजूदा अवस्था और सुविधाओं के आकलन हेतु छठे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण का आयोजना कर रही है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विज्ञान-शिक्षा, पर्यावरण-शिक्षा योजना, "क्लास" (विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन) परियोजना इत्यादि में संशोधन किया गया है। विभिन्न अवस्थाओं में योग्यता स्तर के वर्धन के लिए शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन और पुनर्योजन किया गया है। जहां एक ओर केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय पहचान के साथ शिक्षा का प्रवर्तन कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दूरस्थ शिक्षा को प्रौन्नत कर रहे हैं और देश के दूरस्थ भागों में समाज के वंचित और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभान्वित कर रहे हैं।

1.2.11 देश में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान को मुख्य कार्यनीति के तौर पर स्वीकार किया गया है। यह एक स्वेच्छाधारित, क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध और किफ़ायती कार्यक्रम है। इन अभियानों के परिणामस्वरूप कुछ लक्षित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा, लिंग जागरूकता आई है ओर महिलाओं की शक्ति बढ़ी है।

1.2.12 जमा दो स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगारोन्मुखता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक अवसरों में विविधता प्रदान करना है। इस योजना में व्यापार और वाणिज्य, कृषि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं पैरामेडीकल्स, गृह विज्ञान और मानविकी विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम सामान्य विपणन दक्षताओं में प्रशिक्षण प्रदान करने और विद्यार्थियों में व्यावसायिक रूचि विकसित करने के लिए भी चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रम अवर स्नातक स्तर पर आरंभ किए जा रहे हैं।

1.2.13 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है और ऐसी सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने लिए अन्तर्निमित प्रावधान हों। बालिकाओं द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा जारी रखने पर बल दिया गया है। पाठ्यचर्या से लिंग भेद हटाने और विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण महिलाओं को शिक्षकों के रूप में भर्ती करने पर भी बल दिया गाया है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आठवीं कक्षा तक बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है जबकि केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं को बारहवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है। बीच में ही शिक्षा छोड़कर जाने वाली बालिकाओं के लिए उन व्यावसायिक कार्यक्रमों को तैयार किया गया है जिनमें उद्यम पर बल दिया गया हो। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और पूर्ण साक्षरता अभियान जैसे प्रमुख ध्यानाकर्षणीय क्षेत्रों में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शैक्षिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने, देशव्यापी लिंग भेद के प्रति जागरूकता शैक्षिक कार्मिक कार्यक्रम और बालिकाओं की शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने हेतु अभिभावक जागरूकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। महिला समाख्या परियोजना का उद्देश्य, महिलाओं की "पारंपरिक भूमिकाओं" के संबंध में महिलाओं द्वारा आंकी गई अपनी और समाज की छवि में परिवर्तन लाना है। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों में पर्याप्त विस्तार हुआ है।

1.2.14 शैक्षिक और विकासात्मक अवसरों से वंचित तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

1.2.15 उत्कृष्ट संस्थान जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और पुर्वानुभव पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं ताकि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उभरती हुई प्रवृत्ति के विकास हेतु भविष्य में अपनाए जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्धारण संभव हो सके। इसके परिणामस्वरूप उद्योगों के साथ सहयोग में कार्य करने के लिए 7 विशिष्ट महत्व वाले व्यापक क्षेत्रों का अनुमोदन किया गया है। यह औद्योगिक अन्त:क्रिया विधि संस्थान के लिए 1991 में आयोजित योजना आयोग की प्रथम पूर्णरूपेण बैठक में प्रधान मंत्री द्वारा बल दिए जाने के फलस्वरूप हुआ है। ये मिशन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय विज्ञान संस्थानों को उद्योग के निकट लाने में काफी सहायक होंगे। विश्व बैंक की सहायता के माध्यम से देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और सार्थकता को बढ़ाने के संबंध में मुख्य पहल की जा रही है। सामुदायिक पॉलिटेक्नीक योजना, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और ग्रामों में, स्कूली शिक्षा, बीच में छोड़कर चले जाने वाले व्यक्तियों को सक्षम बनाती है।

संस्कृति विभाग

1.3.1 वर्ष के दौरान, विभाग ने पुरातत्व, अभिलेख, संग्रहालय, प्रदर्शन, साहित्यिक एवं दृश्य कला, मानव विज्ञान, बौद्ध अध्ययन/तिब्बती अध्ययन पुस्तकालय आदि जैसे विविध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से या इसमें कार्य कर रही संस्थाओं के नेटवर्क द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों एवं परियोजनाओं के माध्यम से कला एवं संस्कृति के उन्नयन, परिरक्षण एवं प्रसार करने की दिशा में अपनी गतिविधियों को जारी रखा। वर्ष के दौरान, विभाग की कुछ उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

1.3.2 केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण एवं रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य है। वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर विस्तृत कार्य के लिए लगभग 300 स्मारकों का पता लगाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक द्वारा प्रागैतिहासिक काल से मध्य काल तक के बहुत से स्थलों और अवशेषों की खोज की गयी है। सरदार सरोवर परियोजना के अधीन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तथा अपर तुंगा और अपर भद्रा परियोजना के अधीन कर्नाटक में सन्नाती के अन्तर्गत बांध के निर्माण के कारण डूबते क्षेत्रों में अन्वेषण संबंधी सर्वेक्षण कार्य जारी है। उत्खनन कार्यक्रम के अंतर्गत, तमिलनाडु के दक्षिण अर्कोट जिले के जिंजी किले की सफाई के दौरान 16वीं शताब्दी के एक महल, एक भूमिगत पथ तथा एक सिंहासन मंच का पता चला है। अनुसंधान संस्थान, कंसाई विश्वविद्यालय जापान के सहयोग से श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में उत्खनन कार्य शुरू किया गया था। कटक के बाराबती किले की खुदाई करने से हमारे इतिहास के कुछ अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश पड़ा है। इस वर्ष दिल्ली में विश्व पुरातत्व कांग्रेस का आयोजन किया जाना पुरातत्व के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1.3.3 इस वर्ष राष्ट्रीय संग्रहालय ने एक स्थायी जवाहारात दीर्घा की स्थापना की जिसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री जी ने किया। संग्रहालय ने अनेक प्रदर्शनियां आयोजित कीं। मार्च, 1995 के दौरान वियना में "भारत में बुद्ध और प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला" नामक एक प्रदर्शनी के आयोजन की योजना है। वर्ष के दौरान, संग्रहालय ने 208कला वस्तुएं प्राप्त कीं। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता द्वारा आस्ट्रेलिया के दो संग्रहालयों—गैलरी ऑफ न्यू साउथ वैल्स, सिडनी तथा नेशनल गैलरी, केनबरा में "भारतीय कांस्य–9वीं से 12वीं सदी ई० स० तक की पवित्र प्रतिमाएं" पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की गयी। संग्रहालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लास एंजिल्स में "पीप्युल लिबरेटर : जैन आर्ट फ्राम इंडिया" विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में भी भाग लिया। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अंतर्गत वीथियों के पुनरूद्धार और संस्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संग्रहालय और भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा संयुक्त रूप से एक नई "एनिमल इकौलोजी गैलरी" की स्थापना की गई, जिसमें हमारे देश के समृद्ध पशु जीवन की एक झलक देखने को मिलती है।

1.3.4 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान कई शैक्षिक कार्यक्रमों एवं विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इसके संग्रहालय द्वारा दो कलात्मक वृत्तचित्रों का भी निर्माण किया गया और एक अन्य फिल्म पूरी होने वाली है। "निकोलिस रोयरिक की चित्रकला" नामक एक प्रदर्शनी के लिए एक रंगीन फोल्डर भी तैयार किया गया। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, जो दृश्य सामग्री के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू के जीवन काल का चित्रण करता है, देश-विदेश के दर्शकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहा। पुस्कालय के लिए संग्रहण, अभिलेखों, रिप्रोग्राफी, परिरक्षण, आदि से संबंधित रोजमर्रा के कार्यों के अतिरिक्त, संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा विभिन्न रूचिकर विषयों पर कई संगोष्ठियों एवं सेमिनारों का भी आयोजन किया गया। सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद द्वारा सालारजंग III, की 108वीं जयंती का आयोजन किया गया और इस समारोह के अंग के रूप में "सालारजंग—संग्रहालय के संस्थापक" नामक एक विशिष्ट प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। संग्रहालय ने "विश्व दाय दिवस" भी मनाया और "स्टक्चर्स : इंडियन हेरिटेज" नामक एक विशेष प्रदर्शनी का राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् के सहयोग से आयोजन किया गया। "बौद्ध सिल्क मार्ग अभियान" तथा "विश्व दाय सप्ताह" के दौरान संग्रहालय ने "सालारजंग संग्रहालय में "बुद्धिष्ट मास्टर पीस इन सालारजंग म्युजियम" नामक एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता ने आलोच्य वर्ष के दौरान कई अस्थायी प्रदर्शनियों का आयोजन किया। संग्रहालय की वस्तुओं और वास्तुशिल्पीय विरासत के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विक्टोरिया मेमोरियल द्वारा एक व्याख्यानमाला का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने देश भर में फैले अपने 21 विज्ञान केन्द्रों में अपने कार्यकलाप जारी रखे। आलोच्य वर्ष के दौरान, कालीकट में तारामण्डल का क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, विजयवाड़ा में जिला विज्ञान केन्द्र और दीघा में जिला विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय शिविर के निर्माण तथा राष्ट्रीय शिविर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाने की आशा है। आलोच्य वर्ष के दौरान कई नये प्रदर्श तैयार किए गए और उन्हें विभिन्न केन्द्रों में रखा गया। "मनुष्य यंत्र निर्माता" नामक एक चल विज्ञान प्रदर्शनी को अप्रैल, 1994 में पूरा कर लिया गया और अब इसे दिल्ली केन्द्र के अंतर्गत जगह-जगह प्रदर्शित किया जा रहा है। दिल्ली केन्द्र ने 'डायनासोर' नामक एक दीर्घकाय जीवन्त प्रदर्श का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की आशा है। परिषद् ने देश भर के ग्रामीण स्कूलों में स्कूल विज्ञान केन्द्रों की भी स्थापना की है।

1.3.5 विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता, केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के अधिग्रहण, पाठकों को सुविधाएं प्रदान करना, पुस्तकालय-सामग्री का संरक्षण तथा व्याख्यानमाला जैसे शैक्षिक कार्यकलाप के अपने रोजमर्रा के कार्यकलाप जारी रखे। इसके अतिरिक्त, तंजावुर, महाराजा सरफौजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावुर, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता, खुदाबख्श ओरियेंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना तथा रामपुर रज़ा पुस्तकालय, रामपुर ने सेमिनारों, संगोष्ठियों, वार्ताओं के आयोजन, दुर्लभ पांडुलिपियों के प्रकाशन आदि सहित शैक्षिक एवं शोध कार्यकलापों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ने देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवाओं को प्रोत्साहन देने के अपने प्रमुख कार्यकलाप को सहायता के माध्यम से जारी रखा।

1.3.6 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने "भारत में नृजातीयता, राजनीति और राजनीतिक प्रणाली" नाम परियोजना को पूरा कर लिया है

और मेघालय, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से निर्वाचकीय आचरण पर सूचना से संबंधित रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। ''भारत में पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जनसंख्या'' नामक परियोजना के अंतर्गत आबादियों के पारिस्थितिकीय अनुकूलन से संबंधित रिपोर्टें संपादित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त, भारत की जनजातियों, स्थल नामों व वैयक्तिक नामों का मानव-विज्ञान, धर्म संबंधी अध्ययन विषयक कई परियोजनाओं के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय अध्ययन शुरू किए गए हैं। इस वर्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल ने भारत-अफगान विरासत के समान पहलुओं पर ''भारत-अफगान सांस्कृतिक संबंध'' नामक विषय पर तथा भारत की जनजातियों में लोकप्रिय ''गोदना अभिप्रायों'' पर, ''गोदना'' प्रदर्शनियों का आयोजन किया। प्रथम, स्थायी मुक्ताकाश प्रदर्शनी, ''जनजातीय आवास'' में तीन प्रदर्श जोड़े गए। तटीय ग्राम्य प्रदर्शनी में एक आवासीय प्ररूप जोड़ा गया। मध्य भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर ''चार्ट्स ऑफ रॉक'' नामक 16 मि० मी० की एक फिल्म तैयार की गयी और ''संक्रमणकाल में मुरिया जनजाति'' नामक एक अन्य फिल्म के लिए प्रलेखन कार्य प्रगति पर है। उसने उड़ीसा की टेराकोटा और लाख की कृतियों पर एक 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। राजगढ़, मध्य प्रदेश की ''धारा धातु शिल्प'' नामक पारम्परिक प्रविधि पर एक विशेष शिल्प प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया।

1.3.7 अभिलेखों के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन और शोध कर्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के अपने कार्यकलाप जारी रखे। इसने जलियांवाला बाग कांड की 75वीं वर्षगांठ की स्मृति में ''अभिलेख और जलियांवाला बाग : स्वतंत्रता का एक युग'' नामक एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जिसका उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ने अपने शोध व शैक्षिक कार्यकलाप जारी रखे। इस सोसायटी द्वारा कई व्याख्यान, राष्ट्रीय कार्यशाला/सेमिनार और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए। सोसायटी ने इन्स्टीच्यूट ऑफ ओरियन्टल स्टडीज, मास्को के साथ भी बातचीत की और सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य के लिए एक करार का मसौदा तैयार किया। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड प्रोग्राम की मेमोरी के लिए आधारभूत संसाधन केन्द्र के रूप में इस सोसायटी को चुना गया है जो भारत में एकमात्र है।

1.3.8 संगीत नाटक अकादेमी ने जनपद और यक्ष गान अकादेमी तथा क्षेत्रीय लोक प्रदर्शन कला संसाधन केन्द्र, उदिपी के सहयोग से उदिपी में राष्ट्रीय स्तर की एक छः दिवसीय कार्यशाला तथा उदिपी पुतली मैले का आयोजन किया। अनुदान समिति द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान 219 सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की सिफ़ारिश की गई है जिसमें पुतली कला के परिरक्षण व उन्नयन से संबंधित 8 संस्थाएं/व्यक्ति शामिल हैं। अकादेमी ने ''पारम्परिक नाट्योत्सव'' नामक पारम्परिक थियेटर महोत्सव का दिल्ली में आयोजन किया जिसमें पारम्परिक थियेटर के क्षेत्र में 1993 के पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया। अकादेमी के प्रलेखन एकक ने आंध्र प्रदेश के जनजातीय संगीत व नृत्य, लामाओं के आनुष्ठानिक समारोह, राजा एवं राधा रेड्डी के कुचिपुड़ि नृत्य, नटराज रामकृष्ण की नृत्य प्रस्तुति का विस्तारपूर्वक प्रलेखन कार्य किया। अकादेमी ने मणि माधव चकियार, पार्वती विरहम, कांगलेई हरोबा और दाहे-दीन-खलाम पर विडियो फिल्में तैयार कर ली हैं। साहित्य अकादेमी ने पांच प्रतिष्ठित लेखकों अर्थात डा० वी० वी० कोल्टे, श्रीमति आशापूर्णा देवी, डा० पी० टी० नरसिंहाचार श्री कानुचरण मंती और बाबा नागार्जुन को अपना सर्वोच्च सम्मान ''अकादेमी रत्न सदस्यता'' प्रदान की। विभिन्न भारतीय भाषाओं के सत्रह अनुवादकों को साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए गए। इतिहासकार, लेखक और राजनयिक, सरदार के० एम० पाणिकर तथा लेखक विभूति भूषण बन्धोपाध्याय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए। अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जयपुर के सहयोग से अंग्रेजी में साहित्यक अनुवाद पर एक छः दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। ललित कला अकादेमी द्वारा 8वीं द्विवार्षिकी के अवसर पर जयपुर में आयोजित ''अंतर्राष्ट्रीय कलाकार शिविर'' में सृजित कला कृतियों की एक प्रदर्शनी रवीन्द्र भवन की दीर्घाओं में आयोजित की गयी। अकादेमी ने फूकोओका, जापान में आयोजित चौथे एशियन आर्ट शो में भाग लिया''। अकादेमी ने अपनी फ्रेस्को गैलरी में ''कला एवं कलाकार'' नामक फिल्म महोत्सव का आयोजन किया। फ्रेस्को गैलरी में ही ''रंग राग– सिंथेसाइसिंग आर्ट एंड म्यूज़िक तथा पांच प्रमुख महिला चित्रकारों की कलाकृतियों का स्लाइडों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण पर एक परिचर्या आयोजित करने की योजना है। ''कला शब्द और शब्दावली'' नामक योजना पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने विभिन्न शहरों में थियेटर पर 8 कार्यशालाएं आयोजित कीं। दो बाल थियेटर कार्यशालाएं झुनुआ, मध्य प्रदेश और रविपुर में आयोजित की गयीं। पांच विद्यालयों को तकनीकी सहायता के लिए विशेषज्ञ उपलब्ध कराये गए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने तीन शहरों में ''यात्रा प्रदर्शनी'' लगायीं। पहला थियेटर मंत्रालय मई-जून 1994 में आयोजित किया गया।

1.3.9 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में दो देशों अर्थात बेलिज और लाओस के साथ सांस्कृतिक करार किए गए। इन करारों में कला, संस्कृति, शिक्षा जिसमें शैक्षिक गतिविधियां शामिल हैं, खेल, युवा कार्य, पत्रकारिता, रेडियो, दूरदर्शन और सिनेमा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आदान-प्रदान को शामिल किया गया है। इस वर्ष 3 सितंबर, 1994 को भारत-रूसी संस्कृति विषय कार्यशाला दल की प्रथम बैठक के अंत में एक नयाचार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

1.3.10 बीजिंग, चीन में मई 1994 में भारत महोत्सव का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रदर्शन कला के कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव, फैशन शो और प्रदर्शनी आदि शामिल थीं।

युवा कार्य एवं खेल विभाग

युवा कार्यक्रम

1.4.0 युवा कार्यक्रम और खेल विभाग युवा विकास की अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि युवा वर्ग राष्ट्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है जिस पर देश का वर्तमान और भविष्य निर्भर करता है। वर्ष के दौरान शुरू किए गए अनेक कार्यों में युवाओं की अत्यधिक शक्ति की

रचनात्मक कार्यकलापों में लगाने के लिए युवा कार्यक्रमों को एक नया आयाम दिया गया है। महत्वपूर्ण कार्य नीचे दर्शाये गए हैं :—

(I) यह निर्णय लिया गया है कि विकास कार्यकलापों में ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक 10 गांवों के समूह हेतु युवा विकास केन्द्रों की स्थापना की जाए। इन केन्द्रों में सूचना, खेल, प्रशिक्षण और ग्रामीण युवाओं के लिए युवा कार्यक्रमों की सुविधाएं होगी। केन्द्र के लिए भूमि पंचायत द्वारा दान में दी जाएगी। यह योजना इस विभाग के स्वायत्त निकाय नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(II) नेहरू युवा संगठन (एन० वाई० के० एस०) देश में निम्न स्तर पर सबसे बड़ा संगठन है जो गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। वर्ष 1994-95 से नेहरू युवा केन्द्रों की कार्य योजना में राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें शामिल किए जाने वाले क्षेत्र हैं : पंचायती राज जागरूकता, स्वास्थ्य और जनसंख्या जागरूकता, पर्यावरण संवर्धन के लिए वृक्ष मित्र योजना, सेवक (स्वरोजगार कामगार एसोसिएशन केन्द्र), ब्लाक, जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव (युवा समारोह), युवा विकास केन्द्र, व्यावसायिक शिक्षा में पर्यावरण। इसके अलावा यह महसूस किया गया कि इस वर्ष युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी बल दिया जाए। इसलिए कार्यक्रम आयोजन के विकेन्द्रीकरण और कार्य योजना की तैयारी के समय युवा समन्वयकों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता है। जनता में नेहरू युवा केन्द्र संगठन की विद्यमानता को महसूस करने और इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले के नेहरू युवा केन्द्र को न्यूनतम सामान्य कार्यक्रमों का एक सेट प्रदान किया जाए। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया कि लाभग्राही 50 प्रतिशत ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों से युवा महिलाएं होनी चाहिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अल्पसंख्यक समुदायों की उचित सहभागिता होनी चाहिए।

खेल और शारीरिक शिक्षा

1.5.1 खेल और शारीरिक उपयुक्तता के लिए भारत की लम्बी परम्परा रही है। नवें एशियाई खेलों के आयोजन से पहले 1982 में अलग खेल विभाग के सृजन से इस विषय को उच्च मान्यता दी गई। तदुपरान्त 1984 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल नीति घोषित की गई। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए 1992 में (वर्षाकालीन सत्र में) संसद के समक्ष एक नया कार्यान्वयन कार्यक्रम रखा गया।

1.5.2 वर्ष 1994-95 के दौरान भारत ने विक्टोरिया, कनाडा में 18 से 28 अगस्त, 1994 तक आयोजित XV राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। भारत ने 2 से 16 अक्तूबर, 1994 तक हिरोशिमा में आयोजित 12वें एशियाई खेलों में भी भाग लिया। इन खेलों में हमारा प्रदर्शन पिछले अवसरों के प्रदर्शन से बेहतर था। एस० ए० आई० की योजनाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए टाटा कंसलटेंसी के जरिए इनकी विभाग द्वारा समीक्षा की गई थी।

1.5.3 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। राज्य सरकारों से इन सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया था।

1.5.4 वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में शामिल करने के लिए विविध खेल संघों से प्राप्त प्रस्तावों को जो बिना आयात लाइसेंस के उन से आयात के प्रयोजनार्थ है, उपर्युक्त संदर्भित सार्वजनिक सूचना में शामिल करने के लिए महानिदेशक, विदेशी व्यापार को भेज दिया गया था।

महिला एवं बाल-विकास विभाग

1.6.1 महिलाओं और बच्चों का विकास राष्ट्र के मानव संसाधन विकास प्रयासों का अभिन्न अंग है। अतैव, महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक भाग के रूप में महिला एवं बाल-विकास नामक विशेष विभाग की स्थापना की गई।

1.6.2 यह विभाग नोडल विभाग की हैसियत से योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का निरूपण करता है, कानून बनाता है/उनमें संशोधन करता है; महिला एवं बाल-विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के प्रयासों का समन्वय और दिशा-निर्देशन करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग कल्याण और सहायता सेवाओं, नियोजन और आयोत्पादन, जागृति विकास महिला मुद्दों के प्रति संचेतना के क्षेत्रों में कुछ नवीन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्य सामान्य विकास कार्यक्रमों के पूरक और सम्पूरक भी है। सरकार के इन सभी सुनियोजित प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से शक्तिसम्पन्न हो सकें तथा राष्ट्र के विकास में पुरुषों के साथ-साथ समान रूप से भागीदार बन सकें।

1.6.3 महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियों में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय कार्य योजनाओं—एक बच्चों के लिए और दूसरी केवल बालिकाओं के लिए—का अपनाया जाना, समेकित बाल-विकास सेवा कार्यक्रम का तीव्र गति से विस्तार, राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाया जाना, "महिला समृद्धि योजना" स्कीम प्रारम्भ किया जाना, राष्ट्रीय बाल शिशुगृह कोष की स्थापना शामिल है।

1.6.4 महिलाओं के लिए नियोजन अवसरों में वृद्धि करने की आठवीं योजना की कार्यनीति के अनुरूप, महिला एवं बाल-विकास विभाग ने अपनी प्राथमिकताओं को पुन: निर्धारित किया है तथा महिला विशिष्ट नियोजन

कार्यक्रमों के अन्तर्गत जैसे कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार परियोजनाओं की सहायता के अन्तर्गत कृषि, डेयरी उद्योग, पशुपालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, मत्स्य पालन इत्यादि के पारस्परिक क्षेत्रों में, प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर, रेडियो इंजीनियरिंग, ब्यूटी कल्चर, फैब्रिक डिजाइनिंग, केटरिंग इत्यादि जैसे गैर-पारम्परिक नए उभरते हुए व्यवसायों में महिलाओं और किशोरियों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को "काम और मजदूरी" उपलब्ध कराने के लिए तथा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को आगे शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सेवाओं का विस्तार किया है। पिछले विकास दशक के दौरान, इन कार्यक्रमों से लगभग 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों का लाभ दिलाया गया है।

1.6.5 इसके साथ-साथ, विभाग अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं और स्वरोजगाररत महिलाओं की ऋण और विपणन सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दे रहा है। जबकि हाल में गठित राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन और परिसम्पत्तिविहीन महिलाओं, जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों तक कोई पहुंच नहीं है, को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है. विभिन्न राज्यों में स्थापित महिला विकास निगमों से आशा की जाती है कि वे कच्चे माल की सप्लाई और विपणन सुविधाओं जैसे "अग्रगामी" और "पश्चगामी" सम्पर्क उपलब्ध कराएं। ये सेवाएं देश भर में महिलाओं के लिए चलाए जा रहे रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूरक है। महिला कोष ने जनवरी, 1995 तक ऋण विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत 47 गैर-सरकारी संगठनों के जरिए 59524 निर्धन महिलाओं को कुल 8.88 करोड़ रु० का ऋण उपलब्ध कराया।

1.6.6 इसके अतिरिक्त, विभाग ने निम्न आर्थिक वर्ग की महिलाओं और बच्चों के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सहायता सेवाओं के एक व्यापक नेटवर्क का विस्तार भी किया है। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए अधिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस नोडल विभाग ने वर्ष 1973 में "कामकाजी महिला होस्टल" नामक स्कीम आरम्भ की थी। इसके अन्तर्गत, ऐसी एकल कामकाजी महिलाएं जो रोजगार की तलाश में शहरों/कस्बों में आती हैं, उन्हें "सुरक्षित" और "सस्ता" आवास उपलब्ध कराया जाता है। अब तक देश भर में ऐसे 687 होस्टल बनाए जा चुके हैं जिनके द्वारा लगभग 45000 कामकाजी महिलाओं और उनके लगभग 8000 आश्रित बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार, कामकाजी माताओं द्वारा बच्चों की देखभाल सम्बन्धी कार्य को कम करने के लिए विभाग "कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र" नामक कार्यक्रम चला रहा है। इस समय देश में 12470 से भी अधिक ऐसे शिशुगृह मौजूद हैं जिनमें 3.10 लाख बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

1.6.7 अक्तूबर 1993 में आरम्भ की गई महिला समृद्धि योजना की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है। 31 दिसम्बर, 1994 तक बचत और अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों में सुधार लाने के लिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा 72.04 लाख महिला समृद्धि योजना खाते खुलवाए गए, जिनमें कुल 65.90 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई। इस स्कीम से महिलाओं को अपने घरेलू संसाधनों पर अधिक नियंत्रण कर पाने और अधिक आत्मनिर्भर बन सकने का अवसर उपलब्ध हुआ है।

1.6.8 बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभाग समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम, जिसे हमारे बच्चों के लिए देश के उपहार के रूप में जाना जाता है, आज विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक लोकप्रिय विकास कार्यक्रम है। 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन लगभग 3.99 लाख आंगनवाड़ियों के जरिए 3787 समेकित बाल विकास सेवा ब्लाकों में किया जा रहा है और इसके अन्तर्गत 17.6 मिलियन बच्चों और 3.9 मिलियन माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। समेकित बाल-विकास सेवा की कवरेज में विस्तार के लिए प्रयास बढ़ा दिये गए हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्यतया जनजातीय/पिछड़े इलाकों में विश्व बैंक की सहायता से विशेष समेकित बाल-विकास सेवा परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए आयोत्पादन इत्यादि के लिए कौशल उन्नयन, किशोरियों के लिए स्कीमों और गम्भीर रूप से कुपोषित के पोषाहारीय पुनर्वास जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

1.6.9 देश में व्याप्त कुपोषण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाई गई है। क्षेत्रीय कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। राष्ट्रीय पोषाहार नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रबोधन के लिए तथा देश में सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त पोषाहार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पोषाहार परिषद् का गठन किया गया है।

2. सिंहावलोकन

3—1000 M/o HRD/94

2. सिंहावलोकन

निधियों का आवंटन और उनका उपयोग

2.1.0 वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में शिक्षा के लिए 2423.61 करोड़ रु० का बजटीय प्रावधान किया गया। इसमें 875.31 करोड़ रु० का योजनेत्तर और 1548.30 करोड़ रु० का योजनागत प्रावधान था।

सभी के लिए शिक्षा

2.2.1 पिछले वर्ष शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में सभी के लिए शिक्षा (ई० एफ० ए०) महत्वपूर्ण विषय रहा है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसी तालमेल और सहायता की पद्धति से प्रौढ़ साक्षरता के सर्वसुलभीकरण और प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की द्विमुखी कार्यनीति का अनुसरण किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा

2.2.2 आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 312 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, प्रौढ़ साक्षरता के सर्वसुलभीकरण के लिए मुख्य कार्यक्रम अब आंशिक या पूर्ण रूप से चल रहे हैं। वर्तमान समय में 9-45 आयु वर्ग के लगभग 50 मिलियन लोग लगभग 5 मिलियन स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की मदद से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे शिक्षा के विभिन्न चरणों में है, परन्तु अनुमान है कि उनमें से लगभग 15 मिलियन लोगों ने साक्षरता और गणना के प्रारम्भिक स्तर को पहले ही प्राप्त कर लिया है। जिस क्षेत्र में सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, उस क्षेत्र में भी उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा के कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं। लक्ष्य आठवीं योजना के दौरान 345 जिलों को शामिल करना और 100 मिलियन लोगों को कार्यसाधक दृष्टिकोण से साक्षर बनाना है। अभियानों का बल अब निम्न साक्षरता दर वाले और अधिक आबादी वाले चार राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर दिया गया है जहां देश की लगभग 48 प्रतिशत निरक्षर जनसंख्या है और जहां साक्षरता कार्यक्रम पहले बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान संस्वीकृत 53 सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में से बत्तीस अभियान इन राज्यों में चल रहे हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

2.2.3 प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम और शिक्षकों के व्यापक प्रबोधन के माध्यम से शिक्षक शिक्षा एवं डी० आई० ई० टी० के रूप में महत्वपूर्ण पहलों को अधिकतम प्राथमिकता के साथ जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त मुख्य पहल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी० ई० पी०) के रूप में है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पहले के योजनाबद्ध, अलग-अलग कार्यक्रम के दृष्टिकोण से हटकर प्रारम्भिक शिक्षा पर समग्र रूप से विचार किया गया है, इसमें विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन, सामुदायिक संगठन पर बल दिया गया है और जिला एवं जनसंख्या विशिष्ट आयोजना शुरू की गई है। कार्यक्रम पूर्व में बाहरी सहायता से चलाए जाने वाले प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव पर आधारित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं इसके उच्च लक्ष्य, आयोजना प्रक्रिया की प्रकृति और प्रबलता, व्यावसायिक निवेशों का समेकन, सहभागिता पूर्ण आयोजना और प्रबंधन, क्षमता निर्माण पर बल और समेकित एवं स्थानीय दृष्टिकोण से उपयुक्त पाठ्यचर्या एवं अध्यापन हैं। सहवर्ती मूल्यांकन और शिक्षु कार्यकलाप की मानीटरिंग की एक प्रणाली स्थापित की जा रही है ताकि बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने एवं उपलब्धि के अन्तिम लक्ष्य पर कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। कार्यक्रम सात राज्यों के 42 जिलों में पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और आठवीं योजना के अन्त तक 110 जिलों को शामिल करने का लक्ष्य है।

2.2.4 2000 ई० तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य/राष्ट्रीय संसाधनों में सहायता के दृष्टिकोण से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अलावा बाहरी सहायता से अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

— जिलों को शामिल करते हुए 728 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ विश्व बैंक की सहायता से चलाया जाने वाला उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम।

— वर्ष 1995-96 तक 20 जिलों को शामिल करते हुए 360 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ यूनीसेफ की सहायता से चलाई जाने वाली बिहार शिक्षा परियोजना

— 38 जिलों को शामिल करते हुए 60.32 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी (सीडा) की सहायता से चलाई जाने वाली शिक्षा कर्मी परियोजना।

— 25 ब्लॉकों को शामिल करते हुए 13 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ सीडा की सहायता से राजस्थान में चलाई जाने वाली लोक जुम्बिश परियोजना।

— 14 जिलों को शामिल करते हुए 51.29 करोड़ रु० के परिव्ययके साथ नीदरलैंड की सहायता से चार राज्यों में चलाई जाने वाली महिला समाख्या परियोजना।

— 23 जिलों को शामिल करते हुए ओ० डी० ए० द्वारा प्रदान की गई निधियों की मदद से चलाई जाने वाली आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना।

2.2.5 उत्तर गैर औपचारिक शिक्षा की पहलें कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर बल के साथ जारी हैं। प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 1986 में शुरू किये गये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के कार्यक्रम से अच्छी प्रगति हुई है। देश के लगभग सभी प्राथमिक स्कूलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। 1.49 लाख शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 1.22 लाख पद भरे जा चुके हैं कुल पदों के लगभग आधे पदों (56132) पर महिलाओं की भर्ती की गई है। देश के 99.9 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन उपकरण संस्वीकृत किए गए हैं, सौ से अधिक नामांकित बच्चों वाले स्कूलों में तृतीय शिक्षक के 14,535 पद संस्वीकृत किए गए हैं। पिछले साल उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया. अब तक 7335 स्कूल शामिल किए जा चुके हैं।

2.2.6 अछूते रह गए इलाकों तथा लाभवंचित समूहों की समस्या के प्रति सरकार सचेत है। इनकी शिक्षा तक पहुंच पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। गैर-औपचारिक प्रणाली का लक्ष्य इन वर्गों की सहभागिता में वृद्धि करना है। आज चलाए जा रहे 2.5 लाख केन्द्र लगभग 62 लाख शिक्षुओं की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अध्ययन अध्यापन सामग्री, कार्मिकों का प्रबोधन तथा समाज की भागीदारी की दृष्टि से इस कार्यक्रम को बहुत अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। केवल बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाए जा रहे केन्द्रों की 90% लागत केन्द्र सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए वहन किया जाता है। अब इस कार्यक्रम को बाल श्रमिक की कुप्रथा को समाप्त करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है।

2.2.7 कार्रवाई योजना 1992 में प्रतिपादित न्यूनतम अधिकतम स्तर की कार्यनीति प्रारंभिक शिक्षा के सभी कार्यक्रमों में प्रमुख हस्तक्षेप के रूप में उभरी है। परिणामों पर बल देते हुए यह प्रारंभिक शिक्षा की प्रक्रिया को फिर से परिभाषित करती है जिससे एक समुन्नत, समेकित शिक्षा शास्त्र तैयार होता है जो हमारे कक्षाकक्ष की बहुग्रेडीय परिस्थितियों के अनुकूल होगी।

माध्यमिक शिक्षा

2.3.1 विभिन्न योजना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को स्तरोन्नत किया जा रहा है। इन में विज्ञान शिक्षा में सुधार, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षा में संस्कृति एवं मूल्य, संगणक साक्षरता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी आदि के लिए योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूल स्तर पर स्कूल शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधन सहायता उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र और राज्य स्तरीय एजेंसियों की मदद से इस समय छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण करा रही है। इससे ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं के संतुलित विकास व प्रसार के लिए निचले स्तर पर समुचित शैक्षिक आयोजना में मदद मिलेगी। संस्थान, बस्तीवार पहुंच, नामांकन, भौतिक सुविधा, शिक्षक और उनकी योग्यता आदि संबंधी महत्वपूर्ण सांख्यकीय आंकड़े केन्द्रीय प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के संतोषप्रद कार्यान्वयन के लिए समुचित आंकड़ा आधार उपलब्ध कराएंगे।

2.3.2 केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय पूरे देश में राष्ट्रीय एकता के साथ शिक्षा का संवर्धन कर रहे हैं। इन दोनों ही संगठनों में जितनी मात्रा में विस्तार हो रहा है उतनी ही मात्रा में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का सृजन न होने से इनकी शिक्षा की गुणवत्ता में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। सरकार ने इस वर्ष भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित करने की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है ताकि स्कूलों की ये कड़ियाँ देश के अन्य स्कूलों के लिए गति निर्धारक के रूप में विश्वास पूर्वक काम कर सके। देश के दूर-दराज के भागों में समाज के वंचित व सामाजार्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने के विचार से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को देश में मुक्त शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान विकास और सूचना के प्रसार का दायित्व सौंपा गया है।

2.3.3 स्कूली छात्रों पर शैक्षिक बोझ की समस्या पर विभिन्न स्तरों पर विचार चल रहा है तथा प्रो० यशपाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक कार्य ढांचा राज्य सरकारों को सुझाया गया है। भारत सरकार इस रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखे हुए है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन से स्कूली शिक्षा में सार्थक सुधार आए।

2.3.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यक्तिगत नियोज्यता बढ़ाने, कुशल जनशक्ति को मांग और आपूर्ति के बीच व्याप्त असंतुलन को घटाने तथा बिना किसी खास उद्देश्य या रुचि के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए विकल्प प्रदान करने हेतु शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्राथमिकता दी गई है। यद्यपि इस योजना के अंतर्गत बहुत अधिक लोगों व क्षेत्रों को शामिल किया गया है परन्तु पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा ज्यादातर इस कारण से है कि अधिकांश राज्य व्यावसायिक प्रबंध प्रणाली सृजित करने में तथा प्रयोक्ता संगठनों के साथ सतत संबंध व सहयोग स्थापित करने में पिछड़े हुए हैं। छात्रों को बाजार योग्य साधारण कौशलों में प्रशिक्षण देने के लिए तथा व्यावसायिक रुचि विकसित करने के लिए वर्ष 1993-94 से निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की योजना शुरू की गई। इसका लक्ष्य है —1995 तक उच्चतर माध्यमिक छात्रों के 10% भाग को तथा 2000 ई० तक इनमें से 25% छात्रों को व्यावसायिक धारा की ओर मोड़ना। आलोच्य वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की कमजोरियां दूर करने के लिए कार्यक्रम के समेकन और इसमें गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है।

2.3.5 सर्वेक्षणों के माध्यम से जनशक्ति संबंधी आवश्यकता के आंकलन के आधार पर पाठ्यक्रमों का चयन किया जाता है, 6 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात कृषि, व्यवसाय व वाणिज्य, इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य व अर्ध चिकित्सा सेवा, गृह विज्ञान, सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में लगभग 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

2.3.6 नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि स्कूल बीच में छोड़ने वालों, नव साक्षरों इत्यादि को अनौपचारिक, लचीले और मूल्य-आधारित कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायें। रेल, स्वास्थ्य और उद्योग मंत्रालयों इत्यादि के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक उद्यम भी शामिल किए जा रहे हैं।

तकनीकी शिक्षा

2.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंजीनियरी कॉलेजों और बहुशिल्पों की प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के अप्रचलन को दूर करने और उनके आधुनिकीकरण करने पर बल दिया गया है ताकि कार्यात्मक क्षमता बढ़ाई जा सके। इस योजना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज तथा अन्य इंजीनियरी कालेज, विश्वविद्यालयों के तकनीकी संकाय और पोलिटेक्निक शामिल हैं।

2.4.2 औद्योगिक वाणिज्यिक पद्धति और संस्थाओं को निकट लाने के संबंध में प्राथमिकता दी जा रही है। आठ निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थानों के माध्यम से, भारतीय अर्थ व्यवस्था के प्रति उनकी सुसंगति के आधार पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किए गए हैं। प्रयोक्ता उद्योग इन मिशनों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन में प्रमुख रूप से शामिल होगा और इन मिशनों के अनुसंधान एवं विकास के परिणाम भारतीय उद्योग को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, बहुशिल्पों की क्षमता, कोटि और क्षमता में सुधार करने के लिए तकनीकी शिक्षा पद्धति के स्तरोन्यन से संबंधित कार्य ऐसे कार्यक्रमों के रूप में किये जा रहे है जो तकनीकी शिक्षा पद्धति को नया रूप प्रदान करेंगे।

2.4.3 अधिक स्वायत्तता प्रदान करने, कार्य निष्पादन में सुधार करने तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान में एक मुश्त अनुदानों द्वारा निधियों की व्यवस्था संबंधी नई पद्धति आरम्भ की गई है। इससे संस्थाएं किफायत कर सकेंगी और लागत प्रभावी बन सकेंगी और विकास प्रयोजनों के लिए अपने साधनों को जुटा सकेंगी।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

2.5.1 देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निरंतर वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विश्वविद्यालयों की संख्या 25 थी जो अब 211 हो गई है (इसमें 36 समविश्वविद्यालय और डिग्री प्रदान करने के अधिकार के साथ राष्ट्रीय महत्व की 10 संस्थाएं शामिल हैं)। छात्रों का नामांकन 2 लाख से बढ़कर 1994-95 के आरम्भ में 50.07 लाख हो गया है। 50.07 लाख के नामांकन में से 44.11 लाख (88.1 प्रतिशत) स्नातक कार्यक्रमों में नामांकन किया गया, 4.76 लाख (9.5%) स्नातकोत्तर तथा 0.55 लाख (1.1%) अनुसंधान कार्यक्रमों में नामांकन किया गया। छात्राओं का नामांकन पिछले वर्ष में 15.90 लाख की तुलना में 1994-95 के शुरूआत में 16.44 लाख हुआ।

2.5.2 1980 के दशक के दौरान छात्र नामांकन की वृद्धि की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। जबकि छात्र नामांकन में 1985-86 तक प्रतिवर्ष औसतन 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। 1988-89 से 1993-94 की अवधि के दौरान नामांकन की वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 4.2 रही। यह अनुमान है कि यदि यह वृद्धि दर चलती रही तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में छात्रों का कुल नामांकन लगभग 60 लाख होना चाहिए।

2.5.3 छात्रों के संकायवार ब्यौरों से यह पता चलता है कि लगभग 40.4 प्रतिशत छात्रों का कला और मानविकी में, 21.9 प्रतिशत वाणिज्य में, 19.6 प्रतिशत विज्ञान में, 18.1% इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में, विधि व अन्य संकायों में नामांकन किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तुरंत रोजगार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनकी शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय व्यवस्था में उत्पादकता को प्रभावित करता है। असम में दो विश्वविद्यालय और नागलैण्ड में एक विश्वविद्यालय प्रारम्भ किया गया है वर्ष के दौरान लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा वर्ष 1994-95 में स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया और केन्द्रीय तथा कुछ राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के लिये पर्याप्त सहायता प्रदान की गई।

2.5.4 पिछले 3-4 वर्षों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए काफी उत्साह देखा गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में छात्र नामांकन 84,000 से अधिक हो जाने की संभावना है। इसके साथ इस विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन 2.57 लाख हो जाने की संभावना है। आठवीं योजना अवधि के दौरान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक क्षेत्र, मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं में 10 लाख छात्रों के अतिरिक्त नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2.6.1 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, जिसका सचिवालय शिक्षा विभाग में है, यूनेस्को के कार्यों विशेषकर इसके कार्यक्रमों के प्रतिपादन और कार्यान्वयन में विशेष योगदान दे रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रभावशाली बौद्धिक निवेश प्रदान करना जारी रखा।

2.6.2 शिक्षा विभाग को दिसम्बर 1993 में नई दिल्ली में नौ जनसंख्या बहुल देशों के सभी के लिए शिक्षा'' शिखर सम्मेलन के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें यूनेस्को, यूनीसेफ एवं यू० एन० एफ० पी० ए० नामक तीन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अध्यक्षों ने सहप्रायोजकों के तौर पर भाग लिया। ''सभी के लिए शिक्षा'' शिखर सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(क) दिसम्बर 1993 में, नई दिल्ली में आयोजित नौ जनसंख्या बहुल देशों के ''सभी के लिए शिक्षा'' शिखर सम्मेलन में भाग

लेने वाले देशों ने 8 अक्तूबर, 1994 को जिनीवा में एक मंत्रालय स्तर की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में "सभी के लिए शिक्षा-9" शिखर सम्मेलन की तीन प्रायोजक एजेंसियों- यूनेस्को, यूनीसेफ और यू० एन० एफ० पी० ए० के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक आई सी० ई के 44 वें सत्र के दौरान हुई और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया।

दिनांक 29 अगस्त से 4 सितम्बर, 1994 के बीच ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील में आयोजित "सभी के लिए शिक्षा" पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कुमारी सैलजा, उप मंत्री (शिक्षा एवं संस्कृति) के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

2.6.3 60 द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम और सामूहिक व्यवस्थाओं से अधिक शिक्षा घटकों के कार्यान्वयन के गहन अनुवीक्षण द्वारा बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए।

2.6.4 यूनेस्को द्वारा वार्षिक तौर पर दिए जाने वाले तीन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों में से एक प्रतिष्ठित नोमा पुरस्कार वर्ष 1994 के लिए सियालदाह, कलकत्ता स्थित "लारेटो डे स्कूल" को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें उन सर्वाधिक अपेक्षित झुग्गी-झोपड़ी के इलाकों और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां के वे रहने वाले हैं, अभावग्रस्त वर्गों के बीच साक्षरता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रदान किया गया।

2.6.5 यूनेस्को भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को एशिया सांस्कृतिक केन्द्र, जापान द्वारा आयोजित की जाने वाली छायांकन (फोटो) प्रतियोगिता में भारतीय छायाकारों (फोटोग्राफरों) की भागीदारी का समन्वयन करता रहा है। विश्व सांस्कृतिक विकास दशक (1988-97) और अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष (1994) के अवसर पर "परिवार" विषय के अंतर्गत यूनेस्को/ए० सी० सी० यू० विश्व छायांकन प्रतियोगिता, 1993 में दस भारतीय व्यक्तियों ने पुरस्कार प्राप्त किए। 18वीं यूनेस्को/यूनेस्को एशिया सांस्कृति केन्द्र विश्व छायांकन प्रतियोगिता में 15 व्यक्तियों ने पुरस्कार जीते।

भाषा विकास

2.7.1 भारत सरकार ने गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति की योजना जारी रखी और इस योजना के तहत हिन्दी शिक्षकों/प्रशिक्षण कालेजों के वेतन की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

2.7.2. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने लगभग 15,164 व्यक्तियों को क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी शिक्षण हेतु पत्राचार पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव किया है।

2.7.3. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर मे आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी भाषी क्षेत्रों से शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखे।

2.7.4 केन्द्रीय हिन्दी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों की गतिविधियो के समन्वयन में अहंम भूमिका अदा की। केन्द्रीय हिन्दी एवं विदेशी भाषा संस्थान ने जिला केन्द्रो के माध्यम से अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के संतृप्ति प्रशिक्षण की योजनाओं का अनुवीक्षण भी किया।

2.7.5 प्रस्तावित विश्वविद्यालय के सभी पक्षों पर विस्तृत विचार करने और सरकार को उचित सिफारिशें करने के लिए सितम्बर 1992 में गठित उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना पर एक समिति ने दिनांक 12-6-1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन हेतु इस प्रस्ताव पर विचारार्थ सरकार द्वारा संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

2.7.6 देश में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के गठन पर सरकार को परामर्श देने के लिए जुलाई 1992 में गठित अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय पर समिति ने दिनांक 1-5-1993 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय के गठन का निर्णय लिया जा चुका है और इस पर संसद द्वारा विचार किए जाने के लिए शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

2.7.7 हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों (हिन्दी को छोड़ते हुए) की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता की नई केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 में आरम्भ की गई थी और यह रिपोर्टाधीन वर्ष में जारी रही।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा

2.8.0 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक अवसरों की विषमताओं को दूर करने और उनकी एकरूपता सुनिश्चित करने के महत्व को योजना में यथापूर्व प्रधानता दी गई।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

2.9.1 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की सघनता वाले क्षेत्रों के शैक्षिक अवसरों के उन्नयन हेतु क्षेत्रीय सघनता की विधि का प्रयोग करने वाली योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2.9.2 वर्ष 1993-94 के दौरान आरम्भ की गई मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना जारी रखी गई। इस योजना के अंतर्गत विज्ञान गणित इत्यादि के शिक्षण तथा विज्ञान गणित/गणित किटों की पुस्तकों के क्रय हेतु अनुदान दिया जाता है।

शिक्षा के लिए संसाधन

2.10.0 वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा का संशोधित बजट 21369.91 करोड़ रु० था। वर्ष 1993-94 के लिए बजट आकलन 23908.91 करोड़ रु० था।

20 सूत्रीय कार्यक्रम

2.11.0. टी० पी० पी० 1986 के विषय-बिन्दु 10 के संबंध में अर्ध वार्षिक प्रगति के अनुवीक्षण हेतु शिक्षा विभाग वे नोडल विभाग के तौर पर कार्य करना जारी रखा। इस विषय-बिन्दु के अंतर्गत पूर्व निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के संबंध में प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति का अनुवीक्षण भौतिक तथा वित्तीय तौर पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट अर्ध वार्षिक आधार पर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जाती है।

3. प्रशासन

3. प्रशासन

संगठनात्मक संरचना

3.1.0 शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक घटक है, जिसका पूरा नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्री के अधीन है। शिक्षा और सांस्कृतिक उपमंत्री उनकी सहायता करती हैं। सचिवालय का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है जिसको अपर सचिव सहयोग देते हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों तथा एककों में संघठित हैं। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार के प्रभार में होता है जिसे प्रभागीय प्रमुख सहयोग देते हैं। विभाग का संगठन इस रिपोर्ट के साथ संलग्न संगठन चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

3.2.1 इस विभाग के अन्तर्गत कई अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन हैं। महत्वपूर्ण अधीनस्थ कार्यालय इस प्रकार हैं :

— प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (प्रौ० शि० नि०)

— केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (के० हि० नि०)

— वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (वै०त०श०आ०)

— उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो (उ० प्रो० ब्यू०)

— केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (के० भा० भा० सं०)

3.2.2 महत्वपूर्ण स्वायत्त संगठन इस प्रकार हैं :

— राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा०शै०अनु०प्र०परि०), नई दिल्ली स्कूली क्षेत्र में संचालन करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की सोत संस्था है।

— राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (रा० शै० यो० प्र० स०), नई दिल्ली शैक्षिक प्रबन्ध की समस्याओं में विशेषज्ञता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की सोत संस्था है।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि०अनु०आ०) जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता है तथा मानक निर्धारित करता है।

— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ०भा०त०-शि०परि०) नई दिल्ली, जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करती है और मानक निर्धारित करती है।

— देश में शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्

3.2.3 निम्नलिखित संस्थाएं उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान में लगी हुई हैं :—

* भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (भा०उ०अ०सं०),
* भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (भा०सा०वि०आ०परि०), नई दिल्ली।
* भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् (भा०ऐ०अनु०परि०) नई दिल्ली
* भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (भा०दा०अनु०परि०) नई दिल्ली

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

* अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ०मु०वि०), अलीगढ़।
* बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (ब०हि०वि०), वाराणसी।
* दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
* हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
* जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।
* जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, (ज०ला०ने०यू०) नई दिल्ली।
* उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग।
* पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी।
* विश्वभारती, शांति निकेतन।
* नागालैंड विश्वविद्यालय, तेजपुर।
* असम विश्वविद्यालय, सिल्चर।
* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

4—1000 M/o HRD '94

3.2.4 भाषाओं की प्रोन्नति के क्षेत्र में प्रमुख संगठन हैं :

* डा० बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।
* केन्द्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
* केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा जो भारत और विदेशों में हिन्दी का प्रचार करता है।
* राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली संस्कृत की प्रोन्नति, विकास और अनुसंधान में लगा हुआ है।

3.2.5 निम्नलिखित विश्वविद्यालय/संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं :—

* अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
* उर्दू विश्वविद्यालय
* राजीव गांधी राष्ट्रीय संगणक एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान

3.2.6 स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य संगठन हैं :

* केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के०वि०सं०), नई दिल्ली केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल चलाता है।
* नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए स्कूलों को चलाती है।
* केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (के०मा०शि०बो०), नई दिल्ली जो स्कूलों को सम्बद्ध करता है और परीक्षाएं आयोजित करता है।
* राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में स्कूल स्तर पर मुक्त श्रवण प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करता है।

3.2.7 प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख संगठन हैं :—

* बाल भवन सोसाइटी, नई दिल्ली। सोसाइटी 5 से 16 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों में सृजनात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है।

3.2.8 पुस्तक संवर्धन के क्षेत्र में मुख्य संगठन है :

* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

3.2.9 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य संगठन हैं :

* भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
* भारतीय खान स्कूल, धनबाद।
* राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई।
* राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी, रांची।
* आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।
* भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद।
* अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता तथा लखनऊ स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (भा०प्र०सं०)।
* बम्बई, दिल्ली, गोहाटी कानपुर, खड़गपुर तथा मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा०प्रौ०सं०)
* क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (कुल० 17)।

3.2.10 प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य संगठन है

* राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (रा० प्रौ० शि० स०)

3.2.11 जबकि वि० अनु० आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भा० प्रौ० संस्थानों जैसी संस्थाएं संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई हैं अन्य स्वायत्त संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किए गए हैं।

कार्य

3.3.0 शिक्षा एक समवर्ती विषय है। समवर्ती का तात्पर्य केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच एक सार्थक सहभागिता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :

> "जबकि शिक्षा के सम्बन्ध में राज्यों की भूमिका और उनके उत्तरदायित्व में अनिवार्यत: कोई परिवर्तन नहीं होगा केन्द्रीय सरकार शिक्षा की कोटि और स्तरों (सभी स्तरों पर शिक्षण व्यवसाय सहित) को बनाए रखने, अनुसंधान और प्रोन्नत अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास हेतु जनशक्ति के सम्बन्ध में समस्त देश की शैक्षिक अपेक्षाओं का अध्ययन और उनका अनुश्रवण करने की शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं की देखभाल करने और सामान्य तौर पर देश भर में शैक्षणिक पिरामिड (संस्वीकृत) के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समेकित स्वरूप को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार व्यापक उत्तरदायित्व को स्वीकार करेगी।"

यह विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तैयार की गई भूमिका को पूरा करने के प्रयास करता रहा है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता रहा है।

सतर्कता कार्यकलाप

3.4.1 विभाग का सतर्कता अनुभाग सचिव की देखरेख में कार्य करता है तथा इनकी संयुक्त सचिव के पद के मुख्य सतर्कता अधिकारी एक अवर सचिव तथा अन्य सहायक स्टाफ सहायता करते हैं। श्री प्रियदर्शी ठाकुर शिक्षा विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

3.4.2 आलोच्य वर्ष के दौरान मुख्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रशासन को तेज करने तथा विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास जारी रहे।

3.4.3 प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास जारी रहे ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। जिन व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा पर सन्देह है उन पर कड़ी निगरानी रखी गई। संवेदनशील स्थानों पर तैनात स्टाफ को समय-समय पर आरी-आरी से लगाया गया। सात अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया गया तथा प्रत्येक मामले में उपयुक्त आदेश जारी किए गए। पांच राजपत्रित अधिकारियों सहित सात अधिकारियों के विरुद्ध पहले से आरम्भ की गई अनुशासनिक कार्रवाई चल रही थी। एक राजपत्रित अधिकारी सहित शिक्षा विभाग से सम्बन्धित पांच शिकायतों पर प्रारम्भिक जांच चल रही है।

3.4.4 इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 58 स्वायत्त संगठनों तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में से अब तक 49 ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शी क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है। इसमें से 25 संगठनों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अनुमति से मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किया है।

3.4.5 विभाग में लोक शिकायत निदेशक के रूप में नामांकित संयुक्त सचिव के अधीन एक विशिष्ट लोक शिकायत सुधार तंत्र कार्य कर रहा है। जनता के सदस्य तथा स्टाफ लोक शिकायत घण्टों के दौरान लोक शिकायत निदेशक से स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं।

3.4.6 लोक शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति के पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान आठ और संगठनों ने लोक शिकायत सुधार तंत्र का गठन किया है तथा लोक शिकायतों के सुधार के लिए शिकायत अधिकारियों को नियुक्त किया है। इस प्रकार लोक शिकायत सुधार के सम्बन्ध में सरकार की नीति को कार्यान्वित करने में संगठनों की कुल संख्या 58 से 40 हो गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान शेष संगठनों में भी लोक शिकायत सुधार तंत्र गठित करने के प्रयास किए गए।

3.4.7 अनुशासन तथा समयनिष्ठा के अनुपालन पर भी बल देना जारी रखा गया।

शिक्षा विभाग में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

3.5.1 भारत सरकार की राजभाषा नीति तथा इसके साथ-साथ राजभाषा अधिनियम व नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा इसके सभी सहायक कार्यालयों व स्वायत्त संगठनों में पर्याप्त हिन्दी स्टाफ प्रदान किया गया है। विभिन्न अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त स्टाफ में निदेशक (राजभाषा) तथा पांच सहायक निदेशक (राजभाषा) शामिल हैं। जैसा कि पीछे किया जाता रहा है राजभाषा विभाग की वार्षिक योजना विभाग के सभी अनुभागों/अधिकारियों तथा इसके सहायक कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे वार्षिक योजना के प्रत्येक क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास करें। शिक्षा विभाग तथा इसके सहायक कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन की देखभाल करने के लिए संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राजभाषा के प्रयोग की प्रगति के अनुश्रवण के लिए नियमित अन्तरालों पर समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा वार्षिक योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों से बचने के लिए कदम उठाए गए हैं।

3.5.2 तदनुसार शिक्षा विभाग सभी अधिसूचनायें, संकल्प, सामान्य आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, कार्य बजट तथा संसद के दोनों सदनों के समक्ष हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रखे जाने वाले कागजात जारी करता है। विभाग में सभी नाम पट्टियां, सूचना पट्ट, रबड़ मोहर, सील, लेटर हैड, स्टेशनरी आदि दोनों भाषाओं में तैयार की जाती हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर केवल हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

3.5.3 शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह, बैठकों, सेमिनारों आदि के निमंत्रण पत्र दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। शिक्षा विभाग के उन कर्मचारियों को जिन्हें हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है उन्हें हिन्दी अध्यापन योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे प्रबोध, प्रवीण व प्रज्ञा जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार जिन कर्मचारियों को हिन्दी टंकण व आशुलिपि का ज्ञान नहीं है उन्हें हिन्दी टंकण व आशुलिपि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

3.5.4 विभाग के उन कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं जिन्हें हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान तो है परन्तु वे हिन्दी का प्रयोग करने में संकोच महसूस करते हैं ताकि उनका संकोच दूर हो सके तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। विभाग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी सप्ताह/हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अच्छे कर्मचारियों को इनाम भी दिए गए। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्री तथा उपमंत्री , शिक्षा व संस्कृति विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जहां तक संभव हो अपने सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग करें। शिक्षा सचिव ने भी इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए ताकि विभाग में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग हो सके। स्टाफ पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा अपने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न की।

3.5.5 पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभाग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए। संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने विभिन्न सहायक कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की। इन समीक्षा बैठकों का निदेशक (राजभाषा) ने प्रतिनिधित्व किया।

3.6.0 आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशन एकक ने पन्द्रह प्रकाशन निकाले तथा वर्ष 1994-95 के अंत तक कुछ और प्रकाशन निकाले जाने की आशा है। एकक ने विदेश जाने वाले भारतीयों तथा भारत में अध्ययन कर रहे छात्रों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के प्रमाणीकरण का कार्य करना भी जारी रखा।

मांग सं०—46

बजट अनुमान

3.7.0 शिक्षा विभाग के वर्ष 1994-95 व 1995-96 के लिए बजट प्रावधान निम्नलिखित अनुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में 2-3-1995 को)

विवरण	बजट अनुमान 1994-95	संशोधित बजट अनुमान 1994-95	बजट अनुमान 1995-96	प्रावधान
मांग सं० 46		2601.82	2704.05	
शिक्षा विभाग	2423.61			विभाग के सचिवालय ने वेतन एवं लेखा कार्यालय, आतिथ्य एवं मनोरंजन, सामान्य शिक्षा विभाग के अन्य राजस्व व्यय में केन्द्रीय/केन्द प्रायोजित योजनाओं (योजनागत) के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान के प्रावधानों पर केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (योजनागत) पर तथा केन्द्रीय व केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण के प्रावधान भी शमिल हैं।

व्यावसायिक विकास और स्टाफ का प्रशिक्षण

3.8.1 विभाग में एक प्रशिक्षण सेल भी कार्य कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभाग के अधिकारियों के ज्ञान अभिरुचियों तथा व्यावहारिक दक्षताओं में सुधार लाना है। प्रशिक्षण सेल प्रशिक्षण के लिए परिपत्र जारी करके तथा उसके लिए नामांकन आमंत्रित करके भारत तथा इसके साथ-साथ विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को भेजने में सहायता करता है।

3.8.2 1994-95 के दौरान (28 फरवरी, 1995 तक) विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 116 नामांकन किए गए (भारत में 105 तथा विदेश में 11)। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों ने 132 नामांकनों में से 86 को स्वीकृत किया। 63 मामलों में अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

3.8.3 अधिकारियों की विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई०एस०टी०एम०, आई०आई०पी०ए०, एन०आई०सी० आदि जैसे विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय यह महसूस किया गया कि विभाग अर्थात "शिक्षा" के तात्विक विषय में कुछ अन्तर थे। अत: चुनिन्दा प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता से इस क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके इन अंतरों को भरने के प्रयास जारी हैं। एन० आई० सी० की सहायता से विभाग में वर्ड प्रोसेसिंग व एन० आई० सी० एम० ए० आई० एल० पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

वेतन आयोग सेल

3.9.0 सरकार द्वारा स्थापित पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय/विभाग आयोग से सम्बन्धित कार्य में सम्पर्क अधिकारियों की सहायता हेतु वेतन आयोग सेल स्थापित कर सकते हैं। तदनुसार, विभाग में आयोग को शीघ्र सम्बन्धित सूचना/सामग्री प्रस्तुत करने तथा विश्लेषण करने के लिए एक वेतन आयोग कक्ष स्थापित किया गया है।

4. महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

4. महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

4.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में इस बात की मान्यता है कि शैक्षिक ढांचा शैक्षिक उपलब्धि में परंपरागत लैंगिक असंतुलन को समाप्त करने में अक्षम रहा है और यह कि महिलाओं तथा लड़कियों का कम साक्षरता स्तर जारी है तथा वे विकास से वंचित रह जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज में ''विश्वास और सामाजिक इंजीनियरी'' रूपी कार्य के रूप में ''महिलाओं के पक्ष में एक सुविचारित झोर'' की ठोस प्रतिबद्धता है। इन प्रतिबद्धताओं को ठोस दिशा-निर्देशों में रूपांतरित किया गया है तथा इनसे अनेक हस्तक्षेप सृजित हुए हैं जो शैक्षिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी के लिए निर्णायक पूर्व शर्त के रूप में उनको सामर्थ्यवान बनाने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

4.1.2 इन कार्यक्रमों का असर 9.54% (जनगणना 1991) की महिला साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर में प्रतिबिंबित होता है जो पुरुषों के तदनुरूपी आंकड़े (7.76%) से काफी अधिक है। तथापि शिक्षा में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्रणाली से दूर रखने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक कई राज्यों में अभी भी मौजूद है जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

4.1.3 गरीब महिलाओं का अधिसंख्य भाग ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करता है जो उन्हें शिक्षा तक पहुंचने नहीं देती हैं। इन कारकों में शामिल हैं :—

— गरीबी, जीवित रहने के मुद्दे, तथा मजदूरी, ईन्धन और चारा के लिए रोज के संघर्ष।

— कठोरता से परिभाषित सामाजिक भूमिकाएं और मानदंड जो उन्हें विचारों के आपस में आदान-प्रदान से रोकते हैं तथा एकत्र होने और सामूहिक शक्ति का प्रयोग करने के अवसर का अभाव।

— जानकारी तक पहुंच का अभाव तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से दुराव।

— स्वयं के प्रति हीन भावना और विश्वास का अभाव, तथा।

— पर्याप्त और लैंगिक संवेदनशील शिक्षा ढांचा का अभाव।

4.1.4 इन कारकों तथा दूसरे अन्य कारकों के परिणामस्वरूप महिलाएं स्वयं को बनाए रखने के दुश्चक्र में जकड़ दी गई हैं। शिक्षा में भाग लेने में उनकी असमर्थता इस रूढ़िबद्ध धारणा को बनाए रखती है कि शिक्षा उनके लिए अप्रसांगिक है।

4.1.5 मंत्रालय की मौजूदा योजनाओं में महिलाओं के लिए निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है :—

* आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना में अब यह प्रावधान है कि भविष्य में भर्ती किए गए शिक्षकों में से कम से कम 50% महिलाएं होती चाहिएं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के अंतर्गत शिक्षकों के भरे गए 1,13,259 पदों में से 48.60% पदों पर महिलाओं की भर्ती की गई।

* शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए राजस्थान में शुरू किया गया एक तवाचारी कार्यक्रम है—शिक्षा कर्मी परियोजना। इसमें एकल शिक्षक विद्यालयों में शिक्षा कर्मी नामक स्थानीय निवासी दो शैक्षिक कार्यकर्ताओं के दल द्वारा प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के प्रतिस्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें से 10.2% महिलाएं हैं।

* गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना के अंतर्गत ऐसे गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को 90% सहायता दी जाती है जो केवल लड़कियों के लिए होते हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या में केवल महिलाओं के लिए काम करने वाले केन्द्रों का अनुपात जो पहले 25% था उसे बढ़ाकर 40% करके इस योजना को हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए और ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

* इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कुल छात्रों का कम से कम एक तिहाई लड़कियां हों। नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा XII तक लड़कियों को शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है।

* पंजाब (सरकारी स्कूल), मणिपुर, राजस्थान (सरकारी स्कूल), उत्तर प्रदेश, मेघायल, दिल्ली और चण्डीगढ़ में कक्षा VIII तक तथा आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार (सरकारी स्कूलों) हिमाचल प्रदेश (सरकारी स्कूलों), कर्नाटक, तमिलनाडु (सरकारी स्कूलों) मिजोरम और लक्षद्वीप में माध्यमिक स्तर तक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा XII) तक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू व कश्मीर, केरल, सिक्किम (सरकारी स्कूलों), त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में लड़कियों को शिक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाती है।

* +2 स्तर पर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमशीलता पर बल देते हुए व्यावसायिक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। गैर-परंपरागत और उदगामी प्रौद्योगिकी में लड़कियों की भागीदारी के सजगतापूर्वक प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास जारी हैं।

* विश्वविद्यालय और कालेज स्तर पर महिलाओं की शिक्षा को विविधता प्रदान की गई है तथा समाज, उद्योग और धंधे की बदलती हुई अपेक्षाओं के अनुरूप इसे फिर से प्रबोधित किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित महिलाओं की संख्या जो 1950-51 में 40,000 थी वह बढ़कर 1993-94 में लगभग 16,64,000 हो गई। इस प्रकार 43 वर्ष की अवधि में 41 गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई है।

* वर्ष 1993-94 के आरंभ में छात्राओं का नामांकन 15.90 लाख था जो पिछले वर्ष में केवल 15.12 लाख ही था। स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 34.09% था।

* महिला अध्ययन में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को सहायता देता आ रहा है। अनेक अनुसंधान परियोजनाएं सहायता के लिए अनुमोदित की गई हैं। महिला अध्ययन सेल स्थापित करने के लिए 22 विश्वविद्यालयों तथा 11 कालेजों को सहायता भी उपलब्ध की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला उम्मीदवारों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान एसोशिएटशिप के 40 स्थान सृजित किए गए हैं।

* तकनीकी और व्यावसायिक धाराओं में भी महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वर्ष 1950-51 में यह मात्र 6000 थी जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 1.46 लाख हो गई। इस प्रकार इसमें 23 गुणा वृद्धि हुई। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी धाराओं में (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा पालिटेक्निकों में) भी छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में छात्राओं की संख्या सिर्फ 40 (0.3%) थी, वर्ष 1986-87 में यह संख्या बढ़कर 16.67 हजार (7.7%) तथा वर्ष 1993-94 में 78.3 हजार (13.1%) हो गई।

नवाचारी कार्यक्रम

4.2.1 सात राज्यों अर्थात असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु केरल और मध्य प्रदेश के 42 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विकेन्द्रीकृत आयोजना की कार्यनीति को मूर्त रूप देने का जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रयास है। जिलों का चयन करने की शर्तों में से एक यह है कि वह शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो तथा महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम हो। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में एक सुपरिभाषित लैंगिक केन्द्र बिंदु है तथा शिक्षा और लड़कियों के लिए सामाजिक हस्तक्षेपों के जरिए महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने का एक संघटक इसमें समाविष्ट है।

4.2.2 संपूर्ण साक्षरता अभियान में महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों में आमतौर पर यह रुझान देखने को मिला है कि महिलाओं का नामांकन 60% से अधिक है। अनेक जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के कारण महिलाएं निषेध और न्यूनतम मजदूरी जैसे सामाजिक मुद्दों पर लामबंद हुई हैं।

4.2.3 पूरे देश में 338 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान तथा 130 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान संस्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से अनुमानित 104 मिलियन निरक्षरों में से 80 मिलियन निरक्षरों को आठवीं योजना अवधि के दौरान साक्षर बनाया जाएगा तथा इनमें से अधिसंख्या भाग महिलाओं का होगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान के जरिए कुल 350 जिलों को शामिल किया जाएगा। शेष 24 मिलियन व्यक्तियों को स्वयंसेवी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं तथा नेहरू युवक केन्द्रों के द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए साक्षर बनाया जाएगा।

4.2.4 शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत जिलों को शामिल करने के काम में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे साक्षरता के साथ-2 साक्षरता कार्यक्रमों में लड़कियों तथा महिलाओं की एकजुटता और भागीदारी सुनिश्चित होगी।

4.2.5 शैक्षिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और महिला साक्षरता बढ़ाने से संबंधित अन्य कदमों में शामिल है :—शैक्षिक कार्मिकों को लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। इसमें शैक्षिक प्रशासक, शिक्षक और शिक्षक-प्रशिक्षक शामिल होंगे। लड़कियों के लिए सहयोगी वातावरण सृजित करने के लिए मीडिया अभियान तथा अभिभावक जागरूकता कार्यक्रम इस कार्यनीति के पूरक के रूप में होंगे। महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने तथा बालिका शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के ऊपर महिला समूहों की लामबंदी को तीव्र किया जाएगा।

महिला सामाख्या

4.3.1 भारत की आजादी के बाद से महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि इन प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएं हैं फिर भी लैंगिक विषमता अभी भी मौजूद है और ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लाभवंचित समुदायों के बीच ज्यादा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में शिक्षा को एक ऐसे एजेंट के रूप में देखा गया है जो महिलाओं के स्तर में मौलिक परिवर्तन ला सकेगी। उद्धरण स्वरूप विगत की संचित विकृतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में एक सुविचारित छोर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने में सार्थक, हस्तक्षेप करने वाले की भूमिका निभाएगी—महिलाओं की निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच व इसमें बनाए रखने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने को विशेष सहायता सेवाओं, समय सीमा निर्धारित करने तथा कारगर अनुश्रवण के जरिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय

महिला समाख्या, बाल शिक्षा केन्द्र

1994-95

शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में महिला समाख्या या शिक्षा के माध्यम से महिला समानता नामक कार्यक्रम तैयार किया गया।

4.3.2 इस सहायता प्राप्त परियोजना—महिला समाख्या, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा के माध्यम से महिला समानता, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने की परियोजना है। इसका लक्ष्य सेवाएं प्रदान करना नहीं अपितु इसका लक्ष्य है —स्वयं के प्रति महिलाओं की जो अवधारणा है तथा महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज की जो अवधारणा है उसमें परिवर्तन लाना। यह महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण सृजित करने का प्रयास करती है, जिसमें वे ज्ञान व सूचना ढूंढ सकें ताकि वे सुविज्ञ चयन कर सके तथा ऐसी परिस्थितियां सृजित करने का यह प्रयास करती है जिसमें महिलाएं अपनी स्वयं की गति व लय से सीख सके। समानता प्राप्त करने के संघर्ष में शिक्षा की केन्द्रीयता महिला समाख्या का महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु है।

4.3.3 नाभिकीय बिन्दु जिसके चारों तरफ यह कार्यक्रम घूमता है वह है ग्राम स्तरीय ''महिला संघ''जो शिशु देखरेख स्वास्थ्य, ईन्धन, चारा, पेयजल, शिक्षा जैसी उनकी रोजमर्रा की समस्याओं, समाज और परिवार में उनके स्तर, उनकी भूमिका से जुड़ी समस्याओं, तथा महिला के रूप में उनकी स्वयं की छवि से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए उन्हें एक सुगम्य मंच प्रदान करता है। ये ग्राम महिला संघ शिक्षा और सामूहिक गतिविधि के लिए कार्यसूची स्वयं निर्धारित करते हैं। वे कार्रवाई आरंभ करके तथा ब्लाक व जिला ढांचों को जवाब देने के लिए दबाव डालकर अपनी समस्याएं दूर करने के लिए प्रयास करते हैं।

4.3.4 प्रत्येक गांव से कम से कम दो महिलाएं, महिला समूह के साथ उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं तथा चर्चा व कार्रवाई को उत्प्रेरित करने में मदद करती हैं। इस प्रक्रिया में सहयोगिनी भी मदद करती हैं जो लगभग 10 संघों के कार्यकलापों को सहयोग प्रदान करने तथा समन्वित करने के लिए कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित स्थानीय महिलाएं होती हैं। जरूरत पड़ने पर सूचना, सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करके इन संघों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं और जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई के बीच कड़ी के रूप में काम करना इनका प्रमुख कार्य है। जिला स्तर पर कार्यक्रम का संपूर्ण दायित्व जिला इकाई के कंधों पर है तथा इसमें महिला विकास के क्षेत्र में अनुभव रखने वाली महिलाएं हैं। शिक्षा, शिशु देख-रेख स्वास्थ्य आदि जैसे विशिष्ट निवेशों के लिए यह प्रशिक्षण सहायता भी उपलब्ध कराता है।

4.3.5 राज्य स्तर पर स्वायत्तशासी पंजीकृत सोसायटी गठित की जाती है। यह अधिकार प्राप्त संस्था है जो कार्यक्रम के वित्तीय और प्रबंधकीय पहलुओं पर सभी निर्णय करती है। राज्य परियोजना निदेशक राज्य स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी करता है। राज्य कार्यालय कार्यक्रम के संचालन के लिए सहयोगी वातावरण, परियोजना के कार्यसाधक क्षेत्रों के लिए आवश्यक संसाधन सहायता उपलब्ध करता है और कार्यक्रम के अंतर-जिला सहलग्नता की व्यवस्था करता है ताकि महिलाओं को गतिशील बनाने के लिए व्यापक नेटवर्क सृजित किया जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का समन्वय परियोजना निदेशक द्वारा किया जाता है। प्रख्यात महिलाओं के राष्ट्र स्तरीय संसाधन समूह से कार्यक्रम को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

4.3.6 गत चार वर्षों में शामिल किए गए गांवों में परियोजना का देखने योग्य असर हुआ है। इस समय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश नामक चार राज्यों के 15 जिलों में लागू किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक लगभग 1752 गांवों को शामिल किया जा चुका है। पेयजल तक पहुंच, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, जवाहर रोजगार योजना में आरक्षण का सुनिश्चय, ग्राम स्कूलों का कार्यकरण, शिक्षा में बच्चों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने और घरेलू व सामाजिक हिंसा से जुड़े मुद्दों को हल करने में महिलाएं सक्षम हो गई हैं।

4.3.7 गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जिलों में महिला समाख्या ने संपूर्ण साक्षरता अभियान में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कर्नाटक में महिला समाख्या का केन्द्र बिन्दु ''देवदासी'' की कुप्रथा को समाप्त करना तथा स्वास्थ्य देखरेख रहा है और उत्तर प्रदेश में पेयजल तथा गैर-औपचारिक शिक्षा मुख्य मुद्दा रहा है। आंध्र प्रदेश में महिला समाख्या सामाजिक न्याय तथा सरकारी योजनाओं तक पहुंच के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। गुजरात में ग्रामीण महिलाओं में मितव्ययी सोसायटियों का विकास तथा साक्षरता ऐसे मुद्दे हैं जो ज्यादा हावी रहे हैं।

4.3.8 बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है—माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन/छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता की योजना को मूर्त रूप देना। VIIIवीं योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत 3580 बालिकाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है।

1000 M/o HRD/94

5. प्रारंभिक शिक्षा

5. भारत में प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराना

5.1.1 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना एक राज्य नीति निर्देश का सिद्धांत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में साक्षर जनसंख्या की जरूरत और प्रारंभिक शिक्षा के प्रावधान की मान्यता देते हुए सरकार की नीति कम से कम प्रारंभिक स्तर तक सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना, 1992 में इस संकल्प पर निश्चित रूप से और जोर देकर स्पष्ट किया गया है।

5.1.2 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को निम्नलिखित तीन व्यापक पैरामीटरों में विभाजित किया गया है :

सार्वभौम पहुंच

(i) बालिकाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित बच्चों का सार्वभौम नामांकन।

(ii) एक किलोमीटर की पैदल दूरी में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराना तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों, कामकाजी बच्चे तथा लड़कियों, जो स्कूल नहीं जा सकती, के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा की सुविधा।

(iii) प्राथमिक स्कूल से अपर प्राथमिक स्कूल के मौजूदा अनुपात 1 : 4 से 1 : 2 में सुधार करके 1 : 2 उसे करना।

सार्वभौम अवरोधन

(iv) 1—5 तथा 1 से 8 कक्षाओं में पढ़ाई छोड़ने वालों की मौजूदा दरों में 45% तथा 60% से क्रमश: 20% और 40% की कमी।

सार्वभौम उपलब्धि

(v) प्राथमिक स्तर पर लगभग सभी बच्चों द्वारा शिक्षण के न्यूनतम स्तर प्राप्त करना तथा अपर प्राथमिक स्तर पर इस अवधारणा को लागू करना।

वर्षों के दौरान प्रगति

5.1.3 प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के लिए समेकित प्रयासों के परिणामस्वरूप संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों में विविध प्रकार से वृद्धि हुई है। जैसा कि नीचे तालिका 1 में दर्शाया गया है :

तालिका—1

संस्थाओं की संख्या (लाखों में)

	1950-51	1993-94
प्राथमिक स्कूल (कक्षा I से V)	2.10	5.73
अपर प्राथमिक स्कूल (कक्षा 6—8)	0.13	1.55
	2.23	7.28

शिक्षकों की संख्या (लाख में)

प्राथमिक स्कूल (कक्षा I से V)	5.38	17.03
अपर प्राथमिक स्कूल (कक्षा VI—VIII)	0.36	10.80
	5.74	27.83

कुल दाखिला

	1950-51	1993-94
प्राथमिक स्तर		
कुल दाखिला (मिलीयन में)	19.2	108.2
सकल दाखिला अनुपात (प्रतिशत)	43.1	104.5

सकल दाखिला

	1950-51	1993-94
अपर प्राइमरी स्तर		
कुल दाखिला (मिलियन में)	3.1	39.9
सकल दाखिला अनुपात (प्रतिशत)	12.0	67.7

5.1.4 इस वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय प्रारंभिक शिक्षा विश्व की बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक हो गई है। जिसकी पहुंच देश की 94% जनसंख्या तक हो जाती है और जिसमें 8.25 लाख लोगों को 1 कि०मी० की पैदल दूरी के भीतर शिक्षा प्राप्त है। पिछले दशक के दौरान दाखिले में वृद्धि प्राइमरी स्तर पर दाखिले की दर को 100% के करीब ले आई।

5.1.5 दाखिलों में वृद्धि और सभी को शिक्षा सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में, सभी राज्य सरकारों ने सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में अपर प्राइमरी स्तर तक शिक्षा शुल्क को समाप्त किया।

5.1.6 यद्यपि संपूर्ण देश में और इसके अधिकांश राज्यें में प्राइमरी स्तर पर सकल दाखिला अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक हो जाता है किन्तु कुछ राज्य ऐसे है जहां अनुपात काफी कम है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और मेघालय शामिल हैं। अपर प्राइमरी स्तर पर इन राज्यों और इनके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में सकल दाखिला अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। इनमें से अधिकांश राज्यों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण एक सशक्त क्षेत्रीय आयाम है।

5.1.7 भारतीय अनुभव में संपूर्ण तृतीय विश्व का अनुभव सम्मिलित हो जाता है। एक ओर तो हमारे केरल जैसे राज्य हैं जिसमें सामाजिक सूचकों और साथ ही अगर स्कैण्डेनेवियाई देशों में न सही तीसरी दुनियां के सर्वोत्तम देशों में स्थान पाने के साथ स्कूल सहभागिता की दृष्टि से हालांकि पठन उपलब्धि के लिहाज से नहीं—प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के साथ सर्वव्यापक साक्षरता प्राप्त की है। दूसरे सिरे पर हमारे यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जो उप सहारा अफ्रीका जैसी बुरी स्थिति के सूचक हैं।

5.1.8 समस्या उस समय और अधिक जटिल हो जाती है जब पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर यद्यपि गिर रही है, अधिक बनी हुई है जो बच्चे कक्षा-I में प्रवेश कर लेते हैं उनमें से लगभग आधे कक्षा-V तक पहुंचने से पूर्व पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और दो तिहाई बच्चे कक्षा-VIII में पहुंचने से पूर्व पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। क्षेत्रीय असमानताएं भी पढाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर में प्रचुर होती है।

लिंग संबंधी असमानताएं

5.2.1 किसी भी शैक्षणिक संकेतक के साथ दाखिले रोके रखने के संबंध में लिंग संबंधी असमानताएं सुस्पष्ट हैं। प्राइमरी स्तर पर लड़कियों के दाखिले वर्ष 1950-51 में 5.4 मिलियन थे, उनमें वृद्धि होकर वर्ष 1993-94 में 46.4 मिलियन हो गए है और अपर प्राइमरी स्तर पर ये—0.5 मिलियन से बढ़कर 15.7 मिलियन हो गए। लड़कियों के दाखिले की वृद्धि दर लड़कों की वृद्धि दर से अधिक है। किन्तु असमानताएं अब तक हैं—लड़कियों के अभी भी प्राइमरी स्तर पर दाखिले का केवल 45.7 प्रतिशत और अपर प्राइमरी स्तर पर 37.73 प्रतिशत हैं। प्राइमरी तथा साथ ही अपर प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाली लड़कियों की दर लड़कों की तुलना में अधिक है।

5.2.2 क्षेत्रीय असमानताएं भी सुस्पष्ट हैं। उच्च महिला साक्षरता वाले राज्यों (अर्थात् 50 प्रतिशत से अधिक साक्षरता वाले) ने कुल मिलाकर लड़कियों में प्राइमरी दाखिलों को सर्वसुलभ बना दिया है। यहां तक कि अपर प्राइमरी दाखिलों के संबंध में केरल, गोवा, पांडिचेरी और लक्षद्वीप ने बहुत अच्छा काम किया है। महिला साक्षरता के क्षेत्र में मध्यम श्रेणी में आने वाले राज्यों (40—50 प्रतिशत) में प्राइमरी स्तर पर लड़कियों के दाखिले संतोषजनक लगते हैं। कम महिला साक्षरता वाले राज्यों (20—40 प्रतिशत) में स्थिति चिंता का विषय है। इन राज्यों में देश की आधी से अधिक जनसंख्या है, इनमें से चार (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में देश की 40% जनसंख्या है।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

5.3.1 1991 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 138.12 मिलियन (16.33 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 67.8 मिलियन (8.01 प्रतिशत) थी।

5.3.2 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की जनसंख्या सभी दृष्टियों में सदृश लक्ष्य वर्ग नहीं है। क्षेत्रीय रूप से विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के मध्य व्यापक विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार केरल में अनुसूचित जातियों की लड़कियों की कुछ और पिछड़े राज्यों और जिलों के गैर-अनुसूचित जातियों के लड़कों से अच्छे स्थान पर होने की संभावना है।

5.3.3 सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिलों में काफी वृद्धि हुई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता प्राइमरी स्तर पर उनकी जनसंख्या में उनके हिस्से के लगभग अनुपात में है। हालांकि पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों में कुछ वर्षों से कमी आयी है। परन्तु इनकी संख्या अभी अधिक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भी बालक-बालिकाओं में असमानताएं स्पष्ट हैं।

II. कार्यनीति संबंधी ढांचा

5.4.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, 1992 तक यथा अद्यतम रूप में कई प्रमुख कार्यनीतियों का प्रावधान है जिनमें ये शामिल हैं :

(क) स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की समस्या पर काबू पाने के लिए केवल दाखिले पर ही नहीं अपितु अवरोधन और उपलब्धि पर बल देना।

(ख) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के प्रमुख घटक के रूप में एक व्यापक पहुंच वाले, प्रणालीबद्ध/गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना। गैर-औपचारिक शिक्षा के लक्षित ग्रुपों में कामकाजी बच्चे, उपान्तीय अथवा अन्य वंचित वर्गों की लड़कियां और बच्चे होंगे जिनमें, गैर-औपचारिक शिक्षा, समय तथा अध्ययन की गति में लचीलापन प्रदान कर सकती है।

(ग) योजना के लिए एक नया परिप्रेक्ष्य जिसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों की अपेक्षा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिलों की ओर झुकाव की जरूरत पर बल दिया जाता है।

(घ) नौसिखियों की उपलब्धि में सुधार करने के उद्देश्य से अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू करना। सूक्ष्म आयोजना से सार्वभौम पहुंच तथा सार्वभौमिक भागीदारी के कार्य ढांचा प्राप्त होगा, जबकि अध्ययन के न्यूनतम स्तर सार्वभौमिक उपलब्धि के लिए कार्यनीति होंगे।

(ङ) सुलभता के और मुश्किल पहलुओं, विशेष तौर पर लड़कियों, वंचित वर्गों और स्कूल से बाहर बच्चों तक पहुंच का पता लगाना।

(च) स्कूल प्रभावकारिता में सुधार।

(छ) स्कूल व्यवस्था के विकल्प, विशेष तौर पर गैर-औपचारिक पद्धति को सुदृढ़ बनाना।

(ज) सहभागी प्रक्रियाओं पर बल देना जिससे स्थानीय समुदाय की सुकर भागीदारी, उपलब्धता और स्कूली कारगरता बने।

(ण) शिक्षक क्षमता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना।

(य) नौसिखियों की क्षमता और उपलब्धि पर बल देना।

(र) उन्नत शिक्षण/अध्ययन सामग्रियों के लिए जरूरत पर बल देना।

(श) नैत्यक तथा नवाचारी क्षेत्रों के संबंध में योजना तथा प्रबंध की अच्छी तरह से जांच करना।

(ष) ई०सी०सी०ई० और स्कूल स्वास्थ्य जैसी संबंधित सेवाओं तथा प्रारंभिक शिक्षा के बीच अभिसरण।

5.4.2 परिणामत: आठवीं योजना के लिए कार्य नीतियों में लोगों की भागीदारी और साक्षर उपलब्धि में सुधार लाने के लिए स्कूलों में न्यूनतम अध्ययन स्तरों को शुरू करने के जरिए, सूक्ष्म आयोजना के व्यापक कार्य नीति ढांचे के दायरे में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए जिला विशिष्ट, जनसंख्या विशिष्ट योजनाओं को तैयार करने पर बल देने के साथ अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

विषय-वस्तु, प्रक्रिया और उपलब्धि स्तर

5.5.1 सभी बच्चों को तुलनीय स्तर की शिक्षा सुलभ कराने की आवश्यकता को मानकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारित करने की सिफारिश की गयी है। भाषा, गणित तथा पर्यावरणात्मक अध्ययन जैसे तीन विषयों में अध्ययन परिणामों को परिभाषित करने के लिए डा० आर० एच० दवे की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति का गठन किया गया था। इससे पूर्व रा० शै० अ० प्र० परि० ने एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा और प्राइमरी शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण परियोजना के अनुभव पर आधारित न्यूनतम अध्ययन सांतव्यक तैयार किया। हाल के वर्षों में वर्तमान पाठ्यचर्या का विश्लेषण किया जा रहा है और इसे और अधिक कार्यात्मक संसुगत और उपलब्धि-मुखी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रो० यशपाल समिति जिसने हाल ही में इन मुद्दों की जांच की, महसूस किया कि विद्यमान पाठ्यचर्या बहुत कठिन है और उसको समझने में आने वाली कठिनाइयां तथा विषय वस्तु का अत्यधिक भार छात्रों के रूचिबद्ध रूप से कंठस्थ करने का सहारा लेने के लिए विवश करता है। समिति ने बल दिया कि विषय वस्तु की अपेक्षा अवधारणा विकास पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

5.5.2 विषय वस्तु बनाम अवधारणा, परिज्ञान बनाम रूढ़िबद्ध कंठस्थ करना, अप्राप्य विषय वस्तु भार बनाम प्राप्य सक्षमताओं के मामले अध्ययन के नए न्यूनतम स्तरों में जोड़े गए हैं।

5.5.3 अध्ययन के न्यूनतम स्तर सक्षमताओं के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिनके लिए यह आशा की जाती है कि एक विशेष कक्षा के अंत तक प्रत्येक बालक प्रवीण हो जाए। निम्नलिखित पर बल दिया जाता है :—

(क) प्राइमरी शिक्षा में प्रासंगिकता और कार्यात्मकता।

(ख) विषय वस्तु की अपेक्षा सक्षमताओं पर बल देकर पाठ्यचर्या के भार को कम करना।

(ग) आधारभूत सक्षमताओं और कुशलताओं की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

(घ) कक्षा में न केवल उत्कृष्ट छात्रों से अपितु बच्चों द्वारा नैपुण्य अध्ययन को प्रोन्नत करना।

(ङ) शिक्षकों को नैदानिक तंत्र देने तथा उपचारी अध्यापन को सुकर बनाने के उद्देश्य से कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करना।

5.5.4 इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यकलाप निम्न प्रकार से हैं :—

(क) राज्य सरकारों द्वारा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों का रूपांतर और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद।

(ख) उपलब्धि के विद्यमान स्तरों को निश्चित करने के लिए पूर्व परीक्षण करना।

(ग) शिक्षकों का प्रबोधन करना ताकि वे कार्य उन्मुख बाल केन्द्रित और सक्षमता पर आधारित अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को अपना सकें।

(घ) विद्यमान पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा तथा सक्षमता पर आधारित पाठ्य पुस्तकें तथा कार्य पुस्तिकाएं तैयार करना।

(ङ) शिक्षकों के लिए पुस्तिकाएं तैयार करना।

(च) सक्षमता पर आधारित अध्ययन अध्यापन सहायता सामग्री विकसित करना।

(छ) सक्षमता पर आधारित परीक्षण वस्तुएं तैयार करना।

(ज) सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वित करना।

(झ) उपचारी अध्यापन की ओर ले जाने वाले शिक्षा प्राप्ति के स्तरों, शिक्षा प्राप्ति की कठिनाइयों का पता लगाने पर विशेष बल दिया जाना।

5.5.5 यह कार्यक्रम स्वैच्छिक एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य शै० अ० प्र० परिषदों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से संपूर्ण देश में चालू वर्ष में आरंभ किया जा रहा है। आज की तारीख तक 12 राज्य—100 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए यह कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं और 2000 ईसवी तक संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली को सम्मिलित करते हुए धीरे-धीरे विस्तृत होंगे। चूंकि यह डी० पी० ई० पी० के लिए एक मुख्य घटक होगा, अत: इन जिलों में अधिक गहन कार्य आरंभ किया जाएगा।

5.5.6 इसके साथ, प्रोफेसर आर० एच० दवे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति द्वारा अपर प्राथमिक स्तर के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्तर निर्धारित किये जा रहे हैं।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

5.6.1 शिक्षा की अनौपचारिक पद्धति के पर्याप्त विस्तार के बावजूद सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति एक दूर का सपना है क्योंकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण बालकों का एक बड़ा समूह औपचारिक पद्धति से बाहर है। दरकिनार हुए बच्चों के इस बड़े भाग तक पहुंचने के लिए, भारत सरकार का शिक्षा विभाग 1979-80 से विभिन्न कारणों 6—14 आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा पद्धति का एक कार्यक्रम चला रहा हैजो औपचारिक शिक्षा पद्धति से बाहर हैं। इनमें औपचारिक विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त न कर रहे छात्र, बिना स्कूल वाले क्षेत्रों के बच्चे, कार्यशील बच्चे, वैसे बच्चे जो ईंधन, चारा, जल लाने, सहोदर भाई बहनों की देखभाल, शिशु, पशु चराने आदि जैसे घरेलू कार्य करने में सहायता करते हैं एवं लड़कियां जो औपचारिक स्कूलों में जाने में असमर्थ हैं, शामिल हैं।

5.6.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना 1992 उन लोगों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के एक वृहत् कार्यक्रम की व्यवस्था करते हैं जो पूरे दिन विद्यालय में नहीं रह सकते हैं। इसमें यह धारणा है कि किसी अच्छे कार्यक्रम को चलाने की अनिवार्य अपेक्षाएं यदि पूरी कर ली जाती हैं तो अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक स्कूलों की तुलना में बराबर की हो सकती हैं। इसमें वंचित वर्गों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की बाल केन्द्रित पर्यावरण उन्मुखी पद्धति के रूप में परिकल्पना की गई है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का योजना बनाने, उसका संचालन करने, उसका अधिदर्शन करने में ग्रामीण शिक्षा समितियों के माध्यम से विकेन्द्रित सामुदायिक भागीदारी को इसकी सफलता के लिए निर्णायक माना गया है।

कवरेज

5.6.3 यद्यपि कार्यक्रम का जोर शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों, यथा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल पर है, इसमें अन्य राज्यों के कार्यशील बच्चों की शिक्षा के लिए शहरी झुग्गियां, पर्वतीय, जनजातीय एवं सूखा क्षेत्र एवं परियोजनाएं भी शामिल हैं। इस समय यह कार्यक्रम 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चल रहा है।

5.6.4 कार्यनीति

(क) लगभग दो वर्षों की अवधि का संक्षिप्त पाठ्यक्रम।

(ख) छोटे समूहों में शिशिक्षुओं के लिए सुविधाजनक समय/स्थान पर अंशकालिक शिक्षण।

(ग) स्थानीय रूप से भर्ती किए गए एवं प्रशिक्षित अंशकालिक अनुदेशक/पर्यवेक्षक।

(घ) प्रबंध की लोचशीलता एवं विकेन्द्रीकरण पर जोर।

(ङ) औपचारिक पद्धति के बराबर तथा स्थानीय पर्यावरण एवं शिशिक्षुओं की आवश्यकताओं के संगत पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-शिशिक्षुता सामग्री का उपयोग।

(च) अनौपचारिक शिक्षा के छात्रों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ताकि औपचारिक पद्धति में उन्हें प्रवेश हेतु समर्थ बनाया जा सके।

5.6.5 कार्यक्रम राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकर को केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों एवं केन्द्र के बीच हिस्सेदारी आधर पर सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए 60% एवं अनन्य रूप से लड़कियों के केन्द्रों के लिए 90% के अनुपात में प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों एवं प्रायोगिक नव-प्रवर्तन परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 100% आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

5.6.6 संयुक्त मूल्यांकन दलों द्वारा आयोजित तिमाही प्रगति रिपोर्टों, आवधिक मूल्यांकन तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के क्षेत्र दौरों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का

अनुवीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 7 बाहरी एजेंसियों ने 8 राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। प्राप्त संभरण के आधार पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपचारकारी कार्रवाई की जा रही है। गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की मानीटरिंग, मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के विकेन्द्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन की एक प्रणाली का विकास किए जाने का प्रस्ताव है।

1994-95 में कार्यान्वयन

5.6.7 1994-95 के दौरान, 2.26 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अब तक 94.25 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। स्वयंसेवी क्षेत्र के अधीन लगभग 29,000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए 425 स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करने एवं प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रायोगिक एवं नव-प्रवर्तनीय परियोजनाओं को लागू करने वाले 37 स्वयंसेवी एजेंसियों को 16.69 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। 131.27 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के स्थान पर अब तक 110.94 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है और शेष निधियां वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रयोग की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देने की दृष्टि से, अनन्य रूप से लड़कियों के केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 99,252 कर दी गई है। जो कुल लड़कियों के केन्द्रों का 44% है। कार्यक्रम की अनुमानित नामांकन क्षमता लगभग 63 लाख बच्चे हैं।

5.6.8 8वीं योजना अवधि के लिए 704 करोड़ रुपये का परिव्यय (राज्य क्षेत्र के लिए 625 करोड़ रुपये एवं स्वयंसेवी क्षेत्र के लिए 79 करोड़ रुपये) स्वीकृत किया गया है। इसमें जोर विद्यमान कार्यक्रमों के विस्तार की अपेक्षा इसके समेकन पर दिया गया है। इसलिए गुणवत्ता बढ़ाने, कार्यान्वयन एजेंसियों को अधिक लोचशीलता प्रदान करने, सूक्ष्म योजनाओं, क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को पुन: अवस्थित करने एवं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रयोग एवं नव-प्रवर्तन बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रभावी अनौपचारिक शिक्षा मॉडलों का विकास और पैमानाकरण जो शिशिक्षुओं को अपनी गति से सीखने में सहयोग कर सकता है, 8वीं योजना अवधि में एक मुख्य लक्षित क्षेत्र है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

5.7.1 नामांकन और प्रतिधारण के अनभिप्रेरणात्मक कारकों तथा प्राथमिक स्कूलों में अनाकर्षक स्कूल पर्यावरण, भवनों की असंतोषजनक स्थिति व अनुदेशात्मक सामग्री की अपर्याप्तता को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" नामक सांकेतिक अभियान की परिकल्पना की गयी थी, ताकि प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता में पर्याप्त मात्रा में सुधार लाया जा सके। यह स्कीम देश के सभी मौजूदा प्राथमिक स्कूलों में निम्नलिखित की व्यवस्था करते हुए 1987-88 में प्रारंभ की गयी थी, ताकि उनमें भौतिक सुविधाओं के न्यूनतम मानक की स्थापना की जा सके :

(क) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं से युक्त कम से कम दो बड़े बारहमासी कक्ष।

(ख) कम से कम दो शिक्षक जिनमें से, जहां तक संभव हो, एक महिला हो, और

(ग) ब्लैक बोर्ड, नक्शों, चार्टों, एक लघु पुस्तकालय, खिलौनों व खेलों सहित अनिवार्य शिक्षण सामग्री तथा कार्यानुभव के लिए कुछ उपस्कर।

5.7.2 एकल शिक्षक स्कूलों में सहायक शिक्षण उपस्करों के प्रापण तथा अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति के लिए 100 प्र० श० केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल भवनों का निर्माण कार्य राज्य सरकारों का दायित्व होता है।

5.7.3 स्कूली सुविधाओं से संबंधित सरकार की संशोधित नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, ऐसे प्राथमिक स्कूलों में, जहां पर नामांकन 100 से अधिक है, तीसरे कक्ष/तीसरे शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए और अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए भी आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम का विस्तार किया गया है और मार्च, 1994 से इसे प्रारंभ भी किया जा चुका है। विस्तृत आपरेशन, ब्लैकबोर्ड के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित मापदंड सुझाए गए हैं :

(i) 8वीं योजना के दौरान यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी।

(ii) बालिका-विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(iii) अन्य क्षेत्रों की तुलना में अ० ज०/अ० ज० जा० के क्षेत्रों को तरजीह दी जाएगी।

राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए।

5.7.4 स्कूल भवनों का निर्माण-कार्य एक प्रमुख समस्या है, जिसका राज्य सरकारें सामना करती आ रही हैं। तथापि इस समस्या को ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से हल कर लिया गया है, जो जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत न केवल स्कूल भवनों के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी रखने, बल्कि हाल ही मे प्रारंभ की गयी रोजगार आश्वासन समिति स्कीम के अंतर्गत इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। और गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 120 पिछड़े जिलों को चुना गया है। इस सूत्र/व्यवस्था के अनुसार यदि राज्य सरकारें 40 प्रतिशत गैर जवाहर रोजगार योजना अंश तथा 12 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना अंश का आवंटन करती हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्माण कार्य के लिए 48 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत उपलब्धि

जारी आपरेशन ब्लैक बोर्ड

भौतिक

वित्तीय

(रुपये करोड़ों में)

	शामिल स्कूलों की संख्या	शिक्षकों की संस्वीकृति	क्लास-कक्षों का निर्माण	1987 से 6 मार्च, 1994 तक	1994-95 के दौरान
लक्ष्य	522909	152848	263616	1156.79	215.00
उपलब्धियां	522547	146557	140373	979.18	115.60

शिक्षकों के संस्वीकृत 1.46 लाख पदों में से 1.18 लाख पद भर लिए गए हैं।

विस्तृत आपरेशन ब्लैक बोर्ड	8वीं योजना के लक्ष्य	उपलब्धियां
तीसरा शिक्षक	42,000 (30%) **	14535
अपर प्राथमिक विद्यालय	14,000 (10%)	7335

**तथापि निधियों की उपलब्धता के मुताबिक और विद्यालयों को शामिल किया जा सकता है।

5.7.5 वर्ष 1994-95 के दौरान शेष 0.1% प्राथमिक विद्यालयों, लगभग 15,000 अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए पठन-पाठन उपस्कर संस्वीकृत करने और लगभग 14,000 प्राथमिक विद्यालयों के लिए तीसरा शिक्षक संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है। स्कीम का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न है।

5.7.6 1993-94 के दौरान व्यय 179 करोड़ रुपये जबकि 1994-95 के लिए बजट अनुमान, 215 करोड़ रुपये हैं।

''सूक्ष्म आयोजना'' की शुरुआत

5.8.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और संशोधित नीति निरूपण (1991) में शिक्षकों और क्षेत्र स्तर के अन्य शिक्षा कर्मियों द्वारा ''सूक्ष्म आयोजना'' का कार्य प्रारंभ करने जैसे विभिन्न कार्यकलापों की परिकल्पना की गयी थी, ताकि जहां तक संभव हो स्कूल प्रणाली के माध्यम से अथवा जहां कहीं आवश्यक हो, अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा हासिल हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में तैयार की गयी कार्य योजना में ''सूक्ष्म आयोजना'' को परिवार-वार व बच्चे-वार कार्य अभिकल्पना के रूप में स्पष्ट किया गया है ताकि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से विद्यालय या अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में भाग ले सके और वह अपने लिए उपयुक्त गति से 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करते हुए अनिवार्य शैक्षिक स्तर को हासिल कर सके।

5.8.2 तदनुसार ''सूक्ष्मायोजना-परियोजना'' को निरूपित करने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए और उनको राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया।

5.8.3 अभी तक, मंत्रालय ने सात ''सूक्ष्म आयोजना'' परियोजनाओं— गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में एक-एक तथा राजस्थान में दो को सहयोग प्रदान किया है। टीकमगढ़ खंड (म० प्र०) में डा० पी० एन० रसिया की परियोजना के चरण-1 के सफलतापूर्वक पूरे होने से प्राप्त अनुभव के कारण, प्रतिष्ठित स्वैच्छिक एजेंसियों तथा जिला साक्षरता समितियों की मदद से कुछ अन्य खंडों में ''सूक्ष्म आयोजना'' परियोजनाएं तैयार करने और उनको कार्यरूप देने का भी प्रस्ताव है।

शिक्षक शिक्षा

5.9.1 शिक्षक-शिक्षा की पुनर्गठन व पुनर्संरचना की केंद्र प्रायोजित स्कीम को 1987-88 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल शिक्षकों को उपयुक्त सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में सक्षमतापूर्वक अपनी भूमिका को निभा सकें और प्रारंभिक, माध्यमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में प्रारंभ की जा रही विभिन्न कार्यनीतियों व कार्यक्रमों की सफलता के लिए निम्न स्तर पर शैक्षिक व संसाधन सहयोग प्रदान कर सकें। इस स्कीम को VIIIवीं योजनावधि के दौरान जारी रखने के लिए संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम के निम्नलिखित संघटक हैं:

— उपयुक्त मौजूदा प्रारंभिक शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को स्तरोन्नत करके अथवा नई संस्थाएं स्थापित करके VIIIवीं योजनावधि के अंत तक सभी जिलों में जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना ताकि प्रारंभिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा प्रणालियों को संसाधन सहयोग प्रदान करने के अलावा प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों और प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों को अच्छी गुणवत्ता का सेवा-पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

— माध्यमिक विद्यालय प्रणाली को प्रशिक्षण व संसाधन सहयोग प्रदान करने तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से चुनिंदा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं का शिक्षक शिक्षा कालेजों तथा उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थाओं में स्तरोन्नयन।

— राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों का सुदृढ़ीकरण।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण।

— 1993-97 के दौरान प्रति वर्ष 4.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले स्कूल शिक्षकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम'' ताकि सामग्री का प्रयोग करने में शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा न्यूनतम शैक्षिक स्तर कार्यनीति में शिक्षकों को प्रबोधन प्रदान किया जा सके, जिसमें भाषा, गणित तथा पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण पर बल दिया जाता है।

— देश के 4 जिलों में शिक्षक केंद्रों/खंड स्तरीय संसाधन केंद्रों का प्रायोगिक आधार पर सृजन।

5.9.2 इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1987-88 के दौरान उपलब्धियों को नीचे सारणी में दिया गया है :

क्र० सं०	नाम पद्धति	28-2-1995 तक संचित उपलब्धियां
1.	व्यय की गयी राशि (रुपये करोड़ों में)	401.30
2.	स्कूल शिक्षकों के व्यापक प्रबोधन कार्यक्रम के अंतर्गत 1986-90 के दौरान प्रबोधित शिक्षकों की संख्या (लाखों में)	17.62
3.	संस्वीकृत जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या	384
4.	संस्वीकृत शिक्षक-शिक्षा कालेजों की संख्या	56
5.	संस्वीकृत उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थाओं की संख्या	24
6.	शामिल राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	28

5.9.3 वर्ष 1993-94 के दौरान 33 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों, 2 शिक्षक शिक्षा कालेजों तथा एक उन्नत शिक्षा-अध्ययन संस्था को संस्वीकृत किया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान 46 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों तथा 10 शिक्षक-शिक्षा कालेजों/उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थाओं को संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

5.9.4 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों/शिक्षक शिक्षा कालेजों/उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों की स्थापना करना एक दीर्घकालिक कार्यकलाप है, क्योंकि आवश्यक भवनों का निर्माण करने तथा पदों का सृजन करने व उन्हें भरने में काफी समय लग जाता है। तथापि, 300 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना प्रारम्भ कर दिया है।

5.9.5 राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता पैटर्न को अन्तिम रूप दे दिया गया है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अपने-अपने प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के परियोजना प्रस्तावों को वर्ष 1993-94 के दौरान पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। कुछ अन्य राज्यों के प्रस्ताव को इस वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

5.9.6 विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित संघटक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभागीय शोध सहयोग के स्तर पर विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को चुना है। ये विश्वविद्यालय हैं—काशी विद्यापीठ, बड़ौदा का एम०एस० विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा में एम०ए० पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय विभागों को सहायता देने का भी निर्णय लिया है।

5.9.7 प्राय: सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम चल रहा है और इसमें 1.14 लाख शिक्षक पहले ही शामिल किये जा चुके हैं।

5.9.8 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों ने अपने-अपने सम्बन्धित जिलों में शिक्षक केन्द्रों/खण्ड स्तरीय संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए ब्यौरे तैयार कर लिए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा इसकी जांच की जा रही है शिक्षक केन्द्रों/खण्ड स्तरीय संसाधन केन्द्रों का एक समान प्रतिमान तैयार किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद

5.10.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निहित प्रावधानों एवं इसके कार्यान्वयन के लिए योजना के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद को एक सांविधिक दर्जा दिया गया है एवं इसे 1993 के एन०सी०टी०ई० अधिनियम संख्या 73 के रूप में स्थिति पुस्तिका में लाया गया है।

अधिनियम में निम्नांकित दृष्टि से एन० सी० टी०ई० की स्थापना का प्रावधान है :—

(क) देश भर में शिक्षक शिक्षा पद्धति का नियोजित एवं समन्वित विकास करना, और

(ख) शिक्षक शिक्षण पद्धति में संहिताओं एवं मानकों का विनियमित एवं समुचित रख-रखाव एवं इससे सम्बन्धित बातें।

5.10.2 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने एन०सी०टी०ई० में ज्वाइन कर लिया है। एन०सी०टी०ई० को परिचालित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 1994-95 के लिए बजट में एन०सी०टी०ई० के सम्बन्ध में 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

शिक्षा कर्मी परियोजना

5.11.1 राजस्थान शिक्षा कर्मी परियोजना को स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की लगभग 52 मिलियन सेक की सहायता से राजस्थान में 1987 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को प्रारंभ में 1-7-1987 से 30-6-1991 तक चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना था। 90% परियोजना परिव्यय को केन्द्रीय सरकार के योजनागत बजट से वित्तपोषित किया जा रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति बाद में सीडा द्वारा की जा रही है।

5.11.2 35 मिलियन सेक की प्रत्याशित बचत को ध्यान में रखकर परियोजना को तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 1991-92 से 1993-94 तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है। मध्यकालिक समीक्षा 4-3-94 को की गई है जिसमें सीडा ने स्वीडन सरकार को भारत के लिए 60 मिलियन सेक की और सहायता के लिए सिफारिश की है जिनका 1-7-94 से 30-6-97 तक शिक्षा कर्मी परियोजना के सोपान-II के पहले तीन वर्षों के लिए नियतन किया जाता है। इसके बारे में स्वीडन और भारत के बीच करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.11.3 इस परियोजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा पर मूलत: ध्यान देकर राजस्थान में दूर-दराज के और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गाँवों में प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्राथमिक शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य में परियोजना में अध्यापकों को अनुपस्थित रहने को एक बड़ी बाधा बताया गया है। यह परियोजना स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता से राजस्थान शिक्षक कर्मी बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

5.11.4 इस परियोजना का कार्यान्वयन, ढाँचा और व्यवस्था को इस प्रकार बनाया गया है कि राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठन सहभागी के रूप में कार्य करें। शिक्षा कर्मी प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तैयार करने, आयोजित करने और संचालित करने तथा शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण करने के लिए गैर-सरकारी संगठन परियोजना निदेशक के साथ तालमेल में काम करते हैं। गैर-सरकारी संगठन परियोजना पर्यवेक्षण और शिक्षाकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। परियोजना का अभिकल्प इस कल्पना पर आधारित है कि शिक्षा सेवाओं से यदि ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है तो उन्हें सामुदायिक समर्थन आवश्यक प्राप्त होना चाहिए। निचले स्तर पर पंचायत समिति, शिक्षा सभी सहयोगी, गैर-सरकारी संगठनों का विषय गत विशेषज्ञ, शिक्षा कर्मी और ग्रामीण समुदाय है जो इस परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से निरंतर तालमेल कर रहे हैं।

5.11.5 शिक्षा कर्म परियोजना एक अभिनव प्रयास है जिसका उद्देश्य बच्चों, विशेषत: लड़कियों का कम संख्या में दाखिला और अधिक संख्या में पढ़ाई को बीच में छोड़ देने की बड़ी समस्या पर काबू पाना है। शिक्षा कर्मी परियोजना में प्रहर पाठशालाएँ, आँगन पाठशालाएँ और महिला शिक्षा कर्मी प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाते हैं। इस परियोजना का एक नवीन पहलू बच्चे के वातावरण से सम्बन्धित स्थानीय तौर से सुसंगत पाठयचर्या को विकसित करना और उसका दाखिलों में वृद्धि चयन और सहभागिता के लिए कक्षाओं, विशेषत: लड़कियों में इसका प्रभावी कार्य सम्पादन है।

5.11.6 30 सितम्बर, 1974 की स्थिति के अनुसार, शिक्षा कर्मी परियोजना राजस्थान के 25 जिलों और 67 खण्डों/1066 गाँवों में यूनिटों में कार्यरत है। 1068 दिवस केन्द्र तथा 2105 प्रहर पाठशालाएँ है जिनमें 6—11 वर्ष के आयु वर्ग के 1,02,454 बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनमें से 21,072 बच्चे गैर औपचारिक कक्षाओं (प्रहर पाठशालाओं) में शिक्षा ग्रहण कर रहे है। अन्य 20 खण्डों/300 गाँवों में यूनिटों को 31-3-1995 तक शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। 3274 शिक्षा कर्मियों द्वारा मार्च, 1995 के अंत तक 1366 दिवस पाठशालाओं की देखभाल किए जाने की आशा है। वर्ष 1994-95 के लिए 500 लाख रुपए की बजटगत व्यवस्था की गई है।

बाल भवन सोसाइटी इंडिया, नई दिल्ली

5.12.1 बाल भवन सोसायटी इंडिया, नई दिल्ली को स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा 1955 में की गई। यह शिक्षा विभाग द्वारा पूर्णत: निधिकृत एक स्वायत्त संस्था है जो विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के 5-16 वर्षों के आयु समूह के बच्चों के मध्य सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। बच्चे आनन्दपूर्वक सृजनात्मक/प्रदर्शक कलाओं, पर्यावरण, गृह विज्ञान, फोटोग्राफी समेकित कार्यकलाप जैसे अपनी पसंद के कार्य कर सकते हैं। बाल भवन बच्चे के सम्पूर्ण वृद्धि एवं विकास में सहयोग करते हुए, जो सभी कार्यकलापों का मुख्य बिन्दु है, नृत्य, नाटक, सृजनात्मक कलाओं, फोटोग्राफी कम्प्यूटर आदि के विभिन्न माध्यमों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का मुक्त वातावरण प्रदान करता है। कार्यक्रम इस तरह तैयार किए जाते हैं कि बच्चे की आंतरिक क्षमता को खोजा जाए एवं बच्चे को स्वयं उभरने दिया जाए।

5.12.2 अपनी स्थापना के समय से, बाल भवन की सदस्यता 1956 में 300 से बढ़कर हाल के वर्षों में एक लाख हो गयी है। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो बाल भवन के कार्यकलापों में उसके केन्द्रीय कार्यालय में भाग लेने में समर्थ नहीं हो सकते, पूरी दिल्ली में फैले 52 बाल भवन केन्द्र खोले गए हैं। दो जवाहर बाल भवनों, जिसमें एक

श्रीनगर एवं दूसरा मंडी में है, को वित्तीय सहायता दी गई है। बाल भवन सोसाइटी इंडिया देश में राज्य एवं जिला बाल भवनों को सामान्य दिशा-निर्देश, प्रशिक्षण सुविधाएं एवं सूचना का अंतरण प्रदान करती है जो बाल भवन सोसाइटी इंडिया से संबद्ध है।

5.12.3 1994-95 के दौरान बाल भवन सोसाइटी, इंडिया द्वारा अनेक कार्यशालाएं/संगोष्ठियां, सम्मेलन, शिविर, क्रीड़ा, कार्यकलाप, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए। ''प्रदर्शक कलाओं के माध्यम से संचार पर कार्यशाला'', ''कला एवं शिल्प प्रशिक्षण कार्यशाला'', ''दूरबीन बनाने की कार्यशाला'', ''आश्चर्यजनक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या पर कार्यशाला'', ''मॉडल रॉकेटरी कार्यशाला'', ''प्रदर्शक कला की समेकित परियोजना कार्यशाला'', ''पुस्तक चित्रण कार्यशाला'' एवं ''वीडियो कार्यशाला'' ने विशेषकर बच्चों के शिक्षकों से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त किया है। ''दूरबीन निर्माण एवं रॉकेटरी'' पर कार्यशालाओं ने बच्चों के मध्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में सहयोग दिया है एवं अनुभव के द्वारा उन्हें सीखने में समर्थ बनाया है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर संगोष्ठी, साहित्यिक कैम्प एवं साहित्यिक संगोष्ठी आदि भी उल्लेखनीय घटनाएं हैं जो समस्याओं को हल करने हेतु विचार करने, अंतर्क्रिया करने एवं विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों एवं पाठकों को एक सामान्य मंच प्रदान करते हैं. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत, बाल भवन सोसाइटी इंडिया के एक शिष्टमंडल ने उत्तर कोरिया में सौंग डोयान अन्तर्राष्ट्रीय बाल कैम्प में भाग लिया जिसके कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई। अपने खेलकूद के कार्यकलापों के भाग के रूप में बाल भवन के अंतर विद्यालयीय जूडो टूर्नामेंट एवं अंतर विद्यालयीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया। 14 से 19 नवम्बर तक बाल भवन ने अपने वार्षिक राष्ट्रीय बाल सभा एवं अखंडता कैम्प का आयोजन किया जिसमें देश के सभी भागों के बच्चों ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं बाल कलाकारों के साथ अंतरक्रिया की। इस वर्ष के शिविर का विषय 'इन्द्रधनुष' था। दिसंबर में जापानी फाउंडेशन के सहयोग से पतंग एवं खिलौने बनाने का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आशा है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित बच्चे-बच्चों के साथ अधिक अंतर्क्रिया के लिए बाल भवन का भी भ्रमण करेंगे। मार्च, 1995 में जनजातीय लड़कियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। 1994-95 के दौरान बाल भवन एवं इसके केन्द्रों के कार्यकलापों/कार्यक्रमों द्वारा लगभग तीन लाख बच्चे एवं दस हजार शिक्षकों के लाभान्वित होने की आशा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

5.13.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 तक अद्यतन) तथा इसके कार्रवाई कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (यू० ई० ई०) को प्राप्त करने के लिए ''जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'' नामक एक नई पहल की गई है। जि० प्रा० शि० का० विकेन्द्रीकरण आयोजना व विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से यू० ई० ई० के लिए कार्यनीति को कार्यान्वित करना चाहता है।

5.13.2 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा सेक्टर के पूर्ण पैमाने पर विकास और प्रभावकारी सुधारों के वास्ते एक शीर्ष है। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य इन स्कीमों के खण्डश: कार्यान्वयन की अपेक्षा सभी जिलों में प्राथमिक शिक्षा का पुन:निर्माण करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूलभूत सिद्धान्त सभी स्तरों—राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय स्तर—पर क्षमता निर्माण करना है तथा ऐसी कार्यनीतियां विकसित करना है जो परिणामोन्मुख और स्थायी हों।

5.13.3 प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुभव से निम्नलिखित की स्थापना की गई है :—

(क) प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना प्रासंगिक है। यह प्रासंगिकता देश के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न है। यहां तक कि केरल जैसे राज्य में जहां इसमें सहभागिता लगभग सार्वभौम है फिर भी गुणवत्ता और उपलब्धि के संदर्भ में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। ऐसे राज्यों में प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का उद्देश्य मुख्यतया गुणवत्ता, सुविधाओं और उपलब्धि के क्षेत्रों में होगा। अन्य राज्यों में सहभागिता और मांग संबंधी पहलुओं पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ख) प्रासंगिकता ने असमेकित लक्ष्यों और विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा प्रबंध के साथ स्थानीय क्षेत्रगत आयोजना आवश्यक है। प्रारम्भिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की योजना अब तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर की जाती है। कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर ये संस्थाएं प्रभावी आयोजना के लिए इतनी बड़ी और विषम है कि उन्हें प्रासंगिक नहीं माना जा सकता। मुख्यत: आयोजना निचले स्तर से, ग्राम के स्तर से होनी चाहिए और उसे उद्देश्यपरक बनाया जाना चाहिए, जिले को आयोजना की एक यूनिट के रूप में बनाकर शुरूआत की जानी है। स्थानीय निकायों, शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल संबंधी एक गहन प्रक्रिया के जरिए जिला योजनाओं को तैयार किया जाना है ताकि इसका स्वामित्व उन लोगों के हाथ में हो जो इसके कार्यान्वयन के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें निचले स्तर की वास्तविकताएं प्रतिबिम्बित हों।

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए संसाधन महत्वपूर्ण हैं परन्तु पर्याप्त शर्त नहीं है। वित्तीय और गैर-वित्तीय, दोनों मांग और पूर्ति पक्ष पर, संसाधनों के अधिक आबंटन को पूरा करने के लिए काफी उपाय किए जाने की जरूरत है।

(घ) सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित कार्य नीतियों जिसमें मुख्य रूप से कक्षाओं के निर्माण कार्य तथा शिक्षकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इनकी संख्या अपर्याप्त है इसे निम्नलिखित द्वारा बढ़ाए जाने की जरूरत है :

(i) चूंकि अलग-अलग योजनाओं के पृथक-पृथक क्रियान्वयन के कारण जिस सम्पूर्ण आयोजना तथा प्रबंध दृष्टिकोण का कार्यान्वयन नहीं हो सका था उसे

अब पूर्णरूपेण सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा कार्य में शामिल किया गया है। अत: जिला विशेष संदर्भ में सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वित रूप से हर संभव प्रयास करना जरूरी है,

(ii) इस संपूर्ण आयोजना को योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के सभी पहलुओं में स्त्री-पुरुष सापेक्ष को शामिल किया जाता है तथा यह आयोजना सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी उपायों का एक अभिन्न अंग है,

(iii) शिक्षा उपलब्धि में अत्यधिक बाधक पहलुओं का पता लगाना विशेष रूप से बालिकाओं, सुविधाविहीन वर्गों तथा स्कूली दायरे से बाहर वाले बच्चों की,

(iv) स्कूली कार्यकरण में सुधार,

(v) स्कूली शिक्षा से संबंधित विकल्पों विशेषकर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना,

(vi) सहभागी प्रक्रियाओं पर इतना जोर देना कि स्थानीय समुदाय को सहभागिता, उपलब्धि तथा स्कूली कार्यकरण में सुविधा प्रदान हो सके।

(vii) शिक्षक क्षमता, प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरण को तेज करना,

(viii) शिक्षण कौशल तथा उपलब्धि पर जोर देना,

(ix) उन्नत पठन-पाठन सामग्री की जरूरत पर जोर देना,

(x) नेमी तथा नवाचारी दोनों ही क्षेत्रों में आयोजना तथा प्रबंध में आमूल-चूल परिवर्तन करना,

(xi) प्रारंभिक शिक्षा तथा शैशवकालीन देख-भाल शिक्षा एवं स्कूली स्वास्थ्य जैसी संबंधित सेवाओं के बीच उचित ताल-मेल बनाए रखना।

अत:, आठवीं योजना के लिए कार्यनीतियों में एक असंचयी प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अंतर्गत जन सहभागिता तथा अध्ययनकर्ताओं की उपलब्धि में सुधार करके स्कूलों में न्यूनतम अध्ययन स्तर को आरंभ करने के माध्यम से सूक्ष्म आयोजना के व्यापक नीतिगत ढांचे में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए जिला विशिष्ट, जनसंख्या विशिष्ट योजनाओं के निर्माण पर बल देना है। सूक्ष्म-आयोजना जन-जन तक पहुंच तथा जन-जन की सहभागिता के कार्य ढांचे का प्रावधान करेगी जबकि अध्ययन के न्यूनतम स्तरों से सार्वजनीन उपलब्धि के लिए नीतिगत ढांचे का प्रावधान होगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में इस कार्यनीति की कार्रवाई की मांग की गई है।

5.13.4 यह कार्यक्रम प्राप्त अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है जो निम्नवत हैं :—

(i) बिहार शिक्षा परियोजना (यूनिसेफ से सहायता प्राप्त) तथा लोक जुम्बिश परियोजना (स्वीडिश इंटननेशनल डेवलपमेंट एथॉरिटी से सहायता प्राप्त) का कार्यान्वयन,

(ii) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना (अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से सहायता प्राप्त) की आयोजना,

(iii) आन्ध्र प्रदेश शिक्षा परियोजना (डी० डी० ए० से सहायता प्राप्त), शिक्षा कर्मी परियोजना (स्वीडिश इंटननेशनल डेवलपमेंट एथॉरिटी से सहायता प्राप्त) तथा महिला समाख्या (डच से सहायता प्राप्त) का कार्यान्वयन।

लक्ष्य

5.13.5 इस कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(i) बालक-बालिकाओं तथा सामाजिक वर्गों में दाखिले, पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों तथा अध्ययन उपलब्धि में अंतरों को पांच प्रतिशत से कम करना।

(ii) सभी छात्रों के लिए समग्र प्राथमिक पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरों को 10 प्रतिशत से कम करना।

(iii) आधार रेखीय स्तरों से ऊपर कम से कम 25 प्रतिशत तक औसत उपलब्धि स्तरों को बढ़ाना और सभी प्राथमिक स्कूल बच्चों द्वारा बुनियादी साक्षरता और अंकिय क्षमताओं की उपलब्धि तथा अन्य क्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत उपलब्धि स्तरों को सुनिश्चित करना।

(iv) जहां तक संभव हो, सभी बच्चों को राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक स्कूल कक्षाओं (I से V) अर्थात् प्राथमिक स्कूल अथवा इसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा की पहुंच का प्रावधान।

5.13.6 इस कार्यक्रम से प्राथमिक शिक्षा की आयोजना, प्रबंध और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला संस्थानों और संगठनों की क्षमता भी सुदृढ़ होगी।

प्रबन्ध

(I) राज्य स्तर

यह कार्यक्रम एक अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर पंजीकृत स्वायत्त समितियों के माध्यम से होगा

जिसमें मुख्यमंत्री, सामान्य परिषद का पदेन अध्यक्ष और मुख्य सचिव/शिक्षा सचिव कार्य समिति के अध्यक्ष होंगे।

(II) राष्ट्रीय स्तर

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के आधार पर राष्ट्रीय स्तर का ढांचा तैयार किया जा रहा है जो पूरे देश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा और राज्यों और जिलों को आवश्यक तकनीकी सहयोग देगा। चूंकि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बहुत से राज्यों तथा सौ से अधिक जिलों को शामिल करेगा और यह बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बाह्य रूप से सहायता प्राप्त बेसिक शिक्षा परियोजनाओं के लिए प्रभावी माध्यम है, अत: इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियमित मॉनीटरिंग, सूचना भेजने और अनुभवों को आदान-प्रदान की नियमित पद्धति आवश्यक है।

(III) ग्राम शिक्षा समितियां

ग्राम शिक्षा समितियां जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम में स्थानीय सहभागी प्रबन्ध का एक मुख्य घटक है। स्थानीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, महिला कार्यकर्ता, प्रशिक्षक और अभिभावक, समिति स्थानीय स्कूल प्रबंध में मुख्य भूमिका अदा करेंगे और प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के दाखिले में वृद्धि करने, उनकी शिक्षा जारी रखने और उनकी नियमित उपस्थिति के लिए जनता की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।

क्षमतानिर्माण एवं तकनीकी सहयोग

5.13.7 राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी सहायता में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :

(i) योजना तैयार करने के लिए राज्य क्षमताओं का विकास।

(ii) प्रबन्ध सूचना प्रणाली, जिनमें स्कूल सांख्यिकी परियोजना संकेतन और डाटा बेस तैयार करना शामिल है, इसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में विकसित जांचा और संस्थापित किया जाएगा।

(iii) सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का विकास जिनमें प्रोटोटाइप प्रशिक्षण रूपरेखाएं और सामग्रियां एवं बहु-श्रेणी शिक्षण और अध्ययन के न्यूनतम स्तर में सक्षमताएं शामिल हैं।

(iv) कक्षा I-III के लिए पाठन, पठन और गणित के लिए मानक प्रारूप (प्रोटोटाइप) सामग्रियों का विकास और इसके प्रभाव का मूल्यांकन ।

(v) शैक्षिक योजना और प्रबन्ध में प्रोटोटाइप प्रशिक्षण सामग्रियों का विकास और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रशिक्षण और समूहों का प्रशिक्षण राज्यों/जिलों को सहयोग देता है।

(vi) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उत्तम कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए अनुसंधान कार्यकलापों को संगठित करने के लिए कार्यक्रम अनुसंधान, अध्ययन और मूल्यांकन के लिए एक एकक एवं प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुसंधान संस्थाओं का एक नेटवर्क स्थापित करना।

(vii) जनजाति शिक्षा के लिए अंत:क्षेप नीतियां।

(viii) प्राथमिक स्कूलों के लिए लागतप्रभावी रूपरेखाओं का विकास।

(ix) क्षमता तैयार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय और प्रशिक्षण के लिए प्रावधान।

कवरेज

5.13.8 अभी तक योजना की प्रक्रिया मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के 42 जिलों में पूरी हो गई है। यह योजना प्रक्रिया आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रत्येक के पांच जिलों में शुरू की गई है।

5.13.9 यूरोपीय समुदाय सहायता कार्यक्रम द्वारा जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम को उपलब्ध कराई गई निधियां मध्य प्रदेश के 19 जिलों में प्रयोग में लाई जा रही हैं और आई० डी० ए० द्वारा अन्य 23 जिलों का वित्त पोषण किया जाता है। ओ० डी० ए० ने आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पांच जिलों का वित्त पोषण करने में रुचि व्यक्त की। जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम की एक अनन्य विशेषता यह है कि बहुत सी एजेंसियां भारत सरकार के शेयर को निधियां देती हैं लेकिन उनकी पहुंच समान है। भारत सरकार मूल्यांकन और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में समान सहभागी होगी। जिला प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम की आई० डी० बी० आई० अथवा एच० डी० एफ० सी० के अनुरूप देश में प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए तकनीकी और संसाधन संगठन के रूप में विकसित होने की आशा है।

5.13.10 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रसार संसाधनों की उपलब्धता तथा जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति और कोटि पर निर्भर होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्याशित 1950 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित कम से कम 110 जिलों में इस कार्यक्रम को आरम्भ करने का प्रयास है, इस परिव्यय में से 1720 करोड़ रुपए बाह्य स्रोतों से निकाले जाने का प्रस्ताव है।

5.13.11 शिक्षा विभाग के बजट से वर्ष 1994-95 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 94.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के अंशदान की पहली किश्त के रूप में सात राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के 32 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

आधार रेखा अध्ययन

5.13.12 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना निरूपण प्रक्रिया की अब तक की एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राथमिक छात्रों

के मध्य उपलब्धि स्तरों पर एक व्यापक आधार का अध्ययन संचालित करना रहा है। ये अध्ययन राष्ट्रीय शोध संस्थानों यथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान और 8 राज्यों असम, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में फैले 46 जिलों में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित किए गए। इन अध्ययनों का उद्देश्य चयनित जिलों में प्राथमिक शिक्षा विकास की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना था ताकि जिला योजनाओं को एक अनुभव जन्य आधार दिया जा सके और परियोजना कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतियां उत्तम तरीके से परिभाषित की जा सकें। 106 खंडों के फैले 1718 विद्यालयों के 50,000 से अधिक बालकों की प्रतिदर्श आधार पर जांच की गई। ये परीक्षण इस तरह तैयार किए गए कि बालकों, बालिकाओं उनके मध्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के विभिन्न भागों की उपलब्धियों पर सूचना प्राप्त की जा सके। अब उपलब्ध विशिष्ट ब्यौरों का प्रशिक्षा और वर्ग संचालन के लिए टेलर मेड डिजाइनों के लिए उपयोग किया जाएगा। इन परीक्षणों को प्रत्येक तीन वर्षों पर दुहराया जाना चाहिए ताकि छात्रों की ज्ञान की उपलब्धि पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सके। अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चला कि शिक्षुता उपलब्धि स्तर अनेक जिलों में काफी निम्न है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र विशिष्ट स्वरूप के साथ बढ़ते हुए जिला विशिष्ट हस्तक्षेपों में भी इन अध्ययनों का उपयोग किया जाएगा। ये अध्ययन जिलों में शिक्षकों, माता-पिता और जन प्रतिनिधियों के मध्य किए जा रहे हैं और सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं कि कैसे विद्यालय प्रभावकारिता और ज्ञान स्तरों के मानकों को समुन्नत किया जाए।

लोक जुम्बिश

5.14.1 स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार (एस०आई०डी०ए०) की सहायता से राजस्थान में "लोक जुम्बिश : सभी की शिक्षा के लिए जन आंदोलन" नामक एक नव प्रवर्तनकारी परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का मूल उद्देश्य लोगों को गतिशील बनाकर एवं उनकी सहभागिता के माध्यम से वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना है। भारत सरकार ने विभिन्न जिलों में फैले 25 खण्डों को शमिल करने हेतु दो वर्षों 1992-93 की अवधि के लिए परियोजना के प्रथम चरण को स्वीकृति प्रदान की जिसकी अनुमानित लागत 18.00 करोड़ रुपये है और जिसे स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3 : 2 : 1 के अनुपात में वहन किया जायेगा। परियोजना का प्रथम चरण 30 जून, 1994 को समाप्त हो गया है।

5.14.2 प्रथम चरण के दौरान परियोजना कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया (25 खण्डों में) और प्राथमिक शिक्षा के अनेक घटकों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षुता का न्यूनतम स्तर, नये विद्यालय खोलने, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों आदि में परियोजना सम्बन्धी हस्तक्षेप किये गये। लोक जुम्बिश परियोजना की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

— लोक जुम्बिश नव प्रवर्तनीय प्रबंध संरचनाएं स्थापित करने में समर्थ रहा है जिसमें प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण और प्रत्योजन के सिद्धान्त तथा स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवी क्षेत्र की निर्मित भागीदारी शामिल है।

— सामुदायिक गतिशीलता और स्कूल मैपिंग

— नवप्रवर्तनकारी और समुदाय केन्द्रित भवन विकास

— बालिकाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों पर जोर।

5.14.3 चरण 1 के दौरान, 204 प्राथमिक विद्यालय खोले गये, 144 प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाया गया, 339 अतिरिक्त शिक्षकों के पद बनाये गये, 2120 विद्यालयों को उपस्कर और शिक्षण जानकारी सम्बन्धी सामग्री प्रदान की गयी, 650 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये, शिक्षकों के प्रशिक्षकों के लिए 30 प्रशिक्षण शिविर और शिक्षकों के लिए 198 शिविर आयोजित किये गये, 1,096 गांवों में लोगों को गतिशील करने के कार्य शुरू किये गये 50 क्षेत्र केन्द्र खोले गये और 294 महिला समूहों को संगठित किया गया।

5.14.4 स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना एक संयुक्त मूल्यांकन में परियोजना में की गई पहल पर संतोष व्यक्त किया गया और इसके विस्तार तथा इसे जारी रखने की सिफारिश की गयी। 1994-97 के दौरान लोक जुम्बिज चरण-II को जारी रखने के प्रस्ताव को हाल में स्वीकृति प्रदान की गयी है जिस पर 80 करोड़ रुपये का परिव्यय है और जिसे सीडा, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3 : 2 :1 के अनुपात में वहन किया जायेगा।

बिहार शिक्षा परियोजना

5.15.1 बिहार शिक्षा परियोजना एक आधारभूत शिक्षा परियोजना है जिसका उद्देश्य शैक्षिक पद्धति में और इसके माध्यम से बिहार राज्य के सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाना है।

5.15.2 बिहार शिक्षा परियोजना में आधारभूत शिक्षा के सभी अवयव शामिल है और इसमें 1991-92 से 1995-96 तक पांच वर्ष की अवधि में 20 जिलों में फैले 150 प्रखण्डों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की परिकल्पना की गई है। पांच वर्षों की अवधि (1991-92 से 1995-96) में परियोजना का अनुमानित परिव्यय 360 करोड़ रुपये है जिसे यूनीसेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा क्रमशः 3 : 2 : 1 के अनुपात में देने की सहमति हुई है। इसमें समाज के अब तक वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना एक विकसित परियोजना है। जिसमें कार्यक्रम सम्बन्धी अधिकतर कार्यकलापों के लिए प्रखण्ड एक इकाई है। सहभागी आयोजना और कार्यान्वयन परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। शैक्षिक सेवाओं की मांग उत्पन्न होना, क्षमता निर्माण और सहभागी प्रबंधन संरचानाओं का विकास परियोजना कार्यान्वयन के अन्य निर्णायक तत्व हैं।

5.15.3 बिहार शिक्षा परियोजना की योजना बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक राज्य स्तरीय निकाय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का पंजीकरण किया गया है। परिषद के दो अंग है—सामान्य परिषद जिसके अध्यक्ष के रूप में मुख्य मंत्री हैं एवं कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष बिहार सरकार के शिक्षा सचिव हैं। इन निकायों में भारत सरकार, बिहार

सरकार, यूनीसेफ, शिक्षकों, गैर-सरकारी संगठनों, आदि को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिला स्तर पर इसकी शाखाएं हैं जहां एक जिला कार्यकारी समिति, जिसमें भारत सरकार/बिहार सरकार/यूनीसेफ/शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी है, परियोजना की आयोजना का कार्य देखती है। परियोजना कार्यकलापों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए, टॉस्क फोर्स बनाये गये हैं। गांव के स्तर पर, निर्णायक इकाई के रूप में ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना की गई है जो समुदाय का सहयोग और सहभागिता प्राप्त करने में आधारभूत शिक्षा पद्धति को सहायता प्रदान करेगी और शैक्षिक आदानों की देखभाल करेगी। परियोजना को मिशन के तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.15.4 1994-95 तक परियोजना कवरेज सात जिलों रांची, पश्चिमी चम्पारण रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी सिंहभूम और छपरा में 98 प्रखण्डों तक था।

5.15.5 1994-95 के दौरान शुरू किये गये/प्रस्तावित मुख्य कार्यकलापों में ग्रामीण शिक्षा समितियों की स्थापना और प्रचालन तथा ग्रामीण शिक्षा समितियों की स्थापना और प्रचालन तथा ग्रामीण शिक्षा समितियों के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, बालकों में पाठयपुस्तक किटों का निःशुल्क वितरण, प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर जिला एवं समूह स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन, सूक्ष्म आयोजना और स्कूल मैपिंग पर कार्यशाला, शिक्षक संगठन के साथ सम्मेलन, स्कूल भवनों का निर्माण/मरम्मत, विद्यालयों में शौचालयों और पेय जल सुविधाओं का प्रावधान, शिक्षकों का विशेष अभिमुखीकरण, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापकों, निरीक्षण अधिकारियों आदि का प्रशिक्षण, रंगोलियां आयोजित करना और तिमाही पत्रिका का प्रकाशन, शिक्षकों के अध्ययन दौरे, खण्ड/समूह स्तर के संसाधन केन्द्रों की स्थापना और अधिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और अधिक केन्द्रों में महिला समाख्या कार्यक्रम का विस्तार, जगजगी केन्द्रों और एम एस केज की स्थापना करना, समेकित बाल विकास योजना, पी०एच०ई०डी०, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं को शैक्षिक आदानों के साथ जोड़ना, एक नयी पत्रिका 'प्रत्यूष' प्रकाशित करना, रंगमंडिलिया आयोजित करना, कठपुतली शो और नियमित कार्यक्रमों का प्रसारण, नामांकन अभियान में समुदाय की भागीदारी जिससे विशेषकर बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हो, चयनित स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करना, नव प्रवर्तनीय सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन, त्रिक चित्रकलाओं पोस्टरों और पैनलों, प्रदर्शनियां, नुक्कड़ नाटकों आदि के आयोजन शामिल हैं।

5.15.6 1994-95 के लिए 42.4 करोड़ रुपये की कार्य योजना स्वीकृत कर दी गयी है। इस परियोजना के लिए वर्ष 1994-95 के लिए 20 करोड़ रुपये (भारत सरकार की हिस्सेदारी) का बजट प्रावधान है।

5.15.7 वर्ष के दौरान आरम्भ किये गये कार्यक्रम का एक मध्यावधि समीक्षा ने अन्य बातों के साथ-साथ बिहार शिक्षा परियोजना के विद्यमान 7 जिलों में कार्यक्रम को सुदृढ़ करने और नामांकन, प्रतिधारण और जानकारी की उपलब्धि पर निवेशों का प्रभाव जानने के लिए आवधिक आधार अध्ययन आयोजित करने की सिफारिश की। परियोजना को और अधिक समुन्नत करने हेतु, समीक्षा मिशन ने बिहार शिक्षा परियोजना और बिहार में शिक्षा पद्धति के बीच सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करने, वर्ग I—V के प्राथमिक चरण पर अधिक जोर देने, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के अधीन अन्य राज्यों में कार्यकलापों से अधिक जुड़ने, एम० एल० एल० और शिक्षक प्रशिक्षण आदि पर अधिक बल देने का सुझाव दिया है।

1000 M/o HRD/94

6. माध्यमिक शिक्षा

6. माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

6.1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के व्यावसायीकरण को दी गई प्राथमिकता के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना फरवरी, 1988 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत रोज़गार में वृद्धि करना, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करना और किसी विशेष रुचि अथवा उद्देश्य के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने का इरादा रखने वालों के लिए विकल्प प्रदान करना है। निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1993-94 से शुरू की गई है जो कि मुख्य रूप से कक्षा IX से X तक के छात्रों को सरल विपणन दक्षता में प्रशिक्षण देने, व्यावसायिक रुचियां विकसित करने और उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करने में छात्रों की सहायता करने के लिए है। संशोधित नीति निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक छात्रों को 1995 तक और 25 प्रतिशत को 2000 ईसवी तक व्यावसायिक विषयों में ले जाने का है।

6.1.2 नीति तैयार करने तथा सतत् आधार पर इसका कार्यान्वयन करने के लिए संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (जी०सी०बी०ई०) मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई है और इसी प्रकार के संगठन राज्य स्तर पर स्थापित किए गए हैं। संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित कार्य कारगर ढंग से निष्पादित किए जाते हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा की स्थाथी समिति शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् की बैठक वर्ष में एक बार होती है जबकि स्थायी समिति की बैठकें कई बार होती हैं। अब तक संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद की तीन बैठकें और स्थायी समिति की पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

6.1.3. "पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान" (पी एस एस सी आई बी ई) नामक केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान रा०शै०अ० एवं प्र०प० की सम्पूर्ण छत्रछाया में 1 जुलाई, 1993 को भोपाल में स्थापित की गई थी। संस्थान व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष स्तरीय अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है और इस कार्यक्रम को शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पं० सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ने 6 मुख्य क्षेत्रों में सक्षमता आधारित 82 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं जिन्हें राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा सकता है और उस क्षेत्र विशेष के पाठ्यक्रम और आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। अब केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तक/शिक्षण सामग्री को मानकीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद् अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम तथा प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए प्रबोधन आयोजित करने में लगा हुआ है।

6.1.4 यह योजना +2स्तर पर राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। अब तक लक्ष्यद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघशासित प्रशासनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। वर्ष 1993-94 के अन्त तक 5701 स्कूलों में 16,450 व्यावसायिक सेक्शन अनुमोदित किए गए हैं जिसकी सृजन क्षमता +2 स्तर पर 8,22 लाख छात्रों को व्यावसायिक धारा की ओर ले जाने की है। तथापि वास्तविक नामांकन कम होने की सम्भावना है क्योंकि सृजित सुविधाओं का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाया है। अत: चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यक्रम के समेकन तथा गुणात्मक सुधार पर मुख्य बल दिया गया है।

6.1.5 जिला व्यावसायिक सर्वेक्षणों के माध्यम से जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पाठ्यक्रमों का चयन किया जाता है। लगभग 150 व्यावसायिक पाठ्यक्रम छ: मुख्य क्षेत्रों अर्थात् कृषि व्यापार तथा वाणिज्य, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य तथा पेरा मेडीकल सेवाएं, गृह विज्ञान सेवाएं तथा अन्य में शुरू किए गए हैं। यह सिफारिश की गई है कि शिक्षक समय का 70 प्रतिशत व्यावसायिक सिद्धान्त और व्यवहार में लगाया जाना चाहिए और शेष सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रमों तथा भाषा पाठ्यक्रम में लगाया जाना चाहिए। कार्य प्रशिक्षण पाठ्य-चर्या का एक समग्र भाषा होता है।

6.1.6 +2 स्तर पर इस योजना में केन्द्र, राज्य, जिला और स्कूल स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। व्यावसायिक शिक्षा ब्यूरो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए केन्द्र स्तर पर कार्य कर रहा है। बड़े राज्यों/संघशासित प्रदेशों में राज्य स्तर पर अलग ढांचे सृजित किए गए हैं। तथापि सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों ने विभिन्न कारणों की वजह से जिला स्तर पर ये ढांचे सृजित नहीं किए हैं। राज्यों में अनुभवों का आदान-प्रदान सुकर बनाया जाए ताकि सफल मोडलों को दोहराया जा सके, दो/अन्तर्राज्य दौरे इस वर्ष के दौरान आयोजित किए गए थे।

6.1.7 इस नीति में बीच में स्कूल छोड़ने वाले राज्यों, नव-साक्षरों आदि के लिए गैर-औपचारिक, नम्य और आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अत: इस योजना में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू किए गए व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करने का प्रावधान है। अभी तक इस योजना के अन्तर्गत 25 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई है।

6.1.8 अध्ययन पूरा करने और अध्ययन के दौरान भी छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर इस योजना में समुचित बल दिया गया है। प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक 60 व्यावसायिक विषय क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षुता योजना से लाभान्वित हो सकें। इस अधिनियम में सात और विषयों को शामिल किया जा रहा है।

6.1.9 व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की सफलता वेतन अथवा स्व-रोजगार में व्यावसायिक छात्रों के स्थापन पर निर्भर करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भर्ती नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में मंत्रालयों से कहा है जिससे व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र सरकारी नौकरियों के पात्र हो सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को इस दिशा में उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न विभागों और संगठनों में उपलब्ध पदों के सम्बन्ध में विभाग-वार स्थिति की समीक्षा करने के लिए अन्तर मंत्रालयी समिति का भी गठन किया है ताकि वे व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान कर सके। अब तक इस समिति की दो बैठकें प्रथम 15 सितम्बर, 1992 तथा दूसरी 15 जून, 1993 को आयोजित की गई है।

6.1.10 आवश्यकता-आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि व्यावसायिक छात्रों के लिए तुरन्त रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, हस्तशिल्प बोर्ड आदि के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था बनाई गई है। मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों को व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में शमिल करने के लिए दोनों ही क्षेत्रों से सम्बन्धित अनेक औद्योगिक उपक्रमों की ओर ध्यान दिलाया गया है। प्राप्त प्रत्युत्तरों से यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक छात्रों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पाठ्यचर्या व अध्ययन सामग्री तैयार करने में कुछ सहलग्नता तैयार की जा सकती है। मामले को और आगे बढ़ाने के लिए अक्तूबर, 1994 में पं० सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई।

6.1.11 कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु एक कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित की गई है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) इस विभाग और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से दो दिशानिर्देश तैयार किए हैं—एक प्रपत्र भरने के लिए तथा दूसरा इस प्रयोजनार्थ तैयार किए गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़ा भरने के लिए।

6.1.12 किसी बाहरी एजेंसी/संस्था द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार 25 ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से इस प्रयोजनार्थ प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। 1995 के मध्य तक इस अध्ययन के पूरा हो जाने की संभावना है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

6.2.1 यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र योजना स्कीम के कुछ अंश शामिल हैं। गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्कूलों में रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर की पूरी लागत तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में रंगीन टी०वी० की 75% लागत का प्रावधान इस योजना में किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के छः स्वायत्त राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों को इस योजना की निधियां भी प्रदान की गई हैं ताकि वे इन स्कूलों के लिए उपर्युक्त कार्यक्रम तैयार कर सकें।

6.2.2 यह योजना केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी० आई० ई० टी०) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वह दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण हेतु स्कूल क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार कर सके।

6.2.3 इस समय दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण के लिए स्कूल क्षेत्र संबंधी सभी कार्यक्रम केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली द्वारा तैयार किए जाते हैं और इस योजना के अंतर्गत निधि भी प्रदान की जाती है। स्कूल क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

उपलब्धियां

6.2.4 रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर और 51,507 रंगीन टी०वी० वितरित किए जा चुके हैं। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर स्कूल क्षेत्र के लिए 3921 टी०वी० 100 श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम तैयार किए हैं। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्कूल के बच्चों के लिए भारतीय भाषा सिखाने के लिए कैसिटों का भी निर्माण किया है।

6.2.5 शिक्षा और संस्कृति संबंधि भारत-अमेरिका उप-आयोग के संरक्षण में परस्पर क्रिया अध्ययन, "क्लास रूम 2000 ई० के साथ मई, 1993 में एक नवीन और प्रयोगात्मक परियोजना आरंभ की गई थी। इसमें देश के विभिन्न भागों में स्थिति स्कूलों को एक केन्द्रीय सुविधा प्रदान करने के माध्यम से सजीव शिक्षा शामिल है। इन स्कूलों में शामिल बच्चे शिक्षक के साथ सजीव पारस्परिक संबंध में और कम्प्यूटर कुंजी पटलों के माध्यम से बहु-चयन वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्नों को हल कर सकने में सक्षम थे। इस परियोजना के मूल्यांकन ने इसकी सफलता दशाई है।

6.2.6 108.00 करोड़ रु० का एक परिव्यय VIIIवीं योजना अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इसको इसके मौजूदा स्वरूप में ही लागू करने का प्रस्ताव है। उन क्षेत्रों में इस योजना के प्रभाव का अध्ययन करने का प्रस्ताव है जहां इसे शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु कार्यान्वित किया गया है।

सशस्त्र सैनिक बलों के अधिकारियों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें

6.2.7 भारत सरकार और अधिकतर राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें युद्ध के दौरान मारे गए या स्थायी रूप से विकलांग हो गए सैनिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक रियायत प्रदान करते हैं।

शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्य

6.3.0 भारत की आम सांस्कृतिक विरासत के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक कोर क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीमित में उल्लेख किया गया है। शिक्षा में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बताते हुए नीति में औपचारिक शिक्षा प्रणाली तथा भारत की समृद्ध तथा विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नीति में यथा संभव अधिक से अधिक तरीकों से शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा प्रक्रिया को समृद्ध बनाने के लिए कहा गया है तथा सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जागृत करने के लिए शिक्षा को सशक्त माध्यम बनाने की आवश्यकता की उजागर करते हुए नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

6.4.1 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय एक स्वायत्त संगठन के रूप में नवम्बर, 1989 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों और औपचारिक स्कूल में न जाने वाले बच्चों को माध्यमिक स्तर तक दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। इस स्कूल को डिग्री पूर्व स्तर तक के पाठ्यक्रम के लिए विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की परीक्षा लेने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र देने के लिए पंजीकृत किया है। इस विद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के तथा रोजगार के लिए भी मान्य होते हैं।

6.4.2 छात्रों को अपनी आवश्यकताओं, रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अधिकार है। शैक्षिक विषयों के साथ व्यावसायिक विषयों का चयन करने में छात्रों को प्रोत्साहित भी किया जाता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

6.5.1 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य संबंधन, शैक्षिक जैसे बहुविधि कार्यकलाप करना है जो परीक्षा के अलावा उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

6.5.2 स्कूलों का बोर्ड के साथ संबंधन करने की मांग में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। दिसम्बर, 1993 के अंत में 3857 स्कूल बोर्ड से सम्बद्ध थे और लगभग 500 मामले विचाराधीन थे। बोर्ड का मुख्य विषय अपने से सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शिक्षण के सभी विषयों के पाठ्क्रमों की समीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर की गई थी। +2 स्तर पर 41 व्यावसायिक ट्रेडों की समीक्षा करने और प्रत्येक ट्रेडों में पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम विकसित करने संबंधी कार्रवाई शुरू की गई थी। संशोधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अर्थपूर्ण पैकेजों में परिवर्तित किया जाना है।

6.5.3 प्रश्न-पत्रों के निर्धारण की सभी मुख्य विषयों में समीक्षा की जा रही है ताकि उनको और अधिक व्यावहारिक तथा कार्यात्मक बनाया जा सके। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी तथा कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में नमूने प्रश्न-पत्रों को विकसित करने का कार्य पूरा किया जा रहा है। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम उन पाठ्यचर्या में शुरू किए गए हैं जिन पाठनयचर्या में अधिक परिवर्तन किया गया है।

6.5.4 सहायता सामग्री अनेक शैक्षिक क्षेत्रों में विकसित की गई है।

मार्च, 1994 में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं

6.5.5 परीक्षाओं में बहु प्रश्न-पत्र योजना केवल दिल्ली में एक प्रयोगात्मक आधार पर वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। छात्रों के शैक्षिक स्तर में सुधार करने तथा परीक्षा केन्द्रों में बड़े पैमाने पर नकल को रोकने दोनों में ही योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पूरे भारत में बहु प्रश्न-पत्र योजना शुरू करने के लिए तैयार है।

मई, 1994 में आयोजित पी० एम० टी० परीक्षाएं

6.5.6 प्री० मेडिकल/प्री० डेन्टल परीक्षा, 1994 संपूर्ण देश के राज्यों की राजधानियों में 311 केन्द्रों में आयोजित हुई थी जिसमें 1,64,000 से अधिक अभ्यर्थियों को पंजीकृत किया गया था।

छात्राओं के लिए भोजन एवं छात्रावास सुविधाएं

6.5.7 माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए भोजन एवं छात्रावास की सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी ताकि माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कूल बहुत ही कम हैं और छात्राएं अपने घर और स्कूल के बीच की पर्याप्त दूरी तय करने में सक्षम नहीं हैं, छात्राओं को बनाए रखने की दर में वृद्धि की जा सके। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान छात्रावासों को सहायता दी जाती है।

स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार

6.6.1 वर्ष 1987-88 के दौरान शुरू की गई इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का लक्ष्य विज्ञान की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ाना है जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पना की गई है। तदनुसार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन, उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान किटों के प्रावधान, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए पुस्तकालय सहायता के प्रावधान एवं विज्ञान और गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों को 100% सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का दूसरा संघटक नवाचारी पठन एवं पाठन पद्धतियों के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करना है।

LIBRARY & DOCUMENTATION ...
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8536
Date 12...

6.6.2 वर्ष 1987-88 से 1994-95 तक की उपलब्धियां नीचे सारिणी में दी गई है :—

विज्ञान शिक्षा : उपलब्धियां

	7वीं योजना	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95*	कुल
खर्च की गई राशि (करोड़ रुपयों में)	80.03	20.59	18.98	24.94	22.08	22.70	189.32
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की संख्या	30	24	12	14	15	15	32
शामिल किए गए स्कूलों की संख्या							
(i) उच्च प्राथमिक (विज्ञान किट)	42.398	5,791	7,880	11,678	5,756	5,000	7,850
(ii) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (पुस्तकालय सहायता)	10,382	3,843	3,671	5,179	3,874	3,250	35,850
(iii) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (पुस्तकालय सहायता)	15,073	3,981	3,783	5,849	3,914	3,250	19
जिला संसाधन केन्द्र स्थापित करने में मदद करने वाली संस्थाओं की संख्या	115	57	26	—	—	—	3
शामिल किए गए स्वैच्छिक संगठनों की संख्या (नवाचारी कार्यक्रमों के लिए)	13	7	14	7	12	12	—

* पूर्वानुमानित

** यह घटक 8वीं योजना के दौरान सहायता के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है।

स्कूली शिक्षा में पर्यावरणीय प्रबोधन

6.7.1 वर्ष 1988-89 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य सामान्य पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय ज्ञान एवं संकल्पनाओं को शामिल करना है। प्रारंभ में इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र की आवश्यकता पूरी की गई है। तथापि VIIIवीं योजना के दौरान माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों तक इसका विस्तार किया गया। पर्यावरणीय प्रबोधन प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य बल पर्यावरण के क्षेत्र में स्कूली बच्चों के लिए नवाचारी शिक्षण पद्धतियों एवं पठन सामग्री के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधि प्रदान करना है।

6.7.2 इस योजना की दूसरी मुख्य विशेषता "मुख्य एजेंसी का दृष्टिकोण" है जिसमें मुख्य एजेंसियों के रूप में निर्धारित बड़े स्वैच्छिक संगठन पर्यावरणीय शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने में छोटे स्वैच्छिक संगठनों को दिशा-निर्देश एवं सहायता प्रदान करते हैं। प्रथम चरण में सरकार द्वारा निधियां मुख्य एजेंसियों को दी जाती हैं जो बाद में छोटे स्वैच्छिक एजेंसियों को मिल जाती हैं।

6.7.3 इस योजना के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता परियोजना के आधार पर दी जाती है जिसमें प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की उनमें पर्यावरणीय संकल्पनाओं को समाविष्ट करने के दृष्टिकोण से समीक्षा करना और उनका विकास करना, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और विकास करना, उच्च प्रायमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यनीति की समीक्षा करना, पठन एवं पाठन सामग्री का विकास करना, उपयुक्त नवाचारी कार्यानुभव कार्यकलापों का आयोजन आदि शामिल है।

6.7.4 वर्ष 1987-88 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान की उपलब्धियों का सार नीचे सारिणी में दिया गया है :

स्कूल शिक्षा की उपलब्धियों के प्रति पर्यावरणीय अवस्थिति

	7वीं योजना	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	कुल
खर्च की गई राशि (करोड़ रु० में)	3.57	2.00	1.81	1.80	1.12	1.95	12.25
शामिल किए गए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की संख्या	20	8	9	17	5	10	25
संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	32	6	9	1	11	10	70
सहायता प्राप्त स्वैच्छिक निकायों की संख्या	10	7	5	4	9	10	25

* पूर्वानुमानित

अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड

6.8.1 स्कूल स्तर पर गणित में प्रतिभा की खोज करने एवं उसे प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड (आई० एम० ओ०) आयोजित किया जाता है।

6.8.2 जुलाई, 1994 के दौरान हांगकांग में आयोजित आई० एम० ओ०-1994 में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया था। 69 सहभागी देशों में भारत ने 16वां स्थान प्राप्त किया। भारतीय दल ने 3 रजत और 3 कांस्य पदक प्राप्त किए। आई० एम० ओ०-1996 भारत में आयोजित होगा।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

6.9.0 इस योजना के अंतर्गत विदेश जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल और भारत आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा और उनके ठहरने की लागत की वहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्कूलों में संगणक साक्षरता एवं अध्ययन (वस्तास)

6.10.1 वर्ष 1984-85 में इलेक्ट्रोनिकी विभाग के परामर्श से स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन पर एक मुख्य परियोजना शुरू की गई थी। मुख्य परियोजना के मुख्य लक्ष्यों में संगणकों को सरल बनाना एवं उनके संबंध में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना शामिल है। परियोजना को तदर्थ आधार पर वर्ष 1992-93 तक जारी रखा गया और प्रत्येक वर्ष 4-5 करोड़ रु० की निधियां प्रदान की गई। वर्ष 1992-93 तक 2598 स्कूलों को शामिल किया गया।

6.10.2 वस्तास परियोजना को अनेक एजेंसियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एजेंसियों की बहुलता, जिम्मेदारियों का अनावश्यक विस्तार, अपर्याप्त मानीटरिंग आदि का उल्लेख किया गया है।

6.10.3 इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित योजना तैयार की गई है और वर्ष 1993-94 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

6.10.4 शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण आदि के लिए जिम्मेदार होगी। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के स्तरों पर इस उद्देश्य के लिए गठित सैल स्कूलों में योजना की मानीटरिंग एवं इसका वास्तविक कार्यान्वयन करने तथा कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को निधियां प्रदान करने की दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करेगा।

6.10.5 आठवीं योजना के दौरान योजना को कार्यान्वित करने के लिए 146.00 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है। यह राशि पुरानी योजना के अंतर्गत पहले से शामिल किए गए 2598 स्कूलों की देख-रेख करने तथा आठवीं योजना के दौरान 1820 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करने के लिए है। वर्ष 1993-94 के दौरान 218 अतिरिक्त स्कूल शामिल किए गए। वर्ष 1994-95 के दौरान 300 अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

6.11.1 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन० पी० ई० पी०) अप्रैल, 1980 में शुरू की गई थी। इसने अपना प्रथम चक्र वर्ष 1985 में तथा दूसरा चक्र वर्ष 1992 में पूरा किया। इसका तीसरा वर्तमान चक्र जो जनवरी, 1993 से शुरू होगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ होगा।

6.11.2 इसकी शुरूआत के साथ ही परियोजना के कार्यकलापों का लक्ष्य स्कूली एवं गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति में जनसंख्या शिक्षा को संस्थागत करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जनसंख्या के मुद्दों के प्रति शैक्षिक अभिरूचि के रूप में जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य शिक्षुओं को जनसंख्या विकास, संसाधनों, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के बीच आपसी संबंध के प्रति जागरूक बनाना, उनमें राष्ट्रीय प्रवृत्ति और जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार का भाव विकसित करना और उन्हें सकारात्मक मूल्य का बोध कराना है, ताकि वे छोटे परिवार के मानदंडों के अनुसार जनसंख्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समझदारी के साथ निर्णय ले सकें।

6.11.3 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। यूनेस्को काठमांडु (नेपाल) स्थित अपने ग्राम्य सहायता दल के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मुख्य एजेंसी है।

6.11.4 29 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, गोवा और मेघालय राज्य तथा लक्षद्वीप संघशासित प्रदेश इस परियोजना से बाहर हैं। राष्ट्र एवं राज्य स्तरों पर सम्बद्ध परियोजना कार्यकलापों में आकाशवाणी और दूरदर्शन, भारतीय परिवार नियोजन संघ जैसी एजेंसियां एवं गैर-सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।

6.11.5 परियोजना के मुख्य कार्य कलापों में निम्नलिखित शामिल है।

(i) स्कूली शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या में जनसंख्या शिक्षा का प्रभावी ढंग से जोड़ना सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या एवं शिक्षण संबंधी सामग्रियों का विकास,

(ii) प्रशिक्षण सामग्रियों एवं श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का विकास,

(iii) सामने आने वाले नए विषयों से संबंधित सामग्रियों का विकास,

(iv) शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं का प्रबोधन,

(v) स्कूलों एवं गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों में सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों का आयोजन,

(vi) जनसंख्या शिक्षा में अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययनों को आगे बढ़ाना, एवं

(vii) राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर परियोजना कार्यकलापों की मानीटरिंग

6.11.6 राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष एक करोड़ रू० के बजट का प्रावधान किया गया है।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा

6.12.1 यह सिद्ध हो चुका है कि यदि आंशिक रूप से विकलांग बच्चे "सामान्य" बच्चों के साथ साधारण स्कूलों में अध्ययन करते हैं तो वे शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक प्रगति करते हैं। वर्ष 1974 में समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग बच्चों के लिए आरंभ की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा की योजना को वर्ष 1982 में शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। यह योजना इस आधार पर तैयार की जाती है कि मंद विकलांग बच्चे शैक्षिक और मनो वैज्ञानिक रूप से बेहतर प्रगति कर सकते हैं यदि वे सामान्य बच्चों के साथ सामान्य स्कूल में अध्ययन करते हैं। इस योजना में स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं से सृजन करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासनों/स्वैच्छिक संगठनों के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए चुने हुए विश्वविद्यालयों/संस्थानों को भी दी जाती है। चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

6.12.2 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की एक यूनिसेफ की परियोजना (पी० आई० ई० डी०) भी कार्यान्वित की जा रही है जिसमें साधारण स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए विशेष नीतियों-विकसित संदर्भ की परिकल्पना की गई है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों का एक-एक ब्लाक तथा दिल्ली और बड़ौदा की नगरपालिकाओं को इस परियोजना में शामिल किया गया है।

6.12.3 वर्ष 1992 में इस योजना की समीक्षा की गई और शिक्षकों तथा शैक्षिक प्रशासकों संसाधन कक्षों के निर्माण, ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने इत्यादि के संबंध में वर्ष 1992-93 से वित्त में वृद्धि की गई।

6.12.4 "विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा" से संबंधित कार्यवाही योजना, 1992 में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को समेकित करने की आवश्यकता पर जोर डाला गया। इसमें अन्तर मंत्रालय समन्वय समिति को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है ताकि यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकलांगों के कल्याण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा और अनुवीक्षण करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बन सके। बड़े पैमाने पर शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, बच्चों तथा जन-साधारण को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और इसके अंत में कार्यवाही योजना में इस उद्देश्य के लिए नियमित आधर पर शैक्षिक प्रशासकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों के सेवाकालीन एवं पूर्व-सेवा प्रशिक्षण और संचार साधनों के उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

6.12.5 कार्यवाही योजना के प्रावधानों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में ब्रेललिपि की पाठ्यपुस्तकों की भारी कमी है, वर्ष 1989 में

विकलांगों की शिक्षा तथा कल्याण के लिए गठित की गई समन्वय समिति ने मई, 1994 को आयोजित की गई अपनी बैठक में देश के चार क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की 4 इकाईयों की गठित करने का निर्णय लिया। तदनुसार, पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दो स्वैच्छिक संगठनों-राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, बंबई और रामकृष्ण आश्रम, पश्चिम बंगाल को 57.00 लाख रू० की वित्तीय सहायता दी गई है। राष्ट्रीय नेत्रहीन विकलांग संस्थान, देहरादून को कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एस० आर० के० वी० कालेज, कोयम्बतूर में स्थित कम्प्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।

6.12.6 इस योजना के अंतर्गत अब तक 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता प्रदान की गई है। विशेष शिक्षकों तथा अन्य अधिगम सामग्री के माध्यम से अत्यधिक संख्या लोगों को लाभ पहुंच रहा है। योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

स्कूलों में योग

6.13.0 शारीरिक शिक्षा में योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों को ध्यान में रखते स्कूलों में योग शुरू करने के लिए वर्ष 1989-90 में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत, योग में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक अवसंरचना को तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय प्रकृति के संस्थानों की देख-रेख और बुनियादी शोध तथा/या चिकित्सकीय पहलुओं की अपेक्षा योग के विभिन्न पहलुओं में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रौन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। चिकित्सीय पहलु के प्रौन्नयन के लिए योग संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत की जा रही है।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

6.14.1 शिक्षकों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने और प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों की उत्तम सेवाओं को सार्जनिक मान्यता दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 1958-59 में शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई थी। वर्ष 1967-68 में संस्कृत पाठशाला, टोल, इत्यादि के शिक्षकों को शामिल करते हुए इस योजना के क्षेत्र को और अधिक बढ़ाया गया। पारंपरिक रूप से चलाए जा रहे मदरसों के अरबी/फारसी के शिक्षकों को शामिल करने के लिए वर्ष 1976 में इस योजना को और अधिक विस्तृत किया गया। पुरस्कार वर्ष 1993 से सैनिक स्कूलों, नवोदय विद्यालयों तथा आणविक ऊर्जा शिक्षा सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के शिक्षकों को शामिल करने के लिए और विस्तृत किया गया। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का एक प्रमाणपत्र 10,000/- रू० की नकद राशि तथा एक रजत पदक शामिल होता है।

पुरस्कार वर्ष 1993 से दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 296 से बढ़ाकर 302 कर दी गई है।

6.14.2 वर्ष 1993 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने हेतु दो सौ सत्तर शिक्षकों का चयन किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार 1994 के लिए चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

6.15.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा० शै० अ० एव प्र० परिषद), एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना स्कूल शिक्षा शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से सन् 1961 में की गई थी। यह स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथ प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। अपने लक्ष्यों को पहचानते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली में मुख्यालय में गठित विभिन्न विभागों तथा देश भर में फैले 17 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शोध विकास तथा प्रशिक्षण विस्तार तथा शैक्षिक नवाचारों इत्यादि के प्रसार से संबंधित कार्यक्रमों को पूरा करती है।

6.15.2 प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को प्रचुर बनाने, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, शैक्षिक शोध/ नवाचारों के प्रोन्नयन तथा उनके प्रसार, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, विज्ञान उपकरणों को तैयार करने से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन तथा राज्यों में स्कूल शिक्षा के सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं प्रगति पर हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा

6.15.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी० ई० पी०) के अंतर्गत राज्यों को जिला योजनाओं के निर्धारण में शैक्षिक निवेश उपलब्ध कराया गया। परियोजना निर्धारण के लिए छः कल्याणपरक अध्ययनों में से चार की पूर्व तैयार कर ली गई और जिला स्तरीय कार्यशालाओं में स्थानीय लोगों के साथ उनके निष्कर्ष के बारे में जानकारी दी गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी० ई० पी०) की समीक्षा करने के साथ-साथ कार्यक्रम व्याख्या को तैयार करने के लिए अध्ययनों के आशय को तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधकों, शोधकर्ताओं तथा आयोजकों के साथ एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। प्राथमिक शिक्षा में व्याख्या पर आधारित शोध पर एक अंतराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन यूनेस्को, यूनिसेफ, यूरोपियन ईकाई, आई० डी० ए०, डी० डी० ए० तथा इसी प्रकार के अन्य अभिकरण जो जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना में शामिल हैं, सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के निष्कर्षों में हिस्सा लेने के लिए आयोजित किया गया।

6.15.4 ग्रेड, स्कूल, जिला और राज्य स्तरों के भीतर छात्रों के बीच भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले 6 राज्यों में आयोजित प्राथमिक छात्रों में अध्ययन उपलब्धि सर्वेक्षण के आंकड़ों का और बारीकी से सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।

6.15.5 कार्यक्रम मूल्यांकना अनुसंधान व अध्ययन तथा प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक सामग्री से जुड़े जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के राष्ट्रीय संघटकों में से दो तैयार किए गए तथा इन्हें लागू करने के लिए कदम उठाए गए।

न्यूनतम अधिगम स्तर

6.15.6 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अध्ययन सहित न्यूनतम अधिगम स्तर (एम एल एल) विचारधारा के कार्यान्वियन की दक्षता की जांच करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित अध्ययनों के परिणामों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों तथा अन्यों द्वारा इस संदर्भ में किए गए विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों को संश्लेषित करने का काम पूरा होने वाला है। इस अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों को राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किया गया। उच्च प्राथमिक तथा स्कूली शिक्षा के अन्य स्तरों पर न्यूनतम अधिगम स्तर के लिए ढांचा विकसित करने हेतु प्रयास जारी हैं।

प्रारंभिक शिशु शिक्षा

6.15.7 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रारंभिक शिशु शिक्षा (ई सी ई) पर एक माडल किट तैयार करने का काम पूरा हुआ। दिल्ली नगर निगम की सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा दिल्ली की आई सी डी एस परियोजना के हस्तक्षेप पूरा होने वाले थे। शिक्षकों के लिए प्रारंभिक शिशु शिक्षा पर संसाधन सामग्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गाइड बुक के रूप में मुद्रण के लिए तैयार थी। भारत में प्रारंभिक शिशु शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर एक अध्ययन पूरा किया गया। पैतृक जागरूकता के लिए और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए श्रृव्य कार्यक्रम विकसित किए गए। छोटे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'मेरी प्यारी आंगनवाड़ी' नामक एक चलचित्र निर्मित किया गया। मानव संसाधन विकास के लिए क्षेत्र गहन शिक्षा परियोजना (ए आई ई पी के तहत बाल-बाल दृष्टिकोण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 12 राज्यों में प्रारंभिक शिशु शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की गई।

प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों की शिक्षा

6.15.8 जिला प्रथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले 6 राजयों में से 5 में प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों की समस्याओं पर अध्ययन पूरे किए गए। जिला, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में इस निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया।

बालिकाओं की शैक्षिक समस्याएं

6.15.9 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले 6 राज्यों के 21 जिलों में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लैंगिक मुद्दों पर अध्ययन पूरे किए गए तथा संश्लेषण रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अध्यापिकाओं की समस्याओं पर अध्ययन शुरू किया गया।

नवोदय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा

6.15.10 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा तैयार की गई तथा इन्हें लागू किया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान खोले गए नए नवोदय विद्यालयों के लिए विशेष प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गई जो प्रति सत्र दो त्रैमासिक परीक्षाओं के अलावा थीं।

शैक्षिक खिलौने

6.15.11 सीख के माध्यम से कम लागत पर अध्ययन-अध्यापन सामग्री बनाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खिलौना बनाने की प्रतियोगिताएं जारी रहीं।

सी एच ई ई आर (चीयर) परियोजना

6.15.12 रेडियो के माध्यम से बच्चों का संवर्धन (चीयर) नामक परियोजना जारी रही। मासिक दिशानिर्देश तैयार किए गए तथा इन्हें प्रयोक्ता शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया।

गैर-औपचारिक शिक्षा

6.15.13 जिला संसाधन इकाईयों (डी आर यू) के पदाधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यों और संघशासित प्रदेशों में गैर-औपचारिक शिक्षा के पार्श्वचित्र के विकास का कार्य पुन: आरंभ किया गया । कामकाजी बच्चों तथा घुम्मकड़ बच्चों की शिक्षा पर अध्ययन आयोजित किया जा रहा है। गैर-औपचारिक शिक्षा के साथ-2 संपूर्ण साक्षरता अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में हुई नई प्रगतियों के मद्देनजर जिला संसाधन इकाई की नियम पुस्तिका को संशोधित तथा "सभी के लिए शिक्षा" में जिला संसाधन इकाई की भूमिका पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। गैर-औपचारिक शिक्षा में अध्ययन-अध्यापन सामग्री का विश्लेषण किया गया।

परीक्षा सुधार:

6.15.14 विश्लेषण के प्रयोजनार्थ मूल्यांकन के काम में विकास और विस्तार कार्यकलाप, प्रश्न-पत्र निर्धारित करने वालों, परीक्षकों का प्रशिक्षण, व्यापक सतत मूल्यांकन (सी सी ई) तथा प्रश्न बैंक जारी रहा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, 1994 का मूयांकन प्रगति पर है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्य कार्यक्रम

6.15.15 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के प्रभाव का अध्ययन किया गया और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एन सी ई आर टी-आई० जी० एन० ओ० यू० (इग्नू) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक सामग्री (माड्यूल) विकसित करने हेतु कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित मुख्य-2 बातों के दृष्टिकोण से कुछ राज्यों की पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

6.15.16 अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुरोध पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की गई तथा मास्टर प्रशिक्षकों के लिए व्यापक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

पाठ्यपुस्तकों का परिशोधन:

6.15.17 अगले पांच सात वर्षों के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों को परिशोधित करने के विचार से उनकी समीक्षा करने के लिए विशेष कार्यबल गठित किए गए। अगले शैक्षिक सत्र से गठित और विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान और मानविकी से संशोधित संस्करण उपलब्ध हो जाएगा।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन० टी० एस०)

6.15.18 परीक्षाएं और साक्षात्कार आयोजित किए गए तथा 750 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम को और अधिक कारगर बनाने के लिए इसका मूल्यांकन भी शुरू किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एन बी एच एम) के सहयोग से गणित प्रतिभा खोज की योजना शुरू की गई जिसमें 50 गणित प्रतिभा खोज (एम टी एस) छात्रवृत्ति का प्रावधान है तथा इसका लक्ष्य ऐसे छात्रों की पहचान भी करना है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड के लिए प्रायोजित किया जा सके।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्य कार्यक्रम:

6.15.19 माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए योग्य बनाने वाली प्रविधि योजना और कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

6.15.20 गणित के शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में संगणक के प्रयोग में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रश्न बैंक के लिए परीक्षण मदों के विकास से संबंधित कार्यकलाप जारी रहे।

6.15.21 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विज्ञान और गणित के उपकरणों तथा थोक उत्पादन तथा आदर्श रूपों के विकास का कार्य जारी रखा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के लिए माड्यूलों के विकास का कार्य जारी रहा। भारत का समकालीन इतिहास संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दो बैठकों हुई। "परिशोधित समूह गान कार्यक्रम" का परीक्षण चल रहा है।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

6.15.22 शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराई गई। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों और कार्यकलापों को मदद पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अधीन भोपाल में पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। शिक्षा के व्यावसायीकरण से संबंधित पाठ्यचर्या को संवर्धित करने के लिए बैंकिंग, डेरी उद्योग, खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण, लेखाशास्त्र और लेखा परीक्षा तथा भवन अनुरक्षण के क्षेत्रों में पाठ्यचर्या को अंतिम रूप दिया गया। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

6.15.23 स्कूली शिक्षा से जुड़े श्रव्य/टी० वी० कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है। प्रथमिक स्तर पर जन प्रचार से जुड़ी सामग्री के कारगर उपयोग के लिए प्रयोक्ता शिक्षकों के प्रबोधन हेतु एक बहु-माध्यमी "प्रशिक्षण किट" तैयार किया जा रहा है। बच्चों पर शैक्षिक प्रसारण के असर का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन पूरा किया गया। कक्षाकक्ष 2000 + परियोजना का सफल निष्पादन गति-निर्धारक रहा और इसने दूरस्थ शिक्षा के लिए आपसी आदान-प्रदान के ढंग से उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रदर्शित किया। दृश्य-श्रव्य निर्माण के लिए उपकरणों के संचालन और रख-रखाव के संबंध में प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:

6.15.24 चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने एक वर्षीय और चार-वर्षीय सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जारी रखा। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में 33वें स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का परिणाम घोषित किया गया और 34वां डिप्लोमा पाठ्यक्रम अगस्त, 1994 में आरंभ हुआ। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार की जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए विशेष रूप से उन्मुख (एस ओ पी टी) विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गई और अपनाने/अनुकूल बनाकर अपनाने हेतु राज्यों को भेज दिया गया। अध्ययन-अध्यापन सामग्री की रूपरेखा तैयार करने तथा इसके विकास में क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने राज्य शिक्षा विभागों की मदद की।

6.15.25 "स्कूली शिक्षा में नवाचारी प्रयोग और व्यवहार" के संबंध में पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेता शिक्षकों के 32 नवाचारी लेख तीन-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किए गए। "शिक्षकों के उत्तरदायित्व के मानदंड का विकास" पर कार्य प्रगति पर है।

6.15.26 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के क्षेत्र में डी आई ई टी, सी टी ई, आई ए एस ई और एन जी ओ के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मूल्यांकन के आधार पर बहुश्रेणीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

शैक्षिक सर्वेक्षण

छठवां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण:

6.15.27 6वां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (ए आई ई एस) शुरू किया गया। इसकी अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे पहले के सर्वेक्षणों से अलग करती हैं। इस बार कुछ विचलनों के लिए जनगणना वाली पद्धति तथा कुछ अन्य विचलनों के लिए नमूना पद्धति अपनाई गई है। सर्वेक्षण को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में कंप्यूटरीकृत किया गया है। संशोधित कार्यनीति भावी सर्वेक्षण के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगी जिनमें इस समय सृजित किए जाने वाले आंकड़ा आधारों को अद्यतन बनाना शामिल होगा। प्रयोक्ता कंप्यूटर नेटवर्क पर आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल सांख्यिकी सामने लाने में तथा इसके प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने में और दीर्घकालिक लागत घटाने में भी सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होगा।

पांचवां शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार सर्वेक्षण

6.15.28 पहले के सर्वेक्षणों की तुलना में इस बार नवाचारों को भी शामिल किया गया है तथा सर्वेक्षण कार्य को संस्थागत और कंप्यूटरीकृत बनाया गया है। देश में दिसम्बर, 1992 तक किए गए शैक्षिक अनुसंधानों की ग्रंथसूची प्रकाशित की जा चुकी है।

अनुसंधान पर ध्यान

6.15.29 अध्ययनों और अनुसंधान पर बहुत अधिक ध्यान देते हुए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के काम को बोधगम्यता की सीमा तक कारगर और सरल बनाया गया है। विगत कुछ वर्षों के दौरान विकसित शैक्षिक आवश्यकताओं की नेटवर्किंग तथा मूल्यांकन प्रविधि लाभांश देना आरंभ कर दी है। संपर्क कार्य करने के अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्र सलाहकार राज्य समन्वय समितियों के माध्यम से राज्यों और संघशासित प्रदेशों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कदम उठाए। क्षेत्रीय समन्वय समितियों की बैठकों में क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा इन निवेशों पर विचार किया गया। वृहद कार्यक्रम प्रसंस्करण के माध्यम से बारीकी से छानबीन के बाद 1995-96 के एन सी ई आर टी के कार्यक्रम की कार्यसूची का ये निवेश अन्य बातों के साथ-साथ अंग होंगे।

6.15.30 ई आर आई सी वित्तपोषित अनुसंधान के कार्यान्वयन के प्रगति की दृष्टिगोचर समीक्षा शुरू की गई। इस प्रकार की पहली समीक्षा सितंबर, 1994 में आयोजित की गई।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण

6.15.31 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में कदम के रूप में संकाय के प्रत्येक संघटक के कार्य की समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसंधान और विकास का प्रसार

6.15.32 स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तकें, शिक्षक पथ-प्रदर्शिका, सप्लीमेंटरी रीडर, अनुसंधान विनिबंध (मोनोग्राफ) प्रकाशित करने के अलावा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 6 पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य जारी रखा जो इस प्रकार हैं—इंडियन एजुकेशन रीव्यू (त्रैमासिक,) प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक), जर्नल आफ इंडियन एजुकेशन (दोमाही), स्कूल साइन्स (त्रैमाकिस), प्राइमरी शिक्षक (हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका) और भारतीय आधुनिक शिक्षा (हिंदी की त्रैमासिक पत्रिका)। पत्रिकाओं को सरल और कारगर बनाया गया। 6 पत्रिकाओं में से प्रत्येक के लिए संपादक मंडल का गठन उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तथा उन्हें और अधिक कारगर बनाने के लिए किया गया।

6.15.33 3 से 7 अगस्त, 1994 के बीच हरारे (जिबाब्वे) में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्ष परिषद् ने भाग लिया।

अंतर-क्षेत्रीय सहयोग

6.15.34 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नवोदय विद्यालय समिति और मंत्रालय के विभिन्न ब्यूरो ने स्कूली शिक्षा से संबंधित अपनी सुविज्ञता का आपस में आदान-प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के लिए देश के निबंध हेतु निबेश मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए। प्लेग की महामारी से जूझने के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य, विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, सफाई तथा इससे जुड़े मुद्दों पर एन० सी० ई० आर० टी० में उपलब्ध मीडिया सामग्री सरकारी मीडिया तंत्र को उपलब्ध कराई गई।

माध्यमिक शिक्षा

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

6.16.1 केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में मुख्य रूप से रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी जिनकी शिक्षा अपने अभिभावकों के एक भाषिक क्षेत्र से दूसरे भाषिक क्षेत्र में स्थानान्तरणों और उसके परिणामत: अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के कारण अव्यवस्थित हो जाती है। संगठन पूर्वत: भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

6.16.2 वर्ष 1994-95 के दौरान, 23 स्कूल खोले गए थे और इससे केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 818 हो गई है तथा नामांकन संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है जबकि अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों की संख्या लगभग 43,000 है।

केन्द्रीय विद्यालयों का वितरण

6.16.3 केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां रक्षा स्थापनाओं सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त होती है। स्कूल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उच्च अध्ययन की संस्थाओं तथा कर्मचारी कल्याण संघों द्वारा भी प्रायोजित किए जाते हैं।

6.16.4 क्षेत्र वार स्थिति इस प्रकार है :—

(क) रक्षा क्षेत्र	355
(ख) सिविल क्षेत्र	298
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	149
(घ) उच्च अध्ययन के संस्थान	16
	818

दाखिला नीति

6.16.5 सिविल रक्षा क्षेत्र के स्कूलों में दाखिले में प्रथम प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को दी जाती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उच्च अध्ययन संस्थाओं के स्कूलों में सम्बन्धित संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है।

6.16.6 प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में नए दाखिलों में 15% और 7% आरक्षण क्रमश: अनु० जा०/अनु० ज० जा० के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय एकता

6.16.7 राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर परियोजनाओं के रूप में आरम्भ किया गया है। सामाजिक विज्ञानों और साथ ही विज्ञान शिक्षा में छात्रों की रुचि को बढ़ावा देने के लिए और देश में विभिन्न राज्यों और विदेशों में मूल्यांकन और सद्भावना विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञानों और विज्ञानों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पर प्रदर्शनियां प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं।

मूल्यपरक शिक्षा

6.16.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बच्चों में मूल्यों को मन में बैठाने पर बल दिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने अस्तित्व के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सभी धर्मों के प्रति आदर, लिंग समानता तथा सांस्कृतिक धरोहर जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दे रहा है।

व्यावसायिक विकास

6.16.9 शिक्षा में अद्यतन अभिनव परिवर्तनों तथा तकनीकों की गति के साथ तारतम्य को बनाए रखने के लिए, संगठन विभिन्न सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के जरिए अपने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को उनके व्यावसायिक विकास को लैस करने के लिए सतत प्रयास करता है। इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता गैर-के० वि० सं० के स्कूलों की तुलना में बेहतर है। छात्रों के चहुंमुखी विकास के लिए खेलकूद के अतिरिक्त पाठ्येतर कार्यकलापों पर बहुत बल दिया जाता है। प्रदर्शनियां, खेल प्रतियोगिताएं (टूर्नामेंट), स्काउट और गाईड शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

नवोदय विद्यालय समिति

6.17.1 यह सर्व स्वीकार्य है कि विशिष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करा के तेज गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए चाहे वे इसकी कीमत अदा करने की क्षमता न रखते हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई थी कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक दिए हुए नमूने पर "पेस सेटिंग स्कूल" स्थापित किए जाएं जिसमें नवीन पद्धतियों और प्रयोगों की गुंजाइश हो। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1985-86 में देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना प्रारम्भ की थी जिसका प्रबंधन नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन द्वारा किया जा रहा है। समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—समानता एवं सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता के उद्देश्यों को पूरा करना, देश के विभिन्न भागों के बच्चों को साथ रहने और सीखने का अवसर प्रदान करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, उनकी क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विकास के लिए प्रेरणादायक बनना।

6.17.2 नवोदय विद्यालयं छठी कक्षा के स्तर पर प्रवेश, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा पर आधारित होता है। परीक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होता है। परीक्षा अधिकांश रूप से अमौखिक प्रकृति की और किसी वर्ग विशेष की नहीं होती और इस प्रकार तैयार की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी हानि के इसमें भाग ले सकें। इस तरह प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा तक शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है, जिसके दौरान भाषा विषय एवं सह माध्यम के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात् नवीं कक्षा से हिन्दी/अंग्रेजी को समान माध्यम के रूप में चलाया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया है।

6.17.3 इस समय प्रत्येक विद्यालय से 30% विद्यार्थियों का स्थानांतरण विभिन्न भाषायी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में हुआ है। स्थानांतरण मुख्यत: हिन्दी भाषी और अहिन्दी-भाषी जिलों के बीच में है। छात्रों में माता-पिता ने स्वेच्छा से स्थानांतरण की योजना स्वीकार कर ली है। नवोदय विद्यालय त्रिभाषी सूत्र का अनुसरण करते हैं।

6.17.3 ये विद्यालय पूर्णत: आवासीय तथा सह-शैक्षणिक हैं जिनमें शहरी क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश सामान्यत: 25% सीटों पर ही दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक तिहाई बच्चे लड़कियां हों। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय स्तर से कम न हो।

6.17.4 ये विद्यालय + 2 स्तर तक मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा की धाराओं में शिक्षा प्रदान करते हैं और के० मा० शि० बो० से संबद्ध हैं। इस समय देश के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 359 संस्वीकृत विद्यालय कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने अभी नवोदय विद्यालय योजना के कार्यान्वयन का विकल्प नहीं दिया है। समिति सरकार द्वारा स्वीकृत आठवीं योजनावधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 150 नए ज० न० वि० स्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चालू वर्ष के दौरान शेष 80 जिलों में ज० न० वि० खोलने के लिए इच्छुक है।

6.17.5 जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान योजना के तहत पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई है।

6.17.6 समिति के पुणे, भोपाल, चण्डीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, शिलांग, लखनऊ तथा पटना में 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विद्यालयों के शैक्षिक, वित्तीय व प्रशासनिक कार्यों की मानिटरिंग करते हैं।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

6.18.1 केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करना, उनका प्रबंध करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है।

6.18.2 इन स्कूलों ने तिब्बतियों को अपनी परम्परागत प्रणाली तथा संस्कृति को बनाए रखते हुए इस संप्रदाय को आधुनिक शिक्षा के सभी पहलुओं से अवगत कराया है। चालू वर्ष के दौरान प्रशासन पूरे भारत में 94 स्कूल चला रहा है जिनमें 13 सहायता अनुदान प्राप्त तथा 51 पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं तथा इनमें लगभग 11129 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मुख्य विशेषताएं

6.18.3 तिब्बतियों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों की मुख्य विशेषताओं में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. तिब्बतियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहां तिब्बती काफी संख्या में हैं, विशेषकर पर्वतीय स्थानों पर।

2. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। हिन्दी तथा तिब्बती प्रथम कक्षा से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। शिक्षा के माध्यम के रूप में तिब्बती वर्ष 1994-95 से कक्षा I से III तथा वर्ष 1995-96 से कक्षा चार से पांच तक शुरू की गई है।

3. ये स्कूल 10 + 2 प्रणाली से शिक्षा प्रदान करके मा० शि० बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही अखिल भारतीय परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करते हैं।

4. मसूरी, डलहौजी, शिमला, दार्जिलिंग तथा मुंडगोड में पांच आवासीय स्कूल हैं।

5. एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कक्षा पांच, आठ, नौ तथा ग्यारह के लिए एक समान वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

6. यह स्कूल गुणवत्ता आधारित आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं परन्तु साथ-साथ परम्परागत तिब्बती संस्कृति के परिरक्षण तथा संवर्द्धन पर भी जोर दिया जाता है। कक्षा दस तक सभी छात्रों के लिए तिब्बती लोक नृत्य तथा संगीत अनिवार्य यह पाठ्यचर्या कार्यकलाप हैं। शिक्षा निशुल्क है तथा प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है।

7. तिब्बती केन्द्रीय विद्यालय, मुंडगोड में + 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। हाल में इस स्कूल में तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थात् आशुलिपि (अंग्रेजी), लेखा परीक्षा तथा लेखाशास्त्र तथा खरीद व भण्डार अनुरक्षण उपलब्ध हैं।

8. बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है।

7. उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान

- 1000 M/o HRD '91

7. उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्च शिक्षा तंत्र का विकास

7.1.1 वर्ष 1994-95 के आरंभ में विश्वविद्यालय और कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले की कुल संख्या 50.07 लाख थी जोकि पिछले वर्ष से 2.02 लाख अधिक है। विश्वविद्यालय विभागों में दाखिले की संख्या 8.29 लाख और संबद्ध कॉलेजों में 41.78 लाख थी।

7.1.2 कला संकाय में कुल दाखिले के 40.4% दाखिले दर्ज किए गए। विज्ञान और वाणिज्य संकायों में यह प्रतिशतता क्रमशः 19.6 और 21.9 थी। प्रथम डिग्री स्तरों पर दाखिले की संख्या 44.11 लाख (88.1%), स्नातकोत्तर स्तर पर 4.76 लाख (9.5%), अनुसंधान स्तर पर 0.55 लाख (1.1%), और डिप्लोमा और प्रमाणपत्र स्तर पर 0.65 लाख (1.3%) थी। आलोच्य वर्ष के दौरान शिक्षकों की कुल संख्या बढ़कर 2.86 लाख हो गई। इनमें से 0.65 लाख विश्वविद्यालय विभागों/विश्वविद्यालय कॉलेजों और बाकी संबद्ध कॉलेजों में से हैं। विश्वविद्यालय के 64847 शिक्षकों में से 8300 प्रोफेसर, 16990 रीडर, 36963 लेक्चरर और 2594 ट्यूटर/निदर्शक हैं। संबद्ध कॉलेजों में वरिष्ठ शिक्षकों की संख्या 30695, लेक्चररों की संख्या 180418 और ट्यूटरों/निदर्शकों (डिमान्सटेटरों) की संख्या 9717 थी।

7.1.3 नवम्बर 1994 तक देश में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 162 और सम विश्वविद्यालयों की संख्या 35 थी।

महिलाओं में उच्चतर शिक्षा

7.1.4 वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में महिला छात्रों का नामांकन पिछले वर्ष के 15.90 लाख की तुलना में 16.64 लाख था। स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं का कुल नामांकन कुल संख्या का 34.9 प्रतिशत था, महिला छात्रों का सबसे अधिक नामांकन केरल (53.4%) में हुआ और उसके बाद पंजाब (48.6%), दिल्ली (46.6%), हरियाणा (42.5%), मेघालय/नागालैंड/मिजोरम (39.5%), तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल/त्रिपुरा/सिक्किम (38.7%) हुआ। बिहार में महिलाओं का नामांकन सबसे कम (16.9%) था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि० अ० आ०)

7.1.5 वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया, वे इस प्रकार हैं :—स्वायत्त कॉलेज, शिक्षकों के प्रबोधन के लिए शैक्षिक स्टाफ कॉलेज, लेक्चररों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा, अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र और संकाय, दूरस्थ शिक्षा, शिक्षावृत्तियां/छात्रवृत्तियां, सी० ओ० एस० आई० एस० टी० (कोसिस्ट), प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जन-संपर्क और शैक्षिक प्रौद्योगिकी तंत्र का विस्तार, प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण, पाठ्यचर्या का विकास/पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण कम्प्यूटर शिक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, महिलाओं और विकलांगों के लिए शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा। विभिन्न योजनाओं के संबंध में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त लेखा-जोखा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

7.1.6 उच्चतर शिक्षा के लिए एक स्वायत्त निकाय के तौर पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के गठन का अनुमोदन किया गया।

प्रथम डिग्री स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा

7.1.7 कॉलेज स्तर पर विकसित किए गए व्यावसायिक कार्यक्रम आयोग के विचाराधीन हैं।

पर्यावरण शिक्षा

7.1.8 उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निदेश दिया है कि वह पर्यावरण पर पाठ्यक्रम चलाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए और कॉलेज शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय बनाने की संभाव्यता पर विचार करें। इसका अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पर्यावरण शिक्षा में पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए और निम्नलिखित कार्यों का अनुमोदन किया गया।

(i) पर्यावरण के प्रति जागरुकता के विषय पर कार्यशाला/विचार-गोष्ठी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रस्ताव।

(ii) "फ्लाएऐश जमाव और समतुल्यों के बड़े पैमाने पर उपयोग के माध्यम" संबंधी परियोजनाएं।

(iii) विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, शरीर विज्ञान, रसायन विज्ञान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र अध्ययन और आयोजना, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, समाज विज्ञान और भूगोल, बी० एड०, एम० एड० में स्नातकोत्तर स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को एक विशेष विषय के रूप में शामिल करना।

(v) पर्यावरण शिक्षा में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम आरंभ करना। "देशव्यापी कक्षा" कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संबंधी जागरुकता विषयक लगभग 100 एपिसोडों के प्रसारण और अवर स्नातक स्तर पर बुनियादी पाठ्यक्रम के तौ॰ पर कॉलेजों के लिए पुस्तिकाएं तैयार करना और पर्यावरण संबंधी जागरुकता पर लोकप्रिय साहित्य जैसे हैण्डआउट्स, चौपन्ने तैयार करने के लिए कार्यक्रम।

पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना

7.1.9 प्रथम डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुन: संरचना इसलिए की जा रही है ताकि पाठ्यक्रमों को पर्यावरण के प्रति और अधिक संगत और रोजगारोन्मुख बनाया जा सके। इन पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने, इनकी पुन: संरचना करने और वैकल्पिक शैक्षणिक मॉडलों को विकसित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

स्वायत्त कॉलेज

7.1.10 यह आयोग स्वायत्त कॉलेजों की अपनी योजना के माध्यम से स्वायत्तता के सिद्धांत को बढ़ावा देता आ रहा है और उसका प्रवर्तन करता रहा है। आयोग ने इस सिद्धांत को आठवीं योजना अवधि में जारी रखने का निर्णय लिया है। इस समय जिन कॉलेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया गया है उनकी कुल संख्या 108 है।

विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान

7.1.11 वर्ष 1994-95 के आरम्भ में आयोग ने 100 पात्र विश्वविद्यालयों (कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर) को आठवीं योजना अवधि के लिए कुल प्रतिबद्धता के एक भाग के तौर पर 66.84 लाख रुपये की राशि का योजना अनुदान प्रदान किया। जबकि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए सामान्य विकास के परिव्यय की राशि योजना अवधि के प्रारम्भ में तय की जाती है तथा उस विश्वविद्यालय विशेष के विकास के चरण आधार पर निर्धारित की जाती है, तथापि, योजनाओं के लिए अनुदान इस प्रकार की समीक्षा के बाद विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1994-95 के आरम्भ में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 3006 लाख रुपये की राशि के योजना अनुदान प्रदान किए गए।

कॉलेजों का विकास

7.1.12 कॉलेजों को आठवीं योजना के अनुदान विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और कॉलेज प्रधानाचार्यों और राज्य प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके प्रदान किए जाते हैं। आठवीं योजना अवधि के लिए अब तक लगभग 3900 कॉलेजों हेतु 26528 लाख रुपये की परिव्यय राशि का अनुमोदन किया गया है।

कार्यक्षमता में सुधार

7.1.13 आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अतिरिक्त विषय आरम्भ करने के लिए संगणक सुविधाएं संस्वीकृत की हैं।

विशेष सहायता कार्यक्रम

7.1.14 आयोग उच्च अध्ययन के 41 केन्द्रों और विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विशेष सहायता के 115 विभागों तथा 16 उच्च अध्ययन केन्द्रों और नवम्बर 1994 तक मानविकी और समाज विज्ञान में 118 विभागों को पूर्ववत् सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त विज्ञान में 84 विभागीय अनुसंधान सहायता परियोजनाएं और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में 47 परियोजनाएं नवम्बर, 1994 तक कार्यान्वयनाधीन थीं। आयोग ने संस्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक न कर सकने के कारण दो विभागों को अलग कर दिया और एक विभाग की मान्यता समाप्त कर दी क्योंकि उनका कार्य-निष्पादन अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना (कोसिस्ट) कार्यक्रम

7.1.15 "कोसिस्ट" के अधीन सहायता प्राप्त विभागों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है। कोसिस्ट सहायता के जरिए दी गई अवस्थापना संबंधी सुविधाओं से स्नातकोत्तर तथा शोध स्तर पर शिक्षण अनुदेशों में सुधार हुआ है और शिक्षण, विशेषकर पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक भाग में वृद्धि हुई है। "विशेष सहायता कार्यक्रम" और "कोसिस्ट" की समीक्षा के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि एकीकृत कार्यक्रम और कोसिस्ट स्तर पर सहायता केवल उन विभागों को प्रदान की जाए जिन्होंने विशेष सहायता कार्यक्रम के कम से कम एक चरण (पांच वर्ष) को पूरा किया हो और जिनकी समीक्षा हो चुकी हो।

सुपर कन्डक्टीविटी (अति चालकता) कार्यक्रम

7.1.16 सुपर कन्डक्टीविटी पर वि० अनु० आ० कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में हुई ताकि सुपर कन्डक्टीविटी के बुनियादी और अनुप्रयुक्त दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं के विकास में विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाए।

7.1.17 यह आयोग नवंबर 1994 तक 38 विश्वविद्यालयों को बुनियादी और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा था।

सामान्य सुविधाएं एवं सेवाएं

7.1.18 बंगलौर, बम्बई और बड़ौदा में कम्प्यूटर आधारित आधुनिक सूचना/प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार हुआ है। आलोच्य वर्ष के दौरान, पूर्वी खगोल भौतिकी अनुसंधान केन्द्र का गठन किया गया ताकि भारत के पूर्वी भागों में विश्व स्तरीय खगोल भौतिकी दलों की स्थापना हो। केन्द्र आरंभिक अवस्था में विशेषकर सौर रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में प्रायोगिक सुविधाओं का निर्माण करेगा जिसमें "फैलेक्टिक" और परागांगेत्र (एक्स्ट्रागैलेक्टिक) रेडियो-खगोल शास्त्र को शामिल करने के लिए भविष्य की परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इसी वर्ष में, मध्य वायुमंडलीय गतिकी के विस्तृत अध्ययन हेतु श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय स्थित एम० एस० टी० राडार को एम० एल० टी० शैली (मोड़) में पूर्णत: प्रचालनीय बनाया गया भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अन्तरविश्वविद्यालय मानविकी एवं समाज विज्ञान केन्द्र के तौर पर कार्य कर रहा है। ये केन्द्र नाभिकीय विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली, अन्तरविश्वविद्यालय खगोल शास्त्र एवं खगोल भौतिक केन्द्र पुणे, अंतर विश्वविद्यालय संघ, इन्दौर, क्रिस्टल विकास केन्द्र, अन्ना विश्वविद्यालय और अन्तरविश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार संघ के अलावा हैं।

संपर्क माध्यम एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी

7.1.19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा के लिए दिए गए समय का उपयोग करने तथा "देशव्यापी कक्षा" शीर्षक से उच्चतर शिक्षा में दूरदर्शन पर कार्यक्रमों को प्रसारित कराने की पहल की है। इस

समय आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान (हैदराबाद) में स्थित शैक्षिक साधन अनुसंधान केन्द्रों (ई० एम० आर० सी०) को सहायता प्रदान कर रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और एच० एस० गौड़ विश्वविद्यालय स्थित दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं साफ्टवेयर के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में और अधिक समाचार-माध्यम केन्द्रों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। दूरस्थ अध्ययन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा देश के उत्तम शिक्षकों को अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण छात्रों सहित सभी वर्गों के छात्रों को सुलभ कराने के उद्देश्य से आयोग ने अवर-स्नातक छात्रों के लिए गैर-प्रसारण वीडियो लेक्चर तैयार करने की एक योजना आरम्भ की। वर्ष के दौरान ''रेस टू सेव द प्लेनट'' धारावाहिक प्रसारित करने के लिए बातचीत को अंतिम रूप दिया गया। शिक्षा राउंडटेबल को इसी प्रकार के कार्यक्रम बेचने के लिए बातचीत चल रही थी। दूरदर्शन के इनरिचमेंट चैनल द्वारा प्रसारण के लिए वि० अ० आ० के आधीन एक शैक्षिक संपर्क कार्यक्रम संघ है। आयोग ने सी ई सी के परियोजना माध्यम के रूप में शैक्षिक सामग्री के निर्यात के लिए एक संघ भी स्थापित किया है।

प्रौढ़, सतत् व विस्तार शिक्षा कार्यक्रम

7.1.20 आयोग कुल साक्षरता के कार्यान्वियन के लिए विश्वविद्यालयों को अपने प्रौढ़, सतत् व विस्तार शिक्षा विभागों द्वारा सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार की सहायता जनसंख्या शिक्षा एवं योजना फोरम के लिए भी प्रदान की जाती है।

7.1.21 स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ करके पी ई आर सी व मेडिकल विशेषज्ञों की सहायता से सूचना का प्रचार करके, एन एस एस व एन सी सी द्वारा समुदाय सेवाओं के प्रावधान द्वारा, देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम द्वारा प्रचार करके, पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करके तथा एड्स, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण व नशीले पदार्थों पर पुस्तकें खरीदने के लिए विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करके विश्वविद्यालय एवं कॉलेज समुदाय की सहायता से एड्स को रोकने व नियंत्रण के लिए एक कार्रवाई योजना भी तैयार की गई थी।

दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार पाठ्यक्रम

7.1.22 दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों/पत्राचार पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालयों को प्रथम पांच वर्षों हेतु आवश्यक राशि के रूप में 10 लाख रु० तक की सहायता दी गई है। अवर-स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए पांच वर्षों के पश्चात क्रमशः 5 व 7.50 लाख रु० तक की सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालयों को विद्यमान पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली प्रौन्नत करने के लिए उन्हें परामर्श देने हेतु मार्गनिर्देश वितरित किए गए थे। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में स्तरों के निर्धारण व अनुरक्षण की जिम्मेवारी विश्व० अनु० आयोग की सिफारिश पर इं० गां० रा० मु० वि० द्वारा स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद् की है।

छात्रवृत्तियां व शिक्षावृत्तियां

7.1.23 विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अनुसंधान के विकास के लिए आयोग विभिन्न विषयों में जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। ये शिक्षावृत्तियां केवल उन्हीं शोधकर्ताओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने विश्व० अनु० आयोग, सी० एस० आई० आर०, जी० ए० टी० ई० आदि जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की हो। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा कुछ चुने हुए विषयों में ली जाने वाली अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं को प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परीक्षाओं के समकक्ष मान लिया गया है।

7.1.24 उत्कृष्ट योग्यता वाले शिक्षकों को केवल अनुसंधान तथा लेखन कार्य में प्रवृत्त करने के लिए विशिष्ट अवधि हेतु राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसी तरह अनुसंधान वैज्ञानिकों की योजना के अंतर्गत लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसरों के ग्रेड में 200 पद सृजित किए गए हैं ताकि अनुसंधान को अपनी जीवनवृत्ति के रूप में अपनाने के इच्छुक व्यक्तियों को इस प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकें। इस योजना के अंतर्गत चयन सीधे आयोग द्वारा किए जाते हैं। योजना जारी है तथा संशोधित रूप में कार्यान्वित की जा रही है।

7.1.25 विजिटिंग प्रोफेसर/अध्येता योजना के तहत विजिटिंग प्रोफसरों/अध्येताओं की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान आयोग ने विश्वविद्यालयों में विजिटिंग संकाय की योजना को जारी रखा है ताकि कश्मीर में अशांत परिस्थितियों की वजह से कश्मीर विश्वविद्यालय तथा इसके संबद्ध कालेजों के शिक्षकों को कश्मीर से बाहर शिक्षण/अनुसंधान कार्य प्रदान किए जा सकें।

अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं

7.1.26 अल्पसंख्यक समुदायों में कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाएं आयोजित करने के लिए आयोग ने निर्धारित केन्द्रों के लिए सहायता देना जारी रखा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं

7.1.27 विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की आरम्भ की गई अध्येतावृत्तियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति के अलावा आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक वर्ष 50 अध्येतावृत्तियां सीधे ही प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 40 अनुसंधान एसोसिएटशिप आरक्षित कर दी हैं। एम० फिल/पी० एच० डी० करके अपनी योग्यताओं में सुधार करने के लिए सम्बद्ध कालेजों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को अवसर प्रदान करने हेतु आयोग ने प्रत्येक वर्ष 50 शिक्षक अध्येतावृत्तियां आरम्भ की हैं।

महिला अध्ययन

7.1.28 आयोग, विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन में अनुसंधान के लिए सुस्पष्ट परियोजनाएँ आरम्भ करने तथा अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर एवं संगत परीक्षा कार्यों में पाठ्यचर्या के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है।

7.1.29 आयोग ने सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान एवं मानविकी में महिला उम्मीदवारों हेतु अंशकालिक अनुसंधान एसोसियटशिप के 40 पदों का भी सृजन किया है।

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क पर परियोजना

7.1.30 सूचना व पुस्तकालय नेटवर्क पर परियोजना विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों में पुस्तकालय व सूचना केन्द्रों के सम्बन्धन हेतु एक संगणक सम्प्रेषण नेटवर्क है।

अध्यापक भर्ती, प्रशिक्षण एवं कार्य मूल्यांकन

7.1.31 वर्ष के दौरान आयोग ने लेक्चररशिप हेतु पात्रता निर्धारित करने या मानविकी व सामजिक विज्ञान में जूनियर शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व सी० एस० आई० आर० ने विज्ञान विषयों में संयुक्त रूप से इसी प्रकार की परीक्षा आयोजित की। नए भर्ती व सेवारत कॉलेज व विश्वविद्यालय लेक्चररों के प्रबोधन हेतु शैक्षिक स्टाफ प्रबोधन योजना के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों ने 30684 अध्यापकों को शामिल करके अभी तक 900 प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए। इसी प्रकार 46274 अध्यापकों को शामिल करके सेवारत अध्यापकों के लिए अभी तक 1897 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

7.2.1 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में एक आवासीय विश्वविद्यालयके रूप में की गई थी। इसमें करीब 17,200 छात्र हैं। इसमें 76 विभागों के साथ 10 संकाय तथा जवाहरलाल नेहरू मैडिकल कॉलेज व जाकिर हुसैन इंजीनियरी कॉलेज सहित चार कॉलेज हैं। विश्वविद्यालय की संकाय संख्या करीब 1200 है तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों की संख्या करीब 5200 है।

7.2.2 शैक्षिक सत्र 1993-94 से कृषि में महिला पॉलिटैक्निक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संगणक इंजीनियरी में 3 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

7.3.1 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बी० एच० यू०) एक शिक्षण व आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित किया गया था। इसमें मुख्यत: आयुर्विज्ञान संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि विज्ञान संस्थान, 3 संस्थान शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 14 संकाय व 14 शैक्षिक विभाग हैं। विश्वविद्यालय एक संस्थापित महिला महाविद्यालय और 3 स्कूल स्तर के संस्थानों का भी अनुरक्षण करता है। शहर के चार कॉलेज इसके क्षेत्राधिकार में हैं। इसके अतिरिक्त इसका 1000 बिस्तरों वाला एक आधुनिक/आयुर्वेद चिकित्सा अस्पताल है। विश्वविद्यालय में करीब 14,500 छात्र नामांकित हैं। इसके शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या क्रमश: 1265 व 6758 है।

7.3.2 शैक्षिक सत्र 1994-95 से एम० सी० ए० में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम तथा अवर स्नातक स्तर पर बोल चाल की अंग्रेजी, पुरातत्व विज्ञान संग्रहालय विज्ञान तथा पर्यटन व भ्रमण प्रबन्ध में 3 व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए।

7.3.3 विश्वविद्यालय के कई संकाय सदस्यों ने शैक्षिक/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के अध्येताओं के रूप में चयन द्वारा तथा कई पुरस्कार प्राप्त करके विशिष्टता प्राप्त की।

दिल्ली विश्वविद्यालय

7.4.1 एक शिक्षण और संबंधन विश्वविद्यालय के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय वर्ष 1992 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें भूटान के शेरुबत्से कालेज सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध 76 कालेज/संस्थान है। उत्तर और दक्षिण परिसरों में स्थित विश्वविद्यालय के 15 संकाय और 82 शैक्षिक विभाग हैं। गैर-कालेज महिला शिक्षा बोर्ड, पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल, अंशकालिक एवं पत्राचार शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय में बाह्य (निजी) छात्र भी नामांकित हैं।

7.4.2 वर्ष 1994-95 के दौरान, विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या लगभग 207,000 थी। इसमें से विभिन्न कालेजों, संकायों व विश्वविद्यालय के विभागों में 1,20,000 नियमित छात्र, गैर-कालेजीय महिला शिक्षा बोर्ड में 12,000 छात्र, पत्राचार पाठ्यक्रम व सतत शिक्षा स्कूल में 65,000 छात्र तथा बाह्य उम्मीदवार सेल (प्राइवेट) में 10,000 छात्र थे।

7.4.3 वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय ने 3 नये कालेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की, जो कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न संकायों में विभिन्न स्तरों पर 4 नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाएंगे।

7.4.4 इस विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों की संख्या 740 है जिसमें 295 आचार्य, 272 उपाचार्य, 156 व्याख्याता और 17 शोध सहयोगी हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया

7.5.1 जामिया मिलिया इस्लामिया, जो 1969 से एक समविश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा था, को 26 दिसम्बर, 1986 को संसद के एक अधिनियम द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। विश्वविद्यालय नर्सरी स्तर से लेकर स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तर तक समेकित शिक्षा प्रदान करता है।

7.5.2 वर्ष 1993-94 के अंत तक जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों की संख्या 102 विदेशी छात्रों सहित 8750 थी। अध्यापन स्टाफ की संख्या लगभग 451 और गैर अध्यापन स्टाफ की संख्या लगभग 1042 है।

7.5.3 जामिया मिलिया इस्लामिया में (स्कूलों सहित) 14 छात्रावास हैं जिनमें 586 छात्र रहते हैं। विश्वविद्यालय में कामकाजी महिलाओं का भी एक छात्रावास है जिसमें 68 लोगों के रहने की व्यवस्था है।

7.5.4 वर्ष 1993-94 के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया में निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम और शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए गए :—

1. एम० फिल० अंग्रेजी साहित्य/अंग्रेजी भाषा शिक्षण
2. एम० ए० मानव संसाधन विकास
3. एम० एड० अवकाश
4. बी० ई० (यांत्रिकी/इलैक्ट्रीकल)
5. राजभाषा हिन्दी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
6. अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
7. सृजनात्मक लेखन (हिन्दी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

7.5.5 दिल्ली और उसके आसपास के अनेक शिक्षकों की योग्यताओं और कौशलों में सुधार करने संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा संकाय ने एक एम० एड० (अवकाश) कार्यक्रम शुरू किया है।

7.5.6 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डाटा बैंक, पुस्तकालय इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु सुविधायें परिकल्पित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (स्था० क्षे० ने०) का एक प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है।

7.5.7 शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए और अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के छात्रों को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

7.5.8 तृतीय विश्व अध्ययन अकादमी, तृतीय विश्व के देशों को समाजार्थिक अध्ययन के लिए अनुसंधान सुविधायें प्रदान करती है।

7.5.9 जामिया मिलिया इस्लामिया का जन संचार अनुसंधान केन्द्र, जन संचार, रेडियो दृश्य-श्रव्य और टी० वी० फिल्म निर्माण में कार्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाता है। यह जन संचार के फार्मेटों और पुनर्निवेशन अध्ययनों में अनुसंधान कार्यक्रम भी चलाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

7.6.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर, 1985 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश की शिक्षा पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति को शुरू करना व बढ़ावा देना है तथा इन पद्धतियों में स्तरों का निर्धारण तथा समन्वय करना है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में जनसंख्या के बड़े हिस्सों, विशेषकर असुविधा प्राप्त वर्गों को उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करना, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विशेष लक्षित वर्गों जैसे महिलाओं, सुदूर क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।

शैक्षिक कार्यक्रम

7.6.2 1994-95 के दौरान तीन प्रमाणपत्र कार्यक्रम, 16 डिप्लोमा कार्यक्रम, सात अवर-स्नातक डिग्री कार्यक्रम तथा तीन स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम आरंभ किए गए।

7.6.3 विश्वविद्यालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पंचायतों के चुने गए सदस्यों हेतु दूरस्थ शिक्षा मापांकों की रूपरेखा व विकास के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है। आरम्भ में कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य को शामिल किया जाएगा तथा तत्पश्चात अन्य राज्यों को शामिल किया जाएगा।

7.6.4 1993-94 के दौरान विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के लिए कुल नामांकित छात्रों की संख्या 85,000 है। इसके साथ विश्वविद्यालय में छात्रों का कुल नामांकन करीब 2.50 लाख है। 1994 के दौरान 7580 छात्रों ने डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण तथा उत्तीर्ण किए। 1994-95 में अतिरिक्त नामांकन करीब 90,000 होने की आशा है।

7.6.5 1993-94 के दौरान कुल नामांकन का 22.5% महिलायें थीं। छात्रों के कुल नामांकन में 23% ग्रामीण क्षेत्रों से था। इसी वर्ष में नामांकित छात्रों का 55.7% पहले से ही रोजगार में था।

7.6.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अभी तक २१५ अध्यापक व अन्य शैक्षित स्टाफ तथा करीब 700 तकनीकी, व्यावसायिक, प्रशासनिक एवं सहायक स्टाफ की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अंशकालिक आधार पर करीब 620 समन्वयकों व सहायक समन्वयकों तथा करीब 12,000 शैक्षिक परामर्शकों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

7.6.7 विश्वविद्यालय ने अभी तक पाठ्यक्रम सामग्री के 1885 खंड प्रकाशित किए हैं तथा 603 श्रव्य कार्यक्रम एवं 504 दृश्य कार्यक्रम निर्मित किए हैं।

7.6.8 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 क्षेत्रीय केन्द्रों व 230 अध्ययन केन्द्रों को शामिल करके एक व्यापक छात्र सहायता सेवा नेटवर्क स्थापित किया है। आशा है कि 1995 के दौरान कुछ और अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।

7.6.9 दूरदर्शन मई, 1991 से प्रत्येक सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को इं० गां० रा० मु० वि० के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आकाशवाणी के बम्बई व हैदराबाद स्टेशन 1992 से सप्ताह में तीन दिन इं० गां० रा० मु० वि० के कुछ चुने हुए श्रव्य कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है।

7.6.10 शिक्षण राष्ट्रमंडल द्वारा प्रदत्त सहायता से दूरस्थ शिक्षा में स्टाफ प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का विकास किया जा रहा है। यह भारत में दूरस्थ शिक्षा जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण सुविधायें विकसित करेगा तथा अन्य विकासशील देशों को भी सेवायें प्रदान करेगा। इस दिशा में मालदीप व मॉरीशस के साथ शुरुआत की गई थी।

7.6.11 दूरस्थ शिक्षा परिषद् के क्रियाकलापों में मुख्य बल दूरस्थ शिक्षा के समन्वयन और गुणवत्ता मूल्यांकन पर दिया गया है। देश में दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों को विकसित करने और लागू करने के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन पैनल का गठन किया गया है।

7.6.12 अध्ययन राष्ट्रमंडल ने विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा में उत्कृष्टता का केन्द्र होने का दर्जा प्रदान किया। अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अफ्रीकी, एशियाई, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्रों में स्थित देशों से विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी अध्येतावृत्ति नामक सौ अध्येतावृत्तियों को आरम्भ करने की घोषणा की। ये अध्येतावृत्तियां इन क्षेत्रों के 14 देशों में विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगी। अप्रैल, 1994 में इन अध्येतावृत्तियों के कार्यान्वयन के संबंध में अध्ययन राष्ट्रमंडल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

7.7.1 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना 1966 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय में 24 अध्ययन केन्द्रों वाले 7 विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक अलग केन्द्र है। इस विश्वविद्यालय में 3873 विद्यार्थी नामांकित हैं। इसके शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ की संख्या क्रमशः लगभग 375 और 1350 है।

7.7.2 1994-95 शैक्षिक सत्र के दौरान पिछड़े क्षेत्रों, कमजोर वर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश को और सुविधाजनक बनाने हेतु विश्वविद्यालय ने पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों में प्रवेश परीक्षा हेतु 6 नए केन्द्र खोले।

7.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान 150 शोध छात्रों में पी० एच० डी० की डिग्री, 289 छात्रों को एम० फिल० की डिग्री, 16 छात्रों को एम० टेक० की डिग्री, 58 छात्रों को एम० एस० सी०/एम० सी० ए०, 492 छात्रों को एम० ए०, 2 छात्रों को एम० सी० एच०, 106 छात्रों को बी० ए०/बी० ए० (ऑनर्स) और 62 छात्रों को डिप्लोमा/प्रमाणपत्रों को प्रदान करने के लिए पात्र घोषित किया गया।

7.7.4 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने संपादित खंडों की 75 पुस्तकें प्रकाशित कीं, पुस्तकों के 141 अध्यायों में अपना योगदान दिया और भारत तथा विदेशों के प्रतिष्ठित शोध पत्रों में 396 लेख प्रकाशित किए। विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकों, उनके अध्यायों और लेखों को शामिल करते हुए कुल 45 प्रकाशन कार्यों में हिस्सा लिया गया। विद्यार्थियों द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार फोई फाउन्डेशन पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप, बी० के० आनंद रिसर्च प्राइज़ और श्रीनिवासन प्राइज़ को शामिल करते हुए लगभग 30 पुरस्कार जीते गए।

7.7.5 विश्वविद्यालय ने उज़बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति माननीय श्री इस्लाम-ए-कारीमोव को भारत में उनकी राजकीय यात्रा के दौरान जनवरी, 1994 में आयोजित एक विशेष दीक्षांत समारोह में विधि वाचस्पति (मानद उपाधि) की उपाधि से सम्मानित किया।

7.7.6 विश्वविद्यालय द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला के सम्मान में एक पीठ आयोजित की गई।

7.7.7 विभिन्न स्कूलों के संकाय सदस्यों ने 51 अनुसंधान परियोजनाएं पूर्ण कीं जबकि 103 परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में थीं।

7.7.8 विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजति और समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक विशेष योजना की अभिकल्पना की है ताकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी में उनकी सहायता की जा सके।

7.7.9 नौ पुनश्चर्या कार्यक्रम—विश्वविद्यालय के कालेज के शैक्षणिक स्टाफ ने अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान प्रत्येक में दो और कम्प्यूटर अनुप्रयोग, हिन्दी तथा इतिहास प्रत्येक में एक-एक और चार प्रोध प्रबोधन कार्यक्रम भी आयोजित किए।

7.7.10 वर्ष के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पुस्तकालय की सदस्यता 5045 तक पहुंच गई लगभग 40,000 प्रेस कतरनें, 8065 पुस्तकें और 3148 पत्रिकाएं पुस्तकालय के संग्रह में जोड़ी गई।

7.7.11 विश्वविद्यालय विज्ञान उपकरण केन्द्र ने 192 मरम्मत के कार्य किए और 104 वस्तुओं को अभिकल्पित/विकसित/निर्मित किया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

7.8.1 हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में संसद अधिनियम द्वारा मुख्यतः स्नातकोत्तर व शोध अध्ययन के लिए की गई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान विश्वविद्यालय में 877 छात्रों को प्रवेश दिया गया। संकाय में 69 प्रोफेसर, 88 रीडर व 77 लेक्चरर हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान संकाय को विभिन्न प्रतिष्ठत पुरस्कार व विशिष्टतायें प्राप्त हुई।

7.8.2 विभिन्न शैक्षिक व शोध संस्थानों द्वारा प्रदान की गई भिन्न-भिन्न छात्रवृत्तियों व अध्येतावृत्तियों द्वारा छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजनाओं की कुल संख्या 83 थी।

उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय

7.9.1 उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका क्षेत्राधिकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र मुख्यतः मेघालय व मिजोरम के दो राज्यों तक फैला हुआ है। विश्वविद्यालय का

उमुख्यालय शिलांग में है। दो इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र मुख्यत: बी. एस. आई. सी. व यू. एस. आई. सी. के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान/अर्थशास्त्र प्रबंध, सूचना विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव व पर्यावरण विज्ञान शारीरिक विज्ञान मानविकी व शिक्षा स्कूल हैं।

7.9.2 विश्वविद्यालय में करीब 350 संकाय सदस्यों व 2000 गैर-अध्यापन स्टाफ के साथ 60.972 छात्र नामांकित हैं।

7.9.3 विश्वविद्यालय ने पर्यावरण प्रदूषण व जन स्वास्थ्य पर सेमिनार आयोजित करने के साथ-साथ विभिन्न सम्मेलन व सेमिनार आयोजित किए।

शिलांग परिसर

7.9.4 विश्वविद्यालय के परिसर विकास विभाग ने शिलांग में स्थायी परिसर निर्मित व विकसित करने के त्वरित प्रयास किए।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

7.10.1 पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्टूबर, 1985 में एक शिक्षण संबंधन विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं।

7.10.2 वर्तमान में विश्वविद्यालय के दो निदेशालय, छ: स्कूल, 17 विभाग और सात केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 19 संस्थाएं हैं जिनमें से 12 पांडिचेरी, दो कराइकाल में, एक-एक माहे और यनम में तथा तीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विश्वविद्यालय तीन प्रमाण-त्र, तीन स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 21 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 16 एम० फल० और 21 डॉक्टरल कार्यक्रम चलाता है।

7.10.3 मुख्य परिसर में छात्रों की संख्या 1100 है। विश्वविद्यालय के ास 23 प्रोफसरों, 55 रीडरों ओर 54 प्राध्यापकों का संकाय है। यहां क्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या 539 है।

7.10.4 पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, पियरे ई. टी. मारिया कुरिया यूनिवर्सिटी (पेरिस, निवेर्सिटी ऑफ ला री-यूनियन (फ्रांस), यूनिवर्सिटी ऑफ नाटेरे, फ्रांस और निवेर्सिटी ऑफ ओटावा, कनाडा के साथ पहले ही हस्ताक्षरित पांच मझौता ज्ञापनों के अलावा यूनिवर्सिटी आंफ रेनेस 2 (फ्रांस) पोयटियर्स निवर्सिटी, फ्रास, क्वींन्स लैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालोजी, आस्ट्रेलिया र मार्ने ला वाली यूनिवर्सिटि फ्रांस के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर साक्षर किए।

श्व भारती

7.11.1 गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगौर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था विश्व रती, विश्व भारती अधिनियम, 1951 द्वारा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित की गई थी। विश्वविद्यालय की संकाय और छात्र संख्या क्रमश: 5648 और 468 है।

7.11.2 कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान केन्द्र ने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान शुरू किया। जापानी अध्ययन केन्द्र, "निप्पन भावना" फरवरी, 1994 में स्थापित किया गया था।

असम विश्वविद्यालय, सिल्चर

7.12.1 असम विश्वविद्यालय, सिल्चर संसद के एक अधिनियम द्वारा 15 जनवरी, 1994 को स्थापित किया गया था। यह एक संबद्ध विश्वविद्यालय है और राज्य के पांच जिलों नामत: कछार, करीमगंज, उत्तरी कछार पर्वतमाला, हेलाकंडी ओर कर्बी अंगलोंग के कालिज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।

7.12.2 विश्वविद्यालय दो वर्षीय एम.ए./एम.एस सी./एम. काम कार्यक्रम चला रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर पठ्यक्रमों में 280 छात्र नामांकित हैं।

तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर

7.13.0 तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उदघाटन प्रधान मंत्री ने 21 जनवरी, 1994 को नापाम में पहले एक असंबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में किया था। विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई, 1994 से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में कक्षायें शुरु की (i) एम.ए./एम.एस.सी. (गणित), (ii) संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर तथा (iii) अंग्रेजी भाषा अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

नागालैंड विश्वविद्यालय

7.14.0 नागालैंड विश्वविद्यालय को 6 सितम्बर, 1994 को एक संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्राधिकार नागालैंड के पूरे राज्य तक है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना

7.15.0 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन को एक स्वायत्त पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य उन सेवाओं से विश्वविद्यालय डिग्रियों को अलग करने की प्रक्रिया को सुकर बनाना है जिनपर भर्ती के लिए विश्वविद्यालय डिग्री एक आवश्यक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.16.0 वर्षों से विदेशों के शिक्षाविदों की भारत के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान, भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान, शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान और भारत में बार्कले व्यावसायिक

अध्ययन कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की बढ़ती हुए संख्या से यह प्रतिबिंबित होता है। वर्ष 1993-94 के दौरान अनुमोदित 318 अनुसंधान प्रस्तावों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान अनुमोदित 319 अनुसंधान प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए। भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विदेश विश्वविद्यालयों के बीच अनेक द्विपक्षीय समझौते सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग से आयोजित द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/सेमिनारों/कार्यशालाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भारत के विश्वविद्यालयों में विजिटिंग लेक्चरार/प्रोफेसर के रूप में विदेशी अध्येताओं की नियुक्ति संबंधी अनुरोधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

7.17.1 शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान 1968 में इस जनमत के साथ स्थापित किया गया था कि दोनों देशों के बीच आपसी सूझ-बूझ को बढ़ावा दिया जाए। यह संस्थान एक द्विराष्ट्रीय लाभ-निरपेक्ष संगठन है और यह अनेक कार्यक्रमों द्वारा अपना द्वि शैक्षिक मिशन चलाता है जिसमें पुस्तकालय कार्यक्रम, कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम और भारत अध्ययन कार्यक्रम भी शामिल हैं।

7.17.2 समझौता ज्ञापन, जिसमें संस्थान के कार्यकलापों को सहायता देने के लिए 01 अप्रैल, 1994 से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए भारत सरकार को प्रतिबद्ध किया गया था, पहले 29 जुलाई, 1994 को हस्ताक्षरित किया गया था। 1994-95 के दौरान संस्थान ने कनाडियन अध्येताओं को अनुसंधान हेतु भारत आने के लिए 22 शिक्षावृत्तियां प्रदान की और भारतीय अध्येताओं को कनाडा का दौरा करने के लिए 28 शिक्षावृत्तियां प्रदान की। संस्थान ने कनाडा में भारत अध्ययन कार्यक्रम और भारत में कनाडियन अध्ययन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्ति की है।

7.17.3 क.अ.वि.ए.-शा.भा.क.सं. (कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी-शास्त्री भारत कनाडा संस्थान) कार्यक्रम के तत्वावधान में संस्थान ने चार क्षेत्रों नामत: महिला एवं विकास: पर्यावरण एवं विकास: व्यापार एवं आर्थिक वृद्धि तथा विकास: जनसांख्यिकी एवं विकास में ग्यारह परियोजनायें चुनी हैं और भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषण और अनुमोदन हेतु प्रत्येक में कम से कम एक भारतीय और एक कनाडियन संस्थान का दल शामिल हैं। कुल मिलाकर इनमें छात्रों और संकाय सहित दोनों देशों के लगभग 100 शोधकर्ता होंगे। इन साझेदारी परियोजनाओं को कनाडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त निधियों द्वारा वित्तपोषित किया गया है। (क.अ.वि.ए.-शा.भा.क.सं.) परियोजना कार्यक्रम में न केवल सांस्थानिक संपर्क शामिल हैं वरन अन्य कार्यकलाप जैसे कैटालिस्ट कार्यक्रम, दोनों देशों में सुविख्यात गैर-शिक्षाविदों द्वारा व्याख्यान दौरों हेतु सुविख्यात वक्ता कार्यक्रम तथा दोनों संस्थानों का सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण भी शामिल हैं। संस्थान ने भारत मे पन्द्रह कनाडियन छात्रों के लिए आठ सप्ताह का ग्रीष्म कार्यक्रम भी आयोजित किया।

भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान

7.18.1 भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान फरवरी 1950 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य "संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के लोगों के बीच शैक्षिक संपर्कों के माध्यम से ज्ञान और व्यावसायिक योग्यताओं के व्यापक आदान-प्रदान द्वारा आपसी सूझ-बूझ को और अधिक प्रोन्नत करने के लिए" फुलब्राइट एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम (शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम) का संचालन करना था।

7.18.2 भारत में द्विराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान का निदेशक बोर्ड प्रति वर्ष उन अध्ययन क्षेत्रों को अनुमोदित करता है जिनके लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

7.18.3 हुबर्ट एच.हम्फ्रे शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कुशल व्यावसायिकों जैसे नीति निर्धारकों, योजना-निर्माताओं, प्रशासकों तथा प्रबन्धकों को, जो लोक सेवा की ओर उन्मुख हैं और अपने देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक वर्ष तक अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए छ: शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई। आवासी अध्येता कार्यक्रम और अमेरिकी अनुसंधान शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत भी भारतीय अध्येताओं को अमेरिकी विश्वविद्यालय/संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान कार्य के लिए तीन से छ: महीनों तक अनुदान प्रदान किए गए।

7.18.4 भारत में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक प्रतिष्ठान पूर्व-पश्चिम अनुदानों का भी प्रबन्ध करता है। वर्ष के दौरान केन्द्र के अनेक संस्थानों में विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें/सेमिनार आयोजित किए जाते हैं जिनमें भारतीय अध्येता भी शामिल होते हैं।

7.18.5 नियमित विनिमय कार्यक्रम के अलावा, प्रतिष्ठान ने अनेक कार्यशालायें/सेमिनार भी आयोजित करता है, जिनमें दौरा करने वाले अमेरिकी प्रोफेसर और विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय कालेज/विश्वविद्यालय के सुविख्यात भारतीय शिक्षक शामिल होते हैं।

7.18.6 प्रतिष्ठान अमरीकी स्कूल/कालेज शिक्षकों के लिए अनेक लघु काल कालिक ग्रीष्म दल परियोजनाओं का भी संचालन करता है। इन दलों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भारतीय उच्च शैक्षणिक शिक्षण संस्थान में आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन सभी संबद्धनों को अनुमोदित करता है और शैक्षणिक कार्यक्रम की लागत का प्रतिपूर्ति भी करता है।

अमरीकी भारतीय शैक्षिक संस्थान

7.19.1 अमरीकी भारतीय शैक्षिक संस्थान (ए.आई.आई.एस) शिकागो विश्वविद्यालय विकसित विश्वविद्यालय मिन्नेसोटा विश्वविद्यालय पेसिलवानिया विश्वविद्यालय, सिरकूस विश्वविद्यालय, केलीफोर्निया विश्वविद्यालय, कोलम्बिया विश्वविद्यालय आदि जैसे लगभग विश्वविद्यालयों का 32 वर्षीय पुराना संघ है। संस्थान 1960 में संयुक्त रा में भारतीय अध्ययन, सभ्यता और संस्कृति को प्रोन्नत करने के लि स्थापित किया गया था।

7.19.2 1994-95 के दौरान संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संगठनों के संकाय सदस्यों तथा पी-एच. के छात्रों को मानव विज्ञान से लेकर प्राणि विज्ञान के क्षेत्रों में उनकी राष्ट्रीय का ध्यान दिए बगैर लगभग 145 अध्येतावृत्तियां प्रदान की।

7.19.3 आलोच्य अवधि के दौरान संस्थान ने हिन्दी, तमिल, बंगला और तेलुगू के लिए 25 भाषा अध्येतावृत्तियां प्रदान की।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप

7.20.0 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप 1949 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सुविख्यात शिक्षाविदों और अध्येताओं को सम्मान प्रदान करना है। इस समय यहां केवल एक राष्ट्रीय प्रोफेसर डा० के. .एन. राज (अर्थशास्त्र) हैं। राष्ट्रीय प्रोफेसर 8000/- रु० की मासिक परिलब्धियों और 20,000/- रु० प्रतिवर्ष के आकस्मिक अनुदान के पात्र होते हैं।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्

7.21.1 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना 1969 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करने के लिए की गई थी।

7.21.2 परिषद अन्तरविषयक परिप्रेक्ष्य को प्रोन्नत करके और अनुसंधान की कोटि में सुधार द्वारा सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए 27 अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करती है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अभी 6 क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

7.21.3 जनजातीय अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 36 पुनरीक्षण पत्रों को 4 पृथक खंडों में प्रकाशनार्थ चुना गया।

7.21.4 परिषद ने 30 अध्येताओं को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की। आई.डी.पी.ए.डी. के अंतर्गत 1990-94 के वर्तमान चरण में 24 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.21.5 परिषद को एक प्रलेखन केन्द्र के लिए डेढ़ करोड़ रु० की कीमत के जापानी उपकरण प्राप्त हुए। इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य व्यवसाय, उद्योग एवं व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्रभाव डालते हुए आंकड़ों पर आधारित अनुसंधान सामग्री को उत्पन्न करना और एशियन देशों की सरकारों और लोगों के बीच अच्छे संबंधी को प्रोन्नत करना है। केन्द्र 1995 में अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगा।

ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान

7. 22.0 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, में बताया गया है कि "शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्रान्तिकारी विचारों के अनुसरण में ग्रामीण विश्वविद्यालय की एक नई प्रणाली समन्वित तथा विकसित की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों का सामना किया जा सके और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यों, समाज सेवा एवं शैक्षणिक अध्ययन के बीच अभिन्न सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

7.23.0 भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला की स्थापना अक्टूबर, 1965 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा संबंधित क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ विद्वानों की सहायता करना है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य नए-नए क्षेत्रों में अनुसंधान करना, नए-नए महत्वपूर्ण विचारों का सृजन तथा महत्वपूर्ण संकल्पनात्मक विकास के लिए प्रयास करना और सामयिक विषयों के प्रश्न पर अन्तर-विषयों को सपेक्ष महत्व प्रदान करना है। संस्थान ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एक कार्यक्रम शुरू किया है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

7.24.1 भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई है :—

(क) दर्शनशास्त्र में शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोन्नत करना,

(ख) समय-समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और दर्शनशास्त्र में अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करना, और

(ग) अनुसंधान-दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में संलग्न/संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

7.24.2 अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, परिषद शिक्षवृत्तियां प्रदान करती है। सेमिनार, सम्मेलन कार्यशालाएं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करती है। सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अध्येताओं को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने कागजात प्रस्तुत करने के लिए यात्रा-अनुदान प्रदान करती है, छोटी-बड़ी परियोजनाओं को प्रायोजित करती है और प्रकाशन निकालती है तथा एक त्रैवार्षिक पत्रिका, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद पत्रिका (भा.दा.अ.सं.प.) का प्रकाशन करती है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

7.25.1 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना, 1972 में इतिहास के लेखन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने और इस उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। तबसे परिषद भारतीय सभ्यता और उसकी सांस्कृतिक विरासत की विशिष्ट विशेषताओं के सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक विकास की समझ को प्रेरित करने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रहा है।

7.25.2 परिषद विषयों, कला, साहित्य, मुद्राशास्त्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पुरालेख शास्त्र और पुरातत्व विज्ञान, दर्शनशास्त्र सामाजिक आर्थिक संरचनाओं सहित इतिहास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करके

अनुसंधान प्रस्तावों के वित्तपोषण के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा कर रही है। आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद् ने 12 अनुसंधान परियोजनाएं अनुमोदित की।

उच्च अध्ययन की संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

7.26.1 उच्चतर अध्ययन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना दर योजना के आधार पर जारी है। इस योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय कुछ स्वयं सेवी संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है जो विश्वविद्यालय प्रणाली से अलग है और जो नयाचार प्रकृति के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।

7.26.2 ऐसे संस्थानों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो ग्रामीण समुदाय के विशेष हितों तथा नयाचारी प्रकृति के कार्यक्रम चला रहे हैं। वर्ष के दौरान (i) श्री अरबिन्दो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, (ii) श्री अरविन्दो शैक्षिक शोध संस्थान, और विले, (iii) लोक भारती सनोसरा, और (iv) मित्रा निकेतन, वेल्लानाक, केरल को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

डा० जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज न्यास, दिल्ली

7.27.0 डा० जाकिर हुसैन स्मारक कॉलेज न्यास, दिल्ली की स्थापना वर्ष 1973 में डा० जाकिर हुसैन कॉलेज (पहले दिल्ली कॉलेज) के प्रबंध और रखरखाव के उत्तरदायित्व के अधिग्रहण के लिए की गई थी। कॉलेज का रख-रखाव व्यय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा न्यास द्वारा 95 : 5 के अनुपात में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विकास योजनायें संस्वीकृत करता है। इन योजनाओं पर व्यय इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखी गई सहायता की पद्धति के अनुसार बांटा जाता है। चूंकि न्यास के अपने कोई संसाधन नहीं हैं अत: उपर्युक्त व्यय को वहन करने के लिए शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते हैं। न्यास के प्रशासनिक व्यय को वहन करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

7.28.1 भारतीय विश्वविद्यालय संघ विश्वविद्यालयों का एक शीर्षस्थ स्वैच्छिक संगठन है जिसका प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा की ऐसी संस्थाओं के कार्य-कलापों को प्रोन्नत और समेकित करना है जो इसके सदस्य हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के कुछ प्रमुख कार्यकलापों में सूचना का प्रसार, अनुसंधान अध्ययन शुरू करना, साहित्य का प्रकाशन तथा प्रोन्नति, सांस्कृतिक खेल-कूद तथा संबद्ध क्षेत्रों में संस्थाओं के बीच सहयोग, कुलपतियों के सम्मेलन आयोजित करना और विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

7.28.2 भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सदस्य विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए वार्षिक चंदों और उच्च शिक्षा से संबंधित साहित्य की बिक्री तथा प्रकाशन से प्राप्त आय से पर्याप्त मात्रा में धनराशि प्राप्त होती है। यह संघ अनुसंधान मैल द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए सरकार से योजनागत तथा योजनेतर अनुदान भी प्राप्त करता है।

7.28.3 "भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन : जवाहरलाल नेहरू का एक अनुभूतिमूलक अध्ययन" नामक परियोजना पूरी कर ली गई है। इस अध्ययन ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों, विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रत्यायन और मूल्यांकन के सूचक विकसित करने का प्रयास किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, निम्नलिखित सूचक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं : विश्वविद्यालय के मिशन और मुख्य निवेश छात्रों का निष्पादन, शिक्षकों का निष्पादन और संसाधनों के प्रयोग में कुशलता। "भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रश्न बैंकिंग का स्तर" संबंधी एक अन्य परियोजना पूरी कर ली गई है और इसके निष्कर्ष जर्नल ऑफ हायर एजूकेशन, खण्ड 17, संख्या 3, 1994 में प्रकाशित किए गए हैं। इस अध्ययन में ए० आई० ओ० अथवा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रश्न बैंकों के प्रयोग के संबंध में छान-बीन की गई और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अवर-स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रश्न बैंकों के इस्तेमाल की सम्भाव्यता पर विचार किया गया है।

7.28.4 अनुसंधान प्रभाग, उच्च शिक्षा संस्थानों के विभिन्न समारोहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, विचार-गोष्ठियों और गोल-मेज गोष्ठियों का आयोजन करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष में निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया गया :—

(i) फरवरी 1-10, 1994 के बीच पूना विश्वविद्यालय, पुणे के सहयोग से "विश्वविद्यालयों में प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में कम्प्यूटरों के प्रयोग" विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय अधिकारियों, नियंत्रकों, रजिस्ट्रारों और उप वित्तीय अधिकारियों ने भाग लिया।

(ii) बैठक प्रभाग द्वारा कुलपतियों की गोल-मेज गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके कार्यवृत्त को अनुसंधान प्रभाग ने शीघ्र ही प्रकाशनार्थ तैयार किया है।

(iii) सितम्बर 12-16, 1994 के बीच दिल्ली में "विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रबंधन" विषयक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों, उप-रजिस्ट्रारों और सहायक रजिस्ट्रारों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय प्रशासनों के इस्तेमाल किए जाने और उन्हें उनके कार्यकर्ताओं के आगे प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही प्रकाशित किए जाने हेतु इस विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय पर एक हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

(iv) दिनांक 3-8 अक्तूबर, 1994 के बीच भारतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के सहयोग से "विश्वविद्यालयों के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन में कम्प्यूटरों का प्रयोग विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय अधिकारियों, नियंत्रकों, रजिस्ट्रारों और उप वित्तीय अधिकारियों ने भाग लिया।

8. तकनीकी शिक्षा

8. तकनीकी शिक्षा

8.1.1 तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने तथा लोगों के जीवन के स्वरूप को सुधारने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्य संवर्द्धन की विशाल क्षमता के साथ मानव संसाधन विकास के प्रतिबिम्ब का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्षेत्र के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी शिक्षा के विकास पर बहुत बल दिया गया है।

8.1.2 पिछले चार दशकों के दौरान, देश में तकनीकी सुविधाओं का चमत्कारिक विकास हुआ है, किन्तु इसके बढ़ते हुए और कार्यक्षेत्र, संगठित तथा असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप इसकी सुलभता और इसकी उत्पादकता के प्रति प्रासंगिकता में सुधार के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अभी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, इस शताब्दी के अंत तक समाज-आर्थिक, औद्योगिकी तथा शिल्पवैज्ञानिक क्षेत्रों में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, इस प्रणाली को बेहतर प्रासंगिकता और वास्तविकता के साथ अपनी भूमिका निभाने में समर्थ बनाए जाने की आवश्यकता है। इन विचारों के आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को आगे और परिमार्जित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। इनमें आधुनिकीकरण तथा अप्रचलन को दूर करना, संस्था-उद्योग के तालमेल को बढ़ाना उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे तकनीकी कार्मिकों के ज्ञान और कौशल के उन्नयन के लिए सतत शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण सम्मिलित है।

8.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विकास देखे गए। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की गई। पालिटेक्निकों को अपनी क्षमता, गुणात्मक तथा कार्य दक्षता में सुधार लाने, योग्य बनाने के लिए, देश में तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के उन्नयन की दिशा में विश्व बैंक की सहायता से एक बड़ी परियोजना प्रारम्भ की गई है। वैधानिक अधिकारों से सम्पन्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उसे दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने का कार्य जारी रखा।

8.1.4 वर्ष के दौरान, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों/योजनाओं तथा उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

8.2.1 बम्बई, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और मद्रास में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अवर स्नातक स्तर पर प्रयुक्त विज्ञानों और इंजीनियरी में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और स्नातकोत्तर अध्ययनों और अनुसंधान हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रमुख केन्द्रों के रूप में की गई थी।

८.२.२ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 4 वर्षीय अवर स्नातक कार्यक्रम (स्नातक उपाधि) संचालित करते हैं। ये भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित तथा जैव-रसायनिक इंजीनियरी तथा जैव प्रौद्योगिकी में 5 वर्ष की अवधि के समेकित निष्णात-उपाधि पाठ्यक्रम विभिन्न विशिष्ठताओं में 1/1.2 वर्ष का एम. टेक. पाठ्यक्रम और चुने हुए क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त ये संस्थाएं इंजीनियरी, विज्ञानों, मानविकियों तथा समाज-विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी.एच.डी. कार्यक्रम प्रदान करते हैं, विशिष्टता के चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान के लिए उच्च केन्द्र भी प्रत्येक संस्थान में स्थापित किए गए हैं।

8.2.3 अपने अस्तित्व के वर्षों के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने पेटेन्टों को विकसित करने और उद्योग द्वारा उनके उपयोग किए जाने में सफलता पाई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और उनके संकाय सदस्यों द्वारा अपने हाथ में लिए गए परामर्शी कार्य के जरिए पर्याप्त राजस्व अर्जित किया है।

8.2.4 विश्व की सर्वोत्तम स्तर की तुलनीय तकनीकी जनशक्ति के विकास के लिए, ये संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में अग्रणी है। अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) के जरिए, उदीयमान छात्रों का चयन और प्रशिक्षण की उच्चतम कोटि (क्वालिटी) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के महत्व के स्वत: द्योतक ही है जो उत्कृष्टता के लक्ष्य से प्रतिबद्ध है।

8.2.5 आलोच्य अवधि के दौरान, इन संस्थानों ने, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि से प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करना जारी रखा।

8.2.6 10 महीने की अवधि का एक विशेष प्रारंभिक पाठ्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के छात्रों के दाखिले में सुधार लाने के लिए जारी रखा गया। ऐसी अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के छात्रों को, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे०ई०ई०) में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहते हैं, परन्तु अंकों की एक न्यूनतम प्रतिशतता अर्जित करते हैं, इस प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में दाखिले की पेशकश की जाती है, प्रारंभिक पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर इन छात्रों की एक अर्हता परीक्षा ली जाती है, जिसके आधार पर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे०ई०ई०) में पुन: बैठे बिना, उन्हें बी. टेक. कार्यक्रम में दाखिले की पेशकश की जाती है। इससे भा०प्रौ० संस्थानों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्रों की दाखिला स्थिति में सुधार हुआ है। छात्रों को नि:शुल्क भोजन के अतिरिक्त, जेब खर्च, ऋणों और

विवेकाधीन अनुदानों के जरिए अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता मिलना भी जारी रहा।

8.2.7 असम समझौता के अनुसार, असम में एक अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की श्रृंखला में छठा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की श्रृंखला में छठे संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के वास्ते प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 को संशोधित किया गया और यह 1 सितम्बर, 1994 से प्रभावित हुआ।

8.2.8 इस संस्थान के लिए 700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। संस्थान द्वारा अब तक चार अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इस संस्थान के कार्य प्रचालन के लिए एक पुर्नकालिक प्रो० डी. एन. बूरागोहेन ने कार्यभार संभाल लिया है।

8.2.9. औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम शैक्षिक वर्ष 1995-96 से शुरू होने हैं। इस प्रयोजनार्थ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहटी को भी संयुक्त इंजीनियरी परीक्षा-1995 में शामिल किया गया है।

भारतीय प्रबंध संस्थान

8.3.1 प्रबंध के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और परामर्श देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ में चार भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान इन क्षेत्रों में प्रमुख केन्द्र हैं।

8.3.2 अहमदाबाद, बंगलूर और कलकत्ता के तीन संस्थानों ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपने सामान्य शैक्षिक कार्यक्रमों अर्थात प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (एम.बी.ए. के समकक्ष) फैलोशिप कार्यक्रम (पी.एच.डी. के समकक्ष) प्रबंध विकास कार्यक्रम, संगठन आधारित कार्यक्रम तथा शोध और परामर्श के कार्यक्रम उद्योगों के लिए जारी रखें।

8.3.3 लखनऊ स्थित चौथे भारतीय प्रबंध संस्थान ने वर्ष 1985-86 के सत्र से कार्य करना आरम्भ किया था। यह अभी विकासशील अवस्था में है। यह संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम कार्यपालक विकास कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और शोध तथा परामर्शी सेवाएं उद्योगों के लिए प्रदान करता है।

8.3.4 रा०शि०नी० के अनुसरण में, कृषि, ग्रामीण विकास, लोक पद्धति प्रबंध ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आदि जैसे गैर-निगमित और कम प्रबंध वाले क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन संस्थानों ने अनुसंधानों केन्द्रों की स्थापना की है। उद्योगोन्मुख प्रबंध तकनीकी के क्षेत्र में साफ्टवेयर अनुप्रयोग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन संस्थानों ने कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त प्रबंध केन्द्रों की भी स्थापना की है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

8.3.5 भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, इंजीनियरी विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए देश के मुख्य संस्थानों में से एक है। यह संस्थान वर्ष 1909 में स्थापित किया गया। इस संस्थान के वैज्ञानिकों के सतत शोध प्रयासों से इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने, नवाचारी अनुसंधान तथा विकास में विशिष्टता अर्जित करने में इस संस्थान का विशेष योगदान है। उच्च शैक्षिक अनुसंधान तथा वर्तमान में निर्धारित विषयों का स्तर विश्वस्तरीय है। तकनीकी जानकारी का प्रमुख पत्रिकाओं के माध्यम से आदान-प्रदान होता है। यह संस्थान, सतत शिक्षा कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण तथा उद्योगों को सहायता देने में योगदान देता है। एयरो-स्पेस, बायोमास, बायो-मेडिकल, रसायन, धातुकर्मीय तथा अन्य इंजीनियरी क्षेत्रों में उच्चस्तरीय विभागों के अलावा यह संस्थान एक सुपर कम्प्यूटर स्थापित कर रहा है। सुपर कम्प्यूटर परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है।

8.3.6 यह संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान सेमिनार परिसर के लिए एवं सहायक स्टाफ के लिए सुविधाएं बढ़ा रहा है। इस संस्थान ने वर्ष 1958 में 'समविश्वविद्यालय' का स्तर प्राप्त किया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थाओं और भारतीय विज्ञान संस्थाओं की संशोधित वित्त पोषण संरचना

8.3.7 वित्तीय वर्ष 1993-94 के आरंभ से ही वित्त पोषण की एक नयी संशोधित पद्धति कार्यान्वित की गयी है। प्रत्येक संस्थान के योजनेत्तर अनुदान वर्ष 1992-93 के संशोधित प्राक्कलन में अनुदान जमा इसका दस प्रतिशत के स्तर निर्धारित किया जाएगा तथा इस स्तर को अगले चार वर्ष (1996-97 के अंत तक) बरकरार रखा जाएगा। संस्थान, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के आवर्धन के लिए राजस्व अगले चार वर्ष की अवधि में सामान्य वृद्धि के प्रति कुशन के रूप में कार्य करेगी। योजनेत्तर अनुदानों में से बचतें तथा राजस्व आगतें रखी जाएंगी और उन्हें आगे ले जाया जाएगा। अक्षय निधि के एक पर्याप्त स्तर के सृजन को प्रोत्साहित तथा तीव्र करने के उद्देश्य से भारत सरकार योजनेत्तर अनुदान में से बचतों राजस्व आगत और परामर्शी तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों से प्राप्त शुद्ध आय के बराबर शत-प्रतिशत अनुदान उस सीमा तक प्रदान करेगी जिस सीमा तक उन्हें अक्षयनिधि में अंतरित किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी विकास मिशन

8.4.1 वर्ष 1991 में योजना आयोग की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की थी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, बंगलौर जैसे उत्कृष्टता वाले संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा पूर्वानुमान पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की जरूरत है ताकि भावी दृष्टिकोण को देश में उभरती हुए विज्ञान तथा

प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों के विकास को शुरू करने के लिए पुन: उन्मुख किया जा सके। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के क्रम में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों तथा अन्य विशेषज्ञों ने योजना आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया और कार्यनीतिगत महता के निम्नलिखित 8 व्यापक क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया :—

1. खाद्य संसाधन इंजीनियरी
2. समेकित अभिकल्पना तथा प्रतियोगी निर्माण
3. फोटोनिक युक्तियां और प्रौद्योगिकियां
4. ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियां
5. प्राकृतिक खतरों को कम करना
6. संसूचना नेटवर्किंग तथा बौद्धिक आटोमेटेशन
7. नयी सामग्रियां
8. जैनेटिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी

8.4.2 आठ सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर मुख्य संस्थान होगा। उद्योगों की भागीदारी के अलावा दो से तीन सहभागी संस्थान होंगे।

8.4.3 आठ मिशनों के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान योजनागत परिव्यय के प्रति 60 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है जिसमें से 2.00 करोड़ रुपए वर्ष 1993-94 के दौरान पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को दिए गए। वर्ष 1994-95 के लिए 33 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।

8.4.4 योजना आयोग द्वारा एक विषय-निर्वाचन समिति का गठन किया गया। प्रगति का तकनीकी मूल्यांकन करने के लिए विषय-निर्वाचन समिति के उप-दलों द्वारा इनमें से प्रत्येक मिशन की प्रगति की मानिटरिंग की जाएगी।

8.4.5 विषय-निर्वाचन समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित सूचना का संकलन तथा प्रलेखन करने के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग में एक सेल का गठन किया जाएगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

8.5.1 एक सलाहकार निकाय के रूप में अ०भा०त०शि०प० 1945 में स्थापित किया गया था जिसे अ०भा०त०शि०प्र० आधिनियम 1987 के संख्या 52 द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। अधिनियम 28 मार्च, 1988 से लागू हुआ। कानूनी अ०भा०त०शि०प० के मुख्य कार्यों में, देश में तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त योजना व उसका समन्वित विकास पद्धति की योजनाबद्ध गुणात्मक वृद्धि व विनियम के संबंध में सभी स्तरों पर गुणात्मक सुधार तथा मानदंडों व स्तरों का अनुरक्षण शामिल है।

8.5.2 नए पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों की अनुमोदन पद्धति को सरल तथा कारगर बनाने के उद्देश्य से परिषद ने नई संस्थाओं की स्थापना/नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने, इत्यादि के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किये हैं।

8.5.3 परिषद ने वास्तुकला परिषद (वास्तुकला अधिनियम के अधीन कार्यरत तथा भारतीय फार्मेसी परिषद (फार्मेसी अधिनियम के अधीन) से उनके अपने-२ क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों व संस्थानों के मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्बन्धी समझौता किया है।

8.5.4 परिषद ने विभिन्न विषयों में डिप्लोमा, डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्ड तथा मानक निर्धारित किए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में, परिषद ने शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क लेने तथा व्यावसायिक कालेजों के छात्रों को दाखिले के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए मानदण्ड और दिशानिर्देशों के लिए विनियमन जारी किए हैं।

8.5.5 1-4-94 से इस मंत्रालय द्वारा अभिशासित की जा रही निम्नलिखित संस्थाएं/स्कीमें, परिषद को हस्तांतरित कर दी गयी हैं :—

1. राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति संसूचना प्रणाली
2. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षण औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान
4. राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान
5. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय
6. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का विकास।
7. गैर-विश्वविद्यालय स्तर पर प्रबंधन पाठ्यक्रमों का विकास
8. चुनिन्दा उच्च शिक्षा तकनीकी संस्थाओं में अनुसंधान और विकास
9. आधुनिकीकरण और अप्रचलनों का उन्मूलन
10. तकनीकी शिक्षा के लक्षित क्षेत्र
11. संस्थान-उद्योग में तालमेल
12. सतत शिक्षा

11—1000 M/o HRD/94

13. संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान

14. कोटि सुधार कार्यक्रम

15. भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्था

16. उद्यमशीलता और प्रबंध विकास

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक

8.5.6 एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय स्नातक संस्थान है जो इंजीनियरी विज्ञान और समबद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से लगभग 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य हैं। यह संस्थान एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अधिशासित है, जिसके सदस्य भारत सहित विभिन्न देशों से हैं।

8.5.7 भारत सरकार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है :

(1) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षकों/विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति, उनके सम्पूर्ण व्यय का वहन।

(2) निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों में प्रयोग के लिए 3.00 लाख रु० का वार्षिक अनुदान।

(क) भारत से उपस्करों की खरीद।

(ख) पुस्तकों की खरीद तथा भारत में प्रकाशित शैक्षिक और तकनीकी पत्रिकाओं के अंशदान का भुगतान और

(ग) भारत में शिक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय। वर्ष 1994-95 के दौरान 3 भारतीय विशेषज्ञों को पहले ही सितम्बर 1994 अवधि के लिए एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक को प्रतिनियुक्त किया गया है और जनवरी, 1995 की अवधि के लिए दो और विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति किए जा रहे हैं। संस्थान को 2,99,664/- रुपये की राशि 1994-95 के दौरान भारत में शैक्षिक कार्यकलापों के लिए और उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में जारी की जा रही है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

8.6.0 अधिकांश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में विज्ञान शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र की सामग्री के आदान-प्रदान का प्रावधान तथा इसके साथ-साथ रोजगार के उद्देश्य से भारत तथा दूसरे देशों में प्रदान की जाने वाली डिग्रियों और डिप्लोमाओं के समकक्ष डिग्रियों तथा डिप्लोमाओं को अंतिम रूप देने के लिए और दोनों देशों की उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच शैक्षिक संबंधों को बनाने के लिए शिष्टमंडलों के पारस्परिक दौरे भी शामिल हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय

8.7.1 मंत्रालय ने क्षेत्रीय आधार पर बम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास में चार अधीनस्थ कार्यालय स्थापित किए हैं।

8.7.2 ये चारों क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं जिनमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाएं भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन तथा समन्वित कार्य-संचालन को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करते हैं तथा ये कार्यालय तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का सर्वेक्षण करने तथा विकास के लिए नई योजनाएं आरम्भ करने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सहायता भी करते हैं।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

8.8.1 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय योजना में, विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख राज्यों में, प्रत्येक में, एक-एक करके, सत्रह कालेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कालेज केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार का एक संयुक्त एवं सहयोगी उद्यम है। जबकि सभी सत्रह कालेज इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, इनमें से, चौदह कालेजों में स्नातकोत्तर और डाक्टोरल कार्यक्रम की सुविधाएं उपलब्ध है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में वर्तमान दाखिला क्षमता, की सुविधाएं उलपब्ध है। सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में वर्तमान दाखिला क्षमता अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 5354 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1440 के क्रम में है।

8.8.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के क्रियान्वयन के संदर्भ में, कार्रवाई योजना के दस्तावेज, आठवीं पंचवर्षीय योजना तक और उसके विकास के लिए सभी कालेजों द्वारा व्यापक कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं। इनके दस्तावेजों में, संबंधित कालेजों के संपूर्ण लक्ष्य, उद्देश्य और विस्तृत कार्रवाई संबंधी मुद्दे निहित हैं।

8.8.3 वर्ष 1993 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक योजना में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज को एक करोड़ रुपए का विशिष्ट अनुदान दिया गया है ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवेश करके प्राय: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समान उत्कृष्टता केन्द्रों का रूप दिया जा सके :

(i) साधारण प्रबंध,

(ii) भवनों, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुविधाओं का उत्तम स्तर

(iii) अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों तथा प्रशासन/वित्त में विस्तृत प्रयोग हेतु एक पर्याप्त कम्प्यूटर प्रणाली।

(iv) शिक्षक स्तरोन्नयन को सुकर बनाना।

(v) उद्योग और आम जनता के लिए कार्यक्रम आरंभ करना।

8.8.4 चार तकनीकी विषयों : अभिकल्प (क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज इलाहाबाद तथा जयपुर), ऊर्जा (क्षेत्रीय इंजनियरी कालेज भोपाल तथा तिरुचरापल्ली), सामग्री इंजीनियरी (क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर तथा राउरकेला) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतकल और वारंगल) में 8 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को सहायता के जरिए भारत में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक भारत-ब्रिटेन तकनीकी सहयोग परियोजना प्रगति पर है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड

8.9.1 इंजीनियरी कालेजों और पालिटेक्निकों से उतीर्ण इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों को औद्योगिकी प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और मद्रास में क्षेत्रीय प्रशिक्षुता बोर्ड स्थापित किए गए।

8.9.2 इस बोर्ड का मुख्य कार्य प्रशिक्षुता (संशोधन) अधिनियम, 1973 और 1986 के उपबंध के कार्यान्वयन करना है।

8.9.3 प्रत्येक वर्ष, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिलहाल लगभग 23,000 (तेइस हजार) प्रशिक्षु हैं।

कोलम्बो स्टाफ कालेज योजना : मनीला

8.10.1 तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो योजना स्टाफ कालेज, मनीला का मुख्य लक्ष्य सदस्य देशों में सेवारत प्रशिक्षण एवं स्टाफ विकास कार्यक्रम में सक्रिय भाग लेने वाले तकनीकी शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों तथा तकनीकी शिक्षा पद्धति के स्टाफ की जरूरतों को पूरा करके कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। कालेज के मुख्य कार्य हैं :—

1. आगे व्यावसायिक तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों को प्रदान करना :
2. तकनीशियन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन सम्मेलनों को आयोजित करना :
3. विशेष पाठ्यक्रमों को आरंभ करने में सहायता करना :
4. अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसका समन्वय करना :
5. प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में सहायता करना :
6. तकनीकी शिक्षा के बारे में सूचना एकत्रित करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना।

8.10.2 उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए कोलम्बो योजना स्टाफ कालेज/कालेज गांव आधारित पाठ्यक्रमों, उप-क्षेत्रीय कार्यशालाओं और स्वदेशी पाठ्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मंत्रालय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

8.11.1 यह कालेज भारत सरकार तथा उद्योग के संयुक्त उपक्रम के रूप में वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। इस कालेज की अपनी विशेषज्ञता न केवल उत्तर अनुभव प्रबंध विकास कार्यक्रमों में है अपितु उत्पादन, विपणन वित्त, सामग्री प्रबंध तथा निवेश आयोजना जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में भी है।

8.11.2 यह कालेज भारत सरकार के सचिवों तथा शीर्षस्थ कार्याधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है ताकि एक नई प्रशासनिक संस्कृति विकसित हो सके। इस कालेज ने सामान्य शोध परियोजनाओं तथा परामर्शी समनुदेशनों को भी पूरा किया है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बी० पी० ई०) द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक उद्यम के लिए उच्च प्रबंध कार्यक्रम को आरंभ करना एक अन्य उल्लेखनीय प्रयास है। कालेज अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने में आत्मनिर्भर हो गया है।

तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन-राज्य सरकारों को सहायता देना।

8.12.0 इंजीनियरी कालेजों तथा अन्य डिग्री स्तर की तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के वेतनमानों को 1-1-1986 से संशोधित किया गया है। केन्द्र सरकार, उन राज्य सरकारों को जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संशोधित वेतनमानों को अपनाया है। 1-1-1986 से 31-3-1990 तक इस योजना के कार्यान्वयन में निहित अतिरिक्त व्यय के 80% भाग की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस संशोधन के कारण होने वाली अतिरिक्त व्यय के 80% भाग को पूरा करने के लिए मार्च, 1994 के अंत तक विभिन्न राज्य सरकारों को 32 करोड़ रुपए की कुल राशि दी गई।

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना :

8.13.1 तकनीशियन शिक्षा प्रणाली को पुन: तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है, सरकार ने एक प्रमुख परियोजना शुरू की है जिसे विश्व बैंक की सहायता से दो मिले जुले चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें अपने-अपने पॉलिटेक्निकों की क्षमता, कोटि और दक्षता को स्तरोन्नत कर सकें।

8.13.2 तकनीकी शिक्षा में सहायता हेतु इस विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना पर 1650.00 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है जिसमें 1990-99 की अवधि में 373.3 मिलियन के विशेष आहरण अधिकारों संबंधी विश्व बैंक की ऋण सहायता शामिल है। इन दो

परियोजनाओं में 17 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं जिनमें 542 पॉलिटेक्निक हैं। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पॉलिटेक्निकों को इस योजना में निर्मित संपूर्ण ढांचे, और लचीलेपन के अंतर्गत विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तावित किया गया है। यह मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र परियोजना है और समस्त लागत भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य योजनागत आबंटनों में से प्रदान की जाएगी। यह परियोजना, शिक्षा विभाग के समग्र मार्गदर्शन सहायता और अनुश्रवण के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसके लिए परियोजना में देश में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक और मंत्रालय में एक राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय की स्थापना सहित एक केन्द्रीय घटक का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा परियोजना सह-शिक्षा पॉलिटेक्निकों में महिलाओं को सीटें प्रदान करने के अतिरिक्त महिलाओं के लिए 39 नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना करके पॉलिटेक्निकों में महिलाओं के लिए 9200 अतिरिक्त स्थानों के सृजन के जरिए महिला शिक्षा पर बल देती है। परियोजना में छात्राओं के लिए अतिरिक्त छात्रावास सुविधाओं का भी प्रावधान है।

8.13.3 विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई 9 राज्यों में परियोजना की मध्य अवधि समीक्षा संतोषजनक पाई गई और इस प्रकार परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

उपस्करों तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात के लिए पास बुक योजना/सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र

8.14.0 अनुसंधान के कार्यों के लिए वैज्ञानिक उपस्करों के तेजी से आयात तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए वर्ष 1988 से एक पास बुक योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपस्कर, साज-सामान तथा उपभोज्य वस्तुओं के आयात शुल्क के बिना ही आयात करने की छूट मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत आयात के लिए संस्थान के प्रमुख को यह प्रमाणित करने का अधिकार होगा कि इसकी बहुत जरूरत है तथा 'इसका निर्माण भारत में' नहीं होता' की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। कुल सी०आई०एफ० कीमत की अधिकतम सीमा एक वर्ष के वास्ते उपस्कर इत्यादि के लिए 5.00 करोड़ रु० तथा उपभोज्य वस्तुओं के लिए 2.00 करोड़ रु० है इसमें कोई एक उपकरण/उपभोज्य वस्तु शामिल नहीं होगी जिसकी एक वर्ष में कुल सी०आई०एफ० की कीमत 20 लाख रु० से अधिक होती है। उन सभी वस्तुओं सहित किसी भी एकल वस्तु जिनकी सी०आई०एफ० कीमत 20 लाख रु० से अधिक होती है उनके लिए सी०डी०ई० प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस योजना में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थाएं, विश्वविद्यालय तथा कालेज भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालयों और कालेजों को पास बुक जारी करने के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान (सितम्बर, 1994 तक) लगभग 348 पास बुक तथा 265 सी०डी०ई० प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

शैक्षणिक अर्हता निर्धारण बोर्ड

8.15.1 केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों और सेवाओं पर रोजगार के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक अर्हता निर्धारण बोर्ड का गठन किया गया। शिक्षा विभाग में तकनीकी शिक्षा ब्यूरो इस बोर्ड का सचिवालय है और संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य इस बोर्ड का अध्यक्ष है।

8.15.2 शैक्षणिक अर्हता निर्धारण बोर्ड की 21वीं बैठक 9 सितम्बर, 1994 को हुई।

सामुदायिक पॉलिटेक्निक

8.16.1 सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना को 1978-79 में 36 पॉलिटेक्निकों में प्रयोगात्मक आधार पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में निवेश से होने वाले लाभों में ग्रामीण समाज को उचित रूप से भागीदार बनाने के विचार से सीधी केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत संस्थापित किया गया। सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना का उद्देश्य सामाजिक उदार और सूक्ष्म स्तर योजना तथा मूल स्तर पर जनता की भागीदारी द्वारा सामान्य व्यक्ति के जीवन की कोटि में सुधार करके पर्यावरणिक अपकर्ष के बिना सतत् सामुदायिक विकास है। योजना में गरीबी दूर करके, रोजगार के अवसर जुटाने तथा स्थानीय संस्कृति के जरिए महिलाओं के लिए कड़ी मज़दूरी को हटाने, आयु, लिंग या योग्यता की बाधा के बिना कुशलता उन्मुख तकनीकी/व्यावसायिक व्यापारी में विशिष्ट अनौपचारिक आवश्यकता आधारित लघुकालिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। प्रशिक्षण विशेष रूप से महिलाओं/अल्प संख्यकों व समाज के कमजोर वर्गों सहित बेरोजगार/रोजगाराधीन युवा/स्कूल/कालेज बीच में छोड़ कर जाने वाले छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। सामुदायिक पॉलिटेक्निक प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, तकनीकी सहायता व समुदाय के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी जागरूकता जैसे कार्यकलाप भी शुरू करता है।

8.16.2 अपने संस्थागत ढांचे व नेटवर्क के द्वारा सामुदायिक पॉलिटेक्निक ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, प्राधिकृत स्वैच्छिक संगठनों आदि से संपर्क द्वारा समाज को मूल स्तर पर सम्मिलित कर लेते हैं तथा दूर-दराज गांवों में अपने विस्तार केन्द्र स्थापित कर लेते हैं। ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए समुचित और संगत, सरल लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकी के विकास, संशोधन, अभिग्रहण अनुकूलन और समावेशन हेतु सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के लिए शोध और विकास सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक पॉलिटेक्निकों/ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के लिए शैक्षिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता एवं मार्ग दर्शन के लिए संसाधन संस्थान के रूप में काम करते हैं।

8.16.3 संबंधित स्थानीय समाज आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप करीब 100 तकनीकी/व्यावसायिक व्यवसायों को रोजगारोन्मुख कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया है। आयोजित किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का प्रस्ताव नहीं किया गया है तथापि महिलाओं, अल्पसंख्यकों व पढ़ाई बीच में छोड़ कर जाने वालों को प्रोत्साहित किया गया। देश के सभी अल्पसंख्यक बहुल जिलों (संख्या में 41) को योजना के अधीन

शामिल कर लिया गया है। सामुदायिक पॉलिटेक्निक निम्नलिखित कार्य करते हैं :—

— सामाजिक सर्वेक्षण

— जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण

— प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण

— उद्यमशीलता विकास की ओर तकनीकी व सहायक सेवाएं

— सूचना-प्रसार

8.16.4 सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना में अनुसंधान तथा विकास सहायता हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना करना शामिल हैं। तकनीकी के विकास, नवीनीकरण व अनुकूलन के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के रूप में 31 डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों का चयन किया गया है जैसे कि सामुदायिक पॉलिटेक्निक के लिए आर० व डी० पद्धति। योजना के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों को अलग अनुदान दिए जा रहे हैं।

8.16.5 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सामुदायिक पॉलिटेक्निक ने दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना की है ताकि इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने सुविधाएं और सेवाएं गांवों के ठीक पास हीं उपलब्ध कराई जा सके। बायोगैस संयंत्र, पवनचक्की, धुआं रहित चूल्हा, ग्रामीण शौचालय, सौर यंत्र, खेती के उपकरण इत्यादि सहित प्रौद्योगिकी की जांच की गई और अनुमोदित मदों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए सामुदायिक पॉलिटेक्निकों ने अच्छी भूमिका निभाई है। इन संस्थानों ने अनेक सरकारी, गैर-सरकारी निकायों के साथ कारगर सहयोग किया है। इसमें से अधिकांश सामुदायिक सहायता सेवाओं जैसे सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, सामुदायिक अपशेष निकास प्रणाली और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता आदि कार्यक्रमों की योजना एवं उसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं।

8.16.6 इस योजना के माध्यम से मुख्य रूप से गैर-औपचारिक अल्पकालिक प्रशिक्षण, विभिन्न व्यवसायों में सक्षमता तथा आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से अथवा आवश्यकता के आधार पर बहु-कौशलों से रोजगार तैयार किए जाते हैं। मार्च, 1994 तक लगभग 3 लाख युवकों को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया जिनमें से लगभग 60% ने स्व-मजदूरी रोजगार प्राप्त कर लिया।

8.16.7 इन योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए गए रोजगारों को हम विस्तृत रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं :—

(1) इस योजना में सीधे वेतन रोजगार

(2) प्रशिक्षित युवकों को स्वत: रोजगार

(3) ग्रामीण परियोजनाओं/उद्योगों तथा सेवाओं में वेतन रोजगार।

8.16.8 वर्ष 1994-95 के दौरान स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों सहित लगभग 70,000 ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को, विभिन्न तकनीकी/व्यावसायिक व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया है तथा उनमें से कई स्वरोज़गार में लग चुके हैं। योजना तथा इसके उद्देश्यों के कार्यान्वयन की पूर्व समीक्षा की गई तथा संशोधित मानदंडों के साथ एक संशोधित योजना तैयार की गई। संशोधित मानदंड अनुमोदन हेतु विचाराधीन है तथा आशा की जाती है कि संशोधित योजना 1994-95 तक कार्यान्वित कर दी जायेगी। आठवीं योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा। (1) महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, (2) आय उत्पादक तकनीकी-आर्थिक कार्यकलापों के माध्यम से नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता सतत शिक्षा, (3) क्षेत्र विशेष एवं संस्कृति विशेष जनजातीय क्षेत्र घटक कार्यक्रम, (4) निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, (i) कम लागत आवास, (ii) ग्रामीण जनता के लिए सुरक्षित पेयजल, (iii) ग्रामीण स्वच्छता, (iv) गैर-परम्परागत और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, (v) कृषि खेती शिक्षण एवं कृषि सिंचाई और (vi) ग्रामीण यातायात।

8.16.9 सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रोन्नति हेतु एक उचित कार्यनीति विकसित करने के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित चार प्रादेशिक कार्यशालाएं आयोजित की।

8.16.10 यूनिसेफ से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) भारत में विकसित और कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी कला की स्थिति का पुनरीक्षण।

(ii) ग्रामीण स्वच्छता के लिए विभिन्न तकनीकी विकल्पों एवं डिजाईन विकल्पों के साथ ही विविध सामाजिक आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण और देश में व्याप्त भू-आर्द्रता परिस्थितियों एवं कृषि संबंधी जलवायु का निर्धारण।

(iii) उचित कम लागत ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में सामुदायिक पॉलिटेक्निकों/ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों के योगदान का प्रलेखन।

(iv) तकनीकी रूप से ठीक एवं उपयुक्त, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य कम लागत वाली ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास।

(v) कार्यान्वयन के लिए टेक्नालॉजी के उपयुक्त नमूने तैयार करने हेतु सिफारिशें।

(vi) कम लागत वाली उपयुक्त ग्रामीण स्वच्छता प्रौद्योगिकी के विकास और अंतरण से संबंधित कार्यान्वयन नीति और सी०ई०आर०टी०/सी०पी० की भूमिका।

(vii) ग्रामीण स्वच्छता में मानव संसाधन विकास।

(viii) स्वच्छ स्वास्थ्य, निजी, घरेलू और सामुदायिक स्वच्छ आदतों का विकास।

(ix) ग्रामीण स्वच्छता में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता और अभिप्रेरणा उत्पन्न करना।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान

8.17.1 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान 1986 में इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विज्ञान धाराओं के साथ-साथ इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति पैदा करने के लिए स्थापित किया गया था। जहां शिक्षा विभाग उ० पू० क्षे० वि० प्रौ० संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दे रहा है वहीं इसे पूर्वोत्तर परिषद् के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 1994-95 से संस्थान का वित्त पोषण शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। उ० पू० क्षे० वि० प्रौ० संस्थान की प्रौद्योगिकी तथा प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वर्ष की अवधि वाले प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री के लिए माड्यूलर कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए एक अकेले संस्थान के रूप में माना जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान की अनंतिम संबद्धता उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। इस संस्थान को विश्वविद्यालय स्तर प्रदान करने संबंधी मामला विचाराधीन है। संस्थान के शैक्षिक एवं अन्य विकासात्मक मामलों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

8.17.2 फिलहाल (1994-95), संस्थान प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री स्तरों के निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

I. प्रमाण-पत्र (दो वर्ष)

1. कृषि इंजीनियरी
2. निर्माण प्रौद्योगिकी
3. अनुरक्षण इंजीनियरी (इलैक्ट्रिकल)
4. अनुरक्षण इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिक्स)
5. अनुरक्षण इंजीनियरी (यांत्रिक)
6. वन विद्या

II. डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्ष)

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी
4. विद्युत इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरी
6. यांत्रिकी इंजीनियरी

III. डिग्री स्तर (दो वर्ष)

1. कृषि इंजीनियरी
2. सिविल इंजीनियरी
3. कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी
4. विद्युत इंजीनियरी
5. इलैक्ट्रानिक्स एवं संचार इंजीनियरी
6. यांत्रिकी इंजीनियरी
7. वन विद्या (4 वर्ष)

शैक्षिक परामर्शक भारत लिमिटेड, नई दिल्ली

8.18.1 शैक्षिक परामर्शक भारत लिमिटेड इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसे 17 जून, 1981 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित किया गया था। यह एक निदेशक मंडल के मार्गदर्शन में कार्य करता है जिसमें कार्य केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व है। इसका एक अंशकालिक पदेन अध्यक्ष है तथा एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक है।

8.18.2 वर्ष के दौरान, निगम ने मारीशस में मूलभूत शिक्षा परिसर के लिए स्पेस आयोजना परियोजना का निष्पादन किया है। कंपनी ने इथोपीया में मिंच वाटर प्रौद्योगिकी संस्थान की परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट को भी पूरा किया जिसे इसे पिछले वर्ष दिया गया था। इसके अलावा, कंपनी को यूनिको द्वारा भारत में तकनीकी शिक्षा में आदर्श लक्षित कालेजों की जांच करने की एक परियोजना दी गई थी और उसे भी वर्ष के दौरान ही पूरा किया गया था।

8.18.3 कंपनी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, असम परियोजना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछले वर्षों में दिया गया उच्च शिक्षा संबंधित अंन-शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन कार्य को पूरा किया। कंपनी ने गोडफरे फिलि इंडिया द्वारा जनसंख्या शिक्षा का मूल्यांकन, उड़ीसा तथा ग्रामीण संस्थान की स्थापना के लिए व्यावहारिकता-पूर्व रिपोर्ट जैसी कुछ अन्य परियोजनाओं को भी पूरा किया।

8.18.4 कंपनी को कुछ दूसरी परियोजनाएं, जैसे कि भारतीय स्कूल, जेद्दा के प्रधानाचार्य का चयन, भारतीय स्कूल दूतावास रियाद के लिए शिक्षकों का चयन, अलेमया विश्वविद्यालय, इथोपिया में पांच कृषि विशेषज्ञों का चयन, भी प्रदान की गई। इसने पुस्तकों तथा शैक्षिक सहायक सामग्री की कुछ आपूर्ति भी की जैसे कि नाम्बिया को स्कूल उपस्करों तथा कोपरबैल्ट विश्वविद्यालय जाम्बिया को पुस्तकों की आपूर्ति, ये दोनों ही विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई थीं।

8.18.5 भारत में नाहर तथा रेवाड़ी (हरियाणा) में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना तथा इलैक्ट्रानिक डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र गोरखपुर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। शैक्षिक परिसर कलिंग विहार, उड़ीसा के लिए मास्टर योजना तथा कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यचर्या विकास जैसी परामर्शी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं।

8.18.6 वर्ष के दौरान निगम ने 3.05 करोड़ रु० का कारोबार किया तथा कर से पूर्व 0.59 करोड़ रु० का लाभ अर्जित किया। कंपनी ने वर्ष 1992-93 के दौरान 10% लाभांश प्रस्तावित किया है। आठवीं योजना अवधि के लिए योजना का अनुमोदित परिव्यय 0.10 करोड़ रु० है। वर्ष 1993-94 के लिए 0.02 करोड़ रु० का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान

8.19.0 संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना पंजाब राज्य की विशेष तकनीकी जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई। संस्थान विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करेगा ताकि राज्य की विशेष जरूरतों को एक समेकित तरीके से पूरा किया जा सके। आवश्यक अवसंरचना का सृजन किया गया तथा शैक्षिक सत्र को 5 प्रमाण पत्र तथा 3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से शुरू किया गया। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत किए गए सभी 12 प्रमाण पत्र तथा 10 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रगति पर हैं।

9. प्रौढ़ शिक्षा

12—1000 M/o HRD/94

9. प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

9.1.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया है ताकि वर्ष 1997 तक 10 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। देश में साक्षरता प्रयासों में अन्तर्राष्ट्रीय रूचि अब स्पष्ट हो गई है तथा कई देशों ने यूनेस्को के माध्यम से हमारे इस कार्य को समझने की तथा इसमें भाग लेने की कोशिश की है। दूसरी ओर उन चार महत्वपूर्ण राज्यों में कार्यक्रम के केन्द्र-बिन्दु को समेकित करने तथा इसमें तेजी लाने के लिए प्रयास किए गए है जहां अधिकतर निरक्षर जनसंख्या रहती है। कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीतियों को स्पष्ट किया गया तथा विशेषकर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् उत्तर साक्षरता के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अन्तिम रूप दिया गया। दूसरी ओर सतत शिक्षा तथा जीवन-पर्यन्त अध्ययन के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए नए प्रयास किए गए।

9.1.2 यह मिशन, जो कि वर्ष 1995 तक 15—35 आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था जिसे अब वर्ष 1997 तक अर्थात् 8वीं योजना के अंत तक बढ़ाया गया है और इसमें 10 करोड़ व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसमें 15—35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल करने के लक्ष्य के अलावा जहां कहीं भी जरूरत होगी इसमें 9—14 आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा।

9.1.3 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, जिसे अब मिशन के अंतर्गत निरक्षरता दूर करने के लिए एक मुख्य नीति के रूप में स्थापित किया गया है तथा स्वीकार्य किया गया है, इसको देश के 338 जिलों में बढ़ाया गया है और इनमें से 130 जिलों में उत्तर साक्षरता चरण का कार्य चल रहा है। अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम में लगभग 71.12 मिलियन अध्येताओं को नामांकित किया गया और 44.70 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने की सूचना मिली है।

मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा

9.2.0 साक्षरता पर राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति और विकेन्द्रीकृत शिक्षा प्रबन्ध और सभी के लिए शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों पर केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए 15 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित चर्चाओं का सारांश नीचे दिया गया है।

सम्मेलन में सभी की यह सम्मति थी कि देश की विकास कार्य सूची में सभी के लिए शिक्षा को उच्च स्थान दिया जाऐ। नवीं योजना से राष्ट्रीय आय का छह प्रतिशत शिक्षा पर निवेश करने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए, मुख्य मंत्रियों ने संसाधनों के जुटाव में केन्द्रीय सरकार के प्रयासों को सहयोग देने और राज्य योजनाओं में प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने के लिए सहमति दी।

इस पर भी सहमति प्रकट की गई कि संसाधनों के अधिक आवंटन के साथ-साथ, उनके राज्यों में कार्यक्रमों के प्रभावशाली कार्यान्वयन और मानिटरिंग के माध्यम से संसाधनों के उत्तम प्रयोग को सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। मुख्य मंत्रियों को अपने क्षेत्र में प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी के लिए शिक्षा को उच्च प्राथमिकता और शिक्षा सेवाओं के प्रबन्ध और कार्यक्रमों को अधिक सशक्त रूप से लागू करने के लिए पूरे राज्य में उचित निर्देश दिए जा सकें।

गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक संघों और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता इस चर्चा में स्पष्ट रूप से सामने आयी। यह सबकी धारणा थी कि शैक्षिक प्रशासन का उचित रूप से विकेन्द्रीकरण और अधिक सामुदायिक भागीदारी के बिना हम प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार विद्यालय एक मुख्य सामाजिक संगठन होना चाहिए जैसा कि पहले हुआ करता था।

मुख्य मंत्री इस पर भी सहमत थे कि प्राथमिक शिक्षा और शिशु परिचर्या और शिक्षा (ई० सी० सी० ई०) बाल समेकित विकास सेवाएं, स्कूल स्वास्थ्य और पोषण जैसी संबद्ध सेवाओं को प्रोन्नत करने के प्रयास किए जाएं। यह भी अनुभव किया गया कि दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ नामांकन को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले छात्रों में कमी करने के लिए प्रयास किए जाएं।

यह भी महसूस किया गया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में विशिष्ट प्रयत्न करने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास तथा पोषण से सम्बद्ध क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति बनाए रखने एवं सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से मुख्य मंत्रियों के एक समूह द्वारा इन राज्यों में कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाए।

भोपाल में 1 जुलाई, 94 को बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक

9.3.0 प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र
1994-95

9.4.6 अब तक 338 जिला पूर्ण साक्षरता अभियान तथा 130 जिला उत्तर साक्षरता अभियान परियोजनाएं अनुमोदित की गई है।

9.4.7 वर्ष 1993-94 में अनुमोदित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न हैं। (परिशिष्ट-क में देखिए)

9.4.8 सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों पर बल अब उन हिन्दी भाषी राज्यों में दिया गया है जहां अधिकतर निरक्षर जनसंख्या रहती है। यह आशा की जाती है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की बकाया अवधि में पूर्ण साक्षरता अभियान की सतत प्रक्रिया प्रौढ़ निरक्षरों की समस्या को काफी हद तक हल कर सकती है। अभी तक हिन्दी भाषी राज्यों में पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 93 जिलों को तथा उत्तर साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 13 जिलों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

9.4.9 यत: सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन देश में आधे से अधिक जिलों तक बढ़ाया गया है अत: यह जरूरी समझा गया कि राज्य सरकार की अधिक सक्रिय सहभागिता से अनुश्रवण तंत्र में सुधार किया जाए जो कि राज्य स्तर पर एक तिमाही अनुश्रवण प्रणाली का गठन करके तथा साक्षरता अभियान के लिए राजनैतिक वचनबद्धता को सुनिश्चित करके किया जाएगा।

उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा

9.5.1 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के नव-साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है ताकि उन्हें फिर से निरक्षर हो जाने से बचाया जा सके। यह योजना पूरे देश में एक चरणबद्ध तरीके से जन शिक्षण निलयमों की स्थापना के माध्यम से मार्च, 1988 से शुरू की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य नव-साक्षरों को सतत शिक्षा के अवसर प्रदान करना है ताकि वे प्रारम्भिक साक्षरता से आगे अपना अध्ययन जारी रख सकें और वे अपने रहन-सहन में सुधार लाने के लिए अपने अध्ययन का उपयोग कर सकें।

9.5.2 इस योजना की शुरूआत से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों में लगभग 22,000 जन शिक्षण निलयम संस्वीकृत किए गए हैं और जिनमें से लगभग 18,000 जन शिक्षण निलयम वर्ष 1994-95 के दौरान चल रहे थे। इन जन शिक्षण निलयमों से केन्द्र आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के नव साक्षरों को अनिवार्य रूप से मदद मिलेगी। प्रत्येक जन शिक्षण निलयमों में लगभग 5,000 की जनसंख्या वाले 4 से 5 ग्रामों को शामिल किए जाने की आशा है। इस योजना के अन्तर्गत गठित किए गए जन-शिक्षण निलयमों को इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि वे साक्षरता दक्षता के प्रयोग करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए अवसर तथा सुविधाएं प्रदान कर सकें।

9.5.3 उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का केन्द्र आधारित दृष्टिकोण से जन-समूह अभियान दृष्टिकोण की नीति में स्थानान्तरण के लिए इस नीति में उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता है। पूर्ण साक्षरता अभियानों से बनाए गए नव-साक्षरों की बहुत बड़ी संख्या की उत्तर साक्षरता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जन शिक्षण निलयम का दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। इस समय पूर्ण साक्षरता अभियानों के नव साक्षरों की उत्तर साक्षरता की आवश्यकता को, पूर्ण साक्षरता अभियान के अनुवर्ती चरण के रूप में उत्तर साक्षरता अभियानों का आयोजन करके पूरा किया जा रहा है। नव साक्षरों की सतत शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक गतिशील और संस्थागत प्रबन्ध किए जाने चाहिए। अगस्त, 1993 में हुई अपनी बैठक में व्यय वित्त समिति ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन शिक्षण निलयमों की योजना का आगे और विस्तार करने से पहले बाह्य एजेंसी द्वारा इस योजना के मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिश की। तद्नुसार, मूल्यांकन अध्ययन का कार्य समाज अनुसंधान संस्थान को दिया गया। इसने अक्तूबर, 94 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन से यह स्पष्ट था कि इस योजना के ग्रामीण जनसंख्या पर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव डाला है। तथापि, इस अध्ययन ने जन शिक्षण निलयम योजना के कार्यान्वयन में कुछ विशिष्ट कमियां दर्शाई और इसकी कमियों और पहुंच में सुधार करने के उपायों की सिफारिश की। इसके निष्कर्षों का संक्षिप्त सार और सिफारिशें परिशिष्ट-I में दी गई हैं। तद्नुसार, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की विद्यमान योजना को पुन: तैयार किया जा रहा है और अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में इस संशोधित योजना के शुरू होने की आशा है।

स्वैच्छिक एजेंसियां

9.6.1 प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में शुरू की गई थी। प्रारम्भ में, स्वैच्छिक एजेंसियों को केन्द्र आधारित पद्धति में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती थी। बाद में इस योजना को संशोधित किया गया।

9.6.2 संशोधित पद्धति के अन्तर्गत, स्वैच्छिक एजेंसियों का क्षेत्र विशेष पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान परियोजनाएं शुरू करने, जन शिक्षण निलयमों की स्थापना तथा उन्हें चलाना, पुस्तकों/पत्रिकाओं का प्रकाशन, कार्यशाला संगोष्ठी सम्मेलन आदि के आयोजन एवं साक्षरता परियोजनाओं तथा संसाधन विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लक्षित शिक्षु 15—35 आयु वर्ष में है। यह दृष्टिकोण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है तथा सामान्य रूप से समाज सेवा में और विशेषरूप से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की वरीयता प्रदान की जाएगी।

9.6.3 इस संशोधित योजना में क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान का प्रावधान किया गया है तथा प्रशासनिक लागत व्यय को परियोजना की कुल लागत का केवल 9% तक सीमित किया गया है। यह योजना अब तक राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय रूप से कार्यान्वित की जाती थी परन्तु अब इसे विकेन्द्रीकृत किया गया है।

9.6.4 संशोधित योजना के अन्तर्गत, राज्य संसाधन केन्द्रों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है और इसे शत-प्रतिशत आधार पर वित्त पोषित किया जाएगा। इन्हें सुदृढ़ बनाने, इसकी सक्षमता में वृद्धि करने तथा साक्षरता प्रयासों में इन्हें अधिक तेजी से शामिल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

9.6.5 पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान परियोजनाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान चार नए राज्य संसाधन केन्द्रों का गठन करना अनुमोदित किया गया है।

9.6.6 अभी तक 146 पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं जिनमें 1994-95 में अनुमोदित 38 परियोजनाएं भी शामिल हैं, कुल लगभग 20 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए 141 स्वैच्छिक एजेंसियों को संस्वीकृत की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश में 1, असम में 8, बिहार में 23, हरियाणा में 1, मध्य प्रदेश में 7, मणिपुर में 1, उड़ीसा में 17, पंजाब में 3, राजस्थान में 9, तमिलनाडु में 13, उत्तर प्रदेश में 59, पश्चिम बंगाल में 1 और दिल्ली में 3 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं की परियोजनावधि 1 से 3 वर्ष के बीच की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जन शिक्षण निलयम परियोजनाओं को जारी रखने के लिए 14 स्वैच्छिक एजेंसियों को आवर्ती अनुदान संस्वीकृत किया गया है। पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाओं के नव-साक्षरों को उत्तर साक्षरता सेवाएं देने के लिए उत्तर साक्षरता अभियान परियोजनाओं को 28 स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए संस्वीकृत किया गया है। महिला मुद्दों पर प्रकाश डालने वाली "सबला" नाम की द्विमासिक पत्रिका को प्रकाशित करने वाले स्वैच्छिक संगठन को प्रति अंक की 16,000 प्रतियों की बढ़ाई गई प्रसार संख्या के लिए इस वर्ष के दौरान वित्तीय सहयोग देना जारी रखा गया। एक अन्य स्वैच्छिक एजेंसी को महिला मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए नव साक्षरों के लिए एक पत्रिका के प्रकाशन के लिए एक परियोजना भी अनुमोदित की गई है।

9.6.7 राज्य संसाधन केन्द्रों ने भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यकलापों में भाग लेने को बढ़ावा देने के लिए लेखक कार्यशालाओं/सेमिनारों को आयोजित किया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को तकनीकी शिक्षण संसाधन देने वाले 7 जिला संसाधन एकक भी कार्यरत रहे हैं।

9.6.8 वर्ष 1993-94 के दौरान एक लाख और इससे अधिक रु० के अनुदान राशि को प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की सूची अनुबन्ध-I में संलग्न है।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना

9.7.0 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना 2 अक्तूबर, 1978 को शुरू की गई राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ शुरू की गई पुरानी योजनाओं में से एक है। यह एक केन्द्र आधारित कार्यक्रम है। मूल्यांकन अध्ययन और आन्तरिक मूल्यांकन के निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर, ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना को पुन: संगठित किया गया और बहुत से संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। पूर्ण साक्षरता अभियानों की सफलता के फलस्वरूप, अप्रैल, 1991 से लगभग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों केन्द्र आधारित कार्यक्रम बन्द कर दिए गए। तथापि व्यय वित्त समिति ने जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और अन्य दुर्गम स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में 1994-95 से पुनर्गठित ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना योजना के कार्यान्वयन की सिफारिश की गई। इस योजना के अन्तर्गत 1994-95 के लिए 6.00 करोड़ रु० का प्रावधान है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

9.8.1 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय) ने प्रौढ़ शिक्षा तथा पूर्ण साक्षरता अभियानों में एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना जारी रखा है। निदेशालय की विशिष्ट विशेषज्ञों तथा प्रशासनिक कार्यों सहित 6 इकाइयां हैं। वर्ष के दौरान निदेशालय की कार्य योजना में निम्नलिखित मुख्य क्रियाकलाप सम्मिलित किए गए।

सामग्री तैयार करना तथा निगरानी

9.8.2 राज्य संसाधन केन्द्रों तथा पूर्ण साक्षरता जिलों द्वारा विकसित की गई शैक्षणिक सामग्री की समीक्षा करने के लिए निदेशालय ने संशोधित गति तथा अध्ययन की विषय वस्तु (आई पी सी एल) सलाहकार समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित कीं। इसमें मूल साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धान्त निर्धारित किए गए तथा सामग्री के डिजाइन तथा रख-रखाव की कला में, क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9.8.3 डोगरी बोधी, कोखोरक तथा औंगा भाषाओं में आई पी सी एल सामग्री तैयार करने के लिए जम्मू, लेह, अगरतला, ईटानगर तथा दीमापुर में लेखकों की कार्यशालाएं आयोजित की गई। इससे प्रौढ़ों को वहां बोली जाने वाली सम्बन्धित भाषा में पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

9.8.4 उत्तर साक्षरता प्रशिक्षण के लिए पुस्तकें विकसित करने के लिए नव-साक्षरों के लिए मानक प्रारूप (प्रोटोटाइप) सामग्री विकसित करने के लिए प्रणालियों पर चर्चा की गई।

प्रशिक्षण

9.8.5 साक्षरता विषय पर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल तथा भूटान से लोगों को आमंत्रित करके 19—29 जुलाई, 1994 को यूनेस्को तथा एसपबे (ए एस पी बी ए ई) द्वारा प्रायोजित एक दस-दिवसीय उप-क्षेत्रीय चल कार्यशाला आयोजित की गई।

9.8.6 पूर्ण साक्षरता अभियान के विशेष संदर्भ सहित संसाधन व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षुओं तथा स्वैच्छिक अनुदेशकों के लिए प्रशिक्षण मानदण्ड विकसित किए गए।

9.8.7 राज्यों/संघ शासित प्रशासनों, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जिला साक्षरता समितियों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए छ: प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9.8.8 कार्यकर्ताओं के व्यावसायिक विकास के लिए छ: शोध पत्रों को अन्तिम रूप प्रदान किया गया। प्रशिक्षण नियमावली (मैनुअल) "सीखने के भागीदार" को हिन्दी में अनूदित किया गया।

राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही संसाधन सहायता

9.8.9 राज्य संसाधन केन्द्रों की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें इस क्षेत्र में प्रदान की जा रही संसाधन सहायता का उल्लेख किया गया।

9.8.10 राज्य संसाधन केन्द्रों के बोर्डों में कार्यरत 32 लेखकों को आमंत्रित करके 13-14 अप्रैल, 94 को नीपा, नई दिल्ली में एक बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई ताकि उन्हें पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकें। राज्य संसाधन केन्द्रों से यह आशा की जाती है कि वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाए तथा अपने सम्बन्धित क्षेत्र/भाषा में लोगों को सम्प्रेरित करें।

9.8.11 राज्य संसाधन केन्द्रों के निदेशकों की एक बैठक 14 जुलाई, 94 को नीपा, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें निम्नलिखित बातों पर चर्चा की गई।

* राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रम,
* चल रहे साक्षरता अभियानों को संसाधन सहायता प्रदान करना तथा उन्हें सुदृढ़ बनाना,
* सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों में लेखक नामांकितों की सहभागिता,
* कार्य योजना तैयार करना तथा उसकी समीक्षा करना,
* लेखकों/पत्रकारों के समुदाय को शामिल करना,
* साक्षरता तथा विकासशील कार्यक्रमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना,

प्रबन्ध सूचना प्रणाली

(क) साक्षरता अभियानों का अनुश्रवण

9.8.12 साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन की गति तथा प्रगति को मानिटर करने की एक जिम्मेदारी के रूप में, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने आवधिक रूप से रिपोर्टों को एकत्र करना, उनकी जांच करना तथा उनका संचयन करने का कार्य जारी रखा। इसके अलावा, वर्ष 1993-94 की एक वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की गई तथा उस रिपोर्ट का अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री प्रणव मुखर्जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। वर्ष के दौरान। 1 जुलाई, 1994 को भोपाल में बिहार, मध्य प्रदेश , राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें इस कार्य को दर्शाने वाला एक दस्तावेज तैयार किया गया।

9.8.13 प्रत्येक माह 282 साक्षरता अभियान वाले जिलों से तथा 105 उत्तर साक्षरता वाले जिलों से सूचना प्राप्त होती है और उस सूचना को संगणक में रखा जाता है। इन जिलों में परियोजना/अभियानों के कार्यकरण के विश्लेषण के आधार पर इन जिलों के उपयुक्त पुनर्निवेश सलाह प्रदान की जाती है। वर्तमान प्रबन्ध सूचना प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चत करना है कि निष्पादन स्तर में सुधार हो तथा उपलब्धियां बढ़ाई जा सकें।

9.8.14. निदेशालय में प्राप्त अनुश्रवण विवरणी के अलावा, प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परामर्शकों तथा प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा आवधिक दौरों की प्रणाली से गुणात्मक सूचना एकत्र करने में तथा कार्यक्रम संचालन के गहन अध्ययन में सहायता मिलेगी जो कि अनुश्रवण विवरणियों से अन्यथा रूप से प्राप्त नहीं हो सकेगी।

9.8.15 निदेशालय, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कार्य का पूर्व मूल्यांकन करने में भी मदद कर रहा है तथा अपने क्षेत्र में साक्षरता अभियानों को शुरू करने के लिए विभिन्न जिलों की तत्परता के बारे में भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

मूल्यांकन

9.8.16 जिला साक्षरता समितियों तथा कुछ स्वैच्छिक एजेंसियों के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे साक्षरता अभियानों का बाह्य मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, समाज विज्ञान अनुसंधान के कुछ चयनित संस्थानों को भी वित्त पोषित कर रहा है।

प्रचार माध्यम तथा संचार सहयोग

9.8.17 प्रचार माध्यम अभियान के तौर पर 15 अक्तूबर, 1994 तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल के महत्वपूर्ण समयों में प्रमुख विज्ञापन प्रदर्शित किए गए। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर अक्तूबर-दिसम्बर, 1994 तक के तीन महीनों के लिए महत्वपूर्ण धमाका दिखाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। दूरदर्शन के मैट्रो-चैनल के चयनित कार्यक्रमों के अन्तर्गत नवम्बर, 1994 से जनवरी, 1995 के तीन महीने के लिए महत्वपूर्ण धमाका कार्यक्रम भी दिखाए जाने का प्रस्ताव था। अमीर खुसरो (40 सेकेण्ड), स्वामी विवेकानन्द (40 सेकेण्ड), द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम-जोहरा सहगल (30 सेकेण्ड) तथा द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम (45 सेकेण्ड) के ये चार महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रदर्शित किए गए।

9.8.18 देश के विभिन्न भागों से नुक्कड़ नाटक का संकलन किया गया तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए इसे खण्ड-II के रूप में मुद्रित किया गया। साक्षरता से सम्बन्धित पांच नाटक प्रसारित किए गए ताकि हिन्दी भाषी राज्यों में इनका आसानी से उपयोग किया जा सके।

9.8.19 साक्षरता से सम्बन्धित 13 गीतों के आडियो कैसेट जारी किए गए ताकि पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों में इनका व्यापक प्रसार हो सके।

9.8.20 दो प्रहसन (हास्य नाटक) मंचित किए गए जिसमें पहला प्रहसन दक्षिण 24 परगना साक्षरता समूह तथा दूसरा मदूरै आरिवोलि आयक्कम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह, 1994 के रूप में मंचित किया गया।

9.8.21 सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों विलासपुर, सिरमौर तथा डांग्स में "एक नई दिशा" तथा "जंगल बोलता है" नामक दो वृत्तचित्र प्रदर्शित किए गए। "वैतरिणी के पार एक अनुभूति" नामक एक फिल्म तैयार की गई। उड़िया उत्तर साक्षरता से सम्बन्धित दो वीडियो फिल्में प्रदर्शित की गईं। उड़िया में उत्तर साक्षरता से सम्बन्धित 8 फिल्में प्रदर्शित की गईं। उद्यमशील साक्षरता स्वयंसेवी-शुभलक्ष्मी की जीवन गाथा पर आधारित "दी सन फ्लावर आफ होप" नामक एक 16 मिलीमीटर की फिल्म प्रदर्शित की गई है।

राष्ट्र-स्तरीय प्रतियोगिताएं

9.8.22 साक्षरता के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रेरक तथा सहभागिता पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं ताकि साक्षरता अभियान में शिक्षाविदों, कलाकारों, लेखकों, फोटोग्राफरों आदि की सहभागिता बढ़ाई जा सके। इसके प्रयोग के रूप में पोस्टर डिजाइन, निबंध लेखन तथा फोटोग्राफी पर राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

श्रमिक विद्यापीठ

9.9.0 सैंतीस श्रमिक विद्यापीठों ने देश के विभिन्न औद्योगिक तथा शहरी केन्द्रों में 1994-95 में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। ये श्रमिक विद्यापीठें औद्योगिक कामगारों के लिए अनौपचारिक, प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा एवं बहुआयामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करने का एक संस्थागत ढांचा प्रदान करती हैं।

प्रकाशन

9.10.1 साक्षरता अभियानों को बढ़ावा देने तथा उत्तर साक्षरता सम्बन्धी उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर प्रकाशन निकाले जाते हैं जिनका विवरण निम्नवत् है :—

* मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 28वें अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह 8 सितम्बर, 1994 को प्रकाशनों का लोकार्पण करना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यकलाप था। लोकार्पण के लिए निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए :—

  (i) साक्षरता—पुणे अनुभव

  (ii) साक्षरता तथा व्यावसायिक शिक्षा-नरेन्द्रपुर अनुभव

  (iii) साक्षरता तमिलनाडु अनुभव

  (iv) परिवर्तन की तलाश—पुरस्कार प्राप्त करने वाले चयनित निबन्ध, पोस्टर तथा चित्र

  (v) श्रमिक विद्यापीठों के माध्यम से शहरी बहुआयामी प्रौढ़ शिक्षा योजना-धारावी अनुभव।

  (vi) कर्नाटक साक्षरता अभियान

  (vii) महाराष्ट्र साक्षरता परिदृश्य

  (viii) वार्षिक रिपोर्ट-1993-94, भारत में साक्षरता तथा उत्तर साक्षरता अभियान।

  (ix) नुक्कड़ पार खण्ड-II

  (x) साक्षरता नाटकों का संकलन

  (xi) साधो शब्द साधना की जय

9.10.2 उपर्युक्त प्रकाशनों के अलावा, समारोह के लिए लिटरेसी मिशन तथा साक्षरता मिशन के विशेषांक भी प्रकाशित किए गए थे।

* "लिटरेसी मिशन" पत्रिका के प्रकाशन को प्रतिमाह हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करना जारी रखा गया है।

* भोपाल में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान विशेष रूप से तीन प्रकाशन प्रकाशित किए गए थे जो निम्नवत् है :—

  (i) मूल्यांकन संग्रह

  (ii) राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन सभी पुस्तिकाओं के लिए मिशन परिचय पुस्तिका (बुकलेट)

  (iii) साक्षरता की ओर (द्विभाषी फोल्डर)

* निम्नलिखित प्रकाशन भी मुद्रित कराए गए तथा इन प्रकाशनों का वितरण किया गया :—

— रिपोर्ट-प्रशिक्षण की रूपरेखा विकसित करने से सम्बन्धित राष्ट्रीय कार्यशाला-पूर्ण साक्षरता अभियान के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए।

— ए०सी०सी०यू०, टोकियो तथा जापान की वित्तीय सहायता से "वृक्षारोपण द्वारा और अधिक आय" नामक एक उत्तर साक्षरता सम्बन्धी पुस्तिका हिन्दी में मुद्रित कराई गई।

— राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के सहयोग से मध्य प्रदेश के साक्षरता की सांख्यिकी डाटाबेस हिन्दी तथा अंग्रेजी के पाठ मुद्रित कराए गए।

— प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से जिला प्राधिकारियों द्वारा तुमकुर प्रलेख मुद्रित कराया गया।

— प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से जिला प्राधिकारियों द्वारा वीरभूम प्रलेख मुद्रित कराया गया।

— विशेष दल-घोष समिति की रिपोर्ट का मूल्यांकन

— भारत में पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान की स्थिति रिपोर्ट।

जनसंख्या शिक्षा

9.11.0 भारत सरकार ने यू०एन०एफ०पी०ए० के वित्तीय सहयोग से, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 1986 में जनसंख्या शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन को जारी रखा। इस परियोजना के पांच वर्ष के प्रथम चरण में जिन लक्ष्यों को अपनाया गया था वे निम्नवत् हैं :—

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में जनसंख्या के संदेशों के महत्वपूर्ण घटक को शामिल करना।

— विभिन्न राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों तथा राज्य संसाधन केन्द्रों के माध्यम से जनसंख्या शिक्षा में कार्य निष्पादन को सुदृढ़ करना।

— प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को संस्थात्मक रूप प्रदान करना।

वर्ष 1991 में देश के विभिन्न भागों में शुरू किए गए साक्षरता अभियानों का स्तर एवं प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए अरुण घोष की अध्यक्षता में अप्रैल, 1993 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था।

भारत में साक्षरता अभियान के स्तर एवं प्रभाव मूल्यांकन से सम्बन्धित अरुण घोष समिति

9.12.1 वर्ष 1991 में देश के विभिन्न भागों में शुरू किए गए साक्षरता अभियानों के स्तर एवं प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए अप्रैल, 1993 में प्रोफेसर अरुण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया इस दल के प्रस्तावित निम्नलिखित लक्ष्य थे :—

(क) (i) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मानकों के अनुसार साक्षरता के निर्धारित स्तरों के अन्तर्गत शिक्षुओं तथा सहभागियों में साक्षरता अभियानों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना।

(ii) स्त्री-पुरुष, आयु-वर्ग तथा सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य) द्वारा साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की अनुमानित संख्या का विश्लेषण करना।

(ख) सामूहिक साक्षरता अभियानों के माध्यम से वातावरण निर्माण/जन-सहभागिता की प्रक्रिया तथा प्रभावशीलता।

(ग) साक्षरता अभियानों में सरकारी निकायों तथा स्वैच्छिक समूहों के बीच सहभागिता तथा भागीदारी।

(घ) अभियान कार्यान्वयन के समय पठन-पाठन पर विशेष बल देना।

(ङ) सामूहिक साक्षरता अभियानों के दौरान संसाधनों की उपलब्धता तथा सहभागिता जिसमें अभियान की लागत प्रभावशीलता भी शामिल है।

(च) प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, स्त्री-पुरुष संवेदनशीलता, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता इत्यादि जैसे सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित साक्षरता अभियान की उपलब्धियों का प्रभावी अध्ययन तथा मूल्यांकन करना।

9.12.2 सामाजिक विज्ञान संस्थाओं तथा मूल्यांकन एजेंसियों के साथ विशेषज्ञ दल की परस्पर 19 बैठकें हुई जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्ताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, शिक्षाशास्त्रियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ गहन विचार-विमर्श करके महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में स्थल अध्ययन का जायजा लिया गया तथा विशेषज्ञ दल ने साक्षरता मिशन के मूल्यांकन सम्बन्धी अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया।

9.12.3 साक्षरता अभियान समिति द्वारा की गई सिफारिशें, उत्तर साक्षरता उपाय आदि के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं :—

(क) साक्षरता अभियान

1. समाज के विभिन्न वर्गों से सामूहिक सहयोग का उचित दृष्टिकोण अपनाना जिसमें प्रबल राजनीतिक प्रतिबद्धता, साक्षरता के प्रति वचनबद्धता महत्वपूर्ण कोर दल का गठन आदि भी शामिल है।

2. अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूर्ण साक्षरता अभियान का एकीकरण, पठन-पाठन सामग्री, प्रशिक्षण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार।

3. नवसाक्षरों के प्रारम्भिक सर्वेक्षण का सही-सही कार्यान्वयन।

4. शिक्षण केन्द्रों के लिए पर्याप्त सुविधाएं तथा प्रावधान।

5. राज्य तथा जिला स्तर पर मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम का सहयोग करने के लिए कोर दल का गठन।

6. इस कार्यक्रम के उस स्वैच्छिक स्वरूप को विशेष बल देना जिसे इसकी सफलता के लिए आवश्यक समझा गया था।

7. भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना जहां लगभग आधी जनसंख्या निरक्षर है।

(ख) उत्तर साक्षरता के उपाय

1. बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया के स्थान पर आन्तरिक मूल्यांकन प्रक्रिया को आत्मसात करना तथा आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों के बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित करना।

2. पूर्ण साक्षरता अभियानों के विश्वसनीय मूल्यांकन के पर्याप्त आदर्शमूलक नमूनों को अपनाना। कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षण केन्द्रों का मूल्यांकन करना।

1000 M/o HRD/94

3. स्तरित आधार पर यादृच्छिक सेंपलिंग डिजाइन जिससे ब्लॉक, पंचायत तथा गांव भी शामिल हैं, का बाह्य मूल्यांकन करने के लिए उचित डिजाइन को अपनाना।

4. लक्षित जनसंख्या तथा अनुपस्थिति की वैधता।

5. कम से कम 80 प्रतिशत शिक्षुओं का मूल्यांकन।

6. पूर्ण साक्षरता अभियान के प्रभाव का मूल्यांकन करना तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाना।

7. प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन करना।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार

9.13.0 साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यूनेस्को अपने सदस्य राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को जूरी ने इस वर्ष का नोमा पुरस्कार लोरेटो दिवा स्कूल सियालदह, कलकत्ता को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया (1) साक्षरता की सुलभता से वंचित कई निर्धन बच्चों को साक्षरता सुलभ कराने तथा शहरी गन्दी बस्तियों और गली-कूचों के बेसहारा तथा सुविधाहीन बच्चों को अप्रत्याशित रूप से शिक्षा का द्वार खोलने;

(2) जन सामान्य तक पहुंचने के लिए अनूठा पहल शुरू करने जैसे (I) ग्रामीण क्षेत्र में बाल से० बाल शिक्षण कार्यक्रम, 60 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में कमी करना:

(II) पाठ्यचर्या तथा उपस्थिति को लचीला बना कर विशिष्ट रूप से बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल में ''इन्द्रधनुष'' (रेनबो) कार्यक्रम (III) उन किशोरी बालिकाओं, जिन्होंने कभी स्कूल में भाग नहीं लिया अथवा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, को शिक्षा प्रदान करने तथा सामान्य कक्षाओं में भाग लेने के लिए 1979 से सम्मिलित कार्यक्रम (IV) अधिकांशत: उपेक्षित शहरी गन्दी बस्तियों तथा दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवकों तथा युवतियों को साक्षरता शिक्षकों के रूप में भर्ती करने तथा माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए ''नंगेपांव'' (बेयर फुट) शिक्षक कार्यक्रम।

भारतीय शिष्ट मण्डल के विदेशों में दौरे

9.14.1 दोनों देशों के मध्य सहयोग और शिक्षा हेतु हस्ताक्षरित एक नयाचार (प्रोटोकाल) के अन्तर्गत श्री ए० के० बसु के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय शिष्ट मण्डल ने 28 जुलाई से 11 अगस्त, 94 तक चीन की सरकारी यात्रा की।

9.14.2 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत एक-दो सदस्यीय भारतीय शिष्टमण्डल दिनांक 10-9-94 से 24-9-94 तक मालदीव गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

9.15.0 अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए दिनांक 8 सितम्बर, 94 को तालकटोरा इन्डोर स्टेडियम में एक राष्ट्र स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं

9.16.1 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवाक्षाधीन अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। सभी स्तरों पर आयोजित की जाने वाली ऐसी कार्यशालाओं की पाठ्यचर्या तैयार करने तथा संसाधन व्यक्तियों का पता लगाने के लिए 22 तथा 23 जुलाई, 94 को एक प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भाग लिया। इस कार्यशाला के आयोजन के लिए इस विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। अकादमी ने बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्य तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए सुबोध कार्यशालाएं भी आयोजित की।

9.16.2 दिनांक 19-7-94 से 29-7-94 तक साक्षरता पर एक क्षेत्रीय सचल कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसका आयोजन यूनेस्को तथा दक्षिण एशिया प्रशान्त प्रौढ़ शिक्षा के संयुक्त सौजन्य से किया गया था। इस कार्यशाला में पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल तथा भूटान के सहभागियों ने भाग लिया। सहभागियों ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के पदाधिकारियों के साथ परस्पर विचार विमर्श किया तथा उन्होंने साक्षरता परियोजनाओं के नए अनुभवों को कार्यान्वित करने के लिए गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु का चयन किया। क्षेत्रों का निरीक्षण करने के पश्चात् उनके अनुभवों से लाभान्वित होते तथा उनके अपने देशों में कार्य योजना तैयार करने के लिए सहभोगियों की पुन: एक बैठक नई दिल्ली में हुई। सहभागियों ने सर्वसम्मति से यह कहा कि हम साक्षरता प्रयोजन के लिए 5.00 करोड़ स्वयं सेवियों की सेना संगठित करने की संभावना में तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक हम जिलों का निरीक्षण नहीं कर लेते तथा स्वयंसेवियों से मिल नहीं लेते। उन्होंने अपने-अपने देशों में भी इस प्रकार के अभियानों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान

वर्ष 1993-94 में अनुमोदित प्रस्ताव

क्रम सं०	परियोजना क्षेत्रों (जिला आदि)	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की अनुमोदन की तारीख	शामिल किए गए शिक्षु (लाखों में)	लक्षित आयु वर्ग	समय-सीमा (परिवर्तनीय)	कुल बजट	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का कुल भाग (लाख रु० में)
	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र-प्रदेश						
1.	विजियाम	21/22-9-93	5.50	9—35	7/93—6/94	357.51	238.33
2.	पूर्वी गोदावरी	16—18-11-93	8.00	9—45	12/93—11/94	959.62	373.00
3.	आदिलाबाद	16—18-11-93	6.11	15—45	9/93—8/94	449.19	299.39
4.	प्रकाशम	16—16/18.93	6.50	9—35	11/93—10/94	410.23	273.49
5.	कृष्णा	31.1/1.1.94	6.00	15—35	एक वर्ष	389.00	259.33
	असम						
6.	तिन्सुकिया	7/8.3.94	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित			(तदर्थ)	25.00
	बिहार						
7.	भोजपुर	27/28.05.93	4.42	9—35	3/93—2/95	286.00	190.70
8.	दुमका	29/30.7.93	3.84	9—35	8/92—10/93	280.53	137.00
9.	जुमई	29/30.7.93	3.35	15—35	6/93—4/95	217.75	145.16
10.	खड़िया	29/30.7.93	2.60	9—35	8/93—5/94	169.00	25.00
11.	मुंगेर	16/18.11.93	3.50	9—35	4/93—5/94	226.43	150.95
12.	औरंगाबाद	16/18.11.93	3.30	9—35	11/92—12/94	214.50	143.00
13	धनबाद	16/18.11.93	5.00	15—35	9/93—5/95	343.81	229.23
14.	बेगुसराय	31.1/1/2/94	5.00	9—40	2/94—12/95	324.79	216.53
15.	सुपौल	31.1/1/2/94	4.57	9—40	1/94—4/95	323.15	215.44
	दमन और दीयु						
16.	दमन	16/18.11.93	0.021	9—35	4/93—9/94	01.89	01.89
	दिल्ली						
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 6 स्लम बस्तियों में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान समिति—नन्दनगरी, रघुबीर नगर, शकरपुर, जहांगीर पुरी, कालका जी, गोबिन्द पुरी तथा जामा मस्जिद क्षेत्र	27/28.5.93	1.05	15—35	4/93—5/94	73.91	73.91
18.	**गोआ**	29/30.7.93	1.00	15—50	1 वर्ष	60.00	40.00
	गुजरात						
19.	भड़ूच	27/28.5.93	1.49	9—35	7/93—4/94	96.30	64.50
20.	बड़ोदरा	29/30.7.93	1.60	15—35	5/93—4/94	64.00	42.66
21.	अमरेली	21/22.9.93	0.94	9—35	7/93—6/94	61.22	40.51
22	जामनगर	21/22.9.93	1.78	9—35	16 महीना	115.71	77.13
23.	मेहसाणा	21/22.9.93	2.16	9—35	1 वर्ष	140.27	93.51
24.	पंचमहल	16/18.11.93	3.95	15—35	5/93—8/93	289.00	193.00
25.	राजकोट	16/18.11.93	1.43	9—35	5/93—5/94	92.95	61.96
26.	वलसाड़	16/18.11.93	1.49	9—33	3/93—12/94	111.50	74.53

1	2	3	4	5	6	7	8
	हरियाणा						
27.	हिसार	31/1/1.2.94	4.50	9—44	11/93—4/95	272.11	181.41
28.	कुरूक्षेत्र	7/8.3.94	1.00	15—35	4/94—3/95	64.00	42.66
29.	सोनीपत	7/8.3.94	अभी अनुमोदित होना है।			(तदर्थ)	25.00
	जम्मू व कश्मीर						
30.	जम्मू	21/22.9.93	अभी अनुमोदित होना है।			(तदर्थ)	25.50
	कर्नाटक						
31.	उत्तर कन्नाड	21/22/9/93	1.55	9—40	11/93—11/94	116.25	77.51
32.	बंगलौर, ग्रामीण	29/30.7.93	3.63	9—35	4/93—3/94	234.53	156.35
33.	चिकमंगलूर	16/18.11.93	1.52	9—35	7/93—6/94	114.00	76.00
34.	गुलबर्ग	16/18.11.93	5.00	9—35	11/93—12/94	345.84	230.57
35.	कोडागु	16—18.11.93	0.69	9—35	1/93—3/94	61.36	40.91
36.	कोलार	21/22.12.93	4.00	9—35	12/93—1/95	264.39	176.26
37.	चित्रदुर्ग	21/22.12.93	4.00	9—35	1/94—12/94	275.00	183.33
38.	बेल्लारी	31/1/1/2/94	4.00	9—35	12/93—12/94	280.00	186.67
39.	बेलगाम	7/8.3.94	6.75	9—35	12/93—2/95	470.42	313.62
	मध्य प्रदेश						
40.	सतना	4/5.5.93	2.38	15—35	1/94—12/94	168.66	118.44
41.	भिंड (फेस-I)	27/28.5.93	0.90	15—45	1 वर्ष	58.68	39.12
42.	ग्वालियर (फेस-I)	27/28.5.93	2.00	15—35	6/93—6/95	130.00	86.76
43.	देवास	29/30.7.93	1.78	15—35	12/93—12/94	115.32	78.88
44.	छिंदवाड़ा	29/30.7.93	अभी अनुमोदित होना है।		(तदर्थ)		20.00
45.	गीवा	29/30.7.93	अभी अनुमोदित होना है।		(तदर्थ)		20.00
46.	रायसेन	21/22/9.93	1.95	15—45	1/94—12/95	126.75	84.50
47.	झबुआ	21/22.9.93	0.46	9—45	11/93—2/95	28.85	19.23
48.	पन्ना	16/18.11.93	1.32	15—45	1/94—5/95	91.88	61.31
49.	शाजापुर	16/18.11.93	1.85	15—45	1/94—12/95	189.14	89.09
50.	सीधी	16—18.11.93	अभी अनुमोदित होना है।		(तदर्थ)		25.00
51.	सिंदुआ	21/22/12/93	2.56	15—35	10/93—5/95	153.66	102.44
52.	विदिशा	21/22.12.93	1.25	15—35	2/94—5/95	83.57	55.38
53.	टीकम गढ़	31/1/1.2.94	अभी अनुमोदित होना है।		(तदर्थ)		25.00
54.	सागर	31/1/1.2.94	अभी अनुमोदित होना है।		(तदर्थ)		25.00
55.	राजगढ	31.1/1.2/94	1.93	15—35	3/94—8/93	125.97	83.98
	महाराष्ट्र						
56.	उस्मानाबाद	16/17.11/93	1.45	15—35	1/93—7.94	94.25	62.8
57.	बीड	29/30.7.93	2.55	15—55	6/93—11/94	165.41	110.2
58.	अमरावती	29/30.7.93	1.98	15—45	10/93—10/94	128.76	85.8
59.	बृहत्तर बम्बई	16/18.11.93	6.33	15—35	6/93—12/95	411.45	274.3
60.	कोल्हापुर	16/18.11.93	2.50	15—45	4/93—9/94	162.50	108.3
61.	यवतमाल	31.1/1.2.94	3.00	15—45	3/94—4/95	194.74	129.8
	उड़ीसा						
62.	मलकानगिरि	27/28.5.93	2.70	9—45	9/92—7/94	201.33	134.2
63.	नयागढ़	16—18/11.93	1.70	9—45	9/93—2/95	120.22	80.6
64.	कोरापुट	21/22.12.93	3.07	9—45	2/93—7/94	217.56	145.0
65.	सम्बलपुर	21/22/12/93	3.43	9—45	1/94—6/95	242.63	161.7
66.	गजपति	31.1/1.2.94	1.38	9—45	3/93—6/95	103.78	69.1
	पंजाब						
67.	होशियारपुर	7/8.3.94	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित		(तदर्थ)		25.0
68.	फरीदकोट	7/8.3.94	सिद्धान्त रूप में अनुमोदित		(तदर्थ)		25.0

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्थान						
69.	पाली	29/30.7.93	अभी अनुमोदित होना है		(तदर्थ)		40.00
70.	टोंक	29/30.7.93	3.00	15—40	5/93—3/95	195.00	139.00
71.	बरन	21/22.12.93	2.16	9—35	12/93—5/95	151.20	100.80
72.	अलवर	31.1/1.2.96	5.35	9—35	2/93—6/95	347.75	251.83
73.	राजसमद	7/8.3.94	2.25	9—40	18 महीना	148.11	98.74
74.	उदयपुर	7/8.3.94	6.00	9—40	2 वर्ष	389.51	259.67
	तमिलनाडु						
75.	सेलम	16—18.11.93	8.00	9—45	11/93—12/94	520.00	346.66
76.	दक्षिणी अरकाट	27/28.5.93	4.10	9—40	7/93—6/94	266.67	177.78
77.	तिरुवन्नामलाई	29/30.7.93	58.00	9—45	6/93—7/94	320.23	213.50
78.	धर्मपुरी	16—18.11.93	6.33	15—45	2.94—2/93	411.95	274.00
79.	तिरुचिरापल्ली	16—18.11.93	7.21	9—45	12/93—1/95	468.18	312.12
	त्रिपुरा						
80.	उत्तरी त्रिपुरा	16—18.11.93	1.80	9—45	1/94—1/95	75.90	50.80
81.	पश्चिमी त्रिपुरा	7/8.3.94	2.30	9—45	1/94—5/95	161.73	107.82
82.	दक्षिणी त्रिपुरा	7/5.3.94	9.49	9—45	12/93—12/94	208.27	138.84
	उत्तर प्रदेश						
83.	फैजाबाद	4/5.5.93	4.82	9—93	एक वर्ष	316.36	212.37
84.	मऊ	27/28.5.93	1.89	10—35	7/93—6/93	122.85	81.80
85.	आजमगढ़	27/20.5.93	अभी अनुमोदित होना है		(तदर्थ)	30.00	
86.	जौनपुर (फेस-I) —(2ब्लाक : धर्मपुरी, तथा मुफ्तीगंज) जौनपुर (फेस-II तथा फेस-III)	27/26.5.93	0.46	10—35	5/93—3/95	30.24 (तदर्थ)	20.16 +20.00
87.	फर्रुखाबाद	29/30.7.93	4.90	10—40	5/93—11/94	315.00	210.00
88.	जालौन	29/30.7.93	1.63	10—35	8/93—12/94	106.74	71.16
89.	बहराइच	21.22.9.93	5.15	15—35	10/93—10/94	334.72	263.14
90.	ललितपुर	21/22.9.93	1.75	10—35	10/93—1/95	114.86	76.57
91.	लखीमपुर खीरी	21/22.9.93	7.42	9—35	10/93—9/94	470.48	313.65
92.	प्रतापगढ़	16—18.11.93	5.84	15—35	1/93—6/94	250.00	166.65
93.	देवरिया	16—18/11/93	7.50	15—35	1/93—8/94	513.41	342.27
94.	मिर्जापुर	16—18.11.93	1.40	15—35	1/94—8.95	91.29	60.86
95.	सुल्तानपुर	16—18.11.93	4.20	15—35	6/92—9/94	273.00	182.00
96.	गाजीपुर	16—18.11.93	4.74	15—35	6/92—6/94	305.39	205.50
97.	पिथौरागढ़	16—18.11.93	1.10	9—45	1 वर्ष	87.27	56.38
98.	टीहरी गढ़वाल	16—18.11.93	1.11	9—35	1/93—12.94	98.44	60.29
99.	उत्तरकाशी	16—18.11.93	0.48	9—35	12/93—12/95	38.48	25.65
100.	हमीरपुर	31.1/1.2.94	3.19	10—30	1/94—4/95	209.50	139.66
101.	बाराबंकी	31.1/1.2.94	4.95	10—35	1994—1996	321.25	214.30
102.	राय बरेली	31.1/1.2.94	5.80	10—35	1/94—1/96	348.17	232.11
103	मथुरा (फेस-I) (ब्लाक : फराह, गोवर्धन, मथुरा ग्रामीण तथा राय)। मथुरा (फेस-II तथा III)	7/8.3.94	1.24	10—33	6/94—4/95	79.36 (तदर्थ)	52.90 +15.00
	पश्चिम बंगाल						
104.	जलपाईगुड़ी	16—18.11.93	8.00	9—45	8/93—5/94	507.61	338.20

उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा-जनशिक्षण निलयमों की योजना के मूल्यांकन पर जिला संसाधन केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट : निष्कर्ष तथा सुझावों का सारांश

निष्कर्ष

9.17.1 सम्पूर्ण प्रभाव—सतत शिक्षा कार्यक्रम से ग्रामीण जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जनशिक्षण निलयम सुविधाओं के प्रावधान से उच्च सहभागिता स्तरों की मांग बढ़ने में सफलता मिली है। उत्तर साक्षरता जिलों में, सतत शिक्षा प्रदान करने वाले निचले स्तर के संस्थानों की जरूरत महसूस की जा रही है।

9.17.2 जनशिक्षण निलयम के कार्यकलापों में सहभागिता :—

(क) **पुस्तकालय**—पुस्तकालय, जनशिक्षण निलयम की बहुत लोकप्रिय गतिविधि है तथा सभी आयु वर्ग के लोग इसे प्रयुक्त करते हैं। बहुमुखी पुस्तकालय सुविधा तथा पठन सामग्री के चयन की एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया अपनाने की बहुत जरूरत है। नवसाक्षरों की अपेक्षा औपचारिक रूप से शिक्षित लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(ख) **खेलकूद, मनोरंजनात्मक तथा सांस्कृतिक गतिविधि**—खेलकूद, जनशिक्षण निलयम की दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण गतिविधि है। खेलकूद उपस्करों तथा संगीतवाद्यों की उपलब्धता, ग्रामीण लोगों के लिए जनशिक्षण निलयम को आकर्षक बनाने के उद्देश्य को पूरा करती है। तथापि, अधिकांश जनशिक्षण निलयमों में खेल सामग्री की स्थिति काफी खराब पाई गई है।

(ग) **साक्षरता कक्षाएं**—समुदाय, सांयकालीन कक्षाएं आयोजित करना प्रेरकों का एक महत्वपूर्ण कार्य समझता है तथा अधिकांश प्रेरक ऐसी कक्षाएं आयोजित करते हैं। सांयकालीन कक्षाओं में उपस्थित होने वाले अधिकांश व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए अर्ध-साक्षर व्यक्ति होते हैं।

(घ) **विचार (चर्चा) दल**—जनशिक्षण निलयमों के माध्यम से आयोजित चर्चा मण्डलों के संबंध में शिक्षार्थी समूहों में जागरूकता का सामान्य स्तर, बहुत नीचा (कम) है, चर्चा मण्डलों में केवल पुरूष वर्ग ही शामिल होता हैं क्योंकि रूढ़िवादी सामाजिक मानदण्डों तथा घर तथा खेत में अपने दोहरे दायित्व को पूरा करने के कारण अधिकतर महिलाएं इन चर्चाओं में भाग नहीं ले पाती।

(ड.) **प्रशिक्षण कार्यक्रम**—प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, जनशिक्षण निलयमों की अत्यधिक उपेक्षित गतिविधि है क्योंकि 20% से भी कम प्रेरकों ने ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभिन्न योजनाओं अथवा अन्य किसी विकासात्मक मामलों के संबंध में प्रशिक्षण अथवा ज्ञान प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी विभाग, जनशिक्षण निलयमों को प्रयुक्त नहीं करते हैं।

9.17.3 **जनशिक्षण निलयमों की कार्य-क्षमता** :—5000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक जनशिक्षण निलयम का मानदण्ड,, सर्वथा निराशाजनक है। व्यावहारिक तौर पर, प्रत्येक जनशिक्षण निलयम 250 से भी कम लोगों के लिए होना चाहिए। मिजोरम जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए, 4-5 गावों को शामिल करने के लिए एक जनशिक्षण निलयम होने का सिद्धांत निरर्थक लगता है क्योंकि भूभाग की दशाओं तथा दुर्गमता से स्पष्टतया यह पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनशिक्षण निलयम संचालित करने के लिए पृथक मानदण्ड सैट विकसित करना होगा।

9.17.4 संरचनात्मक/संसाधन सहायता—

(क) प्रेरकों के प्रशिक्षण के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया है। अधिकांश राज्यों में , जनशिक्षण निलयमों का संचालन करने के लिए नियुक्त प्रेरकों को किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। अधिकतर राज्यों में प्रेरकों का चयन, निर्धारित मानदण्ड के अनुसरण में नहीं किया जाता। उन स्थानों, जिनमें ग्रामीण शिक्षा समितियां, चयन प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं, चयनित प्रेरकों को, समुदाय मे स्वीकार किया है।

(ख) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध जनशक्ति तथा बुनियादी सुविधाएं काफी कम हैं, जिससे कार्यक्रम का निरीक्षण तथा अनुवीक्षण दुष्प्रभावित हुआ है। निरीक्षण तथा अनुवीक्षण पर हुए खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम में कोई विशेष बजट प्रावधान नहीं रखा गया है। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के समाप्त होने के पश्चात्, जनशिक्षण निलयमों के प्रबंध के लिए एक संगठनात्मक संरचना प्रदान करने हेतु परियोजना अधिकारियों अथवा सहायक परियोजना अधिकारियों के औपचारिक पद विद्यमान नहीं हैं। जनशक्ति के इस अभाव तथा जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों तथा प्रेरकों के बीच पर्याप्त तालमेल न होने के कारण कार्यक्रम की कार्य-निष्पादन क्षमता दुष्प्रभावित हुई है।

(ग) प्रेरकों को मानदेय की अदायगी में विलम्ब होने के कारण उनका निर्धारित स्तर कम हुआ है तथा कई जनशिक्षण निलयम बन्द भी हो गए हैं। मानदेय की अपर्याप्त राशि भी, प्रेरकों के काम न करने के मुख्य कारणों में से एक है। कार्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, यात्रा तथा डाक खर्च आदि प्रेरकों के अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती, जिसकी वजह से जनशिक्षण निलयमों का निष्पादन प्रभावित होता है।

(घ) अधिकांश राज्यों में, जनशिक्षण निलयम चलाने के लिए समुदाय द्वारा स्थान दिए जाने की प्रत्याशा को व्यवहार में नहीं लाया गया है। वर्तमान जनशिक्षण निलयम कार्यक्रम में किराए के आवास के लिए ही जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है। बहुधा, प्रेरकों को अपने निवास स्थानों पर जनशिक्षण निलयम चलाने के लिए विवश किया जाता है जिसके कारण सामुदायिक सहभागिता में रूकावट आती है।

9.17.5 **सिफारिशें :**

(क) जिन जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान समाप्त नहीं हुए हैं, उन जिलों में कोई भी नया जनशिक्षण निलयम स्थापित नहीं किया जाए।

(ख) चूंकि पूर्ण साक्षरता अभियानों के नवसाक्षरों की उत्तर-साक्षरता जरूरतों को उत्तर साक्षरता अभियानों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है अत: जनशिक्षण निलयमों को अब नवसाक्षरों की सतत शिक्षा जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के लक्ष्य में सुधार करने के लिए, उत्तर साक्षरता अभियानों तथा जनशिक्षण निलयमों के बीच कार्यात्मक (व्यावहारिक) (जुड़ाव) स्थापित करना होगा।

(ग) चूंकि परम्परागत जनशिक्षण निलयमों की कार्य-क्षमता 250 लाभग्राहियों तक सीमित है, अतएव जनशिक्षण निलयमों के संगठनात्मक तथा प्रबन्धीय पद्धति के पुनर्गठन की आवश्यकता है। कार्यक्रम तथा सहभागिता स्तरों के विस्तार को यथेष्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि 4-5 गांवों के लिए एक जनशिक्षण निलयम की अपेक्षा कई छोटे केन्द्र अथवा एक नोडल जनशिक्षण निलयमों के साथ मिनी जनशिक्षण निलयम स्थापित किए जाएं। यह नोडल जनशिक्षण निलयम, मिनी जनशिक्षण निलयम, मिनी जनशिक्षण निलयमों के एक समूह के लिए होगा। इस प्रयोजन के लिए, उत्तर साक्षरता चरण में स्थापित जनजागरण केन्द्रों/जन चेतना केन्द्रों को मिनी जनशिक्षण निलयमों में परिवर्तित किया जाए तथा उनमें पुस्तकालय सुविधाएं हों तथा साक्षरता कक्षाएं आयोजित करना, उनका मुख्य कार्य होना चाहिए। नोडल जनशिक्षण निलयमों को उच्च स्तरीय पुस्तकालय सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वे मिनी जनशिक्षण निलयमों को संसाधन सहायता प्रदान करें तथा वे व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा दक्षता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगे। नोडल केन्द्रों को एक उच्च स्तरीय सूचना केन्द्र तथा विभिन्न विकास विभागों में संबंध बढ़ाने के लिए एक सम्पर्क केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए।

(घ) समुदाय में प्रेरकों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए, प्रेरकों का चयन, ग्रामीण शिक्षा समितियों द्वारा किया जाए। पर्याप्त संख्या में महिला प्रेरकों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि महिलाएं अपेक्षाकृत अधिक नवसाक्षर बनाती है।

(ड.) जनशिक्षण निलयमों को चलाने की जिम्मेदारी निभाने के कारण, चयनित प्रेरकों को निधियों के लिए कार्यक्रम बजट में विशेष रूप से निर्धारित किया जाए। राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जिला संसाधन इकाइयों को जनशिक्षण निलयम कार्यक्रम के लिए आवश्यकता विशिष्ट प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाए।

(च) जनशिक्षण निलयमों के प्रशासनिक तथा प्रबन्धकीय ढांचे को पर्याप्त रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन के दौरान, जिला साक्षरता समितियों द्वारा तैयार किए गए संगठनात्मक तथा प्रबन्धकीय ढांचे को, जनशिक्षण निलयमों के प्रभावी तथा कुशल संचालन के लिए नए ढंग से प्रयुक्त किया जाना चाहिए। वस्तुत:, जनशिक्षण निलयमों के प्रभावी तथा कुशल संचालन के लिए, जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान का कार्यान्वयन नवाचारी रूप में प्रयुक्त किया जाए। वास्तविक रूप में जनशिक्षण निलयम का कार्यान्वयन जन सहयोगी समितियों, जिला प्रशासन, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों तथा शैक्षिक संस्थानों के सहयोगी प्रयास से होना चाहिए।

10. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

10. संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

10.1.1 संघ शासित प्रदेशों की शिक्षा केन्द्र सरकार की विशेष जिम्मेदारी बनी रही। वर्ष के दौरान प्रत्येक संघ शासित प्रदेश में शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है :--

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

10.2.1 इस संघ शासित प्रदेश में 334 शैक्षिक संस्थाएं हैं, जिनमें मिडिल स्तर के 254, माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तर के 72, 2 कालेज तथा 2 पालिटेक्निक और एक-एक बी० एड० कालेज, शि० प्र० प्रे० औ० प्र० संस्थान, तथा आश्रम स्कूल हैं।

10.2.2 वर्ष के दौरान तीन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में कुल नामांकन 82902 स्कूल स्तरीय 80843 तथा स्कूलोत्तर व उच्च शिक्षा 2059 है। विभिन्न स्तरों पर 57 में जनजातियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। लगभग 6367 छात्रों को नामांकित किया गया।

10.2.3 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंद्ध सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान कार्य अनुभव के अंग के रूप में शुरू किया है। द्वीपसमूह में निरक्षरों को पढ़ाने के लिए 1304 छात्रों ने स्वयं को समर्पित किया। 56 जन शिक्षण निलयम वर्ष के दौरान कार्य करते रहे।

विकलांगों की शिक्षा

10.2.4 विकलांगों की समेकित शिक्षा के लिए 26 केन्द्र कार्य करते रहे। 550 बच्चों को इन केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक सहायता दी गई।

विज्ञान शिक्षण को सुदृढ़ बनाना

10.2.5 शिक्षा विभाग की विज्ञान इकाई स्कूलों में उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्रियों के अधिकतम प्रयोग का नियमित पर्यवेक्षण, मूल्यांकन व अनुश्रवण करके स्कूलों में विज्ञान शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के अपने अभियान को जारी रखा।

सेवाकालीन प्रशिक्षण और शिक्षकों का प्रबोधन

10.2.6 एन० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से ग्रीष्मावकाश के दौरान प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए।

चंडीगढ़

अनौपचारिक शिक्षा

10.3.1 इस योजना के अंतर्गत, 105 केन्द्रों में 4605 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है तथा निःशुल्क लेखन सामग्री, यूनिफार्म, अपराह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा अनुदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ऐसे बच्चे जो किसी कारण-वश अपनी औपचारिक शिक्षा जारी नहीं रख सके उनसे अनौपचारिक शिक्षा-केन्द्रों में आने के लिए आग्रह किया जाता है। औपचारिक स्कूलों में समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को भी इसी प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए।

उच्चतर शिक्षा

10.3.2 प्रशासन, कला, विज्ञान तथा वाणिज्य विषयों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अर्थात शिक्षा और गृह विज्ञान में डिग्री स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है। राजकीय कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है।

दादरा एवम् नगर हवेली

शैक्षिक संस्थान

10.4.1 इस संघ शासित क्षेत्र में, वर्तमान में निम्नलिखित शैक्षिक संस्थान है :—

	सरकारी	निजी
—प्राथमिक स्कूल	168	16
—माध्यमिक स्कूल	05	04
—वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	5+1	नवोदय विद्यालय

10.4.2 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 24,176 है जबकि माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में यह 4502 है। प्राथमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 19,376 तथा 537 है तथा माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर उनकी संख्या क्रमशः 2721 तथा 219 है।

समाज कल्याण छात्रावास

10.4.3 संघ शासित क्षेत्रीय प्रशासन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लाभ के लिए 10 समाज कल्याण छात्रावासों का संचालन कर रहा है जहां लड़कों और लड़कियों को नि:शुल्क आवास और बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इन 10 छात्रावासों में से 2 छात्रावास लड़कियों के लिए हैं।

दमन और दीव

10.5.1 इस संघ शासित क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के 100 स्कूल, एक राजकीय कॉलेज, एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान और दो आई टी आई केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

10.5.2 प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि विशेष रूप से 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग में निरक्षरों में निरक्षरता को समाप्त कर सके और कम कर सकें।इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया गया और निरक्षरता उन्मूलन के लिए सकल साक्षरता अभियान शुरू किया गया।

कम्प्यूटर शिक्षा

10.5.3 स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (क्लास) एक हाई स्कूल में कार्यान्वित की जा रही है।

शिक्षकों तथा शैक्षिक पर्यवेक्षकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम

10.5.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 100 शिक्षकों/पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

दिल्ली

10.6.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी बच्चे को अपने घर से स्कूल जाने के लिए एक कि० मी० से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा यदि वह अपने पसन्द के स्कूल में न जाना चाहे। दिल्ली में स्कूल शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका समिति, कैंटोनमेंट बोर्ड और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं।

शिक्षा निदेशालय

10.6.2 1831 राजकीय मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान 13 मिडिल स्कूल खोले गए थे, 19 मिडिल स्कूल माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत किए गए थे, 25 माध्यमिक स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक स्तरोन्नत किए गए थे और 10 सहशिक्षा स्कूलों को द्विशाखित किया गया। 29 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कम्पोजिट (माडल) स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया था। वर्ष 1994-95 के दौरान 1976 शिक्षण और गैर शिक्षण पद सृजित किए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को नि:शुल्क यातायात की सुविधाएं

10.6.3 दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली तथा राजकीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत 5520 छात्राओं को सभी कार्य दिवसों पर रोज स्कूल आने तथा घर जाने की नि:शुल्क यातायात की सुविधा दी गई थी।

पत्राचार विद्यालय

10.6.4 शिक्षा निदेशालय एक पत्राचार विद्यालय भी चलाती है जो कि छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है और माध्यमिक स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए उनका मार्ग दर्शन भी करती है। पत्राचार विद्यालय लगभग 25000 छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा

10.6.5 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख करने के लक्ष्य से शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के अंतर्गत, 28 व्यावसायिक पाठ्यक्रम विभिन्न स्कूलों में शुरू किए गए थे।

दिल्ली नगर निगम

10.6.6 दिल्ली नगर निगम काफी बड़ी संख्या में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राथमिक स्कूलों को चला रहा है। इसके क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करने के सभी प्रयास इस तरीके से किए जा रहे है कि प्रत्येक पात्र छात्र अपने आवास से पैदल दूरी तक स्कूल में दाखिला प्राप्त कर सकें। दिल्ली नगर निगम 1738 प्राथमिक स्कूल चला रहा है और इन स्कूलों में 7,64,417 बच्चे दाखिल हैं तथा वर्ष के दौरान 17 नए स्कूल खोले गए।

10.6.7 भारत सरकार और यूनिसेफ के सहयोग से "सभी के लिए शिक्षा" नामक परियोजना भी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू की गयी। इसके प्रथम चरण में, वर्ष 1993-94 के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 12 क्षेत्रों में स्थित 142 स्कूल शुरू किए गए। वर्ष के दौरान 350 और स्कूलों को इसमें शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10.6.8 वर्ष 1990 के दौरान विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा परियोजना शुरू की गयी तथा वर्ष के दौरान जारी रखी गयी तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष शिक्षा के लिए 687 बच्चों को अभिनिर्धारित किया गया।

10.6.9 दिल्ली नगर निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। विज्ञान के शिक्षण के

लिए 490 सहायक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। गणित शिक्षण के आधुनिक तरीकों में 420 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। विज्ञान और गणित विषयों के शिक्षण के पर्यवेक्षण में 420 मुख्याध्यापकों/ मुख्याध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अध्ययन के न्यूनतम स्तर और बच्चों के शिक्षण पर बल देते हुए समग्र प्रशिक्षण तरीकों में 1893 शिक्षकों और 36 मुख्याध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया गया।

नई दिल्ली नगर परिषद

10.6.10 नई दिल्ली नगर परिषद ने प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर जोर दिया तथा यह अपने क्षेत्र में चल रहे स्कूलों और शैक्षिक केन्द्रों के जरिए अच्छी कोटि की शिक्षा प्रदान कर रहा है।

10.6.11 परिषद ने स्वायत्त नवयुग स्कूल शिक्षा सोसायटी के जरिए 5 नवयुग स्कूल चलाना जारी रखा जो पूर्णतया नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा वित्त पोषित हैं। इन स्कूलों में लगभग 3,500 छात्रों को शिक्षा दी गयी। लक्ष्मीबाई नगर स्थित एक नवयुग स्कूल को मिडिल स्कूल से माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत किया गया। प्रौढ़ शिक्षा, गैर औपचारिक कार्यक्रमों, तथा बालवाड़ी केन्द्र स्कीम को भी कार्यान्वित किया गया। इस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण किया गया तथा पूर्ण साक्षरता आन्दोलन में शामिल किए जाने के लिए निरक्षरों का पता लगाया गया। 6 से 14 वर्ष के पढ़ाई के बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों को शिक्षित करने के लिए गैर औपचरिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गयी। 14 बालवाड़ी केन्द्रों की सेवाओं का विस्तार बाल देखभाल तथा बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया।

10.6.12 नई दिल्ली नगर परिषद ने वर्ष के दौरान बधिर बच्चों के लिए एक समाज सेवा केन्द्र भी खोला।

लक्षद्वीप

10.7.1 इस संघ राज्य क्षेत्र में सीनियर माध्यमिक स्तर के 11, माध्यमिक स्तर के 41, 11 बालवाड़ियों और एक आई० टी० आई० शिक्षा सहित 58 संस्थान हैं

10.7.2 चालू वर्ष के दौरान, राजकीय हाई स्कूल, कवरत्ती को सीनियर माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत किया गया। लक्षद्वीप के स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर 17,271 छात्र अध्ययनरत थे जिनमें से 16,948 छात्र अनुसूचित जन जातियों के थे। छात्राओं की संख्या 7,859 थी।

10.7.3 **उच्चतर शिक्षा** : चूंकि संघ राज्य क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज अथवा कोई व्यावसायिक कालेज नहीं है अत: विभिन्न संस्थाओं में ऐसे पाठयक्रमों के लिए मुख्य क्षेत्र में ऐसे पाठयक्रमों के अध्ययन के लिए इच्छुक छात्रों के लिए लक्षद्वीप के छात्रों के लिए केन्द्रीय कोटा से सीटें विभिन्न संस्थानों में आवंटित की जाती हैं।

10.7.4 **प्रौढ़ शिक्षा** : शिक्षा विभाग ने सम्पूर्ण लक्षद्वीप में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया है। वर्ष 1994 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता दर (0—6 के आयु वर्ग को छोड़कर) 81.78% है। इस द्वीप समूह में शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं।

10.7.5 **व्यावसायिक शिक्षा** : सभी हाई स्कूलों में कक्षा VIII से X तक मछली पालन प्रौद्योगिकी तथा कोइरक्राफ्ट विषय आरंभ किए गए हैं। संघ राज्य प्रशासन का प्रस्ताव, इन विषयों को बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल करने का है जिनके लिए केरल सरकार ने अपेक्षित संस्वीकृति प्रदान कर दी है।

पाण्डिचेरी

10.8.1 संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी का क्षेत्रफल 492 वर्ग कि० मी० है और इस में पाण्डिचेरी, करायकल, माहे तथा यमन नामक चार प्रदेश हैं तथा वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 8,07,785 है जिसमें 4,08,081पुरूष तथा 3,99,704 महिलाएं हैं। पाण्डिचेरी ने 6—14 आयु वर्ग में शत-प्रतिशत दाखिला प्राप्ति को संभव कर दिया है क्योंकि प्रारंभिक स्कूलों तक ग्रामीण बच्चों की पहुंच सुगम है।

10.8.2 **प्रारंभिक शिक्षा** : संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और 6—14 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए स्कूलों में 6—14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को दाखिल करने के वास्ते इस प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए गए हैं।

10.8.3 **माध्यमिक शिक्षा** : एक चरणबद्ध तरीके से विद्यमान हाई स्कूलों को हायर सैकेन्डरी स्कूलों में स्तरोन्नत किए जाने के प्रयास किए गए। वर्ष 1993-94 के दौरान चार हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नत किया गया तथा वर्ष 1994-95 के दौरान दो माध्यमिक स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में स्तरोन्नत किया गया। रोजगारोन्मुख तकनीकी पाठयक्रम प्रदान करने वाले कुल 32 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में से वर्तमान 20 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठयक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। एक चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यमान उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठयक्रम लागू करने का प्रावधान हैं।

10.8.4 **उच्चतर शिक्षा** : देश की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए संघ राज्य प्रशासन वर्तमान कालेजों में बी० एस० सी० (पुस्तकालय विज्ञान), बी० ए० (सहकारी प्रबंध) बी० एस० सी० (कम्प्यूटर विज्ञान) तथा एम० एस० सी० (कम्प्यूटर विज्ञान) जैसे रोजगारोन्मुख पाठयक्रम आरंभ करने का भी प्रस्ताव है।

10.8.5 **तकनीकी शिक्षा** : प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, कार्यशाला अनुभाग और पुस्तकालय जैसी आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं प्रदान करने के द्वारा वर्तमान पालिटेक्नीकों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पाण्डिचेरी इंजीनियरी कालेज में इलैक्ट्रानिकी तथा इलैक्ट्रीकल में बी० टैक० एवं उच्च निर्माण प्रौद्योगिकी में एम० टैक० पाठयक्रम शुरू किए गए। तकनीकी शिक्षा के समग्र सुधार को प्राप्त करने के उद्देश्य सहित पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र अब देशभर में "विश्व बैंक" की सहायता से कार्यान्वित की जा रही "तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण" की परियोजना के दूसरे चरण में शामिल हो गया है।

10.8.6 **प्रौढ़ शिक्षा** : पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को 30.11.91 को पूर्ण साक्षरता वाला राज्य घोषित किया गया और "पुदुवाय आरिवोली इयाक्कम", पाण्डिचेरी की पूर्ण साक्षरता के लिए यूनेस्को का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। नवसाक्षरों के लाभार्थ उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किया गया तथा कार्यात्मक साक्षरता देने के उद्देश्य से पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों को शामिल करने का लक्ष्य है।

10.8.7 **अन्य कार्यक्रम** : जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान के जरिए 50 छात्रों की दाखिला क्षमता सहित 14.9.1994 को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरु किया गया। राज्य प्रशिक्षक केन्द्र के जरिए आयोजित सेवारत शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 680 शिक्षकों को शामिल करके 17 प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। आई० ए० एस०/मेडिकल/इंजीनियरी/बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 720 छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हस्त कार्य, अस्पताल समाज सेवा, रक्त दान, प्रौढ़ शिक्षा, एडस पर जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण आदि जैसे विभिन्न समाज सेवा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए समुदाय सेवा के जरिए छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 4,500 छात्र स्वयंसेवियों को नामांकित किया गया।

10.9.0 **प्रोत्साहन** : सभी संघ राज्य क्षेत्र, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, मध्यान्ह भोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधाएं प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा छात्रावास सुविधाएं आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।

11. पुस्तक प्रौन्नति
तथा
कापीराइट

11. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट

11.1.1 पुस्तकें किसी देश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पुस्तकें भिन्न-भिन्न आर्थिक सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को समान लक्ष्य और ज्ञान प्रदान करने में अनिवार्य भूमिका निभाती हैं। शिक्षा विभाग का पुस्तक प्रोन्नति प्रभाग अनेक योजनाएं चला रहा है और क्रियाकलाप कर रहा है जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ उचित दामों पर अच्छी कोटि की पुस्तकों को प्रकाशन को प्रोन्नत करना, स्वदेशी लेखकों को प्रोत्साहन प्रदान करना, पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और भारतीय पुस्तक उद्योग को सहायता प्रदान करना है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस संबंध में कार्यान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

11.2.1 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (एन० बी० टी०), इस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है, जिसका गठन 1957 में उचित मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री तैयार करने व उसके प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के क्रियाकलापों में मुख्यत: पुस्तकों का प्रकाशन, लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को सहायता प्रदान करना तथा पुस्तकों का संवर्धन शामिल है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास सामान्य पाठकों के लिए उचित मूल्य पर असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तेलगू, तमिल तथा उर्दू में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने अब तक विभिन्न भाषाओं में लगभग 7,200 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। न्यास उचित मूल्य पर डिप्लोमा, अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन के लिए लेखकों, चित्रकारों तथा प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह निम्नलिखित के माध्यम से देश भर में पुस्तकों और पुस्तक पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन प्रदान करता है :—(क) पुस्तक मेलों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करके, (ख) गोष्ठियों, संगोष्ठियों या कार्यशालाओं का आयोजन करके, (ग) पुस्तक मेलों तथा प्रदर्शनियों को वित्तीय सहायता देकर, (घ) राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन करके तथा (ङ) विद्यालयों में पाठक क्लबों की स्थापना को प्रोन्नत करके। यह विभिन्न देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भारत की सहभागिता का गठन और देश के बाहर भी भारतीय पुस्तकों की प्रोन्नति करता है।

(ख) प्रकाशन

11.2.2 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास समाज के सभी वर्गों और आयु वर्गों के लिए सामान्य पठन सामग्री प्रदान करता है। न्यास की सुपरिभाषित श्रृंखला के अंतर्गत अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में कथात्मक और गैर-कथात्मक पुस्तकों को उचित मूल्यों पर निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक आधार पर, बच्चों के लिए नेहरू बाल पुस्तकालय की कुछ पुस्तकों का अनुवाद, उत्तर-पूर्व, मध्य प्रदेश और बिहार की जनजातीय भाषाओं में किया जा रहा है।

11.2.3 वर्ष 1993-94 के दौरान, 588 पुस्तकें प्रकाशित की गई जिनमें 297 मूल, संशोधित प्रतियां, अनुवाद और 291 पुनर्मुद्रण शामिल थे। इस वर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की संख्या 700 से अधिक होने की संभावना है।

11.2.4 वर्ष 1993-94 के दौरान, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की कुल निवल बिक्री 186.00 लाख रु० थी। इस वर्ष इसके लगभग 2 करोड़ होने की संभावना है।

(ख) लेखकों और प्रकाशकों को सहायता

प्रश्नगत वर्ष के दौरान किए गए क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं :—

11.2.5 पुस्तकों के रियायती प्रकाशन की योजना के माध्यम से न्यास ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु लेखकों और प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो भारतीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए पाठ्यपुस्तकों, विषयोन्मुख सहायक पठन सामग्री और संदर्भ पुस्तकों के तौर पर प्रयोग में आ सकें।

11.2.6 ये पुस्तकें उन विषय क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनमें स्वीकार्य स्तर की पुस्तकें या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा इतने अधिक मूल्य की हैं कि विद्यार्थियों द्वारा उनका क्रय कठिन है तथा ये पुस्तकें हिन्दी, अंग्रेजी, अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी अन्य भाषा में हो सकती है और योजना के अंतर्गत रियायत दरों पर उपलब्ध हैं।

11.2.7 इस योजना में अगस्त, 1992 में संशोधन किया गया था ताकि प्रक्रियाओं को आसान करके इसे और अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके। संशोधन के पश्चात् भारतीय प्रकाशकों ने इस योजना में और अधिक रूचि दर्शायी। इनमें वे तीन विश्वविद्यालय शामिल हैं जो तमिल भाषा में पुस्तकें निकाल रहे हैं। अब इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली पुस्तकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1992-93 में प्रकाशित 10 पुस्तकों की तुलना में वर्ष 1993 में 14 पुस्तकें प्रकाशित हुई और चालू वित्त वर्ष के दौरान 16 पुस्तकों के प्रकाशन की संभावना है।

—1000 M/o HRD/94

विश्व पुस्तक मेला

11.2.8 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन वर्ष 1972 से प्रत्येक दो वर्षों में एक बार किया जाता है। यह मेला एशिया में पुस्तकों से संबंधित सबसे बड़ा उत्सव है। 11वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन फरवरी, 1994 में किया गया और इस मेले में 984 प्रकाशकों ने भाग लिया। पहली बार "अफ्रीका" को इस मेले का विषय बनाया गया। अगले पुस्तक मेले का आयोजन न्यास द्वारा फरवरी, 1996 में किया जाएगा।

(ग) पुस्तक प्रोन्नति :

11.2.9 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (ट्रस्ट) की पुस्तक प्रोन्नति से संबंधित कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—पुस्तक मेलों का आयोजन, पुस्तक महोत्सव, कार्यशालाएं, पुस्तकों से संबंधित विषयों पर सेमिनारों और गोष्ठियों का आयोजन, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाना इत्यादि। प्रश्नगत वर्ष के दौरान न्यास ने सितंबर 10—18, 1994 के बीच जलन्धर में, सितम्बर 30 से अक्टूबर 9, 1994 के बीच नागपुर में और दिसम्बर 31, 1994 से जनवरी 8, 1995 के बीच गोवा में पुस्तक मेलों का आयोजन किया।

11.2.10 इसके अतिरिक्त, भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के संवर्धन हेतु अपनी नई योजना के अंतर्गत न्यास ने कुमाऊँ और गढ़वाल (उ०प्र०) में चुनिन्दा हिन्दी प्रकाशनों की 9 और दिल्ली में चुनिन्दा बाल पुस्तकों की 39 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। न्यास ने जनवरी, 1995 में बम्बई में 6 और फरवरी, 1995 में मद्रास में 9 प्रदर्शनियों के आयोजन का निर्णय लिया है। नागपुर में दो विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जिनमें से एक विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जिनमें से एक नव-साक्षर महिलाओं हेतु साक्षरोत्तर पठन सामग्री के विषय में और दूसरा लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों की सामग्री और चित्रों के संबंध में था। इसके अतिरिक्त न्यास ने जनवरी, 1995 में दो और विचार गोष्ठियों के आयोजना का निर्णय लिया है। जैसी की परम्परा रही है, न्यास ने देश भर में 14 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1994 के बीच राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाए।

11.2.11 विदेश में पुस्तक प्रोन्नति से संबंधित क्रियाकलापों के आयोजन के लिए न्यास ने 7—10 अप्रैल, 1994 के बीच बोलोग्ला अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेले, 22—26 जून, 1994 के बीच आस्ट्रेलियन पुस्तक मेले और 5—10 सितम्बर, 1994 के बीच फ्रांकफुर्त पुस्तक मेले में भाग लिया। फरवरी से मार्च, 1995 के बीच नेपाल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पुस्तकों के प्रदर्शन की योजना है।

II. पुस्तक प्रोन्नति संबंधि कार्यकलाप एवं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

11.3.0 पुस्तक प्रोन्नति संबंधी कार्यकलापों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता नामक योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन इत्यादि के आयोजन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ आधार पर अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष के दौरान "भारतीय भाषाओं के साहित्य में समानता" विषयक राष्ट्रीय परिसंवाद के आयोजन हेतु "आथर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया" को 1.00 लाख रु० का अनुदान प्रदान किया गया, भारतीय प्रकाशक संघ को 92,000/- रु० प्रदान किए जा रहे हैं और 2.12 लाख रु० नेताजी सुभाष अनुसंधान ब्यूरों के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त 96,000/- रु० के अनुदान हेतु एक आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

III. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

11.4.0 रा० पु० वि० प० का गठन 1867 में किया गया था और इसका समापन नवम्बर, 1993 में कर दिया गया। इसका पुनर्गठन "राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद" के नाम से किया जा रहा है, जो कि पुस्तक प्रोन्नति के सभी प्रमुख पक्षों पर विचारों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सलाहकार निकाय के तौर पर कार्य करेगा।

IV. पुस्तकों के लिए आयात और निर्यात नीति

11.5.0 वाणिज्य मंत्रालय ने 5 वर्ष की अवधि के लिए नई आयात और निर्यात नीति की घोषणा की है जो 1 अप्रैल, 1992 से लागू हुई है।

11.5.1 इसके अंतर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर कोई भी संगठन/व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के पुस्तकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य पुस्तकों को आयात की अनुमति लाइसेन्स होने पर ही दी जाएगी।

V. राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुस्तकालय

11.6.0 अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आई० एस० बी० एन०) प्रणाली का उद्देश्य है :—देशीय प्रकाशनों के निर्यात को तीव्र करना तथा दिन-प्रतिदिन के व्यापार में पुस्तकों के व्यापार को कम करना। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक पुस्तक को भिन्न-भिन्न पहचान संख्या प्रदान की जाती है। पुस्तकों की अदला-बदली के अतिरिक्त यह प्रणाली पुस्तकालयों तथा संसूचना प्रणालियों और शोध छात्रों के लिए बहुत ही मददगार है। 1 जनवरी, 1985 से 31 अक्टूबर, 1994 के बीच लगभग 2,545 बड़े और छोटे प्रकाशक और लेखक इस प्रणाली के सदस्य बने हैं तथा आज उनके हजारों प्रकाशनों पर आई० एस० बी० एन० संख्या होती है।

VI. कॉपीराइट

11.7.1 कॉपीराइट कार्यालय जनवरी, 1958 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसरण में स्थापित किया गया था। कार्यालय, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कृतियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजीकृत करता है। 1 अप्रैल, 1994 से 24 नवंबर, 1994 तक 524 कार्य पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकृत कार्यों के वर्ग-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(क) साहित्यिक, नाट्य एवं संगीतात्मक कार्य	343
(ख) कलात्मक कार्य	142
(ग) अभिलेख	34
(घ) सिनेमेटोग्राफ फिल्में	5

11.7.2 इसके अतिरिक्त, कॉपीराइट कार्यालय, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियमावली, 1958 के नियम 17 के अनुसरण में कॉपीराइट रजिस्टर में परिवर्तनों को भी पंजीकृत करता है। कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट रजिस्ट्रार के उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां और कॉपीराइट/कॉपीराइट बोर्ड के रजिस्ट्रार के संरक्षण में रखे सार्वजनिक प्रलेखों की प्रतियां भी जारी करता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रार का निरीक्षण भी इच्छुक व्यक्तियों के लिए खुला है।

11.7.3 कॉपीराइट बोर्ड एक अर्ध-न्यायिक निकाय का गठन सितम्बर, 1958 के प्रारंभ में किया गया था। कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। यह कॉपीराइट सौंपने और निम्नलिखित मामलों में लाइसेंसों को प्रदान करने से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है :—

* सार्वजनिक होने से रोक ली गई कृतियों के मामले
* अप्रकाशित भारतीय कृतियों के मामले
* अनुवाद कार्य प्रस्तुत व प्रकाशित करने के लिए
* निश्चित उद्देश्यों के लिए कृतियों को प्रस्तुत और प्रकाशित करने के लिए।

11.7.4 यह कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत इसके समक्ष गठित विविध मामलों की भी सुनवाई करता है। बोर्ड की बैठकें लेखकों, कलाकारों तथा बौद्धिक संपदा के स्वामियों को उनके आवास या व्यवसाय के स्थान के निकट ही न्यायिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाती हैं।

11.7.5 कॉपीराइट बोर्ड पिछली बार चार वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च, 1994 तक पुनर्गठित किया गया था। एक नए बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है।

कॉपीराइट प्रवर्तन

11.8.1 कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद् जो देश में कॉपीराइट प्रवर्तन को सुदृढ़ करने और उसे सरल एवं कारगर बनाने के लिए तथा लोगों और प्रवर्तक प्राधिकारियों को शिक्षित करने के लिए 6-11-91 को स्थापित की गई थी, की पाँचवी बैठक 28 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :—

— एफ० आई० पी० द्वारा तैयार किए गए कॉपीराइट प्रवर्तन की प्रारूप पुस्तिकाओं पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि इसे सदस्यों के सुझावों के अनुसार संशोधित किया जाए।

— कॉपीराइट मामलों से निपटने के लिए राज्यों में विशेष सेल स्थापित किए जायें।

— विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से आयोजित कॉपीराइट प्रवर्तन संबंधी सेमिनार में भाग लेने के लिए गृह सचिवों/पुलिस उप महानिरीक्षक को आमंत्रित किया जाए।

11.8.2 कॉपीराइट पुस्तिका का प्रारूप संशोधित किया गया था और मुद्रित किया जा चुका है। राज्य सरकारों को विशेष सेल स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्तर पर अनुरोध किया गया है। गृह सचिवों और राज्य सरकारों के पुलिस महा निरीक्षकों को कॉपीराइट प्रवर्तन संबंधी सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इनके ब्यौरे "कॉपीराइट में प्रशिक्षण सुविधायें" नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं।

कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन

11.8.3 कॉपीराइट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, जो जुलाई, 1992 में पेश किया गया था संसद द्वारा मई, 1994 में पारित किया गया और 9 जून, 1994 को कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 के रूप में लागू किया गया। जब इसे 9 जून, 1994 को राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हुई। कॉपीराइट अधिनियम में व्यापक संशोधन इस संशोधित अधिनियम द्वारा किए गए हैं। संशोधनों में निष्पादकों के अधिकार, किराए संबंधी अधिकार और कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए और अधिक कठोर सजायें शामिल हैं। तथापि, ये संशोधन अभी लागू नहीं हुए हैं। जैसे ही प्रावधानों को लागू करने संबंधी कुछ अपेक्षित सांविधिक नियम तैयार हो जायेंगे, इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। नियमों के प्रारूप पहले ही जांच हेतु विधि मंत्रालय को भेज दिए गए हैं।

कॉपीराइट में प्रशिक्षण सुविधायें

11.9.1 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने अपने सहयोग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों में कॉपीराइट संबंधी मामलों को देखने वाले कर्मचारियों के लिए कॉपीराइट में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। श्री जगदी स्वरूप, विशेष अधिकारी (कॉपीराइट) शिक्षा विभाग ने जेनेवा में 12—14 अक्तूबर, 1994 तक आयोजित कॉपीराइट और परिवेशी अधिकार सबंधी प्रबोधन सेमिनार में भाग लिया और इसके बाद बुडापेस्ट, हंगरी में 17—28 अक्तूबर, 1994 तक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

11.9.2 विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सहयोग से मंत्रालय ने 11-12 नवम्बर, 1994 तक नई दिल्ली में कॉपीराइट प्रवर्तन संबंधी एक प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित किया जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें विदेशी विशेषज्ञों सहित 52 भाग लेने वाले थे।

अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट

11.10.1 भारत कॉपीराइट की दो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों नामत :—द बर्न अन्वेनशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एण्ड आर्टिस्टिक वर्क्स और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन का सदस्य है। इन दोनों सम्मेलनों को 1971 में संशोधित किया गया था ताकि विशेष प्रावधानों को शामिल किया जा सके जिससे विकासशील देश विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विदेशी मूल की पुस्तकों के पुनर्उत्पादन और अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकें यदि ये अधिकार कॉपीराइट के स्वामियों द्वारा मुक्त रूप से बातचीत करने से न प्राप्त हो सके हों। भारत ने इन सम्मेलनों के 1971 विषयवस्तु को स्वीकार कर लिया है।

11.10.2 भारत विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन, जिनेवा जो वि साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण के बर्न सम्मेलन का अन्तर्राष्ट्री सम्मेलन है, शासी निकायों के विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वा करता है। इस वर्ष शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने 24 सितम्बर से अक्तूबर, 1994 में जेनेवा में आयोजित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के शास निकायों की 25वीं श्रृंखला की बैठकों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश

11.11.0 भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14 की धारा 40 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को विदेशी कार्यों को लिए कॉपीराइ प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। इस संबंध में 21 जनवरी को एस० आर० ओ० 271 के द्वारा जारी किया गया एक आदेश अन्तर्राष्ट्रीय कॉपीराइ आदेश, 1958 संशोधित किया गया तथा 30 सितम्बर, 1991 के सरका तथा राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधित आदेश में 13 अक्तूबर 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० एस० ओ० 768(ई) द्वारा परिवर्तन किया गया। आदेश में और संशोधन पर विचार कि जा रहा है।

12. भाषाओं की प्रोन्नति

12. भाषाओं की प्रोन्नति

12.1.0 भाषाएं संचार और शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम ने के कारण उनका विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना में क महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक ओर तो संस्कृत तथा उर्दू और दूसरी ोर अंग्रेजी तथा साथ ही विदेशी भाषाओं सहित, संविधान की आठवीं नुसूची में सूचीबद्ध हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के संवर्धन तथा विकास पर थोचित ध्यान दिया गया है। अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने । लिए शिक्षा विभाग ने अपने भाषा संस्थानों, स्वायत्त संगठनों तथा धीनस्थ कार्यालयों अर्थात् केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा तथा उसके चि केन्द्रों राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली तथा उसके सात विद्यापीठों, रतीय केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर और उसके चार क्षेत्रीय केन्द्रों, एक स्तार केन्द्र तथा दो उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय हिन्दी देशालय, नई दिल्ली, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई ल्ली, और उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए । वर्ष 1994-95 के दौरान, भाषाओं के संवर्धन तथा विकास से संबंधित ख निम्नलिखित मुख्य कार्य किए गए।

न्दी का संवर्धन तथा विकास

12.2.1 हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में विकास करने के लिए न्दी के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान रने की योजना जारी रही। हिन्दी के संवर्धन, विकास तथा प्रचार-प्रसार में ो हुए स्वैच्छिक संगठनों की प्रोत्साहित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ली पंचवर्षीय योजना से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। कई वर्षों इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांग रहे अनेक संगठनों में तरोत्तर वृद्धि हुई है और वर्ष 1994-95 में लगभग 200 स्वैच्छिक हिन्दी ठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है।

12.2.2 हिन्दी को प्रोन्नत करने तथा उसका प्रचार करने की दृष्टि से कों के अनुवाद, प्रकाशन तथा खरीद के लिए स्वैच्छिक संगठनों और य ही व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना लू है और इस विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिन्दी देशालय द्वारा अब इसका प्रबंध किया जा रहा है।

हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की युक्ति एवं उनका प्रशिक्षण

12.2.3 अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत के संविधान अनुच्छेद 351 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में हिन्दी के संवर्धन तथा के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार ने दूसरी योजना के दौरान (i) ी शिक्षकों की नियुक्ति, और (ii) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों को खोलना/सुदृढ़ बनाने संबंधी योजनाएं, आरंभ की थीं। इन योजनाओं के अंतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। ये योजनाएं सातवीं योजना तक, दो अलग योजनाओं के रूप में लागू की गई थीं। चूंकि इन योजनाओं के उद्देश्य समान हैं, इन्हें आठवीं योजना में "अहिन्दी भाषी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण" नामक एक ही योजना में एक साथ मिला दिया गया है और वर्ष 1994-95 में उसी पद्धति पर केन्द्रीय सहायता जारी रही। वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 1,000 हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति/रख-रखाव/प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित प्रणाली पर, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 2.5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

12.2.4 यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशों में हिन्दी को बढ़ावा देने तथा उसका प्रचार करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। यह योजना आठवीं योजना में जारी है। इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट कार्यक्रम/कार्यकलाप इस प्रकार हैं :—

(i) एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में हिंदी के अध्ययन हेतु लगभग 50 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, (ii) विदेशों में भारतीय मिशनों को हिंदी के प्रचार के लिए हिंदी पुस्तकें तथा उपकरण मुहैय्या कराना (iii) सूरीनाम, गुयाना और त्रिनिदाद तथा टोबागो के लिए हिन्दी शिक्षकों को नियुक्त करना, (iv) भारतीय दूतावास, काठमांडू तथा भारतीय उच्चायोग श्रीलंका में हिंदी पुस्तकालयाध्यक्षों तथा अंशकालिक हिंदी लेक्चररों की नियुक्ति करना। विदेशी छात्रों को क्रमश: 1200/- रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां तथा 400/- रुपये प्रति वर्ष का पुस्तक अनुदान प्रदान किया जाता है। विदेशी छात्रों को हिंदी अध्यापन का कार्यक्रम आगरा स्थित केन्द्रीय हिंदी संस्थान के मुख्यालय में चलाया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना

12.2.5 एक अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में स्वरूप, संरचना, स्थान निर्धारण, वित्तीय आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए "डा० शिव मंगल सिंह, सुमन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 1-5-1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसकी अन्य संबंधित मंत्रालयों/संगठनों से परामर्श करके जांच की गई है। सरकार ने, वर्धा में

अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा विधान तैयार करने और संसद के विचारार्थ उसे प्रस्तुत करने पर निर्णय नहीं लिया है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

12.3.1 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्तूबर, 1961 में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों और सभी विषयों में संदर्भ साहित्य तैयार करने अखिल भारतीय शब्दावली अभिनिर्धारित करने, एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करने और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम को सुचारू ढंग से परिवर्तित करने को सुकर बनाने के लिए तकनीकी प्रबोधन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए की गई थी।

शब्दावली

12.3.2 आयोग ने अभी तक विभिन्न विषयों के 5.5 लाख शब्द विकसित और प्रकाशित किए हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

पारिभाषिक शब्दकोश

12.3.3 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने 50 पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित किए हैं जिनमें आयोग द्वारा विकसित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों की हिंदी में परिभाषा निहित हैं। इन पारिभाषिक शब्दकोशों में तकरीबन सभी बुनियादी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकियों तथा पुरातत्व विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे विशिष्ट विषयों को शामिल किया गया है। सूक्ष्म-जैविकी, भाषा-विज्ञान, धातु विज्ञान, सैल जैविका, योजना रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कोशिका आनुवंशिकी आदि जैसे विशिष्ट विषयों के पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशन के विभिन्न चरणों पर हैं।

अखिल भारतीय शब्दावली

12.3.4 अभी तक 19 अखिल भारतीय शब्द संग्रह नि:शुल्क वितरण के लिए प्रकाशित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

12.3.5 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने हिंदी ग्रन्थ अकादमियों/राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों/विश्वविद्यालय सैलों के सहयोग से, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की 11247 पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की है। आयोग ने इंजीनियरों, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में 388 पुस्तकें भी तैयार की हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग "विज्ञान गरिमा सिन्धु" नामक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

शब्दावली प्रबोधन कार्यशाला

12.3.6. शब्दावली के उपयुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने तथा उसे लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग विविध विषयों में विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस प्रकार की कार्यशालाएं प्रति वर्ष 12-15 आयोजित की जाती हैं। अभी तक 3310 विश्वविद्यालय/कालेज शिक्षकों, राजभाषा अधिकारियों और वैज्ञानिकों को शब्दावली प्रबोधन किया गया है।

शब्दावली का संगणकीकरण

12.3.7 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने वर्ष 1989 में इस परियोजना को आरम्भ कर दिया था तथा इस परियोजना के अन्तर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली द्वारा विकसित किए गए सभी 5.5 लाख तकनीकी शब्दों को डाटा बेस में भरा जा रहा है जिसमें से लगभग 4 लाख शब्दों को पहले ही भर दिया गया है। पशु चिकित्सा, वन विद्या, अन्तरिक्ष-विज्ञान, रसायन, इंजीनियरी कृषि के इस संगणकीकृत डाटा आधारित शब्द संग्रह से विस्तृत रक्षा शब्दावली मनोविज्ञान, खनन तथा भूविज्ञान का लेजर मुद्रण किया गया था तथा ये प्रेस में हैं।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

12.4.1 निदेशालय 13 हिन्दी तथा 13 प्रादेशिक भाषा आधारित द्विभाषी शब्दकोशों का संकलन कर रहा है। अभी तक 13 शब्दकोश अर्थात् हिन्दी-असमी, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-कश्मीरी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-मलयालम, हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-सिन्धी, हिन्दी-तमिल हिन्दी-तेलगू, हिन्दी-उर्दू, उड़िया-हिन्दी, मलयालम-हिन्दी तथा उर्दू-हिन्दी शब्दकोष प्रकाशित किए गए हैं। निदेशालय ने 13 त्रिभाशी शब्दकोष प्रकाशित किए गए हैं। निदेशालय ने जबकि 12 हिन्दी आधारित तथा 12 प्रादेशिक भाषा आधारित त्रिभाषा शब्दकोष संकलित किए जा रहे हैं। निदेशालय ने "भारतीय भाषा परिचय कोष" के संकलन के अतिरिक्त, एक बहु-भाषी शब्दकोष तथा "तत्सम शब्दकोष" भी प्रकाशित किया है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत, चैक हिन्दी और जर्मन-हिन्दी (खण्ड I और II) शब्दकोष तैयार किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं अर्थात् अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश के हिन्दी आधारित समेकित शब्दकोष का संकलन किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त, हिन्दी-कश्मीरी तथा हिन्दी-असमी वार्तालाप गाइडें प्रकाशित की गई हैं। एक त्रिभाषी और दो द्विभाषी शब्दकोषों कर कार्य उन्नत स्तर पर हैं। हिन्दी और निकटवर्ती देशों की भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोषों को तैयार करने की एक परियोजना आरम्भ कर दी गई है। इस प्रकार के दस शब्दकोषों में से, हिन्दी-फारसी, हिन्दी सिंघली और हिन्दी-इंडोनेशिया मुद्रण के लिए तैयार है।

12.4.2 निदेशालय "यूनेस्को दूत" (यूनेस्को कूरियर) नामक अंग्रेजी पत्रिका का हिन्दी रूपान्तर) भी प्रकाशित करता है। "भाषा" (द्विमासिक "वार्षिकी" "साहित्यमाला" जयशंकर प्रसाद, "सृजन के विविध आयाम" और "भारतीय कवयित्रियां" भी वर्ष के दौरान प्रकाशित किए गए हैं

12.4.3 निदेशालय अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला के माध्यम से पत्राचार-पाठ्यक्रमों के जरिए हिन्दी अध्यापन की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। अभी तक 3.12 लाख व्यक्ति इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं। चालू वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में नामांकन लगभग 15, 164 है। कुछ स्व अध्यापन रिकार्ड और कैसटें भी इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई हैं। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए 12 व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

12.4.4 निदेशालय ने हिन्दी भाषा के अहिन्दी भाषा के क्षेत्र के विश्वविद्यालय छात्रों को दो अध्ययन दौरे और हिन्दी भाषी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को साहित्य और अनुसंधान प्रयोजनार्थ अहिन्दी भाषा क्षेत्रों के चुनिंदा 20 अनुसंधान छात्रों के दो दौरे भी आयोजित किए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, हिन्दी में लिखने के लिए अहिन्दी भाषा लेखकों को प्रोत्साहित करने लिए आठ नव लेखक कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। भारतीय साहित्य की एकरूपता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए इलाहाबद और हैदराबाद में दो राष्ट्रीय परिचर्चाएं भी आयोजित की गई थीं। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा आठ अध्येताओं (चार हिन्दी क्षेत्रों से) को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में छात्रों की रुचि के विषयों पर लेक्चर देने के लिए और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में छात्रों की रुचि के विषयों पर लेक्चर देने के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से चार को मनोनीत किया गया था।

12.4.5 हिन्दी के प्रचार के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को अनेक पुस्तकें निःशुल्क भेजी गई हैं। हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी निदेशालय का एक और कार्यकलाप है। निदेशालय समूचे देश में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न इकाइयों में राजभाषा के रूप में बोले जाने वाले रूप का सर्वेक्षण कर रहा है। इस योजना को दो चरणों में विभक्त किया गया है। अधिकांश हिन्दी भाषी राज्यों में यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है। यह सिन्धी भाषा के प्रचार में भी लगा हुआ है। निदेशालय "हिन्दी शिक्षा समिति" तथा "शिक्षा पुरस्कार" के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा

12.5.1 केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया एक स्वायत्त संगठन है जिसका समग्र नियंत्रण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अन्तर्गत है। मण्डल अपने तत्वावधान में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान जिसका मुख्यालय आगरा में है और दिल्ली हैदराबाद, मैसूर, गुवाहाटी तथा शिलांग में केन्द्र है। इस संस्थान को दूसरी /विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी में अध्यापन तथा अध्यापन प्रशिक्षण उच्च केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और अध्यापन तथा अनुवाद में प्रयुक्त हिन्दी भाषा विज्ञान के लिए मान्यता प्राप्त है।

12.5.2 अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए संस्थान हिन्दी शिक्षण निष्णात (एम०एड०स्तर), हिन्दी शिक्षण पारंगत (बी०ए० स्तर), हिन्दी शिक्षण प्रवीण, चार वर्षीय हिन्दी शिक्षक ...मा और गहन हिन्दी अध्यापन एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। सत्र के दौरान 139 सेवाकालीन हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। हिन्दी शिक्षण पारंगत पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से भी चलाया जाता है जिसमें 50 सेवाकालीन शिक्षकों को सत्र के दौरान दाखिला दिया गया था।

12.5.3 संस्थान, "विदेशों में हिन्दी के प्रचार" की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत विदेशियों को हिन्दी अध्यापन के लिए पाठ्यक्रम भी चलाता है। सत्र के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न देशों के 41 विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। सत्र के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न देशों के 41 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। विदेशियों के लिए एक संयुक्त हिन्दी पाठ्यक्रम भी दिल्ली केन्द्र में चलाया जा रहा है जिसमें 45 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त हिन्दी भाषा विज्ञान और अनुवाद के 3 पाठ्यक्रम भी दिल्ली केन्द्र में चलाए जा रहे हैं। सत्र के दौरान इन पाठ्यक्रमों में 85 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

12.5.4 गोआ सरकार के अनुरोध पर कक्षा V के छात्रों के लिए हिन्दी की प्रथम पुस्तक "गोमन्ता भारती" की प्रेस प्रति को मान्य करने तथा मानकीकृत का निर्माण करने के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने संस्थान से उनके अधिकारियों के लिए दूरस्थ हिन्दी अध्यापन पाठ्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया। संस्थान ने सत्र के दौरान दूरस्थ हिन्दी अध्यापन मापदण्ड के आधारभूत पाठ्यक्रम तैयार किए। मध्य प्रदेश, सिक्किम, नागालैण्ड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी व्याकरण पुस्तकें तथा द्विभाषी शब्दकोषों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी के विशेष संदर्भ में, औद्योगिक इकाइयों के सामाजिक भाषिक सर्वेक्षण" तथा "विदेशी छात्रों को संगणक (कम्प्यूटर) आधारित हिन्दी अध्यापन" सम्बन्धी अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

12.5.5 "हिन्दी सेवी सम्मान योजना" नामक योजना के अन्तर्गत हिन्दी के विकास और प्रचार, हिन्दी पत्रकारिता, अनुसंधान तथा हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी हिन्दी साहित्य आदि में रचनाओं के क्षेत्र में अपने-अपने विशिष्ट योगदान के लिए 13 प्रतिष्ठित हिन्दी अध्येताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

भारतीय भाषाओं का प्रसार और विकास

12.6.1 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की स्थापना 17 जुलाई, 1969 को भारत सरकार की भाषा नीति के विकास और कार्यान्वयन तथा भारतीय भाषाओं के समन्वय और विकास में मदद करने के लिए की गई थी। यह संस्थान समस्या समाधान तथा राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए समाज सरकार तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा विश्लेषण, शिक्षा शास्त्र तथा प्रौद्योगिकी जैसे भाषा विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजन की जिम्मेदारी संभालता है।

12.6.2 मैसूर, पुणे, भुवनेश्वर, पटियाला, लखनऊ और सोलन में स्थित क्षेत्रीय भाषा केन्द्र विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैनात स्नातक शिक्षकों को क्रमशः कन्नड-मलयालम-तमिल-तेलुगु, गुजराती-मराठी-सिंधी-असमी-बंगाली उड़िया कश्मीरी-पंजाबी-उर्दू में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

12.6.3 क्षेत्रीय भाषा केन्द्र भी तीन भाषाओं अर्थात तमिल, बंगाली तथा उर्दू में एक समांतर सम्पर्क एवं पत्राचार पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

12.6.4 असम समझौते के भाषा उपबंधों के कार्यान्वियन के लिए वर्ष 1989 में गुवाहटी में एक पूर्वोत्तर अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना की गई। इसने भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शिक्षण सामग्रियों के मूल्यांकन के अतिरिक्त सामान्य तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा विशेष तौर पर असम में जनजातीय भाषाओं के विकास सहित असमी भाषा के विकास के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह केन्द्र सामान्य लक्षणों की पहचान करने तथा इस प्रदेश की भाषाओं के तालमेल में अनुसंधान कार्य करता है।

1000 M/o HRD/94

12.6.5 क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों में तृतीय भाषा के अध्ययन के लिए राज्यों द्वारा 312 शिक्षकों को तैनात किया गया।

आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की योजना

12.6.6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1988 और 1986 के अनुसरण में शिक्षकों के प्रशिक्षण के जरिए भारत सरकार त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन कर रही है। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वय के उद्देश्य से भारत सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान 1993-94 से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों (हिंदी के अलावा) की नियुक्ति के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।

12.6.7 भारतीय भाषाओं के प्रति केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने 17 जुलाई, 1994 को अपनी सेवा के पच्चीस वर्ष पूरे कर लिए। इस संबंध में 25 पुस्तकें, 8 कंम्प्यूटर सापटवेयर, 2 श्रव्य कैसेटें 4 वीडियो फिल्में तथा 11 पोस्टर जारी किए गए।

वर्ष 1994-95 के दौरान किए गए प्रमुख कार्य ये हैं

12.6.8 राज्यों में राजभाषा को लागू करने संबंधी एक तुलनात्मक अध्ययन पूरा किया गया। एक सेमिनार में, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसमें राज्यों के राजभाषा विभाग के अधिकारियों और भाषा आयोजना से संबद्ध अध्येताओं ने भाग लिया। इस वर्ष के अंत तक चार दक्षिण भारतीय भाषाओं में 3 मिलियन शब्द संग्रह के विकास कार्य को पूरा किया जाएगा इस संग्रह को व्याकरण से सृजित किया जाएगा। इन संग्रहों का प्रयोग करके वर्तनी चैकर तथा मशीन पठनीय शब्दकोश इन भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। लेखकों, शिक्षकों और मुद्रकों के प्रयोग के लिए तमिल और कन्नड़ में शैली मैनुअल तैयार किए गए ताकि वे उनकी व्यापकता, सम्प्रेषणीयता और सुसंगता की दृष्टि से प्रकाशनों में सामग्रियों के प्रस्तुतीकरण की कोटि को सुधार सकें।

12.6.9 हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी भाषाओं के सर्वेक्षण तथा उनके वैयाकरणिक वितरण का कार्य जारी रहा।

12.6.10 नयी अनुसूचित मान्यता प्राप्त भाषाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। प्रशासनिक शब्दों के सृजन के लिए शिक्षकों को कोंकणी में प्रशिक्षण दिया गया, कोंकणी प्राइमरों तथा कोंकणी से हिन्दी में साहित्य निर्माण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान, गोवा को प्रशिक्षित किया गया।

12.6.11 हिन्दी, मराठी, मणिपुरी तथा तमिल में नर्सरी कविताएं तैयार की गयी।

12.6.12 संस्थान ने तृतीय भाषा तथा प्रथम भाषा में न्यूनतम अध्ययन स्तर विकसित किए।

आधुनिक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता

12.6.13 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी भाषा के संवर्द्धन तथा प्रसार के विचार से पुस्तकों के प्रकाशन के साथ-साथ पुस्तकों की खरीद के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार, विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी के प्रचार के कार्यकलापों से जुड़ी विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं को भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ये सतत योजनाएं है तथा इनका प्रशासन केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (आ.भा.भा.अंश) तथा केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद (अंग्रेजी भाषा अंश) किया जा रहा है।

तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड

12.7.1 तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का गठन सरकार को उर्दू भाषा के संवर्धन तथा विकास पर सलाह देने के लिए एक शीर्षस्थ सलाहकार निकाय के रूप में 1969 में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो बोर्ड की सिफारिशों का पालन करता है और उन्हें निष्पादित करता है तथा इसके सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

12.7.2 उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो उर्दू में शैक्षिक साहित्य की तैयार करने में तथा देश के उर्दू भाषी लोगों को उन्हें उपलब्ध कराने में व्यस्त है। 35 पुस्तकों के लक्ष्य के मुकाबले में 14 पुस्तकें, जिनमें पुनर्मुद्रण भी शामिल है इस वर्ष प्रकाशित हुए है और इससे अब तक कुल मिलाकर 725 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है। अंग्रेजी-उर्दू-शब्दकोश का पहला खंड प्रकाशित कर दिया गया है। उर्दू विश्वशब्दकोश के 12 खंडों में से 2 खण्ड प्रेस में है। पत्रकारिता और जन माध्यम और कृषि से संबंधित शब्दावली समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। कानपुर में सुलेखम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी और इस प्रकार सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों की कुल संख्या 44 हो गई है। इस अवधि के दौरान 2,00,000/- रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई थीं।

12.7.3 उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो (बी.पी.यू.) को एक स्वायत्त संगठन के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना 4 अक्तूबर 1994 को की गई थी।

उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

12.7.4 पूर्व सांसद श्री अजीज कुरैशी की अध्यक्षता में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित समिति ने 12 जून, 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट विचाराधीन है। सम्बन्धित एजेंसी के साथ परामर्श करके रिपोर्ट की जांच करने के बाद, सरकार ने हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा विधान तैयार करने और उसे संसद के विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

सिन्धी का संवर्धन

12.7.5 सरकार ने सिन्धी भाषा के संवर्धन तथा विकास के लिए वडोदरा में सिन्धी विकास बोर्ड का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय

लिया है। कार्यालय आवास का अधिग्रहण करने तथा स्टाफ की भर्ती के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए गए हैं।

12.7.6 सिन्धी के विकास के लिए कार्यक्रमों के वित्त-पोषण की योजना वर्ष के दौरान जारी रही।

राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद

12.7.7 इस परिषद का पंजीकरण 26 मई, 1994 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में किया गया था। सिन्धी भाषा के संवर्धन के लिए इस परिषद की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में की जा रही है। परिषद से सिन्धी भाषा के संवर्धन तथा विकास पर बल देने की आशा की जाती है।

अंग्रेजी भाषा अध्यापन में सुधार

12.8.1 अंग्रेजी के अध्यापन/अध्ययन के मानकों में पर्याप्त सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार प्रत्येक राज्य में अंग्रेजी भाषा के लिए, कम से कम एक जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। अभी तक 28 जिला केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सरकार भी विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों तथा अंग्रेजी भाषा अध्यापन संस्थानों को केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के माध्यम से सहायता प्रदान कर रही है। इस समय दो क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और 9 अंग्रेजी भाषा अध्यापन संस्थान हैं।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का निर्माण

१२.८.२ भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण की योजना 1968-69 में आरंभ की गई थी। कुछ विश्वविद्यालयों को पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त भाग लेने वाले राज्यों को केंद्रीय सरकार द्वारा 1.00 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। भाग लेने वाली एजेंसियों से इस योजना को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक परिचालन (रिवालविंग) निधि सृजित किए जाने की आशा की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय के दौरान, योजना को चालू रखने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अन्य अकादेमियों/राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों द्वारा किए गए कार्य तथा सरकार द्वारा योजना की पुनरीक्षा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उनकी वर्तमान सक्षमता का आंकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

12.9.1 राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 1970 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। यह देश में संस्कृत के अध्ययन के प्रचार तथा विकास के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के माध्यम से डाक्टोरल स्तर तक संस्कृत अध्ययन प्रदान करता है और अध्ययन तथा बौद्धिक अध्ययनों की प्राचीन परंपरा को युक्तियुक्त बनाने वाली दुर्लभ पांडुलिपि परिरक्षित रखने तथा प्रकाशित करने के लिए भी कदम उठाता है।

12.9.2 इसके आरंभ होने से संस्थान ने 9 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना की है। इनमें से दो दिल्ली और तिरुपति में स्थित हैं, उन्हें अब समविश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान कर दिया गया है और वे स्वतंत्र रूप से कार्य रहे हैं। शेष विद्यापीठ जो जम्मू, जयपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पुरी, त्रिचुर तथा श्रृंगेरी में स्थित हैं, उनका प्रबंध संस्थान द्वारा किया जा रहा है। श्रृंगेरी में स्थित विद्यापीठ और जिसका बाद में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी नाम रखा गया था, का उद्घाटन 5 मार्च, 1992 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। एक नया विद्यापीठ भोपाल में खोला जाना है।

स्वैच्छिक संस्कृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता

12.9.3 इस योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं को संस्कृत के प्रचार और विकास के लिए, उसी शिक्षक वेतन छात्र-छात्रवृत्ति और अन्य मदों के आधार पर, अनुमोदित व्यय का 75% तक अनुदान प्रदान किया जाता है। वैदिक संस्थानों के मामले में, जहां मौखिक वैदिक परम्परा का परिरक्षण होता है, इस पर सरकारी अनुदान 95 % होता है। लगभग 600 संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वेद पाठशालाएं इस वर्ष एम.एस.आर.वी.वी.पी., उज्जैन को स्थानान्तरित कर दी गई हैं।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों को वित्तीय सहायता की योजना

12.9.4 भावी विकास की संभावना है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान कर रही स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों द्वारा चलाई जा रही उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान की कुछ संस्थाओं को आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई है तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक 14 स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालयों तथा 3 अनुसंधान संस्थाओं को इस योजना के क्षेत्राधिकार में लाया गया है। आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कांचीपुरम (तमिलनाडु) को अब समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा चुका है।

श्री लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली

12.9.5 यह विद्यापीठ सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का एक संघटक था। यह 1-11-1991 से एक सम-विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण प्रदान करता है तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है, पी. एच. डी. उपाधियों के लिए शोध अध्येताओं का मार्गदर्शन करता है: प्रकाशन प्रकाशित करता है तथा सेमिनार लेक्चर, आदि आयोजित करता है।

12.9.6 शैक्षिक वर्ष 1994-95 में पार्क शास्त्री से विद्या वारिधि तक 514 छात्रों को नामांकित किया गया। विद्यापीठ के चार संकाय हैं जिनमें 15 विभाग हैं। विद्यापीठ का एक छात्रावास है जिसमें 91 छात्र रह रहे हैं। विद्यापीठ का एक पुस्तकालय है जिसमें 50,349 पुस्तकें हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (सम-विश्वविद्यालय)

12.9.7 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति को 1987 में शास्त्री परंपरा को परिरक्षित करने, शास्त्रों की व्याख्या करने, आधुनिक तथा शास्त्रीय संदर्भ में समस्याओं के लिए उनकी प्रासंगिकता स्थापित करने तथा इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ''सम-विश्वविद्यालय'' घोषित किया गया था। यह 1-11-1991 से ''सम-विश्वविद्यालय'' के रूप में कार्य कर रहा है।

12.9.8 इस विश्वविद्यालय में संस्कृत अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरेट स्तर पर, प्राक-शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य के माध्यम से पढ़ाई जाती है, और स्नातक तथा उत्तर-स्नातक स्तर पर, विद्या-वारिधि पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण हाई स्कूलों तथा कालेजों में प्रदान किया जाता है। विवेचनात्मक विवरण तथा अनुवाद के साथ संपादित संस्कृत कार्य का प्रकाशन भी किया जाता है। ज्ञान के पारस्परिक संवर्धन के लिए आधुनिक तथा पारंपरिक अध्येताओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के लिए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

केन्द्रीय संस्कृत सलाहकार बोर्ड/समिति

12.9.9 केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना देश में संस्कृत के प्रचार, संवर्धन तथा विकास से संबंधित नीति के मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी।

12.9.10 पुन: गठित केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की तीसरी बैठक न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में 21-10-1994 को हुई थी।

महर्षि सन्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

12.9.11 राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना अगस्त, 1987 में विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए की गई थी जिनमें परंपरागत वैदिक संस्थाओं और अध्येताओं को सहायता, वैदिक अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान करना आदि शामिल है। वर्ष 1994-95 के दौरान, प्रतिष्ठान को अपने सामूहिक कोष (45 लाख रु०) को बढ़ाने के लिए तथा दो योजनाओं (स्कीमों) (i) वैदिक अध्ययनों के प्रचार तथा विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता (ii) वैदिक पाठों की मौखिक परंपरा को परिरक्षित करने के लिए (20 लाख रु०) वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1994-95 के दौरान, प्रतिष्ठान का नया नाम ''महर्षि सन्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान'' रखा गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली से उज्जैन स्थानांतरित कर दिया गया था। कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में ये शामिल है :—एक अखिल भारतीय तथा 6 क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलनों का आयोजन, विभिन्न विषयों पर सेमिनार तथा कार्यशालाएं, वैदिक संस्थाओं वृद्ध वैदिक पंडितों तथा नित्याग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता वेद के छात्रों को वजीफा, शिक्षावृत्तियां, आम-लोगों के लिए वैदिक कक्षाएं चलाना, वैदिक पाठों, आदि की टेप-रिकार्डिंग।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास के लिए योजनाएं (स्कीमें)

12.9.12 यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। निम्नलिखित पांच प्रमुख कार्यक्रमों के लिए शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है :—

(क) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे प्रतिष्ठित संस्कृत अध्येताओं को वित्तीय सहायता।

1450 प्रतिष्ठित अध्येताओं को 4000/- रुपये प्रति वर्ष तक वित्तीय सहायता लगभग मिल रही है। लगभग 25 अध्येताओं को वर्ष 1994-95 तक सूची में शामिल किए जाने की संभावना है।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

संस्कृत शिक्षा की परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों में संयोजन करने के लिए परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में अध्यापन चुनिंदा आधुनिक विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को सुकर बनाने के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

(ग) उच्च तथा माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत अध्यापन के लिए सुविधाएं प्रदान करना

जहां राज्य सरकारें संस्कृत अध्यापन के लिए सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त किए जाने के लिए संस्कृत शिक्षकों के वेतन पर व्यय वहन करने के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

(घ) उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति

माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत का अध्ययन करने के लिए छात्रों को आकर्षित करने के लिए, संस्कृत छात्रों को 25/- रुपये से 35/- रुपये प्रतिमाह की दर से योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। इस योजना से लगभग 3000 छात्रों को प्रति वर्ष लाभ होता है।

(ड.) राज्य सरकारों को संस्कृत के संवर्धन के लिए अनुदान

राज्य सरकारों से वैदिक अध्येताओं का सम्मान करने, विद्वत सभाएं संचालित करने, संस्कृत अध्यापन के लिए सायंकालीन कक्षाएं आयोजित करने, कालीदास समारोह मनाने आदि जैसे संस्कृत के विकास तथा प्रचार के लिए अपने-अपने कार्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

वैदिक पाठ की मौखिक परंपरा का परिरक्षण/अखिल भारतीय वाक् प्रतियोगिता

12.10.1 वैदिक अध्ययनों की मौखिक परंपरा को परिरक्षित करने के लिए, विशेष प्रोत्साहन के रूप में एक योजना वर्ष 1978 में आरंभ की गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्यायी से दो छात्रों को प्रशिक्षित किए जाने की अपेक्षा की जाती है और प्रत्येक छात्र किसी वेद की विशेष शाखा में 12 वर्ष से कम की आयु का होगा। वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रकार की 23 इकाइयों को सहायता मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत, स्व-अध्येता को 1250/-रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है और दो छात्रों को 175-175 रुपये प्रतिमाह का वजीफा मिलता है।

12.10.2 अखिल भारतीय वाक् प्रतियोगिताएं, संस्कृत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों में मौखिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जाती हैं। आठ छात्रों के दल को सभी राज्य सरकारों से एक शिक्षक सहित इसके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

अरबी तथा फारसी के प्रचार तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

12.11.1 इस योजना के अंतर्गत, अरबी तथा फारसी को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के रुप में प्रदान की जाती है। लगभग 175 स्वैच्छिक अरबी तथा फारसी संस्थाओं को अनुदान प्राप्त हो रहे हैं।

12.11.2 1958 में आरंभ की गई प्रतिष्ठित संस्कृत, अरबी और फारसी अध्येताओं को उपयुक्त वित्तीय अनुदान सहित "सम्मान प्रमाण-पत्र" प्रदान करने के लिए संस्कृत, अरबी और फारसी अध्येताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना प्रगति पर है।

12.11.3 पाली और प्राकृत भाषाओं के प्रतिष्ठित अध्येताओं को भी पुरस्कार प्रदान करने पर विचार किया जाता है। प्रत्येक अध्येता को जीवन के लिए 10,000/- रु० प्रति वर्ष का वित्तीय अनुदान और एक सनद तथा शॉल भी राष्ट्रपति द्वारा अभिषेक समारोह में प्रदान किया जाता है।

12.11.4 इस वर्ष संस्कृत, 3 अरबी और 3 फारसी अध्येताओं को इस सम्मान से सम्मानित किया गया।

13. छात्रवृत्तियां

13. छात्रवृत्तियां

13.1.0 शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग भारत तथा विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में आगे अध्ययन/अनुसंधान के लिए भारतीय छात्रों अध्येताओं को लिए अभिहित अनेक छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों का संचालन करते हैं। इन छात्रवृत्तियों में भारत सरकार की छात्रवृत्तियों और विदेशों द्वारा प्रदान की गई शिक्षावृत्तियां दोनों शामिल हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की गई थीं, इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

13.2.0 इस योजना के अंतर्गत, योग्यता एवं साधन के आधार पर उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की दरें दिवस अध्येताओं के लिए 60/- रुपये प्रतिमाह से 120/- रु० प्रतिमाह तथा अध्ययन के पाठ्यक्रमों पर निर्भर करते हुए, छात्रावासधारियों के लिए 100/- रु० से 300/- रु० प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न होती हैं। छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए माता-पिता की आय सीमा 25,000/- रुपये प्रति वर्ष है।

हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों छात्रों को छात्रवृत्तियां

13.3.0 यह योजना 1955-56 में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, अध्यापन तथा अन्य पदों पर निगरानी करने के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2,500 छात्रवृत्तियां नियत की गई थी। छात्रवृत्तियों की दरें 50/- रुपये से 125/- रुपये प्रति माह तक भिन्न-भिन्न हैं जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है।

संस्कृत के अलावा अन्य प्राचीन भाषाओं अर्थात् अरबी फारसी आदि के अध्ययन में संलग्न परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

13.4.0 वर्ष 1993-94 में, इस छात्रवृत्ति के लिए 20 अध्येताओं को चुना गया था। अध्येता अरबी और फारसी भाषाओं तथा साहित्य के कुछ सर्वाधिक सम्बद्ध क्षेत्रों में अपने-अपने अनुसंधान कार्य कुछ प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे दारूल-उलुम, देवबन्द (उ. प्र.) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ. प्र.) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आ. प्र.) अरबी तथा फारसी अनुसंधान संस्थान, पटना (बिहार) आदि में कर रहें हैं। 1994-95 के दौरान, छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए यह योजना विज्ञापित की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

13.5.0 यह योजना 1971-72 से चल रही है। इस योजना का लक्ष्य शैक्षिक अवसरों की बृहद समानता प्राप्त करना और ग्रामीण क्षेत्रों की सामार्थ्य प्रतिभाओं को अच्छे स्कूलों में उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए प्रोत्साहन देना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। छात्रवृत्ति का वितरण प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास खंडों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा II/III) के अन्त में पुरस्कृत की जाती है और + 2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की मदद से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दर 30 रुपये से 100 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है जैसे अध्ययन के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां

13.6.0 इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, दाता देशों द्वारा संबंधित देश में उच्च अध्ययन के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। विभिन्न विदेशी सरकारों और एजेंसियों द्वारा बुनियादी विज्ञान (सैद्धांतिक व प्रायोगिक) इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में पी. एच. डी. तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती है। छात्रवृत्ति प्रभाग द्वारा फरवरी, 1995 तक इन छात्रवृत्तियों को वास्तविक उपयोग इस प्रकार से हैं :—

1000 M/o HRD/94

1.	चीन	10
2.	जापान	15
3.	आस्ट्रिया	1
4.	नार्वे	9
5.	जर्मनी	11
6.	आयरलैंड	4
7.	फ्रांस	2
8.	इजराईल	2
9.	कोरिया (दक्षिणी)	1
10.	चेकोस्लोवाकिया	1
11.	स्पेन	6
12.	मिश्र	2
13.	मैक्सिको	1
14.	इण्डोनेशिया	1
15.	इटली	2
		68

यू. के. कनाडा आदि की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

13.7.0 इन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत यू. के., कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया, ट्रिनीडाड, टोबेगो तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां प्रतिष्ठित हैं और देश तथा लाभग्राहियों के शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए काफी लाभदायक हैं। ये छात्रवृत्तियां आयुर्विज्ञान सहित 20 विषय क्षेत्रों में अध्ययन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। आशा है कि 1994-95 के दौरान 45 छात्रवृत्तियों का उपयोग किया जाएगा।

नेहरू शताब्दी (ब्रिटिश) शिक्षावृत्तियां/पुरस्कार

13.8.0 इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय छात्रों को विकास अर्थशास्त्र, अंग्रेजी भाषा साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण तथा लघु व्यवसाय विकास के क्षेत्र में उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए यू. के. भेजा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगभग 15 शिक्षावृत्तियों की पेशकश की जाती है तथा 31 अक्तूबर, 1994 तक 10 अध्येताओं को विदेश भेजा गया।

ब्रिटिश परिषद् विजिटरशिप कार्यक्रम

13.9.0 इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर, 1994 तक 146 वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और चिकित्सा विशेषज्ञ अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकासों के पारस्परिक मूल्यांकन द्वारा लाभान्वित हुए।

ब्रिटिश उद्योग परिसंघ विदेश (ओवरसीज) छात्रवृत्ति स्कीम

13.10.0 इस स्कीम के अंतर्गत ब्रिटिश उद्योग परिसंघ लंदन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विषय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। सिविल/इलेक्ट्रिकल और मेकैनिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, संगणक विज्ञान, जैव चिकित्सा, उद्योग विशेषकर यू. के. फर्मों के साथ सहयोग के लिए अनुबंधित फर्मों में कार्यरत भारतीय राष्ट्र इन छात्रवृत्तियों के योग्य हैं। इस योजना के अंतर्गत 8 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

आस्ट्रेलिया विकास सहयोग छात्रवृत्ति (ए. डी. सी. ओ. एस.)

13.11.0 आस्ट्रेलिया मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के विषय क्षेत्रों में स्नातकोत्तर अध्ययनों/उच्चतर अध्ययनों/अनुसंधान के बाद डाक्टोरल डिग्री के लिए भारतीय राष्ट्रिकों को योग्यता के आधार पर 24 छात्रवृत्तियों की पेशकश की है। 26 उम्मीदवारों से स्वीकृति प्राप्त हुई है और आशा है कि इस वर्ष 26 उम्मीदवार आस्ट्रेलिया जायेंगे।

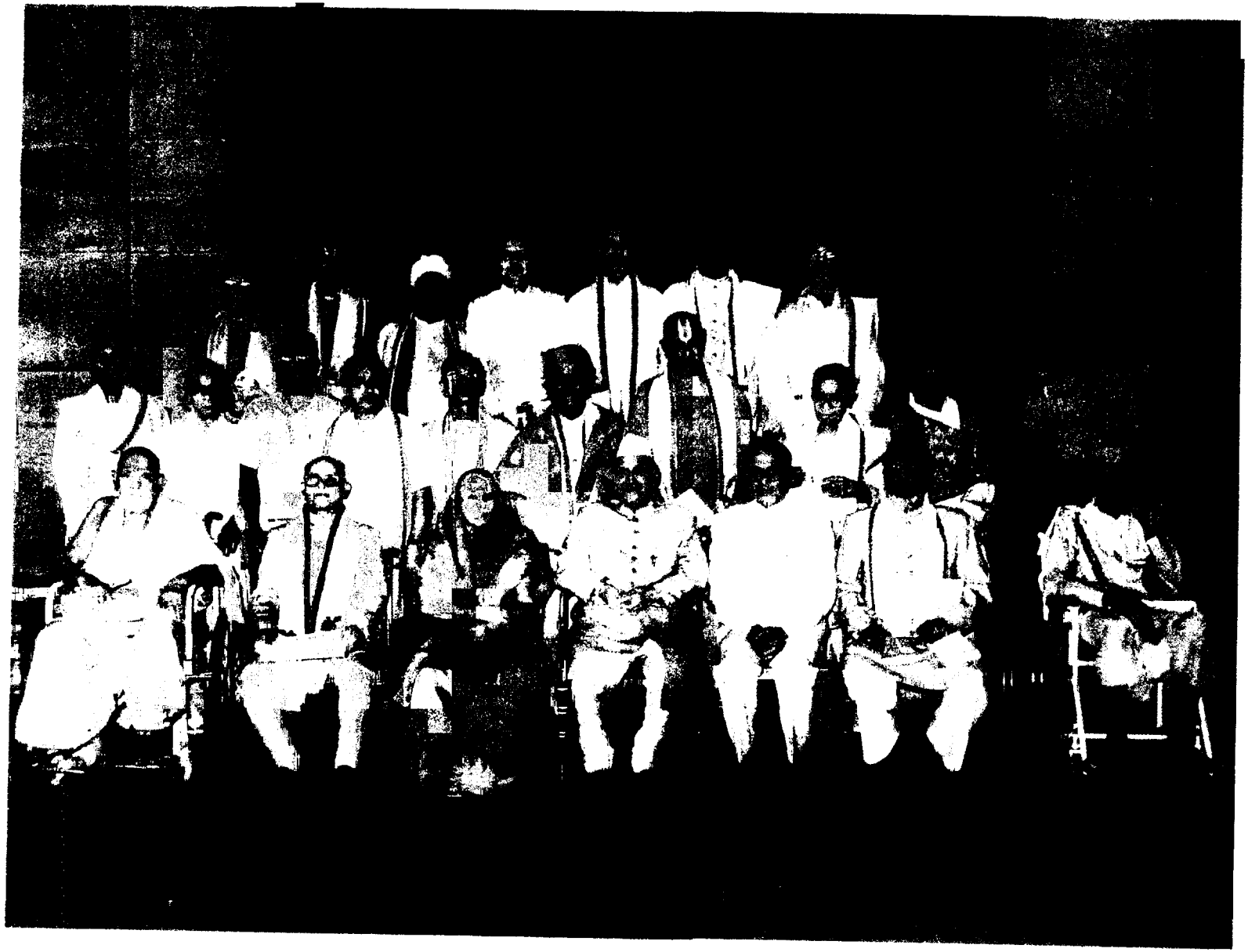

माननीय राष्ट्रपति जी के साथ सम्मान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले संस्कृत, पाली, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वान

1994-95

14. बीस सूत्रीय कार्यक्रम और विकलांगों के लिए शिक्षा तक पहुंच

14. बीस सूत्रीय कार्यक्रम और विकलांगों के लिए शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

14.1.1 शिक्षा विभाग ने अपने सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर बल देना जारी रखा है जिसमें अपने उद्देश्यों के एक उद्देश्य के रूप में असमानताओं को दूर करना और समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना शामिल है।

14.1.2 ओपरेशन ब्लैकबोर्ड, गैर औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि की योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन इलाकों का चयन करने में उच्च प्राथमिकता दें जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां अधिक संख्या में हैं।

14.1.3 भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में लेक्चरार के स्तर तक शिक्षकों की नियुक्तियों में तथा दाखिलों में सीटों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत), प्रवेश परीक्षाओं में अर्हक अंकों में छूट, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां तथा शिक्षक शिक्षावृत्तियां जैसी अन्य सुविधाओं का दिया जाना जारी रहा।

14.1.4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक ऐसी योजना संचालित करता है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों को, जो बहुत ही थोड़े अंकों के अन्तर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा में असफल हो जाते हैं, और प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें नियमित पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

14.2.1 संशोधित कार्रवाई योजना-1992 के अनुसरण में वर्ष 1993-94 के दौरान दो नई केन्द्रीय योजनाएं अर्थात् (I) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना और (II) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना शुरू की गई ।

14.2.2 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना का मौलिक लक्ष्य शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, बुनियादी शैक्षिक आधार-भूत सुविधा एवं सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है—(I) स्कूल खोलने के रूप में स्थान-चयन के कार्य के आधार पर जहाँ भी आवश्यकता महसूस की जाए एवं जहाँ व्यवहार्य हो, नए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों, गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, (II) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शैक्षिक आधारभूत ढाँचे एवं भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, और (III) जहाँ शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं वहाँ लड़कियों के लिए विविध विषयों के साथ आवासीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलना। इस योजना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 16.27 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें कम से कम 50 ब्लाकों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 69 ब्लाकों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव मार्च, 1994 तक अनुमोदित किए जा चुके हैं। वर्ष 1994-95 के लिए बजट प्राक्कलन 220 लाख रुपये का था जिसमें से 182.19 लाख रुपये की राशि 28 फरवरी 1995 तक जारी की जा चुकी है।

14.2.3 विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों को अपनी पाठ्यचर्या में प्रारंभ करने के लिए मदरसों तथा मकतबों जैसी पारंपरिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले विषयों के शिक्षण के लिए इस प्रकार की संस्थाओं को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

14.2.4 वर्ष 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए कोचिंग देने की एक योजना प्रारम्भ की थी। इस समय यह योजना 21 विश्वविद्यालयों तथा 32 कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। मार्च, 1993 तक 41002 परीक्षार्थियों को कोचिंग कक्षाओं की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 1992-93 के दौरान सफल परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 2650 है। मार्च, 1993 में इस योजना की समीक्षा की गई।

14.2.5 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में वर्ष 1984-85 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय बहुल क्षेत्रों में 10 पालिटैक्निकों का चयन उन्हें सामुदायिक पालिटैक्निक के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए किया गया था। वित्तीय वर्ष 1990-91 के अंत तक सभी 41 अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों को सामुदायिक पालिटेक्निकों अथवा उनके विस्तारण केन्द्रों में शामिल कर लिया गया था।

14.2.6 अंग्रेजी, विज्ञान, गणित शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा शैक्षिक मूल्यांकन के विषय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाए जा

रहे स्कूलों के प्रधानाचार्यों/शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सेमिनारों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अब तक लगभग 450 प्रधानाचार्यों और 950 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

14.2.7 शिक्षा विभाग ने अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति, मानदण्ड तथा सिद्धांत तैयार किए हैं और इन्हें राज्य सरकारों को इस मामले में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने के कार्य में उन्हें सक्षम बनाने के लिए 1989 में परिचालित कर दिया गया है।

14.2.8 अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षिक वर्ष 1994-95 में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में संपूर्ण स्थानों में से 50% स्थान सामान्य श्रेष्ठता सूची के आधार पर सक्षम प्राधिकरण द्वारा चुने गए परीक्षार्थियों से भरे जाएंगे। शेष 50% स्थान श्रेष्ठता सूची के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के परीक्षार्थियों में से ऐसी अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थाओं के प्रबंध तंत्र द्वारा भरे जाएंगे।

15. आयोजना, प्रबंध और अनुश्रवण

15. आयोजना, प्रबंधन और अनुश्रवण

ष्ट्रीय शिक्षा नीति

15.1.0 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्रवाई योजना, 1992 को ारदार ढंग से लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पत्रों और बैठकों के ाध्यम से राज्य कार्रवाई योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों तथा घशासित क्षेत्र प्रशासनों से बार-बार आग्रह किया गया। आंध्र प्रदेश, हार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी के लिए शिक्षा कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा करने के विचार से अधिक नसंख्या तथा कम साक्षरता वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक दल बनाया या। 1 जुलाई, 1994 को इस दल की एक बैठक हुई तथा इसमें विभिन्न र्यक्रमों की समीक्षा की गई। भोपाल घोषणा में मुख्यमंत्रियों ने सभी के लिए क्षा कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से अभिपुष्टि की तथा ारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने और संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को र्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रारंभिक क्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा करने के लिए 24-25 अक्तूबर, 1994 को इटानगर, अरुणाचल श में उत्तर-पूर्वी राज्यों के शिक्षा सचिवों व निदेशकों की एक बैठक योजित की गई।

वां वित्त आयोग

15.2.0 शिक्षा तक पहुंच तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के ए शैक्षिक सुविधाओं में स्तरोन्नयन के लिए अनुदान संबंधी श्यकताओं का विवरण विभाग द्वारा तैयार किया गया तथा इसने दसवें आयोग को विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया।

ीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

15.3.1 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्था के रूप में सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त शासी संस्था है। संस्थान के मुख्य कलापों में शामिल है—शैक्षिक योजना निर्माताओं और प्रशासकों को क्षण देना, अनुसंधान, नवाचारों का प्रसार तथा परामर्शी सेवाएं। आलोच्य के दौरान संस्थान ने शैक्षिक योजना निर्माताओं और प्रशासकों के क्षण, अनुसंधान, नवाचारों के प्रसार और परामर्शी सेवाओं के संबंध में कलाप जारी रखा।

क्षण कार्यकलाप

15.3.2 नीपा नए शैक्षिक विकासों के बारे में शैक्षिक पदाधिकारियों ानकारी में वृद्धि करने, शैक्षिक प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों से उन्हें परिचित कराने तथा शैक्षिक आयोजना व प्रशासन के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष विभिन्न श्रेणी के शैक्षिक पदाधिकारियों के लिए अनेक सेमिनार, कार्यशाला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

15.3.3 वर्ष 1994-95 के दौरान संस्थान ने 25 कार्यक्रम (दिसम्बर 1994 तक) आयोजित किए, तथा जनवरी-मार्च, 1995 की तिमाही में 15 और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रमों में से कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

— जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों और एससीईआरटी व एसआईई आदि के संकाय सदस्यों के लिए शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में पंद्रहवां डिप्लोमा (आईडीईपीए) (14 नवम्बर, 1994 से 10 फरवरी, 1995 तक)।

— राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एस० सी० ई० आर० टी०) और राज्य शिक्षा संस्थानों (एस० आई० ई०) आदि के जिला स्तरीय शैक्षिक प्रशासकों और संकाय सदस्यों के लिए शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में चौदहवां (चरण-II और III) और पन्द्रहवां राष्ट्रीय डिप्लोमा।

— विकासशील देशों के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन (चरण-I) में दसवां अन्तर्राष्ट्रीय डिप्लोमा।

— विकेन्द्रीकृत शिक्षा आयोजना संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

— सभी के लिए शिक्षा के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के संबंध में वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए तीसरा प्रबन्धन विकास कार्यक्रम।

— जिला शैक्षिक प्रोद्योगिकी संस्थानों की आयोजना एवं प्रबंध शाखा के संकाय के लिए आठवां प्रशिक्षण कार्यक्रम।

— अनेक कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार, शिक्षा आयोजना एवं प्रबंध से सम्बद्ध विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन।

प्रकाशन

15.3.4 चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए तथा उन्हें व्यापक पैमाने पर वितरित किया गया :

— निम्नलिखित पर द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की तीन रिपोर्टें :

1000 M/o HRD/94

— मिजोरम

— गोवा

— हरियाणा

— एक्सपेंडिचर आन एजुकेशन थीयरी माडल्स एण्ड ग्रोथ—श्री प्रकाश और एस० चौधरी द्वारा संपादित

— प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर स्रोत पुस्तक—कुसुम के० प्रेमी, एस० सी० नूना और प्रमिला मेनन द्वारा संपादित

— भारत में दूरस्थ शिक्षा की लागत—रुद्दर दत्त द्वारा संपादित

— सभी के लिए शिक्षा—आरेखीय प्रस्तुति

पत्रिकाएं

— जे० इ० जी० ए० (अंग्रेजी) 2 खण्ड

— जेईपीए (हिन्दी) 3 खण्ड

— परिप्रेक्ष्य (हिन्दी)

परामर्श और व्यावसायिक सहायता

15.3.5 संस्थान के संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय राज्य व सांस्थानिक स्तर के निकायों को तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श व व्यावसायिक सहायता उपलब्ध करायी। परामर्श और व्यावसायिक सहायता प्रदान किए गए अभिकरणों में शामिल हैं : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, तथा देश की अन्य संस्थाएं। यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक तथा सिडा जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

15.3.6 1993 में शुरु किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिला स्तरीय आयोजना की कार्यनीति को मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत है। संस्थान के प्रबुद्ध अधिकारी जिला योजनाएं तैयार करने तथा चुने गए राज्यों में विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन में व्यावसायिक सहायता प्रदान करने में वे इस कार्यक्रम से गहन रूप से जुड़े हुए हैं।

सभी के लिए शिक्षा

15.3.7 इसके अतिरिक्त संस्थान देश के सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम में भी लगा हुआ है।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों, सेमिनारों, मूल्यांकन हेतु सहायता योजना।

15.4.1 शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययनों सेमिनारों, मूल्यांकनों आदि की योजना का अभिप्राय शिक्षा नीति और इसके प्रबन्धन कार्यान्वयन तथा इससे सम्बद्ध शिक्षा नीति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेमिनार, कार्यशाला आयोजित करने, प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययनों आदि के लिए योग्य संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

15.4.2 वर्ष 1994-95 के दौरान दो सेमिनार, पांच सम्मेलन आयोजित करने, परियोजना/अध्ययन और एक पत्रिका के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

वार्षिक योजना

15.5.0 1825 करोड़ रु० का परिव्यय शिक्षा विभाग के लिए वार्षिक योजना 1995-96 हेतु अनुमोदित किया गया जो 7443.00 करोड़ रु० की 8वीं योजना के कुल परिव्यय का 24.5% है। वर्ष 1995-96 के परिव्यय में वर्ष 1994-95 के 1541 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले 18.4% की वृद्धि करने की कल्पना की गई है।

शैक्षिक सांख्यिकी

15.6.1 शैक्षिक सांख्यिकी के संकलन और मुद्रण में लगने वाले समय अंतराल को कम करने के लिए उपाय किए गए। आंकड़ें को एकत्रित करने के कार्य के लंबित होने तथा समय अंतराल की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए राज्यों तथा संघ शामिल क्षेत्रों के शिक्षा/जन शिक्षण निदेशकों तथा सांख्यिकी अधिकारियों की एक बैठक 9—10, नवम्बर 1994 को आयोजित की गई। वर्ष 1992-93 तक लंबित आंकड़ों की आपूर्ति के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है।

15.6.2 "राज्य स्तर पर शैक्षिक सांख्यिकी के संगणकीकरण" योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई तथा छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के लिए एकत्रित किए गए आंकड़ों का लाभ उठाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1994-95 के लिए आंकड़े एकत्रित करने को पूर्ण करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को एस-1, एस-2, तथा एस-3, के मुद्रित फार्मों को प्राप्त करने की तथा संदर्भ तिथि अर्थात 30 सितम्बर, 1994 से पहले वितरित करने की सलाह दी गई।

15.6.3 ब्लाक/जिला/राज्य मुख्यालय स्तर पर शैक्षिक आंकड़ों के एकत्रीकरण तथा संकलन के कार्य में लगे हुए सांख्यिकी कार्मिकों के लाभ के लिए लखनऊ (16—18 मई, 1994) तथा चण्डीगढ (28—30 नवम्बर 1994) में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15.6.4 संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत में उच्च जाति की शिक्षा श्रृंखला के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए अथवा मुद्रण के लिए पाण्डुलिपियों को अंतिम रूप प्रदान किया गया :

(i) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1993-94

(ii) भारत में शिक्षा खण्ड-I (एस) 1990-91

(iii) भारत में शिक्षा खण्ड-I (ग) 1990-91

(iv) भारत में शिक्षा खण्ड-II (एस) 1985-86

(v) भारत में शिक्षा खण्ड-II (एस) 1986-87

(vi) भारत में शिक्षा खण्ड-II (एस) 1989-90

(vii) भारत में शिक्षा खण्ड-II (सी) 1985-86

(viii) भारत में शिक्षा खण्ड-II (सी) 1985-86

(ix) भारत में शिक्षा खण्ड-II (सी) 1988-89

(x) विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी/प्रशिक्षु-1992-93

(xi) भारत में शिक्षा खण्ड-III 1987-88

(xii) भारत में शिक्षा खण्ड-III 1988-89

(xiii) भारत में माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर शिक्षा बोर्ड—हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम—1987-88

संगणकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सी० एम० आई० एस०)

15.7.1 संगणकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करने तथा विभाग के अंदर कुशलता का निर्माण करने की दृष्टि से, सितम्बर, 1985 में आयोजना, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी प्रभाग के अंतर्गत एक संगणकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एकक का गठन किया गया। संगणकीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(क) संगणकीकरण के लिए क्षेत्रों का पता लगाना तथा कम्प्यूटर पर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली के विकास के लिए सम्भाव्य अध्ययनों का संचालन करना।

(ख) प्रबंध सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रणाली विश्लेषण करना, डिजाइन तैयार करना तथा साफ्टवेयर का विकास करना।

(ग) मंत्रालय में प्रयोगकर्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप साफ्टवेयर पैकेज का अनुरक्षण करना।

(घ) दिन-प्रतिदिन की सूचना की स्थानीय जानकारी के विकास के लिए संसाधन एकक के रूप में कार्य करना तथा मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ङ०) डेटा बेस प्रणाली विज्ञान का डिजाइन तैयार करना तथा विकास तथा एक प्रभावी शैक्षिक सूचना प्रणाली का निर्माण करना, और

(च) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ संपर्क स्थापित करना।

15.7.2 इस एकक ने विभाग के विभिन्न को साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर सहायता को उपलब्ध कराना जारी रखा। संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं/डेटा बेस संचालित किए गए :—

आयोजना, अनुश्रवण तथा सांख्यिकी

— भारत में शिक्षा खण्ड I (एस)

— भारत में शिक्षा खण्ड II (एस)

— भारत में शिक्षा खण्ड I (सी)

— भारत में शिक्षा खण्ड II (सी)

— भारत में शिक्षा खण्ड III

— चयनित शैक्षिक सांख्यिकी 1993-94

— विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थी/प्रशिक्षु—1992-93

— उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम—माध्यमिक शिक्षा/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत में शिक्षा—1987-88

— स्कूल शिक्षा पर चयनित सूचना

— शिक्षा मंत्रियों/मुख्य सचिवों/शिक्षा सचिवों/डी० पी० आई० इत्यादि की अद्यतन सूची।

— वार्षिक योजना प्रस्ताव—1995-96

प्रशासन

— विभाग की वेतन-बिल प्रणाली

— अन्य विभागों के कार्यरत अधिकारियों की विविध वसूली सूचियाँ (यथा, सी० जी० ई० आई० एस०, जी० पी० एफ०, अनुज्ञप्ति शुल्क आदि)

— कर्मचारी प्रबंधन

— विभाग की टेलीफोन डायरेक्टरी

— पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए संसदीय प्रश्नों के उत्तरों की पुन: प्राप्ति।

पुस्तक प्रोन्नयन

— अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक अंकीकरण एकक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक अंकीकरण (आई० एस० बी० एन०) प्रणाली साफ्टवेयर की उत्पत्ति।

— आई० एस० बी० एन० एकक में एक पी० सी०/ए० टी० 386 प्रणाली की स्थापना/आई० एस० बी० एन० की उत्पत्ति के लिए इस एकक को साफ्टवेयर सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

— आई० एस० बी० एन० एकक में प्राप्त पुस्तकों की सूची पर सॉफ्टवेयर का विकास।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

— विशेष छूट (मानव संसाधन मंत्री, मंत्रियों, सलाहकार समितियों के सदस्यों, संसद सदस्यों, इत्यादि) के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दाखिलों का संगणकीकरण।

विविध

— विभाग में कार्यालय स्वचलन के प्रति सकारात्मक योगदान देने के उद्देश्य से विभाग में एम० एस० कार्यालय, हार्वर्ड ग्राफिक्स नामक एक समेकित कार्यालय स्वचलन साफ्टवेयर की स्थापना की गई। विभिन्न रिपोर्टों, कार्यवृत्तों इत्यादि को तैयार करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी० पी० ई० पी०), प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा विभाग के अन्य ब्यूरो को सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रस्तुतीकरण के लिए ग्राफ्स चार्टों तथा स्लाइडों को तैयार किया गया है।

शिक्षा विभाग के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा तैयार का गई कम्प्यूटर पर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली

15.8.0 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) ने कम्प्यूटर पर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने के कार्य में शिक्षा विभाग को साफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा तथा परामर्श देना जारी रखा। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने विभाग में एक कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किया है तथा एक डी० सी० एम-कॉस्मॉस 80486 प्रणाली की स्थापना की है और 25 टर्मिनलों का एक स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित किया है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के अधिकारियों का एक दल विभाग के अधिकारियों के गहन सहयोग से कार्य कर रहा है। वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त की गई :

I. छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण

15.8.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निकट सहयोग से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के संगणकीकरण का कार्य शुरू किया है। इसने आंकड़ों के संग्रहण और सर्वेक्षण अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देशों के लिए आठ कार्यक्रमों को तैयार करने में भाग लिया।

(i) सर्वेक्षण का सरलता से संचालन करने के लिए और समेकित डेटा बेस को तैयार करने के लिए राज्य/जिला सर्वेक्षण अधिकारियों को इसने जनगणना डेटा बेस के कोड स्टकचर उपलब्ध कराए।

(ii) इसने डेटा प्रविष्टि, वैधता तथा स्कूल डेटा बेस तैयार करने तथा ग्रामों/कस्बों में शैक्षिक सुविधाओं के लिए अनेक साफ्टवेयर पैकेज तैयार किए हैं। इसने राज्य सूचना अधिकारियों तथा राज्य सर्वेक्षण अधिकारियों के लिए डेटा बेस तैयार करने हेतु साफ्टवेयर के उपयोग पर दिल्ली में कार्यशालाएं आयोजित कीं।

(iii) इसने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को आ टर्मिनल सहित एक 80486 कम्प्यूटर प्रणाली उपलब्ध कराई।

(iv) इसने डेटा प्रविष्टि के लिए सभी राज्यों में डेटा प्रविष्टि एजेंसियों को किराए पर लिया।

(v) टेबुलेशन प्लान के डिजाइन को तैयार करने के लिए तथा इ आठों अनुसूचियों से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सा इसमें भाग लिया।

(vi) सांख्यिकी टेबुलेशन्स में साफ्टवेयर विकास प्रगति पर है।

(vii) 10 राज्यों से शैक्षिक सांख्यिकी फ्लौश की प्राप्ति हो चुकी तथा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

II. शिक्षा विभाग

1. 42 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा पर बजट व्यय का एक तुलनात्मक डेटा बेस तैयार किया गया। आंकड़ो के वैधीकरण, आंक प्रक्रिया और रिपोर्ट तैयार करने के लिए साफ्टवेयर का विकास "शिक्षा लिए बजट संसाधन" नामक एक प्रकाशन।

2. अंतर्राष्ट्रीय डेटा बेस तथा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक मेल के लि अनेक देशों में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों से जुड़े राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इंटरनेट (अंतर्राष्ट्रीय कम्प्यूटर राष्ट्रीय कार्यक्रम) के लिए गेट वे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मेल सुविधा शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कम्प्यूटर केन्द्र के कम्प्यूटर केन्द्र में उपलब्ध कराई गई है।

3. गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में सहायता अनुदान परिधि में अनेक अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनेक कार्यक्रमों

शमिल करके इसे कार्यालय स्वचालन से लेकर अनुश्रवण तक विस्तार दिया गया है जिससे कि प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

4. वर्ष 1990-91 के लिए उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में शैक्षिक सांख्यिकी पर आधारित प्रकाशन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त वैध तथा तैयार आंकड़ों के द्वारा प्रकाशित की गई है।

5. वर्ष 1991—94 की अवधि के लिए शिक्षा पर व्यय बजट के आंकड़ों को वैधता प्रदान की गई है तथा तैयार किया गया है तथा एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया है।

6. सर्वेक्षण के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के आंकड़ों को एकत्रित करके संगणक विश्लेषण किया गया तथा व्यावसायिक के प्रभाव को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

7. विभिन्न संस्थानों द्वारा दी गई मान्यता तथा समकक्षता प्रमाणन से सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा ब्यूरो से प्राप्त अनेक प्रश्नावलियों के तत्काल उत्तर उपलब्ध कराने हेतु सूचना प्रणाली का विकास किया गया है।

8. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में वर्ष 1989-90 के लिए शैक्षिक सांख्यिकी पर आधारित डेटा बेस को तैयार किया गया है।

9. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है तथा कम्प्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, कम्प्टम डिजाइन्ड पैकेज संचालन तथा निकमेल (एन आई सी एम ए आई एल) के उपयोग का अनेक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

10. विभिन्न अध्ययनों के सम्बन्ध में समय-समय पर चार्ट तथा ग्राफों का प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया।

11. निम्नलिखित के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर अनुरक्षण सहायता प्रदान की गई है :

(क) प्रौढ़ शिक्षा ब्यूरो की स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान।

(ख) साप्ताहिक रिपोर्टों को तैयार करने के लिए संसदीय आश्वासन।

(ग) विसंगति पत्रों, कॉपीराइट पंजीकरण तथा इन्डैक्स कार्डों को तैयार करने के लिए कॉपीराइट कार्यालय।

III. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए अनुश्रवण सूचना प्रणाली विकसित की गई है तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में कार्यान्वित की गई है। ऐसे 282 जिलों से, जहां सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ किया गया है तथा मासिक प्रकाशन प्रकाशित किये गये हैं, प्रथम दृष्टि में शैक्षिक आंकड़ों के रूप में मासिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हुई। जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों का स्थानान्तरण करने के लिए निकनेट (एन आई सी एन ई टी) सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।

2. वित्तीय मामलों पर अतिरिक्त रिपोर्टें तथा लैंगिग व श्रेणीवार ब्यौरे पर आधारित रिपोर्टें सृजित करने के लिए तथा समयांतराल में हुई उपलब्धि व व्यय से जुड़ी उपलब्धि आदि को आरेखीय विधि से प्रस्तुत करने हेतु महत्वपूर्ण पैरामीटर छांटने के लिए सॉफ्टवेयर को उपयुक्त ढंग से संवर्धित किया गया है ताकि और अधिक बल देने हेतु निराशाजनक क्षेत्रों की पहचान की जा सके और आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्णय लेने संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उत्तर साक्षरता अभियान के लिए सॉफ्टवेयर विकास का काम भी उसी आधार पर किया जा रहा है जिस आधार पर संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए हो रहा है।

IV. केन्द्रीय विद्यालय संगठन

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के जी पी एफ/सी पी एफ के लिए सूचना प्रणाली विकसित की गई है। पैकेज में आंकड़ा प्रविष्टि, वैधीकरण, रिपोर्ट सृजन, मिसिल प्रबंध तथा प्रश्न करने संबंधी माड्यूल शामिल हैं। सॉफ्टवेयर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाया गया है। आंकड़ा आधार सृजित करने का काम प्रगति पर है।

2. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सेवानिवृत्ति के निकट पहुंच गए कर्मचारियों की पेंशन व उपदान संबंधी आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए सूचना प्रणाली विकसित की गई है। स्टाफ से नैमित्तिक कार्यभार घटाने तथा कर्मचारियों को भुगतान करने में दक्षता लाने के लिए यह कार्यालय को स्वचालित बनाने वाला सॉफ्टवेयर है।

3. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में स्कूल भवन, स्टाफ क्वार्टर बनाने संबंधी कार्यकलापों के अनुश्रवण के लिए सिस्टम डिजाइन पूरी कर ली गई है। सॉफ्टवेयर विकास प्रगति पर है।

4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए कार्मिक सूचना प्रणाली के विकास के लिए प्रणाली (सिस्टम) अध्ययन शुरू किया गया है।

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

16.1.1 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) की स्थापना काल से ही भारत इसके आदर्शों तथा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अग्रणी रहा है। यूनेस्को को सहयोग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष परामर्शी, कार्यकारी, संपर्क, सूचना तथा समन्वय निकास के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को सचिवालय तथा एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के सहयोग से यूनेस्को के कार्य में विशेष रूप से इसके कार्यक्रमों के निर्धारण तथा निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

16.1.2 वर्ष के दौरान, भारत ने यूनेस्को तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों की अनेकों कार्यशालाओं, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग लेकर यूनेस्को के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भारत में होने वाले राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अन्त: क्षेत्रीय कार्यकलापों के आयोजन में सहायता करके उल्लेखनीय योगदान किया। भारत ने युनेस्को सहयोग कार्यक्रम तथा यूनेस्को प्रशासन कूपन योजना के अंतर्गत यूनेस्को कार्यकलापों के लिए निर्धारित की जाने वाली परियोजनाओं में भारतीय विशेषज्ञों की सहभागिता की व्यवस्था करके योगदान किया है। भारत ने यूनेस्को से संबंधित सार्वजनिक सूचना कार्यकलापों को यूनेस्को कुरियर के हिन्दी तथा तमिल संस्करणों के प्रकाशन के रूप में चालू रखना जारी रखा।

नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन की अनुवर्ती कार्यवाही

16.1.3 शिक्षा विभाग को दिसम्बर, 1993 में नई दिल्ली में नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन के आयोजन की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की तीनों एजेंसियों यूनेस्को, यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रशासन निधि के अध्यक्ष सह प्रायोजक के रूप में उपस्थित थे। सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(क) सभी के लिए शिक्षा नौ जनसंख्या बहुल देशों की बैठक

अक्तूबर, 94 में उन सभी नौ देशों की जिनेवा में एक मंत्रि स्तरीय बैठक हुई जिन्होंने दिसम्बर, 93 में आयोजित नौ जनसंख्या बहुल देशों के सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इस बैठक में नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन को प्रायोजित करने वाली तीनों एजेंसियों-यूनेस्को तथा यूनिसेफ के अध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रशासन निधि (यू० एन० एफ० पी० ए०) के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल थे। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 44 वे सत्र के दौरान एक बैठक हुई तथा मानव संसाधन विकास मंत्री ने भारतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया।

संयुक्त राष्ट्र की तीनों प्रायोजक एजेंसियों के आह्वान पर बैठक में एक संकल्प पारित किया गया ताकि वित्तीय संसाधनों तथा अन्य प्रतिबद्धताओं में वृद्धि करके दिल्ली घोषणा में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी सहभागिता और अधिक बढ़ाई जा सके। इस बैठक की प्रमुख विशेषता यह थी कि सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारतीय प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई जिसमें विशेष रूप से यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की सराहना उल्लेखनीय थी। भारत के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र की तीनों एजेंसियों तथा भाग लेने वाले सभी देशों को विशेष ध्यान दिए गए विशिष्ट विषयों को निजी रूप से आत्मसात करना चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि सामाजिक विकास से संबंधित कोपेन हेगन विश्व शिखर सम्मेलन का उपयोग किया जाय ताकि सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शिक्षा पर तुरंत ध्यान दिया जा सके।

दूरस्थ शिक्षा की बैठक के दौरान, नई दिल्ली में संपन्न हुए शिखर सम्मेलन में जिस प्रमुख नई संयुक्त पहल पर सहमति हुई थी उस पर भी विचार विमर्श किया गया। भारतीय प्रस्तुति सर्वाधिक व्यापक थी और इसमें विस्तृत कार्य योजना भी शामिल थी। इस कार्य योजना का स्वागत किया गया और यह कार्य योजना यूनेस्को की सीधी सहभागिता के साथ अगली कार्रवाई को आधार प्रदान करेगी।

(ख) सभी के लिए शिक्षा पर ब्राजीलियाई राष्ट्रीय सम्मेलन

कुमारी सैलजा, उप मंत्री (शिक्षा और संस्कृति) के नेतृत्व में एक त्रिसदस्यीय शिष्ट-मंडल ने 29 अगस्त से 4 सितम्बर, 94 तक ब्राजीलिया, ब्राजील में आजोजित सभी के लिए शिक्षा नामक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

सभी के लिए शिक्षा नामक इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में सम्पन्न हुए नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में किया गया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान नीतियों का विश्लेषण करना तथा तत्संबंधी तंत्रों और कार्यनीतियों का निर्धारण करना था ताकि सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान कार्रवाईयों को सुदृढ़ किया जा सके। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा की इस प्रक्रिया को सतत रूप से जारी रखना है। इस सम्मेलन के निम्नलिखित लक्ष्य थे :

1. सभी के लिए शिक्षा की कार्यान्वयन कार्यनीतियों तथा दस वर्षीय योजना को जारी रखने के लिए राज्य तथा नगर निगम स्तर पर विचार विमर्श करना,

—1000 M/o HRD/94

2. नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा की नीतियों को लागू करने में समेकित की गई वृहत जानकारी तथा प्राप्त अनुभवों पर चर्चा करना और

3. सभी के लिए शिक्षा संबंधी नीतियों में सुधार करने के लिए निर्धारण तथा निष्पादन स्तर पर कार्यनीतियों तथा प्रविधियों का प्रस्ताव करना।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का 44 वां सत्र

16.1.4 मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने 3—8 अक्तूबर, 94 को जिनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 44वें सत्र में भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय ''शान्ति, मानवाधिकार तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा'' था। भारतीय शिष्ट-मंडल ने घोषणा का प्रारूप तैयार करने तथा शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र की कार्रवाई का समन्वित ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारतीय शिष्ट-मंडल ने सतत विकास, आतंकवाद तथा रुढ़िवाद की तीन प्रमुख धारणाएं प्रस्तुत की क्योंकि इनका मानवाधिकार की शिक्षा से अटूट संबंध है। सम्मेलन के दौरान उभर कर आई इन सभी धारणाओं को अन्तिम घोषणा में शामिल कर लिया गया।

सामाजिक विकास हेतु विश्व शिखर सम्मेलन के आयोजन में एशिया प्रशांत मंत्रिमंडलीय सम्मेलन, मनीला

16.1.5 सामाजिक विकास संबंधी शिखर सम्मेलन की तैयारी में एशिया प्रशांत मंत्रिमंडलीय सम्मेलन 12—18 अक्तूबर, 94 को मनीला में आयोजित किया गया था जिसमें निम्नलिखित ने भाग लिया :—

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्यक्रम तथा खेल राज्य मंत्री श्री मुकुल वासनिक, तथा

(ii) श्री एस० वी० गिरि, शिक्षा सचिव ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

16.1.6 भारतीय शिष्टमंडल ने विकासशील देशों के सापेक्ष को शामिल करने में उल्लेखनीय योगदान किया जो कि चर्चा में विशेष रूप से सतत विकास के बारे में था।

शैक्षिक विकास के अभिनव परिवर्तन हेतु एशिया प्रशांत कार्यक्रम (अपीड)

16.1.7 यूनेस्को के क्षेत्रीय विकास हेतु शैक्षिक अभिनव परिवर्तन के लिए एशिया प्रशांत कार्यक्रम के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में भारत ने अपीड कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जो अपीड का एक प्रमुख सहयोगी केन्द्र है, राष्ट्रीय विकास समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। यह क्षेत्रीय स्तर पर अपीड के कार्यकलापों से संबंधित सूचना के प्रचार प्रसार को सुगम बनाता है तथा अभिनव परिवर्तन संबंधी अनुभवों को बढ़ावा देती है।

यूनेस्को को अंशदान

16.1.8 संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित तथा यूनेस्को महा सम्मेलन द्वारा अनुमोदित आधार पर प्रत्येक सदस्य राज्य का अंशदान निर्धारित किया जाता है। यूनेस्को का सदस्य होने के नाते, वर्ष 1993 के दौरान संपन्न हुए यूनेस्को महा सम्मेलन के 27वें सत्र द्वारा संगठन के कुल बजट में संगठन के द्विवार्षिक 1993-94 के बजट के लिए भारत का 0.36 प्रतिशत अंशदान निर्धारित किया गया था। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य राज्यों से विशिष्ट प्रयोजनों हेतु अंशदान करने की अपील के संदर्भ सरकार यूनेस्को को स्वैच्छिक अंशदान भी करती है।

यूनेस्को की कार्यकारी परिषद

16.1.9 यूनेस्को की कार्यकारी परिषद का 145वां अधिवेशन 17 अक्तूबर से 4 नवंबर, 1994 को पेरिस में हुआ था। इस अधिवेशन में श्री आर० एन० मिर्धा संसद सदस्य ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। परिषद ने नई दिल्ली में संपन्न हुए नौ जनसंख्या बहुल देशों का सभी के लिए शिक्षा शिखर सम्मेलन का एक अनुवर्ती संकल्प पारित किया।

नोमा साक्षरता पुरस्कार 1994

16.1.10 यूनेस्को द्वारा स्थापित वर्ष 1994 का नोमा साक्षरता पुरस्कार लोरेटो दिवा स्कूल, सियालदह, कलकत्ता को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया गया, जो निम्नवत है :—

(i) साक्षरता की सुलभता से वंचित कई निर्धन बच्चों को साक्षरता सुलभ कराने तथा शहरी गंदी बस्तियों, गली-कूचों के बेसहारा तथा सुविधाहीन बच्चों को अप्रत्याशित रूप से शिक्षा का द्वार खोलने, (ii) जन सामान्य तक पहुंचने के लिए अनोखी पहल शुरू करने जैसे (क) ग्रामीण क्षेत्र में ''बाल से बाल'' शिक्षण कार्यक्रम, 60 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में कमी करना, (ख) पाठ्य चर्या तथा उपस्थिति को लचीला बनाकर विशेष रूप से बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल में ''इंद्रधनुष'' (रेनबो) कार्यक्रम (ग) उन किशोरी बालिकाओं जिन्होंने कभी स्कूल में भाग नहीं लिया अथवा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, को शिक्षा प्रदान करने तथा सामान्य कक्षाओं में भाग लेने के लिए 1979 से सम्मिलित कार्यक्रम, (घ) अधिकांशत: उपेक्षित शहरी गन्दी बस्तियों तथा दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवकों तथा युवतियों का साक्षरता शिक्षकों के रूप में भर्ती करने तथा माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को प्रशिक्षित करने के लिए नंगे पांव (बेयर फुट) शिक्षक कार्यक्रम।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों/कार्यशालाओं/कार्य दलों में भारत की सहभागिता

16.1.11 यूनेस्को अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्य दल की बैठकों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के भारतीय विशेषज्ञों ने प्रतिनिधित्व किया :

— सुश्री सीमा खुराना पात्र, उप सचिव ने 16—25 मई, 1994 को सान्हे, चीन में आयोजित सतत् शिक्षा के विकास से संबंधित द्वितीय क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

— श्री ए० के० बसु, निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) ने 13 से 18 जून, 1994 तक बर्लिन, जर्मनी में आयोजित अनौपचारिक बैसिक शिक्षा के अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन से संबंधित प्रबोध सेमिनार में भाग लिया।

— श्री एस० आर० तायल, निदेशक ने 26—30 जुलाई, 1994 तक लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित "21वीं शताब्दी का यूनेस्को" से संबंधित अन्य: क्षेत्रीय मंत्रणा में भाग लिया।

— श्री पी० के० त्रिपाठी, निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) ने 9—16 अगस्त, 1994 तक पट्टाया, थाईलैंड में आयोजित शिक्षण केन्द्रों के नियमावली विकास से संबंधित तकनीकी कार्य दल की बैठक में भाग लिया।

— श्री अनुराग भटनागर, निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा) ने 23—26 अगस्त, 1994 तक पट्टाया, थाईलैंड में आयोजित एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में साक्षरता संवर्धन हेतु जापानी-फंड्स-इन-ट्रस्ट से संबंधित सूचना तथा अनुभव आदान-प्रदान करने की बैठक में भाग लिया।

— श्रीमती पी० वी० वल्सला जी० कुट्टी, उप सचिव ने आशागात, मध्य एशिया में आयोजित शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में तथा मध्य एशिया में विशेष बल देने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत से संबंधित सलाहकार नीति मूल्यांकन फोरम में भाग लिया।

— प्रो० एम० मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओपन स्कूल ने 20—22 सितंबर, 1994 को पेरिस में आयोजित दूरस्थ शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञ परामर्श बैठक में भाग लिया।

— श्री सुरेश चंद, विशेष अधिकारी (बुक प्रमोशन) ने 21 सितंबर से 8 अक्तूबर, 94 तक टोकियो, जापान में आयोजित एशिया तथा प्रशांत (पुस्तक विपणन तथा वितरण से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) में पुस्तक प्रकाशन संबंधी 27वें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

— श्रीमती साधना राउत, उप सचिव ने 2—11 नवंबर, 1994 तक बीजिंग, चीन में आयोजित ग्रामीण जनसंख्या के लिए तात्कालिक शिक्षा की जरूरत से संबंधित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

16.1.12 उपर्युक्त बैठकों के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को की राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को मनोनीत किया।

यूनेस्को के सहभागी कार्यक्रम

16.1.13 सहभागी कार्यक्रम के अंतर्गत, यूनेस्को सदस्य राज्यों की विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कि नवीन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के कार्य में लगे हैं जिससे कि यूनेस्को के उद्देश्यों को राष्ट्रीय, उप-क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यान्वित करने में योगदान मिलेगा। वर्ष 1994-95 के लिए 3,88,500/- डालर की प्रेक्षपित मांग सहित 18 परियोजनाओं को यूनेस्को के सचिवालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इनमें से, अब तक 8 परियोजनाएं अनुमोदित की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहमति यूनेस्को क्लब तथा सह-स्कूलों के लिए शिक्षा

16.1.14 मुख्यत: शैक्षिक संस्थाओं में गठित यूनेस्को क्लब स्वयंसेवी निकाय है, जो इस संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने के काम में लगे हैं। सम्बद्ध स्कूल ऐसी शैक्षिक संस्थाएं है जो अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ, सहयोग और शान्ति के लिए शिक्षा से संबंधित कार्यकलापों को शुरू करने के लिए संबद्ध स्कूलों की परियोजना में भाग लेने के लिए यूनेस्को के सचिवालय से सीधे जुड़े हैं। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर इस परियोजना के अन्तर्गत भारत के 38 स्कूल तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, यूनेस्को की इस सूची में शामिल किए गए हैं।

16.1.15 यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के लिए राष्ट्रीय समन्वय एजेन्सी है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग के साथ पंजीकृत यूनेस्को क्लबों की संख्या लगभग 285 है। यूनेस्को के उद्देश्यों और लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए कार्यकलापों को शुरू करने के लिए यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों की सामग्री तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और वर्षों के समारोहों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ, सहयोग और शान्ति को बढ़ावा देने के लिए बैठकों, वाद-विवादों प्रतियोगिताओं का आयोजन।

एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में फोटो प्रतियोगिता

16.1.16 यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिता में यूनेस्को के लिए एशियाई सांस्कृतिक केन्द्र, जापान को अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। "विश्व सांस्कृतिक विकास दशक (1988—95)// तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिवार (वर्ष 1994) के अवसर पर "परिवार" विषय पर यूनेस्को/ए० सी० सी० यू० विश्व फोटो प्रतियोगिता, 93 में भारत के 10 व्यक्तियों मे पुरस्कार जीता। 18वीं यूनेस्को/ए० सी० सी० यू० विश्व फोटो प्रतियोगिता में 15 व्यक्तियों ने इनामा जीता।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

16.1.17 शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संप्रेषण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशों से विदेशी विनिमय और आयात पर

नियंत्रण संबंधी औपचारिकताओं से होकर गुजरे बगैर शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि से संबंधित अपनी जायज आवश्यकताओं को आयात करने के लिए इस आयोग ने उन्हें मदद पहुंचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय कूपन की योजना को संचालित करना जारी रखा। वर्ष के दौरान यूनेस्को कूपनों की बिक्री की कुल संख्या 12,260/- यू० एस० डालर की है।

यूनेस्को कूरियर के भारतीय भाषा संस्करणों का प्रकाशन

16.1.18 'कूरियर' यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को की आर्थिक सहायता से इसके हिन्दी और तमिल के संस्करणों के प्रकाशन को सहायता देना जारी रखा। ये भाषा संस्करण शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, यूनेस्को क्लबों, संबद्ध स्कूलों तथा आम जनता में व्यापक पैमाने पर परिचालित होते हैं।

स्वयंसेवी निकायों, यूनेस्को क्लबों तथा संबद्ध स्कूलों के वित्तीय सहायता की योजना :

16.1.19 आयोग यूनेस्को के लक्ष्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए लक्षित कार्यकलापों को शुरु करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, यूनेस्को क्लबों और संबद्ध स्कूलों को वित्तीय सहायता देने की योजना को संचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान अब तक विभिन्न निकायों को 20,000/- रु० का सहायता-अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

विदेशी शैक्षिक संबंध (ई० ए० आर०)

16.2.1 विदेशी शैक्षिक संबंध एकक 60 से अधिक ऐसे देशों के साथ भारत के विदेशी शैक्षिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए तांत्रिगत मामलों के संबंध में कार्य करता है जिनके साथ भारत के द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम और अन्य सहयोगी कार्यक्रम किए गए हैं। इसने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और सहयोगी कार्यक्रम के शैक्षिक घटक का अनुश्रवण करना जारी रखा।

16.2.2 इजराइल सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री के निमंत्रण पर, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने 19 जून से 23 जून, 94 तक इजराइल का दौरा किया गया। शिक्षा सचिव श्री एस० वी० गिरि तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो० एस० के० खन्ना शिष्टमण्डल के अन्य सदस्य थे। इस दौरे के दौरान, इन दोनों देशों की उच्च शिक्षा पद्धति में शैक्षिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तीन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा इजराइल विज्ञान एवं मानविकी अकादमी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के शैक्षिक समुदाय तथा संस्थानों के बीच सूचना के आदान-प्रादान तथा सम्बन्धों की स्थापना को बढ़ावा मिले। विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में विश्वविद्यालय शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए तेल अवीव स्थित बर्लिन विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया। तेल अवीव विश्वविद्यालय तथा इसके शिर्ले एवं लोसली पोर्टर स्कूल एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के बीच, दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरा समझौता ज्ञापन किया गया।

16.2.3 अहारन दफरी अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र, जेरूशलम के निदेशक श्री उजी इजराइल ने 16 अगस्त से 19 अगस्त, 94 तक भारत का दौरा किया। भारत में अपने दौरे के दौरान श्री उजी इजराइली ने व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र, महिला पॉलीटैक्नीक, तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल का दौरा किया।

16.2.4 मानव संसाधन विकास मंत्री के निमंत्रण पर महामहिम श्री अमन्य मुशेगा, शिक्षा और खेल मंत्री, यूगांडा ने 2 से 7 दिसम्बर, 94 तक भारत का दौरा किया। वह यूगांडा सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आए। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा के विकास का अध्ययन करना और शिक्षा के क्षेत्र में दो देशों के मध्य द्विपक्षीय विनिमय और सहयोग को बढ़ावा देना है।

कामनवैल्थ शिक्षा मंत्रियों का 12वां सम्मेलन

16.2.5 कामनवैल्थ शिक्षा मंत्रियों का 12वां सम्मेलन 27 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 94 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने उक्त सम्मेलन के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया। श्री एस० वी० गिरि, शिक्षा सचिव और श्री सुदीप बनर्जी, संयुक्त सचिव इस प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य थे।

16.2.6 इस सम्मेलन की मुख्य विषयवस्तु "शिक्षा राजनीति और भागीदारी में राज्य की बदलती भूमिका" थी। इस पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने विस्तृत विवरण दिया। मानव संसयधन विकास मंत्री ने "भागीदारी और सहभागी" पर मंत्रिमंडल समिति की भी अध्यक्षता की।

16.2.7 शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बहुत सी गोलमेज चर्चाएं हुई। भारत को "स्कूली शिक्षा के बाहर" की विषय वस्तु दी गई। शिक्षा सचिव ने गोलमेज में इस विषय वस्तु पर एक विवरण दिया।

16.2.8 श्री एस० वी० गिरी, शिक्षा सचिव और श्री सुदीप बनर्जी, संयुक्त सचिव ने मानव संसाधन विकास, उच्च शिक्षा सहयोग, 21वीं शताब्दी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा और अध्ययन आयोग, शिक्षक शिक्षा, शिक्षा में नवाचारी सहभागिता स्कूल निरीक्षण और शिक्षा में क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर सम्मेलन के विभिन्न अन्य सत्रों में भाग लिया।

शिक्षा और संस्कृति पर सार्क तकनीकी समिति

16.2.9 सार्क सदस्य देशों के विदेश सचिवों की स्थायी समिति के 16वें सत्र में खेल, कला तथा संस्कृति को शिक्षा पर तकनीकी समिति के विलय करने की सिफारिश की गई। मंत्री परिषद के 11वें सत्र में इस सिफारिश को अनुमोदित कर दिया गया। यह परिवर्तन 1 जनवरी, 1993 से लागू किया गया। इस निर्णय के अनुपालन में, शिक्षा और संस्कृति पर सार्क

तकनीकी समिति की दूसरी बैठक कोलम्बो में 16 से 19 दिसम्बर, 94 को आयोजित की गई। इस समिति ने अक्तूबर, 1993 के दौरान कोलम्बो में आयोजित शिक्षा और संस्कृति पर सार्क तकनीकी समिति की प्रथम बैठक में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में किए गए शिक्षा के कार्यकलापों की भी समीक्षा की।

16.2.10 सार्क कार्यकलाप कैलेण्डर के एक भाग के रूप में 3 से 5 मई, 94 को "पुस्तक उत्पाद और विपणन" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री सुरेश चन्द, विशेष अधिकारी (बी० पी०) शिक्षा विभाग और श्री एन० एस० राजेन्द्र भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास बंगलौर ने इस सेमिनार में भाग लिया।

16.2.11 इस्लामाबाद में 16 से 18 अगस्त, 1994 को उच्च शिक्षा पर सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रो० एन० सी० माथुर, उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और श्री दुर्गा दास गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विभाग ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

औरोविले

16.2.12 केन्द्र सरकार ने दिनांक 29 जनवरी, 91 को औरोविले न्यास अधिनियम (1988) के अन्तर्गत औरोविले न्यास की स्थापना की अधिसूचना जारी की। इस न्यास में एक शासकीय बोर्ड, स्थानिक सभा तथा औरोविले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है। न्यास के नौ सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड का गठन डा० करण सिंह की अध्यक्षता में किया गया है।

16.2.13 सभी सम्पत्तियां जो केन्द्र सरकार के अधिकार में हैं। वे औरोविले न्यास में स्थानान्तरित तथा सौंप दी गई है।

16.2.14 आठवीं पंचवर्षीय योजना में औरोविले के विकास के लिए 65 लाख रु० के खर्च की एक योजना शामिल की गई है। इस योजना में तीन महत्वपूर्ण चिन्ता के विषय प्रतिबिम्बित है :—(i) प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही सतत शिक्षा प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता (ii) ज्ञान और संस्कृति के विश्लेषण की आवश्यकता और (iii) औरोविले तथा इसके निकटवर्ती गावों के चहुंमुखी विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करने की आवश्यकता। औरोविले अपने चार्टर के अनुरूप संतुलित रूप से विकास कर रही है।

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना

16.3.1 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश में 10 जिलों के लिए सभी के लिए शिक्षा परियोजना को 1993 में अन्तरराष्ट्रीय विकास संस्था (विश्व बैंक) की निधि से शुरू किया गया। यह परियोजना सात वर्षों की 728.79 करोड रु० की परिव्यय वाली एक राज्य क्षेत्र परियोजना है। अन्तरराष्ट्रीय विकास संस्था ने 163.10 मिलियन अमेरिकन डालर का ऋण अनुमोदित किया है और राज्य सरकार का हिस्सा कुल परियोजना लागत का लगभग 13 प्रतिशत होगा। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता तैयार करना तथा समुदाय को संघटित करना है। गैर सरकारी संगठन इस परियोजना को संचालित करने में लगे हुए हैं और ये इस परियोजना के प्रबंध तथा कार्यान्वयन ढांचों के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस परियोजना में ग्राम स्तरों पर परियोजना कार्यकलापों को कार्यान्वित करने तथा निरीक्षण करने के संदर्भ में ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा निभाई जाने वाली एक सक्रिय भूमिका की परिकल्पना की गई है।

परियोजना में एक समन्वित तकनीकी शैक्षिक सहयोग तंत्र का भी प्रस्ताव किया गया है ताकि आयोजना, प्रबंध, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा किया जा सके। विश्व बैंक पर्यवेक्षी मिशन ने जून, 1994 में परियोजना के दो जिलों का निरीक्षण किया था तथा मिशन ने कार्यान्वयन की प्रगति को संतोषजनक पाया। शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना तथा परियोजना के अन्य गुणात्मक पहलुओं पर परियोजना को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

16.3.2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (यथा संशोधित 1992) तथा इसकी कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक एक नई पहल विकसित की गई है।

16.3.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत आयोजना तथा पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारकों के माध्यम से सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा की कार्य नीति को मूर्त रूप प्रदान करना है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधारणा संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के प्रभावी सुधार तथा व्यापक विकास की आधार शिला है। इस कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य अलग-अलग योजनाओं के क्रियान्वयन के बजाय संपूर्ण जिलों में प्राथमिक शिक्षा को पुनर्गठित करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूलभूत सिद्धांत सभी स्तरों पर क्षमता का सृजन करना है तथा राष्ट्रीय राज्य अथवा स्थानीय स्तर पर ऐसी कार्य नीतियां तैयार करना है जो अनुकूल तथा दीर्घकालिक हों।

16.3.4 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण तथा बहुआयामी कार्यक्रम है। इसका मूल उद्देशय देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना है तथा यह कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन का कायाकल्प करेगा।

लक्ष्य

16.3.7 इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य निम्नवत हैं :—

(i) स्त्री-पुरुष तथा पांच प्रतिशत से कम सामाजिक समूहों के बीच नामांकन स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर तथा शिक्षण उपलब्धि के अन्तरों को कम करना,

(ii) समग्र प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर में कम से कम 10 प्रतिशत कमी करना।

(iii) औसत उपलब्धि स्तरों को 25 प्रतिशत तक निर्धारित मूलस्तर तक बढ़ाना और सभी प्राथमिक सकूली बच्चों में मूलभूत साक्षरता और गिनती सक्षमताओं और अन्य सक्षमताओं में 40 प्रतिशत की न्यूनतम अपलब्धि स्तरों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना।

(iv) राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं (i-v) तक शिक्षित करना अर्थात, जहां तक सम्भव हो, प्राथमिक स्कूली शिक्षा या इसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा देना।

16.3.8 यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की योजना, प्रबन्ध और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला संस्थाओं और संगठनों की क्षमता को भी सुदृढ़ करेगा।

निधि

16.3.10 मध्य प्रदेश के 19 जिलों को यूरोप समुदाय कार्यक्रम द्वारा निधि मिलती है जबकि शेष 23 जिलों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रशासन (आई० डी० ए०) द्वारा निधि मिलती है। यूरोप समुदाय के साथ 150 मिलियन ई सी यू (585.00 करोड़ रु०) की राशि के लिए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 19.37 ई सी यू को पहली किस्त भारत सरकार के लेखे में पहले ही जमा कर दी गई है। छह राज्यों की परियोजनाओं के लिए इस कार्यक्रम हेतु 260 मिलियन अमरीकी डालर जमा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रशासन के साथ विचार-विमर्श एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रशासन बोर्ड का अनुमोदन भी मिल गया है।

16.3.11 जिला प्राथमिक शिक्षाकार्यक्रमों का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कम से कम 110 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें 1950 करोड़ रु० का अनुमानित निवेश होगा उसमें से 1720 करोड़ रु० बाह्य स्रोतों से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

16.3.12 शिक्षा विभाग के बजट में वर्ष 1994-95 के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 94.00 करोड़ रु० की राशि दी गई है। वर्ष 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के अंश की प्रथम किस्त के रूप में सात राज्य कार्यान्वयन समितियों को 32.00 करोड़ रु० की राशि दी गई है।

मौलिक अध्ययन

16.3.13 अभी तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया की विशिष्ट उपलब्धि, प्राथमिक छात्रों की उपलब्धि स्तरों के विस्तृत मौलिक अध्ययन की प्रवृत्ति है। ये अध्ययन असम, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र 8 राज्यों के 46 जिलों में राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद्, नीपा और गैर सरकारी संगठन जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयोजित किये गए। इन अध्ययनों का लक्ष्य चयनित जिलों में प्राथमिक शिक्षा विकास के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना है ताकि जिला योजनाएं अनुभव के आधार पर बनाई जा सकें और परियोजना कार्यान्वयन के लिए सम्बद्ध नीतियों को अच्छी तरह से सुस्पष्ट किया जा सके। 106 जिलों के 1718 स्कूलों के 50,000 से भी अधिक बच्चों की एक मानक आधार पर परीक्षा की गई। इन परीक्षाओं को इस तरह से तैयार किया गया ताकि लड़के/लड़कियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विभिन्न वर्गों की उपलब्धियों की सूचना प्राप्त की जा सके। अब उपलब्धि विशिष्ट ब्यौरों को प्रशिक्षण और कक्षा कार्य के लिए रूपरेखाएं तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इन परीक्षणों को प्रति तीन वर्षों में दोहराया जाए ताकि छात्रों के अध्ययन उपलब्धि स्तरों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। अध्ययनों के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि विभिन्न जिलों में अध्ययन के उपलब्धि स्तर काफी कम है। ये अध्ययन शिक्षकों, माता-पिता और लोक प्रतिनिधियों के साथ जिलों में बांटे जा रहे हैं और इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं कि विद्यालय के प्रभाव और अध्ययन स्तरों के मानकों को कैसे सुधारा जाए ?

महिला समानता के लिए शिक्षा

महिला समाख्या

16.4.1 स्वतंत्र भारत से ही शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। यद्यपि इन प्रयासों में महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों तथा असुविधा प्राप्त समुदायों में स्त्री-पुरुष असमानता अब भी बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 ने शिक्षा को एक ऐसे अभिकर्ता के रूप में दर्शाया है जो महिलाओं की स्थिति में मौलिक परिवर्तन ला सकता है। विगत में संचित मिथ्या वर्णनों को निष्प्रभावित करने के लिए उद्धरण देना, यह महिलाओं के पक्ष में ठीक रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को अधिकार दिलाने, महिलाओं में निरक्षरता को दूर करने और शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा रोकने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी। विशेष सहायता सेवाओं की व्यवस्था, लक्ष्यों का निर्धारण और प्रभावी अनुश्रवण के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को अभिलाषी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में शिक्षा के माध्यम से महिला समाख्या अथवा महिला समानता नामक एक कार्यक्रम तैयार किया गया था।

16.4.2 महिला समाख्या एक डच सहायता प्राप्त परियोजना जिसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की समानता है, या महिलाओं की अधिकार प्राप्त परियोजना है जिसका उद्देश्य केवल सेवाएं प्रदान करना ही नहीं बल्कि महिलाओं में स्वंय परिवर्तन लाना है और महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के संबंध में समाज में उनकी जो स्थिति है उसका बोध करना, सूचित विकल्प तैयार करने और परिस्थितियां सृजित करने में सूचना तथा ज्ञान का पता लगाने में महिलाओं के लिए एक वातावरण सृजित करने का प्रयास करती है जिनमें महिलाएं अपनी गति तथा

लय से सीख सकती हैं। समानता प्राप्त करने के संघर्ष में शिक्षा की केन्द्रीय रूप से महिला समाख्या पर बहुत अधिक बल दिया गया है।

लोक जुम्बिश

16.5.1 स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एस० आई० डी० ए०) की सहायता से ''लोक जुम्बिश'' सभी के लिए शिक्षा का जन आन्दोलन नामक एक नवीन शैक्षिक परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है, इस परियोजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2000 तक जनशक्ति को जुटाकर तथा उनकी सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराना है। दो वर्षों की अवधि अर्थात 1992-93 और 1993-94 के लिए अनेक जिलों में फैले 25 ब्लाकों को शामिल करने के लिए परियोजना के प्रथम चरण को भारत सरकार का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस चरण के लिए 18.00 करोड़ रु० की लागत का अनुमान है। जिसे सीडा (एस० आई० डी० ए०) भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3 :2 : 1 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस परियोजना का प्रथम चरण 30 जून, 1994 को समाप्त हुआ।

16.5.2 प्रथम चरण के दौरान, परियोजना कवरेज के लिए लक्ष्य (25 विकास खण्ड) प्राप्त किए गए और शिक्षक प्रशिक्षण, अध्ययन के न्यूनतम स्तर, नए स्कूल खोलने, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों इत्यादि जैसे प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न घटकों में परियोजन तैयार की गई। लोक जुम्बिश परियोजना की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत हैं :—

— लोक-जुम्बिश विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों को मिलाकर और प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल एवं स्थानीय समुदायों और स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ सहभागी बनाकर नई प्रबन्ध संरचनाएं तैयार करने में सक्षम है।

— सामुदायिक जुटाव और स्कूल मैपिंग।

— नवाचारी और सामुदायिक केन्द्रित निर्माण विकास।

— लड़कियों और सामाजिक दृष्टि से असुविधा प्राप्त समूहों पर विशेष ध्यान।

16.5.3 प्रथम चरण के दौरान 204 प्राथमिक स्कूल खोले गए, 144 प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया, अतिरिक्त शिक्षकों के 339 पद दिए गए, 2120 स्कूलों में उपस्कर और शिक्षण अध्ययन सामग्री दी गई, 650 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गए, मास्टर प्रशिक्षकों के लिए 30 प्रशिक्षण शिविर और शिक्षकों के लिए 198 कैम्प आयोजित किए गए, 1,096 ग्रामों में गतिशील कार्यकलाप शुरू किए गए, 50 क्षेत्रीय केन्द्र खोले गए और 294 जिला दल आयोजित किए गए।

16.5.4 स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेण्ट एथारिटी-सीडा) भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा इस परियोजना के एक संयुक्त मूल्यांकन के अनुसार परियोजना आरम्भ किए गए कार्यों पर सन्तोष व्यक्त किया गया और इसके विस्तार और इसे जारी रखने की सिफारिश की गई। वर्ष 1994-97 की अवधि के दौरान लोक जुम्बिश चरण-II को जारी रखने के प्रस्ताव को हाल ही में अनुमोदित किया गया है। इसमें सीडा, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 3 : 2 : 1 के भाग के अनुपात में 80 करोड़ रु० का निवेश होगा।

बिहार शिक्षा परियोजना

16.6.1 बिहार शिक्षा परियोजना एक बुनियादी शिक्षा परियोजना है जिसका उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली और उसके जरिए बिहार राज्य की सम्पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति में गुणात्मक सुधार लाना है।

16.6.2 बिहार शिक्षा परियोजना में बुनियादी शिक्षा के सभी घटक शामिल है और इसमें 1991-92 से 1995-96 की 5 वर्ष की अवधि में, 20 जिलों में फैले 150 ब्लाकों को, चरणबद्ध ढंग से शामिल करने की परिकल्पना की गई है। 5 वर्ष की अवधि (1991-92 से 1995-96 तक) के लिए परियोजना का आनुपातिक व्यय 360 करोड़ रु० है जिनमें यूनीसेफ, भारत सरकार और बिहार सरकार क्रमश: 3 : 2 : 1 के अनुपात से वित्त पोषण की पद्धति के अनुसार योगदान देंगें। समाज के अभी तक वंचित वर्गों जैसे अनु० ज०/अनु० ज० जा० और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना एक विकासशील परियोजना है जिसमें ज्यादातर कार्यक्रम क्रियाकलापों के लिए ब्लाक के इकाई के रूप में होंगे। सहभागीदारी वाली आयोजना और कार्यान्वयन इस परियोजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। शैक्षिक सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करना, क्षमता निर्माण और सहयोगी प्रबन्ध ढाँचा, इस परियोजना के कार्यान्वयन के अन्य महत्वपूर्ण तत्व है।

16.6.3 एक राज्य स्तरीय निकाय के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि० शि० प० प०) को, बिहार शिक्षा परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत किया गया है। परिषद् के दो अंग है :—सामान्य परिषद जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष हैं और कार्यकारी समिति जिसमें शिक्षा सचिव, बिहार सरकार अध्यक्ष है। भारत सरकार, बिहार सरकार, यूनीसेफ, शिक्षकों और गैर सरकारी संगठनों का, इन निकायों में प्रतिनिधित्व है। इसकी शाखाएं, जिला स्तर पर हैं जिनमें कार्यकारी समिति, भारत सरकार और बिहार सरकार यूनीसेफ/शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से परियोजना संबंधी आयोजना कार्य देखती है। परियोजना कार्यकलापों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए, कार्यबल (टास्कफोर्स) गठित किए गए हैं। गाँव स्तर पर गाँव शिक्षा समिति निर्णायक इकाई के रूप में परिकल्पित की गई है जो समुदाय के सहयोग तथा सहभागिता को प्राप्त करने में बुनियादी शिक्षा पद्धति की मदद करेगी और शैक्षिक निवेशों का निरीक्षण करेगी। इस परियोजना की एक अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

16.6.4 1994-95 तक इस परियोजना की कवरेज राँची, पश्चिम चम्पारन, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्व सिंहभूमि और छपरा के सात जिलों के 94 विकासखण्डों में थी।

16.6.5 वर्ष 1994-95 के दौरान किए गए प्रस्तावित/मुख्य कार्यकलापों में ग्राम शिक्षा समितियों (वी० ई० सी०)को गठित करना और

उनके कार्यक्रम को शुरू करना तथा ग्राम शिक्षा समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना. बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना. परियोजना जिलों में मौलिक अध्ययन को शुरू करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर जिला और सामूहिक स्तर पर कार्याशालाओं का आयोजन करना. सूक्ष्म योजना और स्कूल मैपिंग पर कार्यशाला, स्कूल इमारतों के निर्माण/मरम्मत के लिए शिक्षक संगठन के साथ सम्मेलन, स्कूलों में शौचालयों का प्रावधान और पीने के पानी की सुविधाएं. शिक्षकों का विशेष उन्मुखीकरण, शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण, मुख्यध्यापकों, निरीक्षण अधिकारियों आदि का प्रशिक्षण, गुरुगोष्ठी का आयोजन करना और तिमाही पत्रिका तैयार करना, शिक्षकों के अध्ययन दौरे. ब्लाक/संकुल स्तर पर संसाधन केन्द्रों की स्थापना करना. और अधिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना. और अधिक क्षेत्रों में महिला समाख्या कार्यक्रम का विस्तार करना. जागृति केन्द्रों और महिला समाख्या केन्द्रों की स्थापना, समेकित बाल विकास योजना (आई० सी० डी० सी०), पी० एच० ई० डी० तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण की योजनाओं का शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ समावेश, नई पत्रिका ''प्रत्यूष'' का प्रकाशन करना, कठपुतली प्रदर्शन का आयोजन और नियमित कार्यक्रमों का प्रसारण करना, दाखिला अभियान में समुदाय को शामिल करना जिसके फलस्वरूप दाखिलों में विशेषरूप से बालिकाओं के दाखिलों में वृद्धि हो, चयनित स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए प्रबोधन कार्यशाला का आयोजन करना. नवीन सूक्ष्म परियोजनाएं, चित्रकारी, पोस्टरों और पैनलों के प्रदर्शनों. नुक्कड़ नाटकों. इत्यादि के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहयोग देना है।

16.6.6 वर्ष 1994-95 के लिए 42.4 करोड़ रु० की कार्ययोजना अनुमोदित की गई। इस परियोजना के लिए वर्ष 1994-95 के लिए 26 करोड़ रु० के बजट का प्रावधान है।

16.6.7 विद्यमान 7 बिहार शिक्षा परियोजना जिलों में इस कार्यक्रम का समेकन करने और नामांकन. छात्रों को स्कूलों में ही बनाए रखने और अध्ययन उपलब्धि पर किए गए कार्यों के प्रभाव का पता लगाने के लिए सामाजिक मौलिक अध्ययन करने के साथ-साथ इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम की मध्यावधि समीक्षा की गई। इस परियोजना में आगे सुधार करने की दृष्टि से, समीक्षा मिशन ने बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना और शिक्षा पद्धति के मध्य सम्पर्क, कक्षा I-V तक के प्राथमिक स्तर पर अधिक बल देने, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य राज्यों में कार्यकलापों के साथ अधिक सम्पर्क, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों और शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक बल देने का सुझाव दिया।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आबंटन

(रुपये लाखों में)

क्र० सं	विषय	योजनागत/योजनेत्तर	बजट अनुमान 1994-95		बजट अनुमान 1995-96
			मूल	संशोधित	
1	2	3	4	5	6
प्रारम्भिक शिक्षा					
1.	आप्रेशन ब्लेक बोर्ड	योजनागत	21500.00	21500.00	27900.00
2.	(i) अनौपचारिक शिक्षा (स्वै० एजें०)	योजनागत	2500.00	2500.00	2500.00
	(ii) अनौपचारिक शिक्षा (राज्य क्षेत्र)	योजनागत	10632.00	10632.00	13350.00
	(iii) एस० आई० डी० ए० से वित्तीय सहयोग प्राप्त राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना	योजनागत	500.00	500.00	800.00
	(iv) बिहार शिक्षा परियोजना	योजनागत	2000.00	1000.00	3000.00
	(v) एन० सी० टी० ई०	योजनागत	200.00	25.00	200.00
	(vi) लोक जुम्बिश	योजनागत	933.00	933.00	2214.00
	(vii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उ० प्र० परियोजना	योजनागत योजनागत	10.00	10.00	—
	(viii) आल भवन	योजनागत	125.00	125.00	150.00
		योजनेत्तर	86.00	86.00	86.00
	(ix) महिला सामख्या	योजनागत	890.00	890.00	690.00
	(x) दक्षिणी उड़ीसा परियोजना	योजनागत	—	—	—
3.	शिक्षक शिक्षा	योजनागत	9000.00	9000.00	11800.00
4.	डी० पी० ई पी० जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	योजनागत	4000.00	4000.00	2500.00
माध्यमिक शिक्षा					
1.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	योजनागत	306.00	306.00	500.00
		योजनेत्तर	34.00	34.00	34.00
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	812.00	812.00	712.00
		योजनेत्तर	1407.00	2000.00	2000.00
3.	राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना	योजनागत	102.00	102.00	102.00
4.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन व्यवस्था/छात्रावास संबंधी सुविधाएं सुदृढ़ करने की योजना हेतु स्वैच्छिक एजेन्सियों को अनुदान	योजनागत	55.00	55.00	55.00

1	2	3	4	5	6
5.	क्लास	योजनागत	2700.00	2700.00	4700.0
6.	शैक्षणिक प्रौद्योगिकी	योजनागत	2318.00	2318.00	2288.0
7.	शिक्षा में संस्कृति मूल्यों को शक्ति प्रदान करने के लिए सहायता योजना	योजनागत	100.00	100.00	100.0
8.	युद्ध के दौरान मारे गए या विकलांग हुए अधिकारियों और सैनिकों को शैक्षणिक छूट	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.0
9.	स्कूली शिक्षा के क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.0
10.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	योजनेत्तर	42.00	42.00	42.0
11.	विज्ञान शिक्षा	योजनागत	2270.00	2270.00	2447.0
12.	पर्यावरण शिक्षा	योजनागत	195.00	195.00	195.0
13.	+ 2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा	योजनागत	8846.00	8846.00	8200.0
14.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	योजनागत	470.00	470.00	470.0
15.	योगा	योजनागत योजनेत्तर	60.00 30.00	60.00 30.00	60.0 30.0
16.	अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक विज्ञान	योजनागत	3.00	3.00	32.0
17.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	योजनेत्तर योजनागत	18546.00	18546.00	18546.0 1050.0
18.	केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन	योजनेत्तर	565.00	678.00	620.0
19.	नवोदय विद्यालय	योजनागत योजनेत्तर	15263.00 4927.00	15263.00 4927.00	20000.0 4927.0
20.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन	योजनेत्तर	1.00	1.00	1.0
21.	जम्मू व कश्मीर में स्कूल भवन पुनर्निर्माण	योजनागत	—	500.00	
उच्च शिक्षा और अनुसंधान					
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत योजनेत्तर	16900.00 32300.00	18430.00 34318.00	18929.0 34182.0
2.	भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला	योजनागत योजनेत्तर	35.00 138.00	93.00 138.00	400.0 138.0
3.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान संस्थान परिषद	योजनागत योजनेत्तर	40.00 68.00	95.00 68.00	202.0 69.0
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	योजनागत योजनेत्तर	35.00 139.00	35.00 139.00	49.0 139.0
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत योजनेत्तर	38.00 21.00	38.00 21.00	20.0 21.0

1	2	3	4	5	6
6.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	योजनागत	250.00	325.00	450.00
		योजनेत्तर	488.00	500.00	500.00
7.	शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान	योजनेत्तर	75.00	76.00	90.00
8.	विश्वविद्यालयों और कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	योजनेत्तर	2700.00	1950.00	490.00
9.	राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर	योजनेत्तर	5.00	5.00	5.00
10.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	50.00	50.00	50.00
11.	डा० जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट	योजनागत	25.00	25.00	25.00
		योजनेत्तर	12.00	12.00	12.00
12.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	योजनागत	12.00	12.00	23.00
		योजनेत्तर	13.00	23.00	15.00
13.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्व-विद्यालय	योजनागत	2700.00	4700.00	2250.00
		योजनेत्तर	790.00	790.00	700.00
14.	डिग्री को नौकरी से अलग करना (एन० ई० ओ०)	योजनागत	25.00	5.00	25.00
15.	प्रशासन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	योजनागत	5.00	2.00	1.00
		योजनेत्तर	—	41.00	
16.	राष्ट्रीय-उच्च शिक्षा परिषद	योजनागत	5.00	1.00	1.00
17.	राष्ट्रमंडल अध्ययन	योजनागत	25.00	25.00	75.00
18.	ग्रामीण संस्थान	योजनागत	100.00	25.00	300.00
19.	विश्वविद्यालय प्रशासकों का प्रशिक्षण	योजनागत	5.00	1.00	5.00
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग					
1.	आरोविले प्रबन्ध	योजनागत	20.00	20.00	20.00
		योजनेत्तर	20.00	20.00	20.00
2.	बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ करना	योजनागत	5.00	3.00	5.00
3.	अन्य मदें आई० एन० सी० के कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेत्तर	0.35	0.10	0.10
4.	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहयोग आयोग पर व्यय	योजनेत्तर	20.00	21.00	21.00
5.	अन्य मदें—यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भा० रा० आयोग	योजनेत्तर	0.60	0.05	0.05
6.	अन्य मदें—आतिथ्य तथा मनोरंजन	योजनेत्तर	0.05	0.01	0.01
7.	यूनेस्को को योगदान	योजनेत्तर	400.00	400.00	400.00
8.	विदेशी शिष्ट मण्डल की भारत यात्रा	योजनेत्तर	5.00	3.00	5.00
9.	देश से बाहर प्रतिनियुक्ति तथा शिष्ट मण्डल की योजना	योजनेत्तर	8.00	8.00	8.00

1	2	3	4	5	6
	पुस्तक प्रोन्नति और कापीराइट				
1.	राष्ट्रीय पुस्तक न्याय	योजनागत योजनेत्तर	189.00 270.00	189.00 270.00	289.00 220.00
2.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद	योजनागत	2.00	2.00	2.00
3.	पुस्तक प्रौन्नत कार्यकलाप और स्वैच्छिक संगठन	योजनागत	5.00	5.00	5.00
4.	राष्ट्रीय लेखक सोसाइटी का गठन करना	योजनागत	2.00	2.00	2.00
5.	अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन डब्ल्यू० आई पी० ओ० को भारत का सहयोग	योजनेत्तर	37.00	30.00	30.00
6.	अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन (सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम)	योजनेत्तर	3.00	1.00	2.00
	छात्रवृत्तियां				
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	90.00	90.00	145.0
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	योजनेत्तर	285.00	285.00	100.0
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना मूल्य ह्रास आदि	योजनेत्तर	20.20	10.20	10.2
4.	स्कूल आफ अफरिकन एंड ओरियंटल स्टडीज लंदन को अंशदान	योजनागत	1.70	1.70	1.7
5.	ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक छात्रवृत्तियां	योजनागत	60.00	27.00	60.0
6.	अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	योजनेत्तर	175.00	145.00	110.0
7.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययनों के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्ति की सहायता अनुदान योजना	योजनेत्तर	34.10	34.10	34.1
8.	भारत और विदेश में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए जवाहर लाल नेहरू फैलोशिप योजना	योजनागत	10.00	10.00	10.0
9.	विदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय अध्येता	योजनेत्तर	25.00	25.00	25.0
10.	विदेश में/अध्ययन करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां	योजनेत्तर	175.00	125.00	100.

1	2	3	4	5	6
भाषाओं की स्तरोन्नति					
हिन्दी					
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत	72.00	72.00	86.00
		योजनेत्तर	156.00	159.00	166.00
2.	वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	योजनागत	60.00	60.00	50.00
		योजनेत्तर	57.00	60.00	63.00
3.	हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा	योजनागत	67.00	67.00	124.00
		योजनेत्तर	188.00	188.00	199.00
4.	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और अहिन्दी भाषी राज्यों में उनका प्रशिक्षण	योजनागत	250.00	338.00	400.00
5.	हिन्दी में प्रकाशन सहित गैर हिन्दी संगठनों दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार संस्था एवं अन्य एन० जी० सी० की सहायता	योजनागत	180.00	180.00	198.00
		योजनेत्तर	102.00	102.00	102.00
6.	विदेश में हिन्दी का प्रचार	योजनागत	50.00	50.00	शून्य
		योजनेत्तर	11.00	11.00	शून्य
7.	हिन्दी विश्वविद्यालय	योजनागत	1.00	1.00	—
8.	उर्दू विश्वविद्यालय	योजनागत	1.00	1.00	—
आधुनिक भारतीय भाषाएं					
9.	जनजातीय भाषाओं के विकास सहित केन्द्रीय भाषाओं के संस्थान और उनकी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत	90.00	87.00	104.00
		योजनेत्तर	249.00	259.00	267.00
0.	गुजरात समिति सहित तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड	योजनागत	85.00	55.00	120.00
		योजनेत्तर	45.00	46.00	49.00
1.	यू० एल० बी० सहित गैर सरकारी संगठनों सिंधी उर्दू और हिन्दी के अतिरिक्त, को वित्तीय सहायता	योजनागत	27.00	20.00	29.00
		योजनेत्तर	10.00	10.00	10.00
2.	सिंधी में पुस्तकों के उत्पादन के लिए वित्तपोषण सिंधी विकास बोर्ड सहित सिंधी हेतु गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	60.00	5.00	65.00
3.	आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक	योजनागत	60.00	20.00	100.00
	उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत	80.00	10.00	100.00
अंग्रेजी					
.	अंग्रेजी भाषा के शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता	योजनागत	75.00	75.00	83.00

1	2	3	4	5	6
संस्कृत:					
1.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठन, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/ शोध संस्थान को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	20.00 110.00	25.00 110.00	शून्य शून्य
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	15.00 72.00	20.00 72.00	शून्य शून्य
3.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान	योजनागत योजनेत्तर	290.00 450.00	318.00 450.00	425.00 450.00
4.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	56.00	56.00	80.00
5.	राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान	योजनागत	65.00	65.00	110.00
6.	श्रेण्य भाषा (अरबी एवं फारसी) हेतु अनुदान/ छात्रवृत्तियां	योजनागत	15.00	15.00	शून्य
7.	मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता	योजनागत	33.00	20.00	40.00
8.	राष्ट्रीय संस्कृत तथा प्राचीन भाषा आयोग (मु० शी० 2202)	योजनागत	25.00	—	25.00
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	योजनागत	600.00	600.00	600.00
2.	उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा	योजनागत	1800.00	1360.00	6600.00
3.	प्रशासनिक ढाँचे का सुदृढ़ीकरण	योजनागत	1400.00	1400.00	1400.00
4.	कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम	योजनागत योजनेत्तर	75.00 2.00	15.00 2.00	शून्य 2.00
5.	प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	योजनागत	30.00	15.00	15.00
6.	निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना	योजनागत	15475.00	15475.00	12000.00
7.	स्वैच्छिक एजेंसियां	योजनागत	1000.00	1150.00	1000.00
8.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत योजनेत्तर	200.00 110.00	381.00 130.00	435.00 130.00
9.	प्रौढ़ शिक्षा	योजनागत योजनेत्तर	493.00 114.00	493.00 114.00	1037.00 120.00
10.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	योजनागत	75.00	45.00	75.00
11.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	योजनागत योजनेत्तर	25.00 36.00	10.00 18.00	25.00 16.00
12.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	योजनागत	120.00	शून्य	50.00
13.	प्रौढ़ शिक्षा (ई० ए० पी०) में महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	12.00	12.00	12.00
14.	प्रौढ़ शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा	योजनागत	95.00	95.00	151.00

1	2	3	4	5	6
तकनीकी शिक्षा					
I.	निदेशन एवं प्रशासन				
	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	योजनागत	5865.00	5865.00	7189.00
		योजनेत्तर	1816.00	1816.00	1823.00
II.	प्रशिक्षण				
	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनागत	4100.00	4100.00	4100.00
	ध. 6(2)	योजनेत्तर	2350.00	2875.00	2875.00
3.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण	योजनागत	700.00	417.00	1250.00
	ध. 2(5) और ध. 2(6)	योजनेत्तर	858.00	600.90	840.00
III.	अनुसंधान				
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	1800.00	3188.00	1500.00
	ध. 6(1)	योजनेत्तर	11800.00	13400.00	12606.00
5.	भारतीय प्रबंध संस्थान	योजनागत	745.00	1187.00	1200.00
	ध 6 (4) (1) से ध. 6 (4) (4)	योजनेत्तर	958.00	1550.00	1054.00
6.	सामुदायिक पालिटेक्निक	योजनागत	1065.00	1065.00	3000.00
	डी. 5 (1)	योजनेत्तर	190.00	190.00	190.00
V.	अन्य योजनाएं				
7.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान असम	योजनागत	1388.00	1388.00	1100.00
8.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाओं के जरिए तकनीकी संस्थाओं की सहायता	योजनागत	2270.00	2270.00	150.00
9.	भारत शैक्षिक परामर्शदाता लि०	योजनागत	2.00	2.00	2.00
10.	आई० आई० एम० सी० बंगलौर	योजनागत	850.00	850.00	1050.00
		योजनेत्तर	2544.00	2600.00	2450.00
11.	तकनीशियन शिक्षा को विश्व बैंक परियोजना सहायता	योजनागत	150.00	150.00	150.00
12.	क्षेत्रीय कार्यालय	योजनेत्तर	50.00	57.00	60.00
13.	ए० आई० टी० बैंकाक	योजनेत्तर	14.00	18.00	18.00
14.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिनिधि मंडल	योजनेत्तर	1.00	0.10	1.00
	तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का संशोधन/राज्य/संस्थाओं के कालेजों को सहायता	योजनेत्तर	100.00	100.00	100.00
	प्रौद्योगिकी विकास मिशन	योजनागत	3300.00	300.00	2000.00
	आई० आई० एम० केरल	योजनागत	100.00	92.00	100.00
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटा नगर, अरुणाचल प्रदेश	योजनागत	800.00	800.00	300.00

—1000 M of HRD 91

परिशिष्ट

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि					
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनुमानित)
	आन्ध्र प्रदेश	1209.29	2095.00	3637.75	463.14	1777.21	1478.75
	अरूणाचल प्रदेश	46.76	82.16	0.00	106.57	33.21	21.76
	असम	692.41	0.00	420.48	1628.46	512.04	1492.11
	बिहार	1407.66	1684.02	0.00	4167.11	2321.98	1655.94
	गोवा	37.32	47.47	0.00	39.67	3.42	61.50
	गुजरात	727.44	503.10	619.70	512.41	700.03	627.04
	हरियाणा	111.39	0.00	292.17	0.00	32.52	112.52
	हिमाचल प्रदेश	458.09	297.03	456.10	264.73	224.75	479.70
	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	1103.06	0.00	—	666.74
	कर्नाटक	537.08	717.54	1876.67	360.00	1969.53	2234.59
	केरल	0.00	156.12	82.90	0.00	—	140.00
	मध्य प्रदेश	0.00	1344.78	846.91	1688.61	—	—
	महाराष्ट्र	788.33	612.22	2795.46	1721.70	4149.12	4581.28
	मणिपुर	0.00	47.38	57.30	0.00	32.30	348.84
	मेघालय	0.00	100.49	90.04	0.00	399.53	414.16
	मिजोरम	8.74	8.87	66.80	13.42	3.98	260.52
	नागालैण्ड	42.98	5.85	0.00	7.84	—	159.13
	उड़ीसा	864.25	1818.32	1147.90	2496.68	868.12	2389.84
	पंजाब	115.69	218.29	541.67	0.00	—	184.70
	राजस्थान	1568.63	3456.83	2202.14	510.81	1565.13	1870.47
	सिक्किम	0.00	15.36	9.57	0.00	—	56.93
	तमिलनाडु	1213.02	510.24	449.96	0.00	233.70	383.89
	त्रिपुरा	49.59	7.70	64.41	4.23	56.13	208.77
	उत्तर प्रदेश	2757.26	860.94	650.00	1244.50	—	1291.84
	पश्चिम बंगाल	0.00	349.46	140.02	254.00	2987.30	8.13
	अ० व नि० द्वीप समूह	8.27		3.82	0.00	—	19.13
	चण्डीगढ़	1.17		0.00	0.00	—	12.60
	दादर व नागर हवेली	0.00	4.14	8.17	3.66	—	19.13
	दमन व दीव	0.00		0.00	0.00	—	9.33
	दिल्ली	32.39	53.59	0.00	0.00	—	226.33
	लक्षद्वीप	0.00		0.00	0.00	—	1.60
	पांडिचेरी	20.32	10.72	0.00	3.90	—	52.73
	कुल	12698.08	15009.12	17563.00	15491.44	17870.00	21470.00

गैर-औपचारिक शिक्षा योजना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(रु० लाखों में

क्र० सं०	राज्य सघ/शासित क्षेत्र	मुक्त की गयी राशि					
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-9 (6-3-95 क यथास्थिति
1.	आन्ध्र प्रदेश	650.55	581.78	573.97	631.97	1605.30	1368.7
2.	असम	264.96	159.40	192.09	350.10	488.46	488.2
3.	बिहार	88.02	667.72	191.99	540.29	1317.43	737.3
4.	हरियाणा			—	—	—	-
5.	जम्मू और कश्मीर			55.39	53.34	27.64	65.2
6.	कर्नाटक			—	—	—	-
7.	मध्य प्रदेश	628.32	781.95	695.86	613.33	1714.88	1680.6
8.	मिजोरम	2.22	2.06	3.16	2.26	8.58	5.9
9.	उड़ीसा	259.86	109.84	241.56	334.41	388.00	641.6
10.	राजस्थान	165.89	236.61	361.36	366.47	428.93	1096.2
11.	तमिलनाडु			5.86	1.17	—	23.7
12.	उत्तर प्रदेश	485.30	925.47	1616.36	1535.30	2540.63	3251.7
13.	पश्चिम बंगाल	41.49		—	—	—	-
14.	अ० व नि० द्वीप समूह			—	—	—	-
15.	चण्डीगढ़	0.86	2.82	2.26	1.29	4.79	3.5
16.	दादर व नागर हवेली			—	—	0.67	4.8
17.	मणिपुर		24.59	62.40	43.78	92.28	48.7
18.	गुजरात	40.74		—	42.89	8.57	9.1
	कुल	2628.21	3492.24	4002.26	4517.30	8626.16	9425.1

शिक्षक शिक्षा स्कीम के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	मुक्त की गई राशि					
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (12-12-95 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	416.39	106.00	585.25	591.92	512.15	754.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	0.00	0.00	—
3.	असम	182.45	35.00	93.95	319.41	478.64	194.75
4.	बिहार	—	—	298.36	675.02	508.27	—
5.	गोवा	28.30	2.00	5.50	12.86	5.03	9.98
6.	गुजरात	0.00	—	94.73	554.83	36.00	247.36
7.	हरियाणा	10.00	52.82	78.23	398.00	98.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	—	—	118.80	167.15	463.63
9.	जम्मू और कश्मीर	174.70	—	261.07	72.58	349.28	60.00
10.	कर्नाटक	—	—	300.00	353.10	636.00	660.00
11.	केरल	280.00	94.81	53.40	434.84	110.45	424.40
12.	मध्य प्रदेश	439.20	386.28	226.55	964.73	489.86	709.16
13.	महाराष्ट्र	0.00	—	—	0.00	0.00	160.00
14.	मणिपुर	0.00	1.00	110.30	12.11	127.64	163.87
15.	मेघालय	—	—	77.60	0.00	208.10	—
16.	मिजोरम	0.00	31.85	23.50	17.72	0.00	85.56
17.	नागालैण्ड	0.00	28.00	—	10.30	131.63	44.98
18.	उड़ीसा	198.77	33.00	149.67	482.68	451.83	131.25
19.	पंजाब	152.30	108.40	—	272.60	233.00	170.82
20.	राजस्थान	547.04	438.15	427.96	1052.92	454.60	862.43
21.	सिक्किम	0.00	—	36.88	0.00	0.00	—
22.	तमिलनाडु	798.52	105.00	519.00	487.24	355.00	441.00
23.	त्रिपुरा	26.60	—	—	20.00	0.00	—
24.	उत्तर प्रदेश	250.63	363.59	830.00	1328.32	1110.04	307.10
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	147.69	—	0.00	195.00	65.00
26.	दिल्ली	63.97	40.05	91.80	74.25	105.31	170.10
27.	पांडिचेरी	—	—	30.00	0.00	0.00	0.00
28.	अ० द्व० नि० द्वीप समूह	—	—	—	38.20	0.00	—
	कुल	3568.87	1973.64	4289.76	8293.13	6763.58	6201.04

परिशिष्ट

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को व्यावसायीकरण की योजना के लिये सहायता

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	अनुदान राशि						
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	177.06	886.85	1010.245	1584.915	640.58	—	4299.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	6.355	—	—	—	6.35
3.	असम	—	42.62	140.28	100.246	291.54	—	574.68
4.	बिहार	7.41	558.611	0.75	—	408.51	—	975.28
5.	गोवा	64.59	80.630	49.65	92.562	56.93	122.50	466.86
6.	गुजरात	1173.31	778.031	872.375	1070.736	781.73	—	4683.18
7.	हरियाणा	129.87	184.83	155.00	131.44	228.19	200.00	1029.33
8.	हिमाचल प्रदेश	98.06	177.475	56.858	59.417	—	—	391.81
9.	जम्मू और कश्मीर	—	16.50	15.80	—	22.55	—	54.85
10.	कर्नाटक	49.21	156.80	324.996	727.470	1012.695	151.34	2422.51
11.	केरल	223.44	353.23	346.899	410.778	352.40	682.98	2369.72
12.	मध्य प्रदेश	1121.49	1221.42	3.00	—	—	—	2345.90
13.	महाराष्ट्र	509.38	267.205	1230.25	2195.333	2035.74	702.00	6939.90
14.	मणिपुर	—	—	44.00	7.183	7.40	40.24	98.82
15.	मेघालय	—	20.75	—	—	—	—	20.75
16.	मिजोरम	—	16.68	—	24.883	21.924	—	63.48
17.	नागालैण्ड	—	14.84	—	—	1.40	—	16.24
18.	उड़ीसा	83.72	510.40	—	1.22	650.00	—	1245.34
19.	पंजाब	50.25	371.71	222.25	320.62	253.74	164.03	1382.60
20.	राजस्थान	72.35	561.543	323.56	340.395	385.19	556.73	2239.76
21.	सिक्किम	—	5.325	0.044	5.32	7.15	—	17.83
22.	तमिलनाडु	358.11	279.558	727.90	—	700.16	—	2065.72
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	4.13	—	4.1
24.	उत्तर प्रदेश	203.69	707.25	99.147	581.39	258.42	32.945	1882.84
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	3.24	3.238	—	—	—	—	6.4
27.	चण्डीगढ़	42.70	12.34	20.77	8.65	22.77	26.13	133.36
28.	दादर व नागर हवेली	—	—	—	5.25	2.79	—	8.04
29.	दमन व दीव	—	—	—	—	3.09	2.06	5.1
30.	दिल्ली	4.18	42.86*	0.30	46.38*	105.00	—	198.7
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	16.63	—	—	17.44	—	34.07
	कुल	372.05	7287.326	5657.419	7714.188	8271.469	2680.922	35983.4

*[illegible] नहीं किया

निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	अनुदान राशि		
		1993-94	1994-95	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	—	—	—
4.	बिहार	3.305	—	3.305
5.	गोवा	—	—	—
6.	गुजरात	—	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—
10.	कर्नाटक	18.20	—	18.20
11.	केरल	—	—	—
	मध्य प्रदेश	23.94	—	23.94
	महाराष्ट्र	—	—	—
	मणिपुर	2.30	—	2.30
	मेघालय	—	—	—
	मिजोरम	—	—	—
	नागालैण्ड	—	—	—
	उड़ीसा	—	—	—
	पंजाब	7.58	—	7.58
	राजस्थान	7.28	—	7.28
	सिक्किम	—	—	—
	तमिलनाडु			
	त्रिपुरा	—	—	—
	उत्तर प्रदेश	44.61	—	44.61
	पश्चिम बंगाल	—	—	—
	दिल्ली	—	2.102	2.102
	चण्डीगढ़	—	—	—
	दादर व नागर हवेली	—	—	—
	दमन व दीव	—	—	—
	दिल्ली	5.62	—	5.62
	लक्षद्वीप	—	—	—
	पांडिचेरी	—	—	—
	कुल	112.835	2.102	114.397

1000 M/o HRD/94

विज्ञान शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम

(रु० लाखों मे

क्र० सं०	राज्य संघ/शासित क्षेत्र	मुक्त की गई राशि					
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (7-3-1995 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	606.77	132.25	93.96	—	536.40	—
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.72	—	—	—	—	—
3.	असम	385.57	141.66	146.27	—	—	783.16
4.	बिहार	376.68	—	194.51	—	—	—
5.	गोवा	72.02	56.76	—	—	—	6.69
6.	गुजरात	142.31	—	—	—	—	—
7.	हरियाणा	279.66	—	—	121.71	473.29	—
8.	हिमाचल प्रदेश	315.68	139.84	58.28	179.32	42.14	56.9
9.	जम्मू और कश्मीर	128.62	167.10	—	233.55	—	—
10.	कर्नाटक	559.14	167.88	—	556.56	—	—
11.	केरल	400.35	152.72	—	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	658.11	7.28	—	—	17.56	—
13.	महाराष्ट्र	626.10	5.42	61.24	682.99	—	—
14.	मणिपुर	96.34	87.05	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	35.20	—	0.80	—	170.4
16.	मिजोरम	101.54	84.42	31.76	—	28.29	—
17	नागालैण्ड	19.95	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	468.82	—	—	174.63	198.99	—
19.	पंजाब	131.43	349.97	179.18	430.23	165.99	71.6
20.	राजस्थान	349.52	139.24	511.21	—	412.17	—
21.	सिक्किम	12.41	20.14	—	—	0.53	—
22.	तमिलनाडु	663.23	93.37	539.02	—	0.71	—
23.	त्रिपुरा	27.45	0.74	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	711.57	13.45	—	—	188.48	—
25.	पश्चिम बंगाल	514.37	147.18	—	—	—	—
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	28.86	—	—	2.59	1.66	—
27.	चण्डीगढ़	5.52	20.12	5.11	0.64	0.35	0.
28.	दादर व नागर हवेली	—	9.22	—	—	—	—
29.	दिल्ली	229.48	55.60	—	1.95	74.43	—
30.	दमन व द्वीप	4.56	—	6.04	5.04	—	60.
31.	लक्षद्वीप	1.51	—	—	4.06	3.56	—
32.	पांडिचेरी	27.35	4.32	1.70	1.00	—	—
	कुल	7949.44	2033.43	1322.90	2455.07	2144.55	1149.

टिप्पणी :—विधान मंडल रहित संघ शासित प्रदेशों के दर्शाए गए आँकड़े प्राधिकृत व्यय के हैं और ये आंकड़े उनके द्वारा वास्तविक तथा निर्धारित किए गए व्
के नहीं हैं।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता*

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गई राशि					
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (7-3-1995 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	113.00	227.90	37.74	97.07	59.47	72.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.14	—	—	4.18	—	7.83
3.	असम	42.20	73.53	—	127.24	—	—
4.	बिहार	8.33	—	6.49	65.18	39.99	61.29
5.	गोवा	1.76	5.20	—	—	—	—
6.	गुजरात	173.65	96.19	—	232.48	285.53	86.29
7.	हरियाणा	39.90	30.00	—	—	36.85	—
8.	हिमाचल प्रदेश	45.80	—	—	—	—	19.50
9.	जम्मू और कश्मीर	17.82	102.99	—	13.09	—	98.10
10.	कर्नाटक	66.37	15.81	—	43.61	—	52.50
11.	केरल	27.87	—	12.17	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	30.46	29.12	—	16.27	—	—
13.	महाराष्ट्र	93.00	126.20	—	50.55	654.23	—
14.	मणिपुर	1.21	10.03	15.19	—	—	35.00
15.	मेघालय	4.23	5.00	5.08	14.50	16.00	—
16.	मिजोरम	9.13	—	0.11	—	—	—
17.	नागालैण्ड	7.72	—	—	—	8.80	—
18.	उड़ीसा	128.80	258.25	—	380.83	369.07	253.17
19.	पंजाब	48.23	60.00	—	167.48	—	—
20.	राजस्थान	91.92	—	—	12.02	250.01	—
21.	सिक्किम	1.88	3.58	—	—	0.97	—
22.	तमिलनाडु	70.00	100.00	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	0.17	0.05	—	0.41	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	20.04	—	—	54.30	42.73	50.00
25.	पश्चिम बंगाल	12.97	—	—	—	—	—
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	0.32	0.58	—	0.76	—	—
27.	चण्डीगढ़	0.48	1.11	—	—	—	—
28.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
29.	दमन व दीव	0.12	—	—	—	—	—
30.	दादर व नागर हवेली	0.22	—	0.36	0.31	—	—
31.	लक्षद्वीप	0.13	—	—	—	—	—
32.	पाडिचेरी	1.23	—	—	—	—	—
33.	एन० सी० ई० आर० टी०	—	—	—	118.68	5.74	291.00
	कुल	1060.90	1165.57	78.14	1400.01	1769.19	1029.69

इसमें संबंधित राज्यों के एस० आई० ई० टी० के लिए संस्वीकृत राशि शामिल है।

पर्यावरण शिक्षा योजना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गई राशि					
		7वीं योजना तक	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (7-3-95 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.37	20.16	26.64	5.00	10.13	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.81	—	—	1.00	—	–
3.	असम	4.20	—	12.85	10.89	—	–
4.	बिहार	20.17	—	—	1.00	—	–
5.	गोवा	—	8.45	—	1.35	—	–
6.	गुजरात	4.82	—	—	1.00	—	–
7.	हरियाणा	0.66	—	—	3.00	15.71	–
8.	हिमाचल प्रदेश	9.15	—	—	—	—	–
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	0.50	–
10.	कर्नाटक	32.15	58.90	8.91	—	—	–
11.	केरल	2.07	—	—	2.00	—	–
12.	मध्य प्रदेश	38.40	—	—	7.50	—	–
13.	महाराष्ट्र	9.73	—	6.10	4.00	—	–
14.	मणिपुर	—	—	—	—	2.36	–
15.	मिजोरम	3.79	—	2.80	2.50	—	–
16.	उड़ीसा	18.47	—	25.31	7.00	—	–
17.	पंजाब	—	—	—	—	—	–
18.	राजस्थान	37.52	16.56	—	37.56	—	–
19.	तमिलनाडु	34.28	33.86	26.29	4.00	—	–
20.	त्रिपुरा	3.04	9.12	—	2.00	1.88	–
21.	उत्तर प्रदेश	13.85	—	—	—	—	–
22.	अ० व नि० द्वीप समूह	2.48	—	3.63	9.00	—	–
23.	दिल्ली	7.73	9.71	12.44	—	—	–
24.	पांडिचेरी	0.94	2.16	—	1.00	—	–
	कुल	270.63	158.92	124.97	99.80	30.58	–

टिप्पणी :—विधान मंडल रहित संघ शासित प्रदेशों के दर्शाए गए आँकड़े प्राधिकृत व्यय के हैं और ये आंकड़े उनके द्वारा वास्तविक तथा निर्धारित किए गए खर्च के नहीं हैं।

विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	मुक्त की गई राशि					
		1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	12.80	—	—	14.01	—
2.	बिहार	2.62	7.67	—	36.95	—	—
3.	गुजरात	8.57	5.87	34.50	67.21	—	—
4.	हरियाणा	20.55	19.77	—	16.80	—	—
5.	हिमाचल प्रदेश	5.63	7.40	7.21	9.55	6.34	—
6.	जम्मू एवं कश्मीर	—	19.98	16.69	—	—	—
7.	कर्नाटक	10.86	—	45.28	39.08	4.19	26.30
8.	केरल	60.00	100.47	77.54	—	111.58	—
9.	मध्य प्रदेश	1.16	17.40	2.17	30.90 2.49 (वी.ओ.)	2.95 (वी.ओ.)	3.29 (वी.ओ.)
10.	मणिपुर	—	3.97	5.98	5.00	22.40	—
11.	महाराष्ट्र	14.27	—	—	—	75.53	23.00 (वी.ओ.)
12.	मिजोरम	16.79	24.79	31.72	45.36	1.92	—
13.	नागालैण्ड	10.74	9.36	10.79	12.61	5.74	—
14.	उड़ीसा	15.03	23.87	22.46	35.20	68.92	—
15.	पंजाब	—	—	12.00	—	—	—
16.	राजस्थान	33.23	33.44	71.14	28.33	85.35	—
17.	तमिलनाडु	—	5.76	9.90	28.41 0.62 (वी.ओ.)	5.32	—
18.	त्रिपुरा	—	—	—	—	2.01	—
19.	उत्तर प्रदेश	11.95	16.97	—	—	—	—
20.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	34.00 (वी.ओ.)
1.	अ० व नि० द्वीपसमूह	15.65	13.90	16.08	20.65	9.84	13.37
2.	दिल्ली	12.17	18.92	16.14	0.03	11.29	16.88
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	7.49 0.99	1.25 (वी.ओ.) 0.99
2.	गोवा	0.09	0.45	—	—	—	—
1.	दमन व दीव	—	0.49	0.53	0.29	0.42	0.44
	कुल	239.31	343.28	378.13	379.48	449.95 अथवा 450.00	119.52

स्कूलों में योगा शुरू करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	629750	—	—	24.24	1.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	2.35	—
3.	बिहार	—	885000	—	—	—	—
4.	जम्मू एवं कश्मीर	—	825000	800000	1300000	—	—
5.	कर्नाटक	—	—	—	100000	900000	—
6.	केरल	—	—	—	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश	—	698750	594000	—	—	
8.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	766000	
9.	पंजाब	—	—	—	336000	—	
10.	तमिलनाडु	—	—	—	165000	—	
11.	त्रिपुरा	—	18000	—	26000	113000	
12.	उत्तर प्रदेश	—	—	805000	—	370000	
13.	दिल्ली	—	—	—	169000	550000	
14.	के० एस० म० वाई० एम० समिति	1112321	3110400	3530000	1237000	500000	
15.	आर० के० इन० ऑफ मौरल एण्ड स्प्रि० एजूकेशन मैसूर	—	445000	405000	—	140000	
16.	भारतीय योग संस्थान, पटना	—	405000	—	—	—	
	कुल	1112321	6701600	6470000	2997000	5998000	176000

चार्ट

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय (केन्द्र)

(करोड़ रुपयों में)

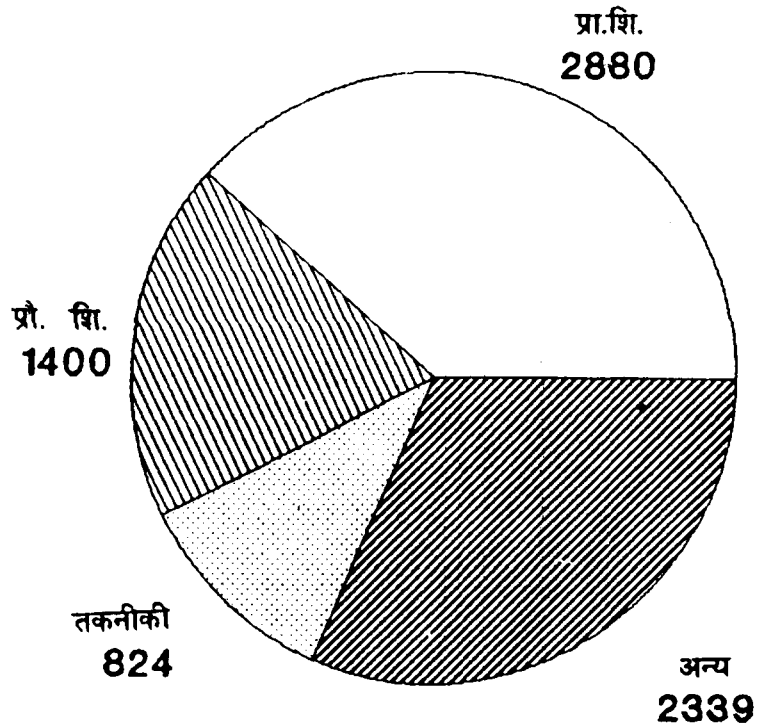

कुल योजनागत परिव्यय – 7443

CMIS

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

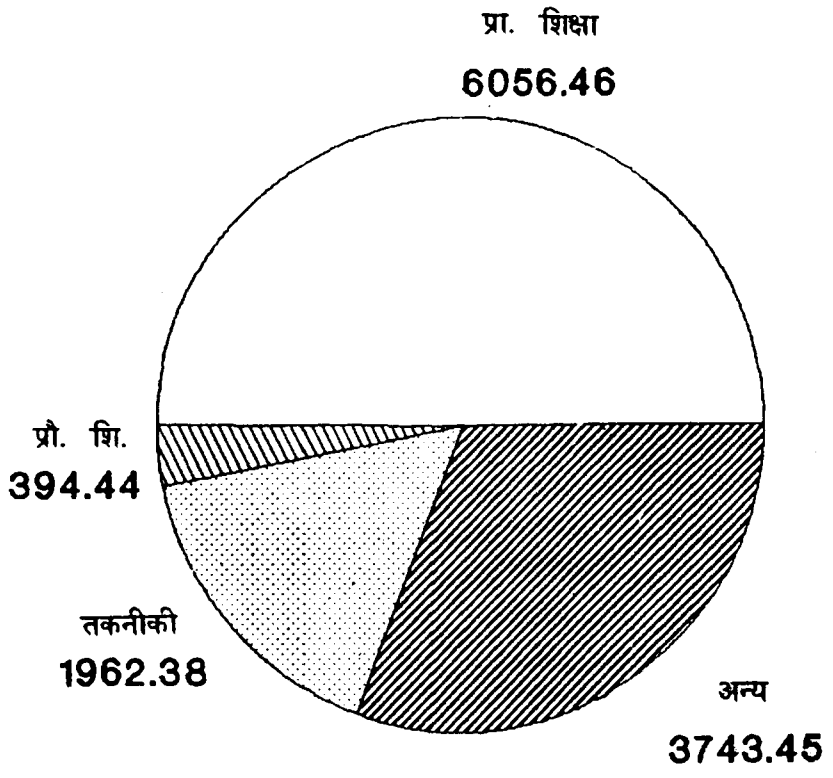

कुल योजनागत परिव्यय – 12156.73

CMIS

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिक्षा पर क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय (केन्द्र+राज्य/संघ शासित क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

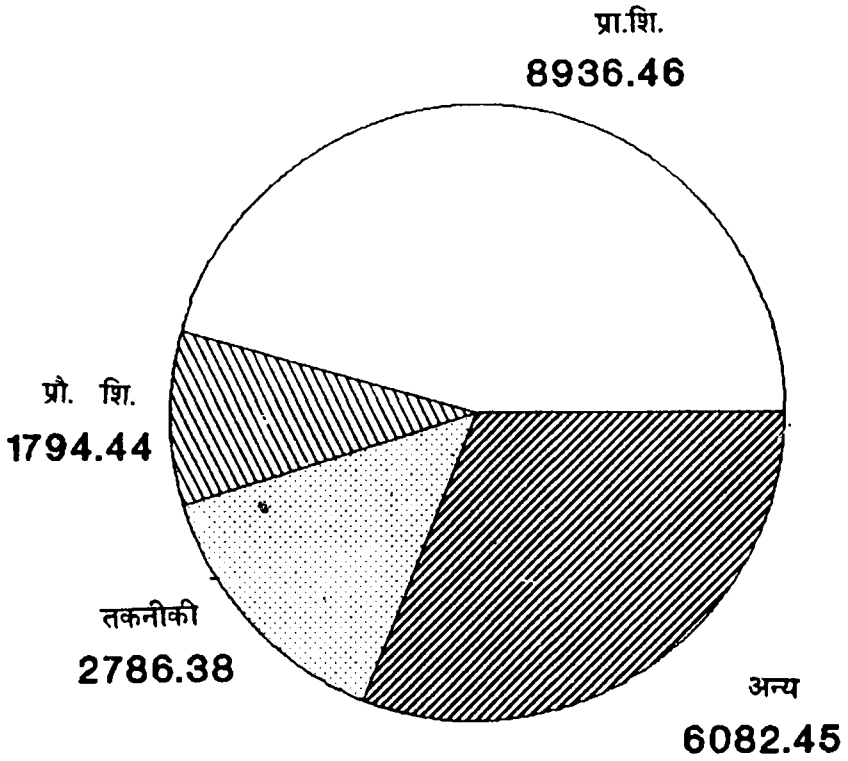

कुल योजनागत परिव्यय – 19599.73

CMIS

क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय- 1994-95

(केन्द्र)

(करोड़ रुपयों में)

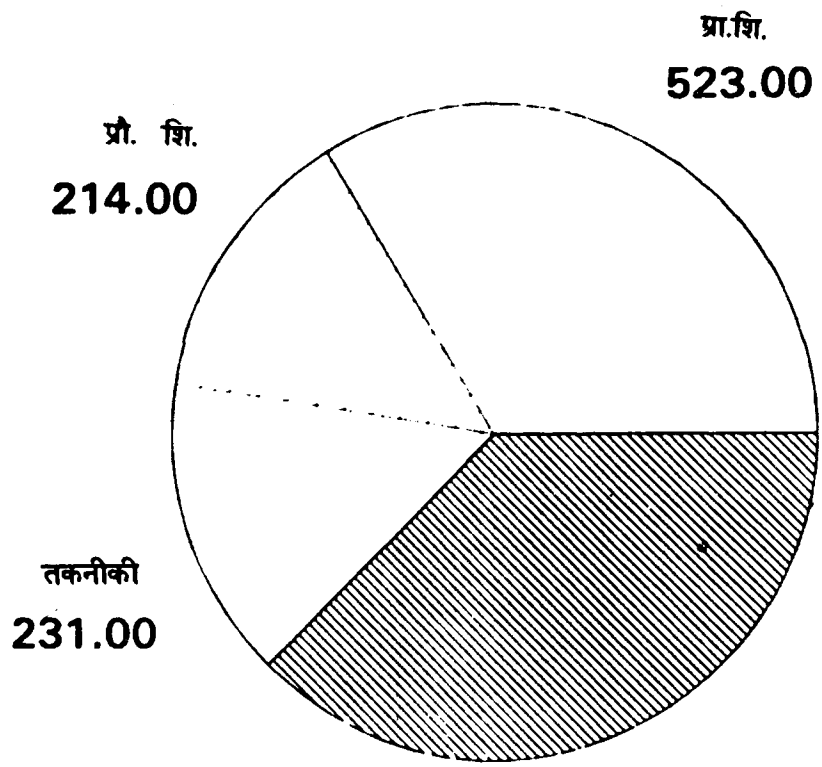

कुल योजनागत परिव्यय - 1549.46

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए शिक्षा पर क्षेत्रवार व्यय

(केन्द्र)

% वितरण

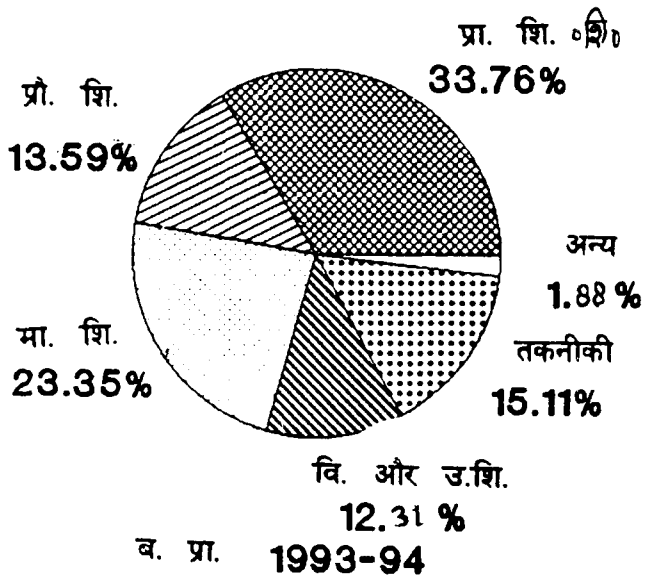

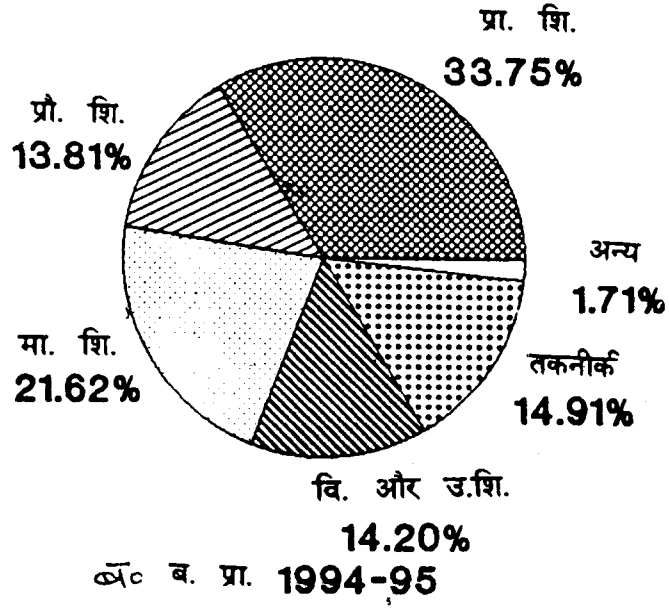

CMIS

वर्ष 1993-94 और 1994-95 में शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजनागत आबंटन

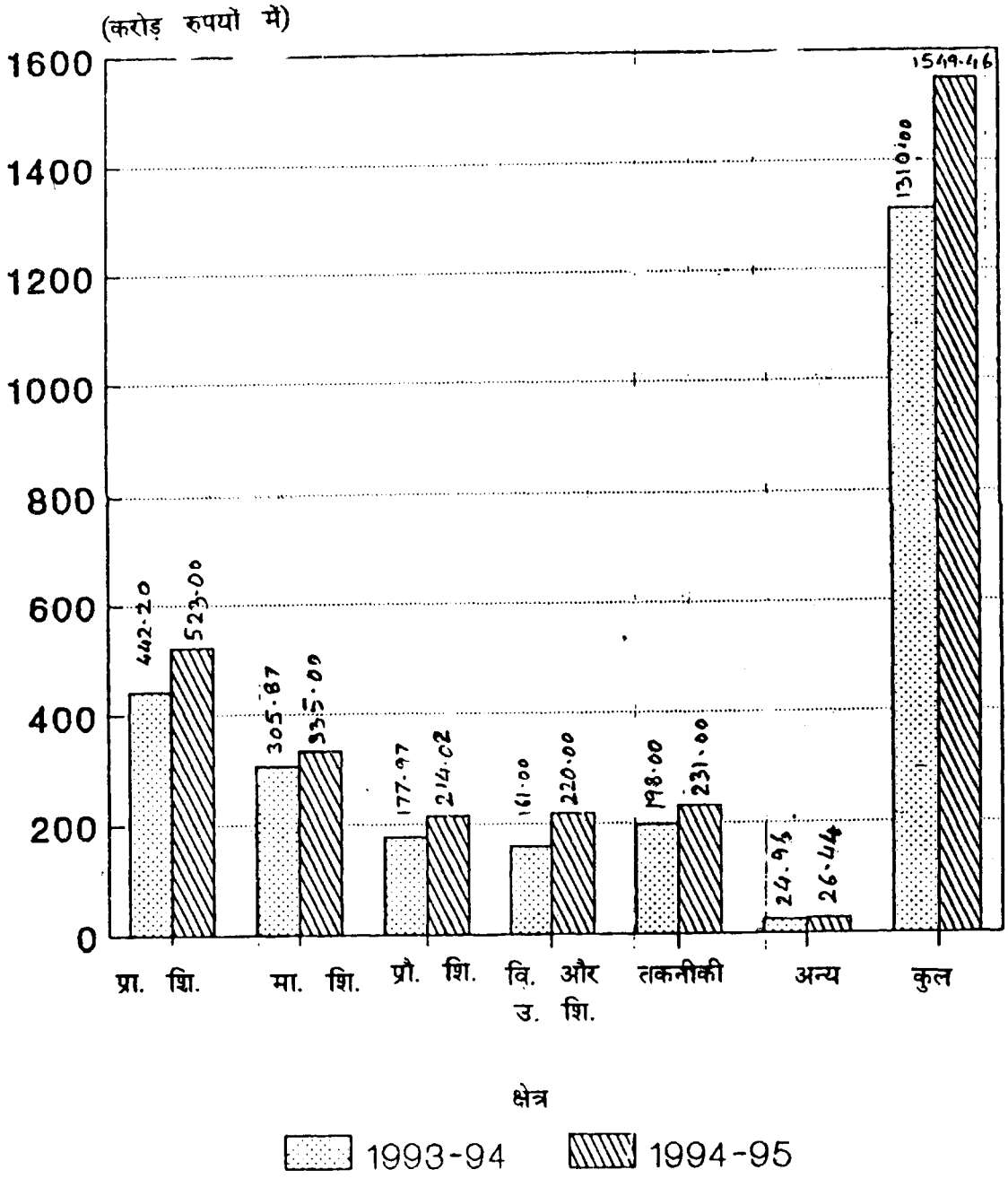

1993-94 की तुलना में 1994-95 में केन्द्रीय योजनागत आबंटन की बढ़ी हुई दर

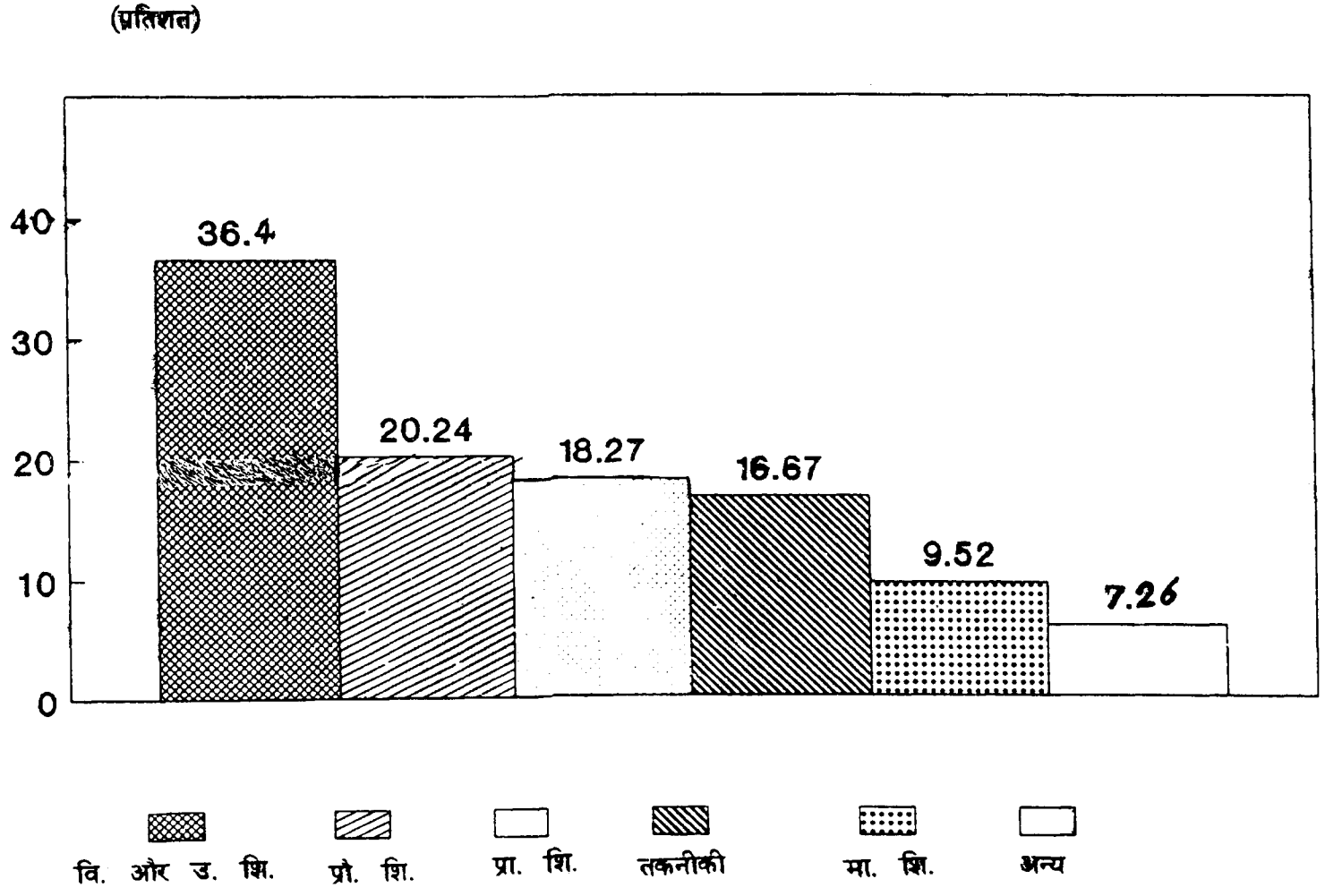

क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय — 1994-95

(राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

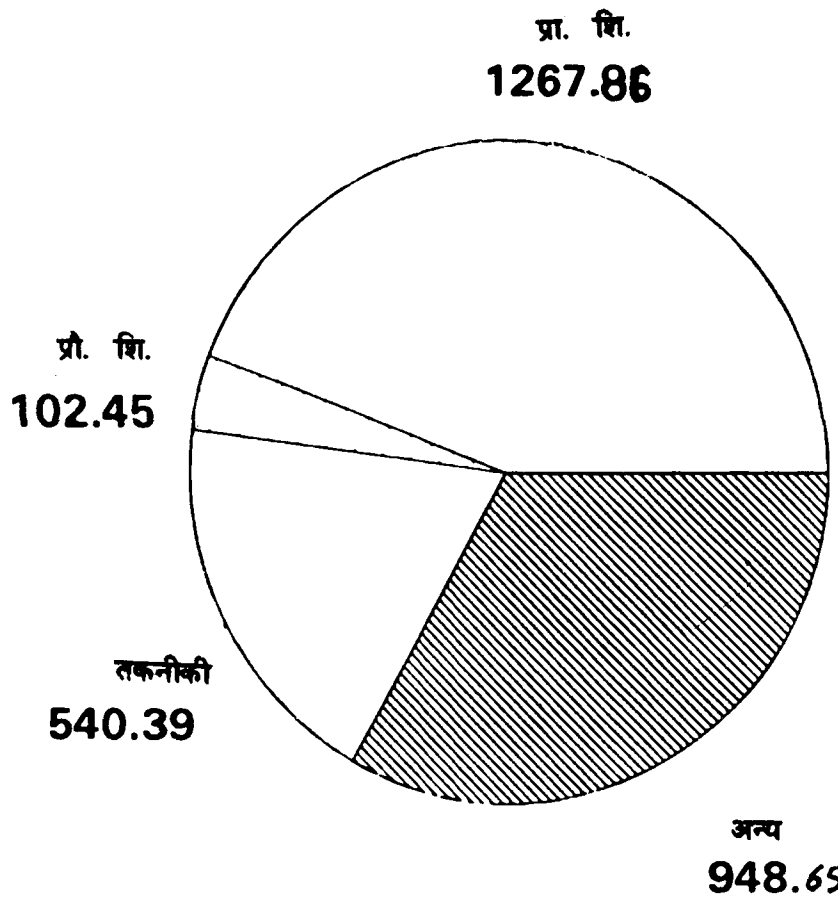

कुल योजनागत परिव्यय - 2859.41

क्षेत्रवार योजनागत परिव्यय — 1994-95

(केन्द्र + राज्य/संघशासित क्षेत्र)

(करोड़ रुपयों में)

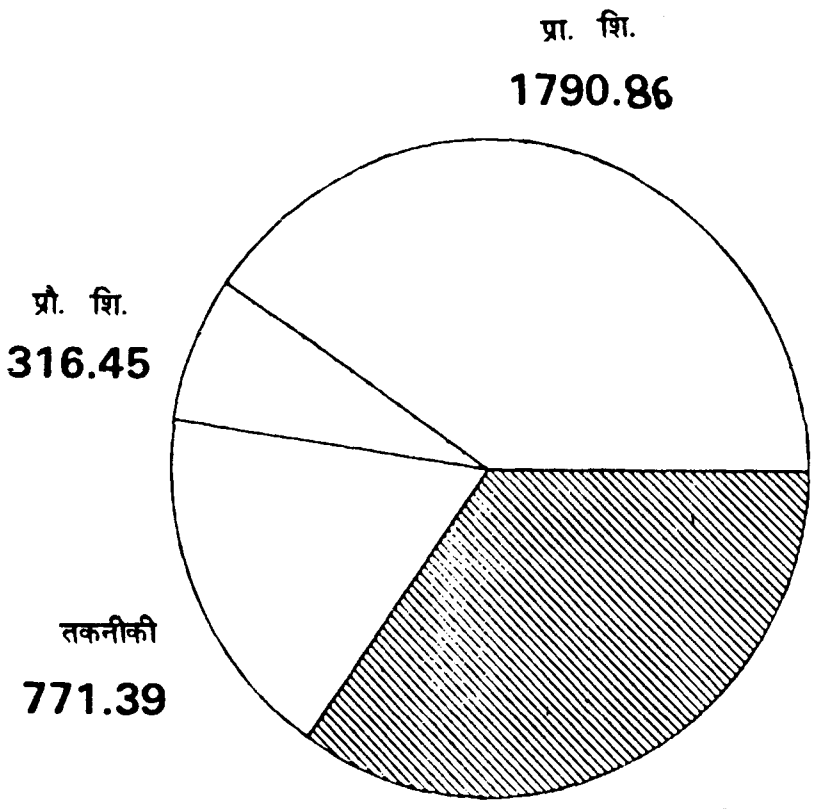

कुल योजनागत परिव्यय - 4408.87

प्रमुख योजनाओं का योजनागत परिव्यय - 1994-95
(केन्द्र)

1961 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि

स्कूल स्तर

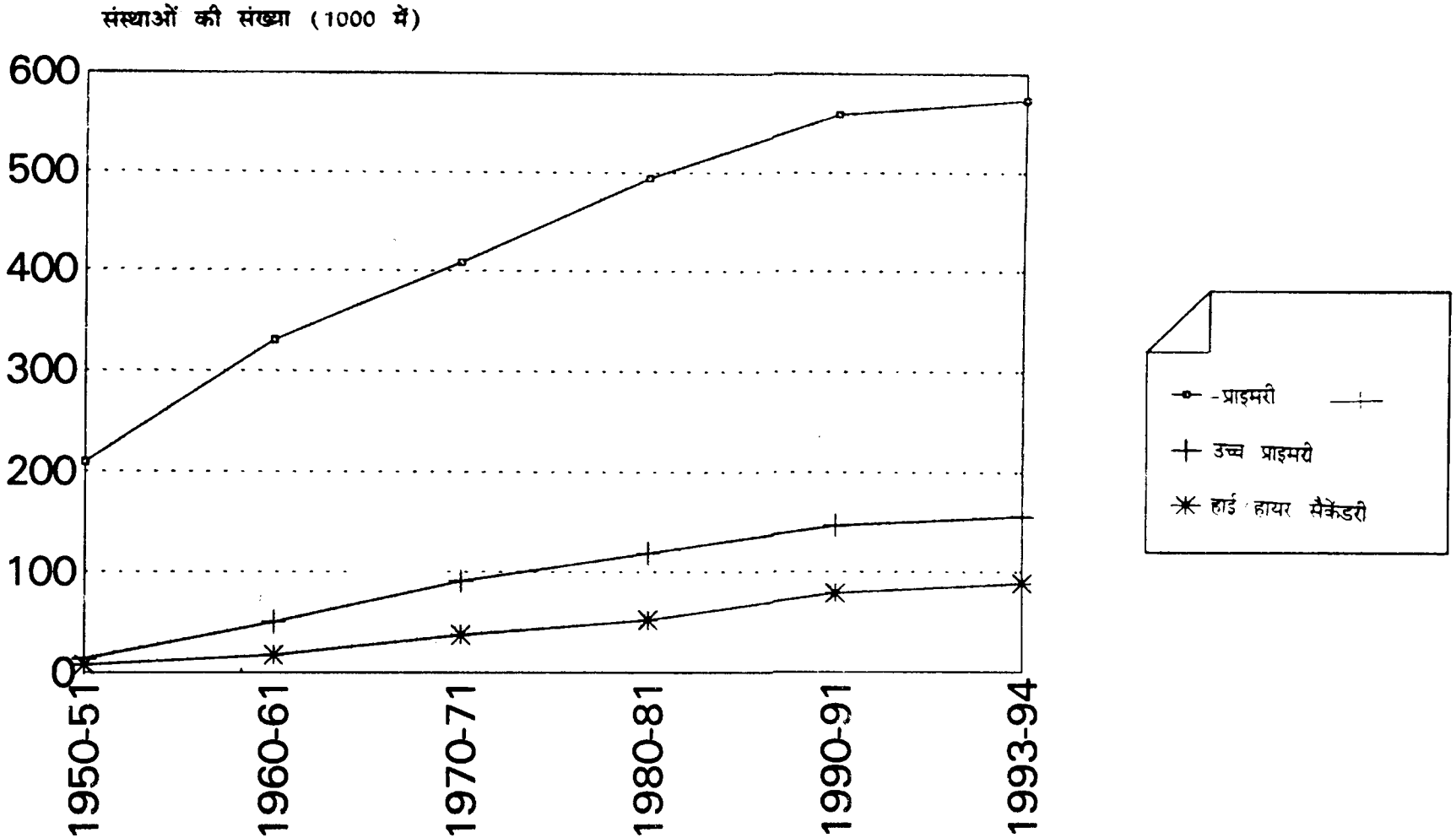

CMIS

1951 से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं की वृद्धि

कालेज स्तर

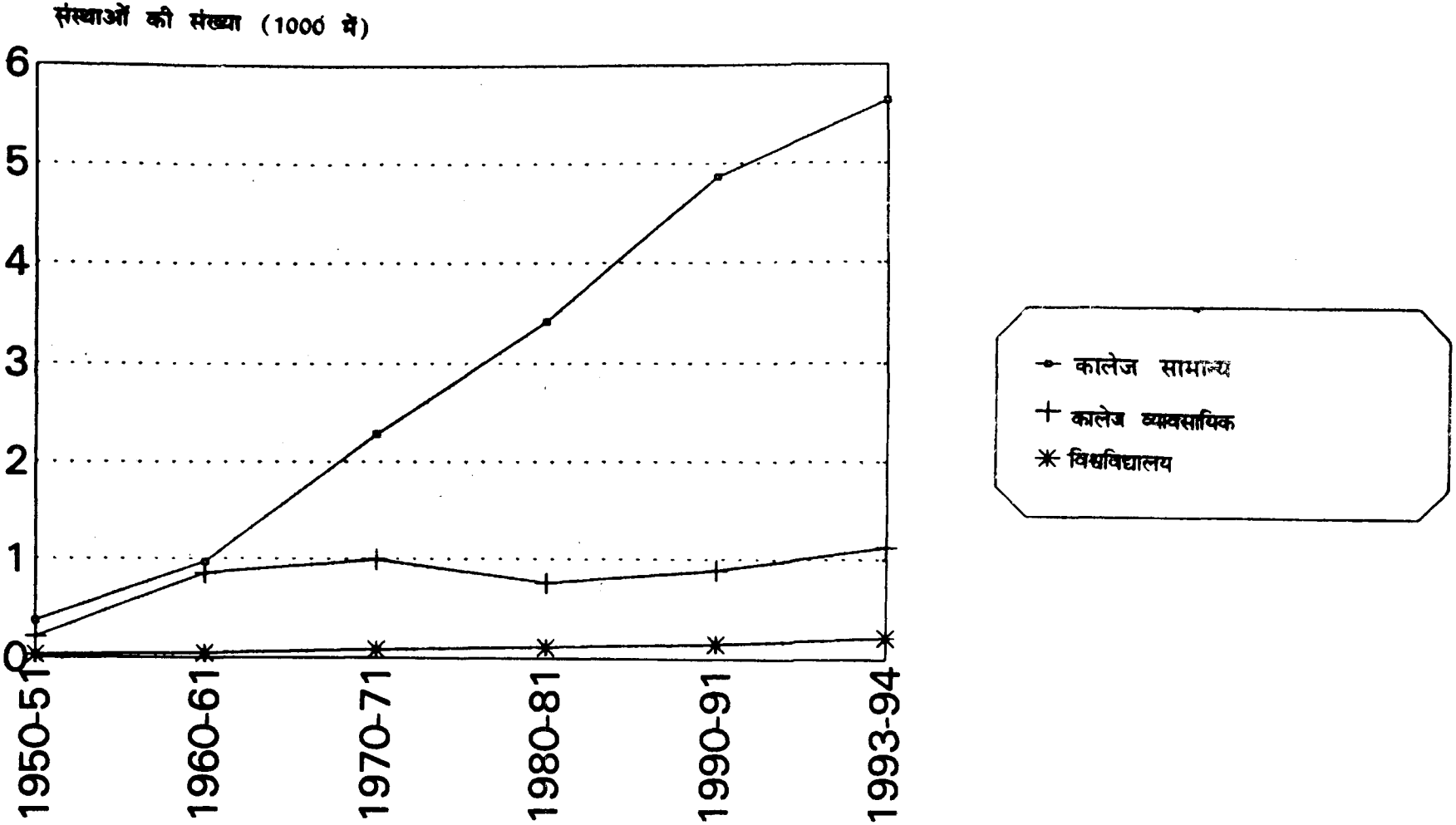

में नामांकन

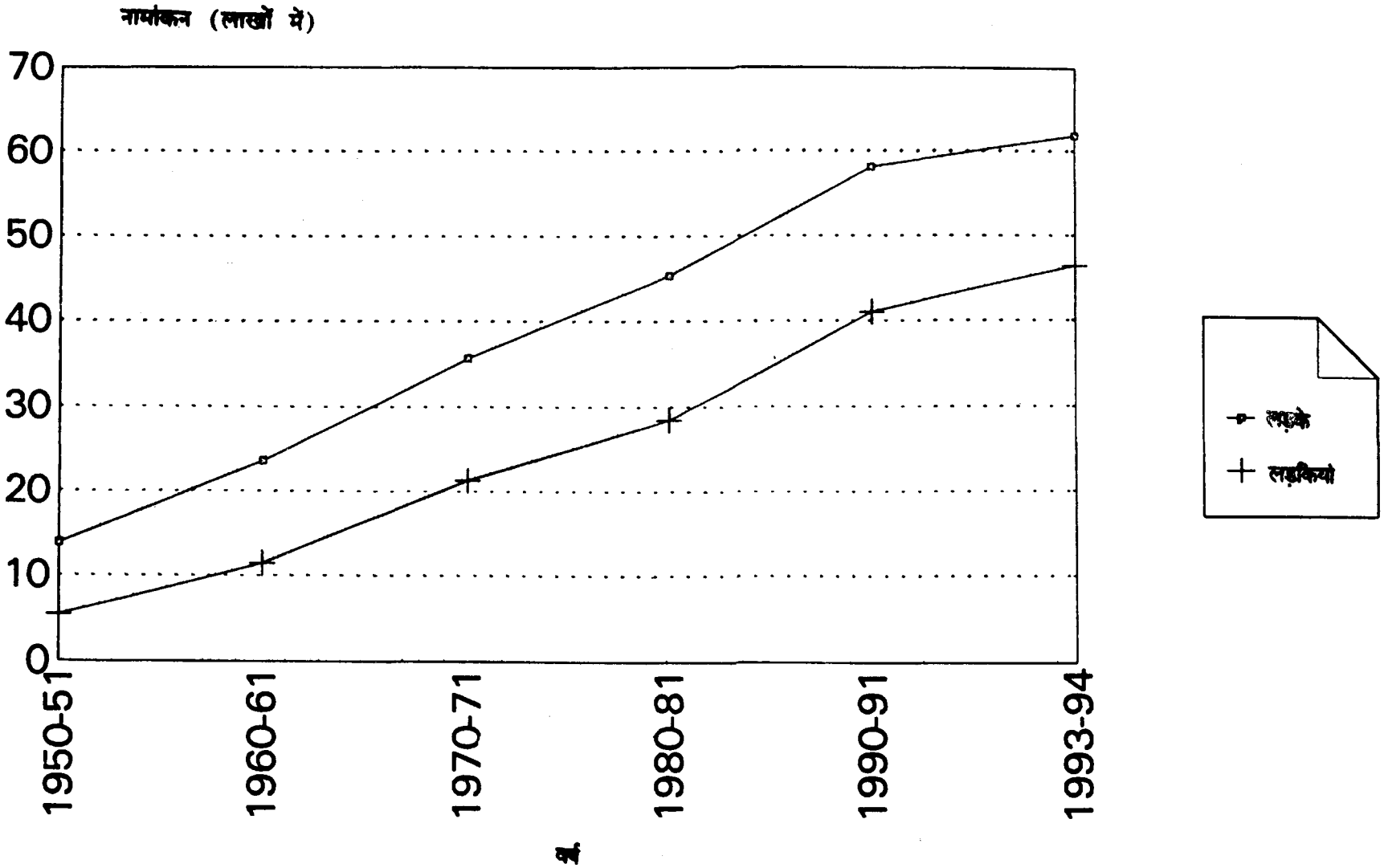
नामांकन (लाखों में)
70
60
50
40
30
20
10
0
1950-51
1960-61
1970-71
1980-81
1990-91
1993-94
वर्ष
लड़के
लड़कियां

मिडिल कक्षाओं में नामांकन
(VI-VIII)

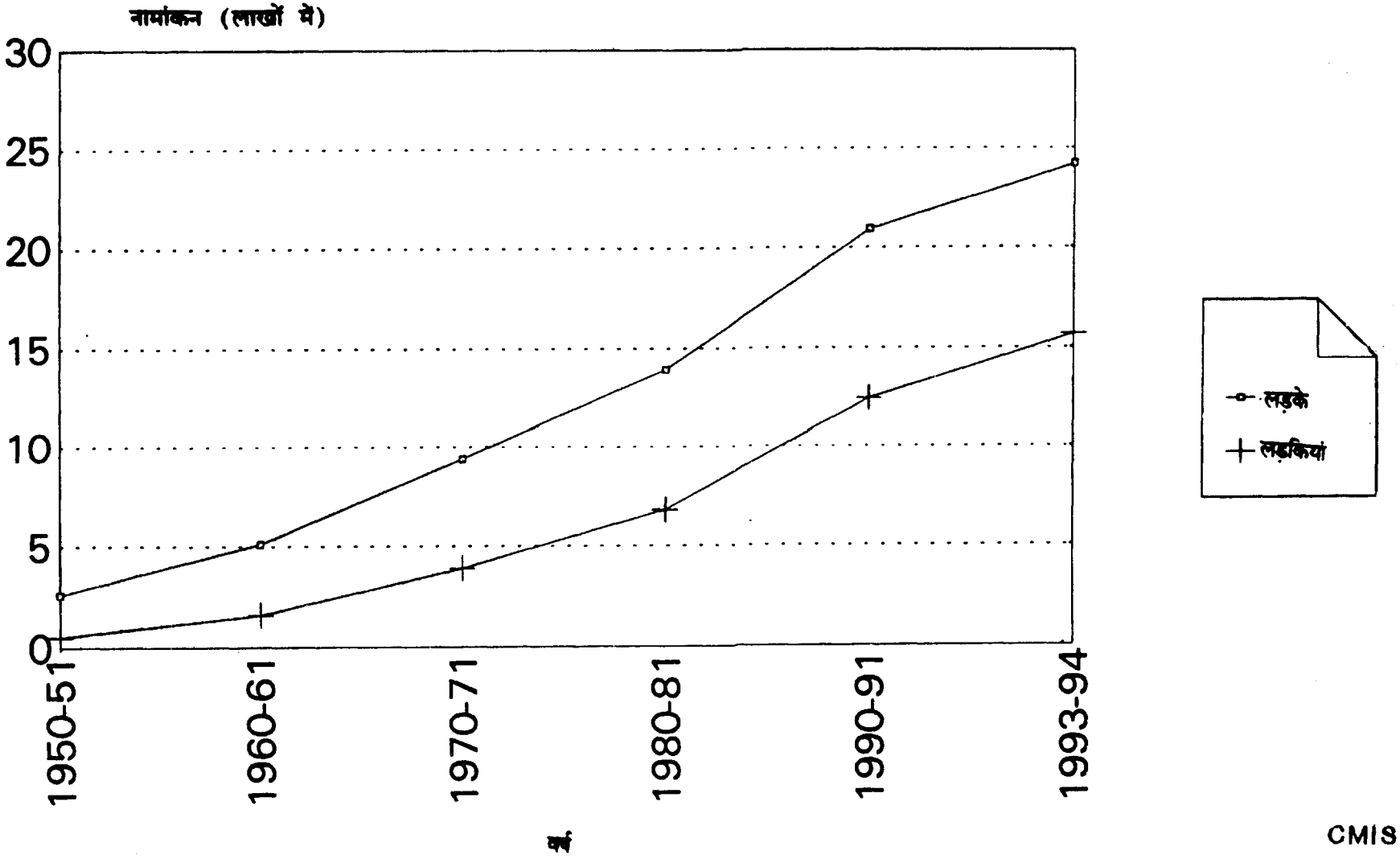

IX से XII तक की कक्षाओं में नामांकन

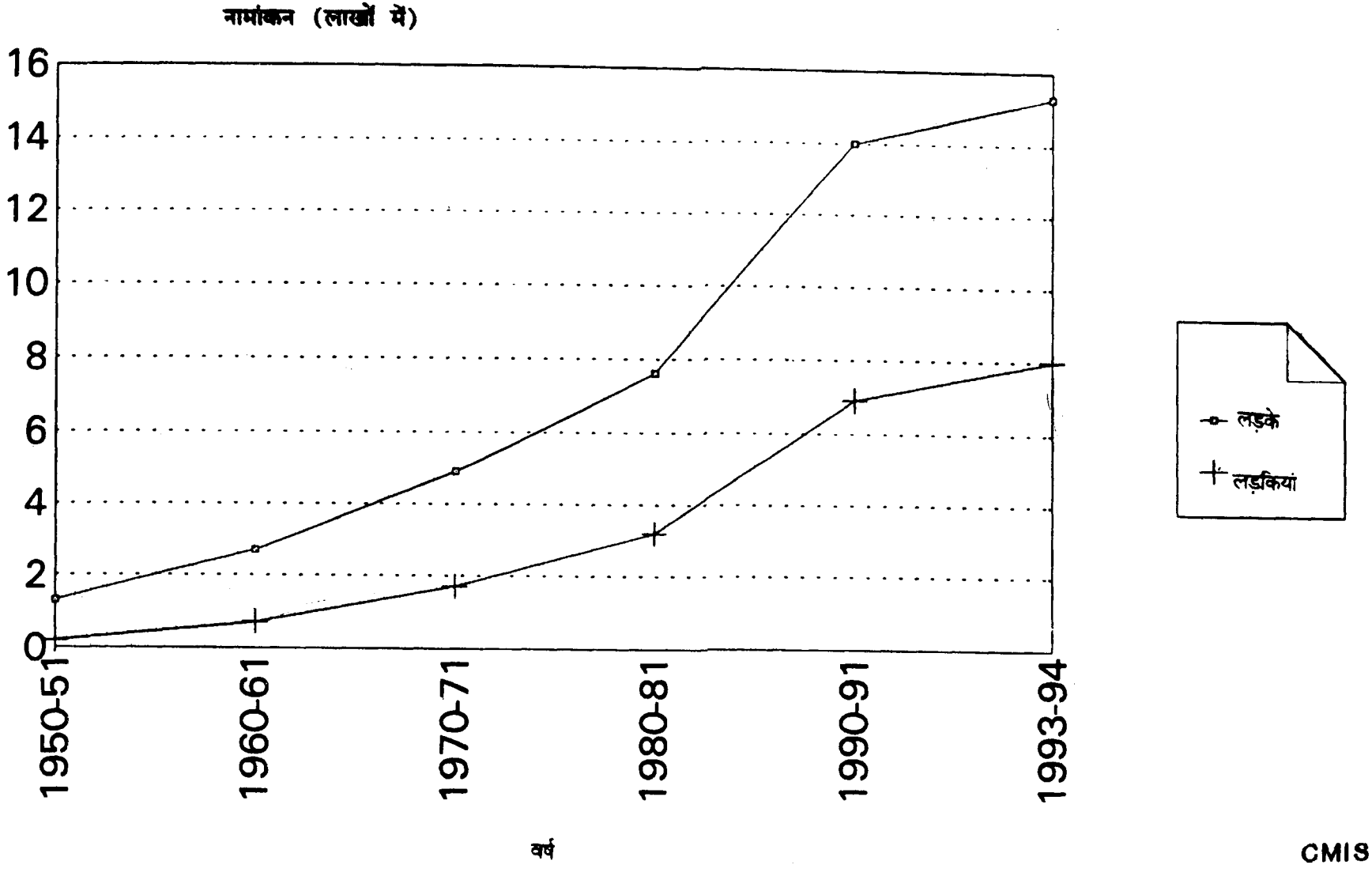

शिक्षकों का संवितरण
प्राइमरी स्कूल

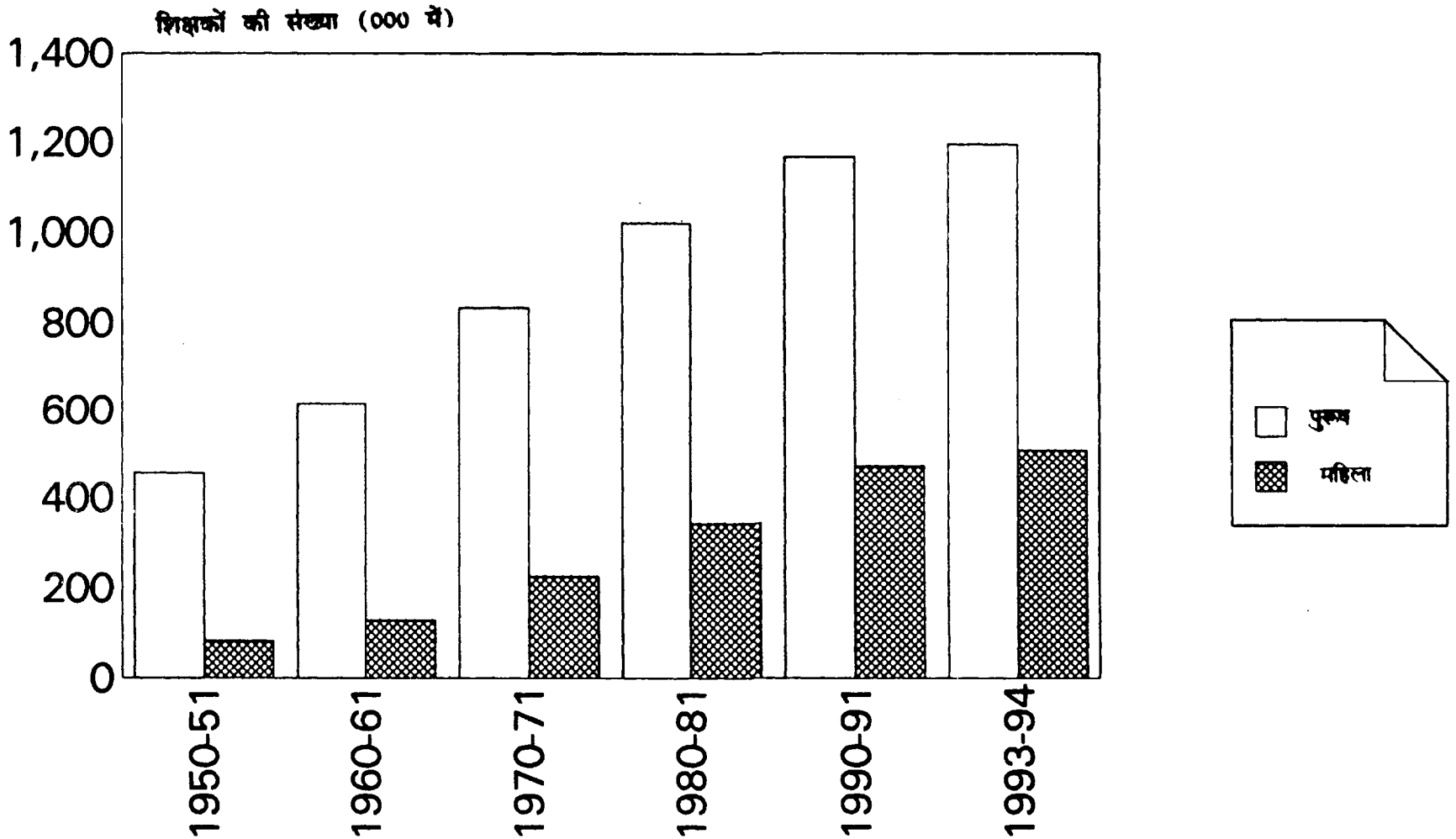

शिक्षकों का सावितरण
मिडिल स्कूल

CMIS

P5—1000 M/o HRD/94

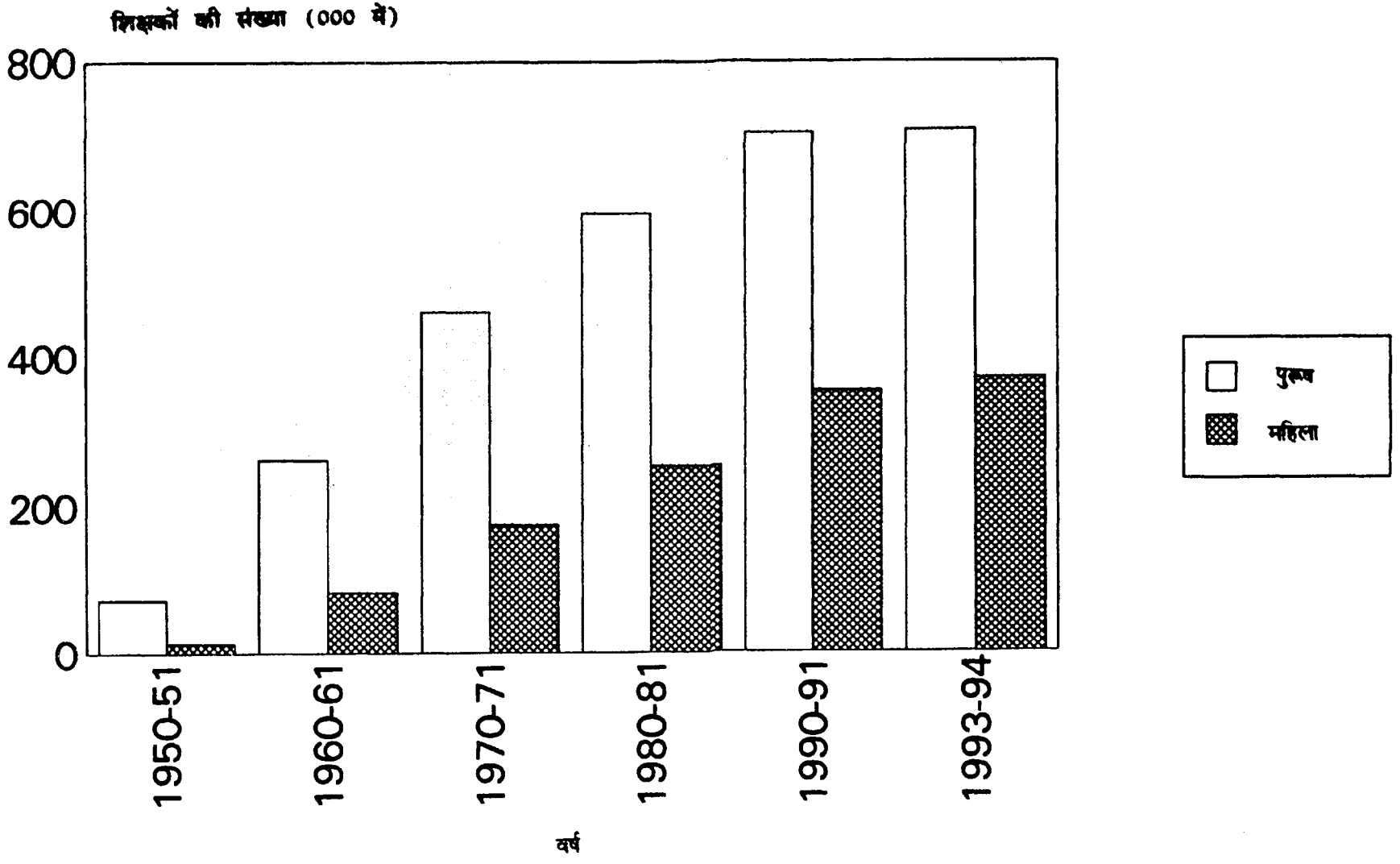

शिक्षकों का संवितरण
हाई/हायर सेकेंडरी स्कूल

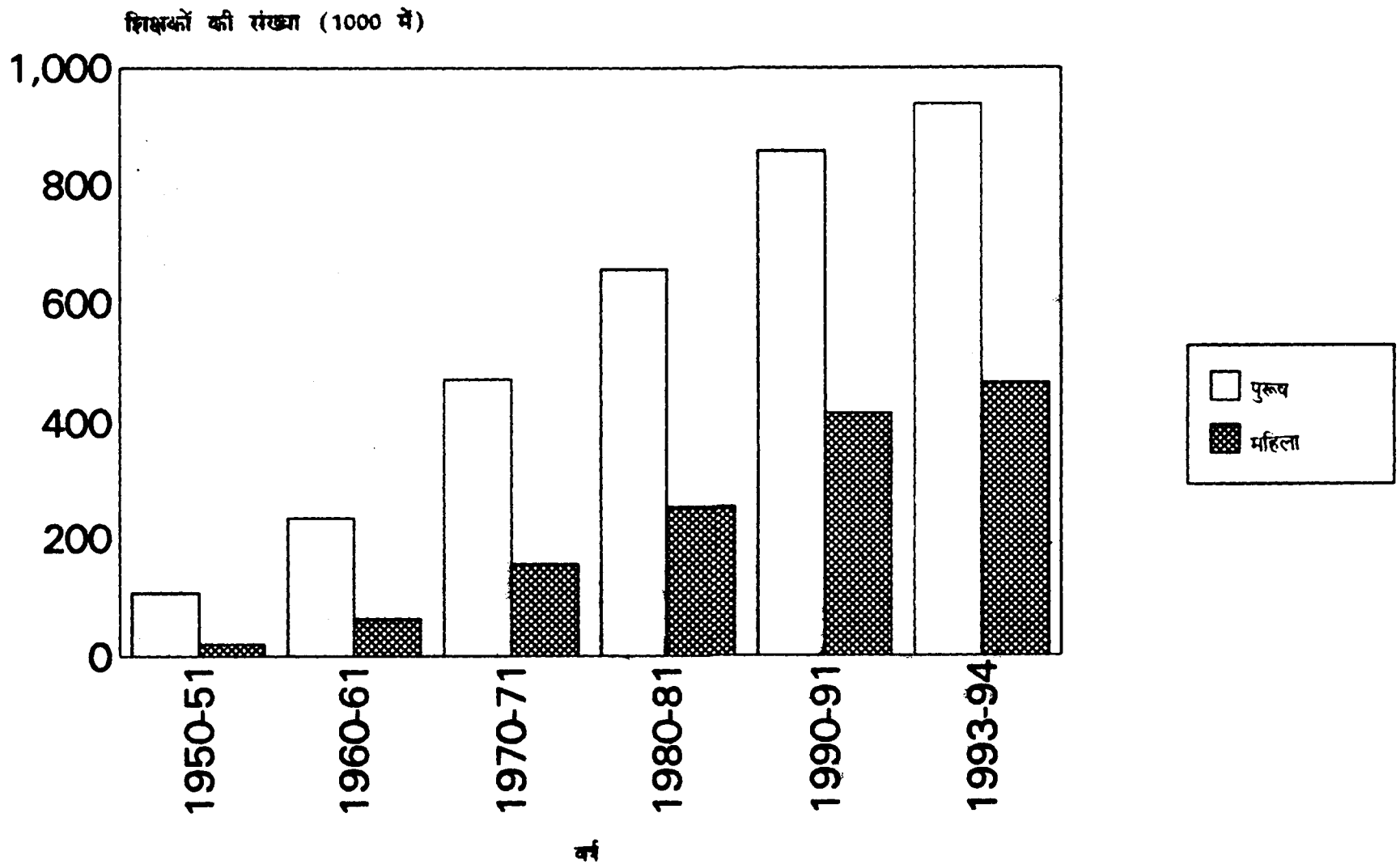

शैक्षिक सांख्यिकी
विवरण

विवरण संख्या 1

क्षेत्र, जिलों की संख्या और खंडों की संख्या और जनसंख्या का घनत्व—1991

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र (वर्ग कि० मी०)	जिलों की संख्या	बसे हुए गांवों की संख्या	1981	घनत्व (जनसंख्या)/ प्रतिवर्ग कि० मी० 1991
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	275045	23	26613	195	242
अरूणाचल प्रदेश	83743	12	3649	8	10
असम	78438	23	21995	230	286
बिहार	173877	50	65566	402	497
गोवा	3702	2	398	272	316
गुजरात	196024	19	18569	174	211
हरियाणा	44212	16	6759	292	372
हिमाचल प्रदेश	55673	12	16997	77	93
जम्मू और कश्मीर	222236	14	6503	59	76
कर्नाटक	191791	20	27024	194	235
केरल	38863	14	1268	655	749
मध्य प्रदेश	443446	45	33065	118	149
महाराष्ट्र	307713	31	40412	204	257
मणिपुर	22327	8	2182	64	82
मेघालय	22429	7	5621	60	79
मिजोरम	21081	3	701	23	33
नागालैण्ड	16579	7	1112	47	73
उड़ीसा	155707	27	46989	169	203
पंजाब	50362	14	12188	333	403
राजस्थान	342239	30	34968	100	129
सिक्किम	7096	4	447	45	57
तमिलनाडु	130058	23	17275	372	429
त्रिपुरा	10486	3	860	196	263
उत्तर प्रदेश	294411	63	112804	377	473
पश्चिम बंगाल	88752	17	38454	615	767
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8249	2	5471	23	34
चण्डीगढ़	114	1	26	3961	5632
दादर व नागर हवेली	491	1	71	211	282
दमन व दीव	112	2	26	705	907
दिल्ली	1483	1	231	4194	6352
लक्षद्वीप	32	1	10	1258	1616
पांडिचेरी	492	1	291	1229	1642
भारत	3287263	496	543583	216	274

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा गैर कानूनी तौर पर अधिकृत क्षेत्र शामिल है।

राजस्व खंड

विवरण संख्या 2

साक्षरता दर-भारत : 1951—1991

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.67	56.50	29.85
1991	52.19	64.13	39.19

टिप्पणी : 1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 की साक्षरता अनुपात पांच वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है। वर्ष 1981 और 1991 का यह अनुपात सात वर्ष और इससे अधिक उम्र वाली जनसंख्या से संबंधित है।

2. वर्ष, 1981 में असम में तथा 1991 में जम्मू एवं कश्मीर में जनगणना की जा सकी।

विवरण संख्या 3

सात वर्ष और इससे अधिक की आयु की जनसंख्या में साक्षरों और निरक्षरों का पुरूष महिला तथा क्षेत्रवार विभाजन 1981—1991

(लाखों में)

	साक्षर			निरक्षर		
वर्ष/क्षेत्र	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1981*						
	234.15	157.08	77.07	302.06	120.96	181.1
सभी क्षेत्र	(43.6)	(56.5)	(29.8)	(56.4)	(43.5)	(70.2
	146.60	103.51	43.09	259.59	104.80	154.7
ग्रामीण क्षेत्र	(36.1)	(49.7)	(21.8)	(63.9)	(50.3)	(78.2
	87.55	53.57	33.98	42.47	16.16	26.3
शहरी क्षेत्र	(67.3)	(76.8)	(56.4)	(32.7)	(23.2)	(43.6
1991**						
	349.76	223.70	126.06	320.41	124.77	195.6
सभी क्षेत्र	(52.2)	(64.2)	(39.2)	(47.8)	(35.8)	(60.8
	218.32	146.38	71.94	271.81	106.69	165.1
ग्रामीण क्षेत्र	(44.5)	(57.8)	(30.3)	(55.5)	(42.2)	(69.7
	131.44	77.32	54.12	48.60	18.08	30.5
शहरी क्षेत्र	(73.1)	(81.0)	(63.9)	(26.9)	(19.0)	(36.1

* इसमें असम शामिल नहीं है जहां 1981 की जनगणना नहीं हुई थी।

** इसमें जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं है, जहां 1991 की जनगणना नहीं हुई थी। 1991 की साक्षरता दरें और अशिक्षित की संख्या 7 वर्ष और उससे अधि आयु की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित है।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सम्बन्धित जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाते है।

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991-1991 का पेपर 2 (पृ० 51)

विवरण संख्या 4

सात वर्ष और इससे ऊपर की आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशतता 1981 और 1991

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 साक्षरतादर			1991 साक्षरतादर		
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
आंध्र प्रदेश	35.66	46.83	24.16	44.09	55.13	32.72
अरुणाचल प्रदेश	25.55	35.12	14.02	41.59	51.45	29.6
असम	0.00	0.00	0.00	52.89	61.87	43.03
बिहार	32.05	46.60	16.52	38.48	52.49	22.89
गोवा	65.71	76.01	55.17	75.51	83.64	67.09
गुजरात	52.21	65.14	38.46	61.29	73.13	48.64
हरियाणा	43.88	58.51	26.93	55.85	69.10	40.47
हिमाचल प्रदेश	51.18	64.27	37.72	63.86	75.36	52.17
जम्मू और कश्मीर	32.68	44.18	19.55	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	46.21	58.73	33.17	56.04	67.26	44.34
केरल	81.56	87.73	75.65	89.81	93.62	86.13
मध्य प्रदेश	34.23	48.42	19.00	44.20	58.42	28.85
महाराष्ट्र	55.83	69.65	41.01	64.87	76.56	52.32
मणिपुर	49.66	64.15	34.67	59.89	71.63	47.60
मेघालय	42.05	46.65	37.17	49.10	53.12	44.85
मिजोरम	74.26	79.36	68.61	82.27	85.61	78.60
नागालैण्ड	50.28	58.58	40.39	61.65	67.62	54.75
उड़ीसा	40.97	56.45	25.14	49.09	63.09	34.68
पंजाब	48.17	55.56	39.70	58.51	65.66	50.41
राजस्थान	30.11	44.77	14.00	38.55	54.99	20.44
सिक्किम	41.59	53.00	27.38	56.94	65.74	46.69
तमिलनाडु	54.39	68.05	40.43	62.66	73.75	51.33
त्रिपुरा	50.11	61.49	38.01	60.44	70.58	49.65
उत्तर प्रदेश	33.35	47.45	17.19	41.60	55.73	25.31
पश्चिम बंगाल	48.65	59.93	36.07	57.70	67.81	46.56
अ० व नि० द्वीप समूह	63.19	70.29	53.19	73.02	78.99	65.46
चंडीगढ़	74.81	78.89	69.31	77.81	82.04	72.34
दादर व नागर हवेली	32.70	44.64	20.37	40.71	53.56	26.98
दमन व दीव	59.91	74.47	46.50	71.20	82.66	59.40
दिल्ली	71.94	79.28	62.60	75.29	82.01	66.99
लक्षद्वीप	68.42	81.24	55.32	81.78	90.18	72.89
पुण्डिचेरी	65.14	77.09	53.03	74.74	83.68	65.63
भारत	43.67	56.50	29.85	52.21	64.13	39.19

असम में वर्ष 1981 और जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं हुई।

स्रोत : भारत की जनगणना, जनसंख्या का अन्तिम योग (1992 का पेपर-2)

विवरण संख्या 5

व्यक्तियों, पुरुषों महिलाओं के बीच साक्षरता दर सम्बन्धी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम : 1991

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरतादर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पुरूष साक्षरता दर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	महिला साक्षरता दर
केरल	89.81	केरल	93.62	केरल	86.13
मिजोरम	82.27	लक्षद्वीप	90.18	मिजोरम	78.60
लक्षद्वीप	81.78	मिजोरम	85.61	लक्षद्वीप	72.89
चण्डीगढ़	77.81	पांडिचेरी	83.68	चण्डीगढ़	72.34
गोवा	75.51	गोवा	83.64	गोवा	67.09
दिल्ली	75.29	दमन और दीव	82.66	दिल्ली	66.99
पांडिचेरी	74.74	चण्डीगढ़	82.04	पांडिचेरी	65.63
अ० और नि० द्वीप समूह	73.02	दिल्ली	82.01	अ० और नि० द्वीप समूह	65.46
दमन और दीव	71.20	अण्डमान और नि०	78.99	दमन और दीव	59.40
महाराष्ट्र	64.87	महाराष्ट्र	76.56	नागालैण्ड	54.75
हिमाचल प्रदेश	63.86	हिमाचल प्रदेश	75.36	महाराष्ट्र	52.32
तमिलनाडु	62.66	तमिलनाडु	73.75	हिमाचल प्रदेश	52.17
नागालैण्ड	61.65	गुजरात	73.13	तमिलनाडु	51.33
गुजरात	61.29	मणिपुर	71.63	पंजाब	50.41
त्रिपुरा	60.44	त्रिपुरा	70.58	त्रिपुरा	49.65
मणिपुर	59.89	हरियाणा	69.10	गुजरात	8.64
पंजाब	58.51	पश्चिम बंगाल	67.81	मणिपुर	47.60
पश्चिम बंगाल	57.70	नागालैण्ड	67.62	सिक्किम	46.69
सिक्किम	56.94	कर्नाटक	67.26	पश्चिम बंगाल	46.56
कर्नाटक	56.04	सिक्किम	65.74	मेघालय	44.85
हरियाणा	55.85	पंजाब	65.66	कर्नाटक	44.34
असम	52.89	भारत	64.20	असम	43.03
भारत	52.19	उड़ीसा	63.09	हरियाणा	40.47
मेघालय	49.10	असम	61.87	भारत	39.19
उड़ीसा	49.09	मध्य प्रदेश	58.42	उड़ीसा	34.68
मध्य प्रदेश	44.20	उत्तर प्रदेश	55.73	आन्ध्र प्रदेश	32.72
आन्ध्र प्रदेश	44.09	आन्ध्र प्रदेश	55.13	अरुणाचल प्रदेश	29.69
उत्तर प्रदेश	41.60	राजस्थान	54.99	मध्य प्रदेश	28.85
अरुणाचल प्रदेश	41.59	दादर और न० हवेली	53.56	दादर और ना० ह०	26.98
दादर और ना० ह०	40.71	मेघालय	53.12	उत्तर प्रदेश	25.31
राजस्थान	38.55	बिहार	52.49	बिहार	22.89
बिहार	38.48	अरुणाचल प्रदेश	51.45	राजस्थान	20.44

विवरण संख्या 6

साक्षरतादर—1991

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सामान्य			अनुसूचित जातियां			अनुसूचित जनजातियां		
	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
आन्ध्र प्रदेश	44.09	55.13	32.72	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
अरुणाचल प्रदेश	41.59	51.45	29.69	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
असम	52.89	61.87	43.03	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
बिहार	38.48	52.49	22.89	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
गोवा	75.51	83.64	67.09	58.73	69.55	47.51	42.91	54.43	29.01
गुजरात	61.29	73.13	48.64	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
हरियाणा	55.85	69.10	40.47	39.22	52.06	24.15	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	63.86	75.36	52.17	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	56.04	67.26	44.34	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	23.57
केरल	89.81	93.62	86.13	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
मध्य प्रदेश	44.20	58.42	28.85	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
महाराष्ट्र	64.87	76.56	52.32	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24.03
मणिपुर	59.89	71.63	47.60	56.44	65.28	47.41	53.63	62.39	44.48
मेघालय	49.10	53.12	44.85	44.27	54.56	31.19	46.71	49.78	43.63
मिजोरम	82.27	85.61	78.60	77.92	77.54	81.25	82.71	86.66	78.70
नागालैण्ड	61.65	67.62	54.75	—	—	—	60.59	66.27	54.51
उड़ीसा	49.09	63.09	34.68	36.78	52.42	20.74	22.31	34.44	10.21
पंजाब	58.51	65.66	50.41	41.09	49.82	31.03	—	—	—
राजस्थान	38.55	44.99	20.44	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
सिक्किम	56.94	65.74	46.69	51.03	58.69	42.77	59.01	66.80	50.37
तमिलनाडु	62.66	73.75	51.33	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
त्रिपुरा	60.44	70.58	49.65	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
उत्तर प्रदेश	41.60	55.73	25.31	26.85	40.80	10.69	35.70	49.95	19.86
पश्चिम बंगाल	57.70	67.81	46.56	42.21	54.55	28.87	27.28	40.07	14.98
अ० व नि० द्वीप समूह	73.02	78.99	65.46	—	—	—	56.62	64.16	48.74
चण्डीगढ़	77.81	82.04	72.34	55.44	64.74	43.54	—	—	—
दादर और नगर हवेली	40.71	53.56	29.98	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15.94
दमन व द्वीव	71.20	82.66	59.40	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	11.49
दिल्ली	75.29	82.01	66.99	57.60	68.77	43.82	—	—	—
लक्षद्वीप	81.78	90.18	72.89	—	—	—	80.58	89.50	71.72
पुदुचेरी	74.74	83.68	65.63	56.26	66.10	46.28	—	—	—
भारत	52.21	64.13	39.19	37.41	49.91	23.76	29.60	40.65	18.19

स्रोत : भारत की जनगणना 1991 जनसंख्या का योग (1992 का पेपर2)
जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हुई थी।

-1000 M/o HRD/94

विवरण संख्या 7

अ० जा० की साक्षरता दर का अवरोही क्रम 1991 जनगणना

राज्य/संघराज्य क्षेत्र	अनुसूचित जातियों की साक्षरता दरें
1. केरल	79.66
2. दमन और दीव	79.18
3. मिजोरम	77.92
4. दादर और नागर हवेली	77.64
5. गुजरात	61.07
6. गोवा	58.73
7. दिल्ली	57.60
8. अरुणाचल प्रदेश	57.27
9. त्रिपुरा	56.66
10. महाराष्ट्र	56.46
11. मणिपुर	56.44
12. पांडिचेरी	56.26
13. चण्डीगढ़	55.44
14. असम	53.94
15. हिमाचल प्रदेश	53.20
16. सिक्किम	51.03
17. तमिलनाडु	46.74
18. मेघालय	44.27
19. पश्चिम बंगाल	42.21
20. पंजाब	41.09
21. हरियाणा	39.22
22. कर्नाटक	38.06
23. उड़ीसा	36.78
24. मध्य प्रदेश	35.08
25. आन्ध्र प्रदेश	31.59
26. उत्तर प्रदेश	26.85
27. राजस्थान	26.29
28. बिहार	19.49
29. जम्मू और कश्मीर(a)	—
30. नागालैण्ड*	—
31. अण्डमान और नि०	—
32. लक्षद्वीप*	—
भारत	37.41

* अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं है।

(a) जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं है।

विवरण संख्या 8

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर का अवरोही दर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता दर
1. मिजोरम	82.71
2. लक्षद्वीप	80.58
3. नागालैण्ड	60.59
4. सिक्किम	59.01
5. केरल	57.22
6. अ० और नि० द्वीप समूह	56.62
7. मणिपुर	53.63
8. दमन और दीव	52.91
9. असम	49.16
10. हिमाचल प्रदेश	47.09
11. मेघालय	46.71
12. गोवा	42.91
13. त्रिपुरा	40.37
14. महाराष्ट्र	36.79
15. गुजरात	36.45
16. कर्नाटक	36.01
17. उत्तर प्रदेश	35.70
18. अरुणाचल प्रदेश	34.45
19. दादर और नागर हवेली	28.21
20. तमिलनाडु	27.89
21. पश्चिम बंगाल	27.28
22. बिहार	26.78
23. उड़ीसा	22.31
24. मध्य प्रदेश	21.54
25. राजस्थान	19.44
26. आन्ध्र प्रदेश	17.16
27. हरियाणा*	—
28. पंजाब*	—
29. चण्डीगढ़*	—
30. दिल्ली*	—
31. पांडिचेरी*	—
32. जम्मू और कश्मीर(a)	—
भारत	29.60

* अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है।

(a) जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं की जा सकी।

विवरण संख्या 9

वर्ष 1951 के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था की वृद्धि

वर्ष	प्राथमिक	अपर प्राथमिक	हाई/हायर सेके० स्कूल इंटर मी० प्रि०-डिग्री कालेज	सामान्य शिक्षा जूनियर कालेज	व्यावसायिक शिक्षा कालेज	विश्वविद्यालय
1950-51	209671	13596	7416	370	208	27
1955-56	278135	21730	10838	466	218	31
1960-61	330399	49663	17329	967	852	45
1965-66	391064	75798	27614	1536	770	64
1970-71	408378	90621	37051	2285	992	82
1975-76	454270	106571	43054	3667	3276**	101
1980-81	494503	118555	51573	3421	3542**	110
1985-86	528872	134846	65837	4067	1533**	126
1990-91	560935	151456	79796	4862	886	184@
1991-92*	565786	152077	81747	5058	950	196@
1992-93*	572541	153921	84086	5334	989	207@
1993-94**	572923	155707	88411	5639	1125	213@

* अनन्तिम

** उत्तर मैट्रिक पाठ्यक्रमों के संस्थानों को शामिल किया गया है।

@ राष्ट्रीय महत्व के सम विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को शामिल किया गया है।

विवरण संख्या 10

वर्ष 1951 से स्कूल स्तर पर स्तरों/कक्षाओं में लिंगवार दाखिला

(लाखों में)

वर्ष	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई/हायर सैकेण्डरी		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950-51	13.8	5.4	19.2	2.6	0.5	3.1	1.3	0.2	1.5
1955-56	17.1	7.5	24.6	3.8	1.0	4.8	2.2	0.4	2.6
1960-61	23.6	11.4	35.0	5.1	1.6	6.7	2.7	0.7	3.4
1965-66	32.2	18.3	50.5	7.7	2.8	10.5	4.4	1.3	5.7
1970-71	35.7	21.3	57.0	9.4	3.9	13.3	5.7	1.9	7.6
1975-76	40.6	25.0	65.6	11.0	5.0	16.0	6.5	2.4	8.9
1980-81	45.3	28.5	73.8	13.9	6.8	20.7	7.6	3.4	11.0
1985-86	52.2	35.2	87.4	17.7	9.6	27.3	11.5	5.0	16.5
1990-91	57.0	40.4	97.4	21.5	12.5	34.0	12.8	6.3	19.1
1991-92*	59.2	42.4	101.6	21.4	13.0	34.4	14.2	7.0	21.2
1992-93*	60.5	44.9	105.4	23.7	15.0	38.7	15.0	7.7	22.7
1993-94*	61.8	46.4	108.2	24.2	15.7	39.9	15.3	8.0	23.3

*अस्थायी

विवरण संख्या 11

स्कूल के प्रकार के अनुसार वर्ष 1951 शिक्षकों का वितरण

(हजारों में)

वर्ष	प्राइमरी			अपर प्राइमरी			हाई/हायर सैकेण्डरी		
	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग
1950-51	456	82	538	73	13	86	107	20	12
1955-56	574	117	691	132	19	151	155	35	19
1960-61	615	127	742	262	83	345	234	62	29
1965-66	764	180	944	389	139	528	368	111	47
1970-71	835	225	1060	463	175	638	474	155	62
1975-76	965	283	1248	554	224	778	559	200	75
1980-81	1021	342	1363	598	253	851	669	257	92
1985-86	1094	402	1496	663	305	968	793	339	113
1990-91	1143	473	1616	717	356	1073	917	417	133
1991-92*	1194	499	1693	718	354	1072	880	430	131
1992-93*	1189	493	1682	736	346	1082	908	445	135
1993-94*	1196	507	1703	710	370	1080	938	467	140

*अस्थायी

विवरण संख्या 12

भारत में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (1993-94) की कुल संख्या

सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राइमरी	मिडिल	हा० स्कूल/ हा० सैक० इण्टरमीडिएट/ प्रि०-डिग्री/ जूनियर कालेज	सामान्य कालेज	व्यावसायिक शिक्षा (a)	विश्वविद्यालय
1.	आन्ध्र प्रदेश	49247	6341	8696	403	88	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	1205	277	140	4	0	1
3.	असम	28876	6729	3637	231	21	5
4.	बिहार	53029	13330	4166	557	61	18
5.	गोवा	1024	117	400	19	4	1
6.	गुजरात	14228	18345	5567	285	72	11
7.	हरियाणा	5659	1425	2639	148	26	4
8.	हिमाचल प्रदेश	7548	1067	1154	45	9	3
9.	जम्मू व कश्मीर	9784	2669	1278	32	7	3
10.	कर्नाटक	23600	16756	5954	617	133	12
11.	केरल	6702	2919	2606	172	32	6
12.	मध्य प्रदेश	68949	15145	4558	448	39	15
13.	महाराष्ट्र	40142	19685	12538	749	327	21
14.	मणिपुर	3076	653	518	29	3	2
15.	मेघालय	4175	725	371	23	1	1
16.	मिजोरम	1082	609	294	16	1	0
17.	नागालैण्ड	1409	418	242	16	1	0
18.	उड़ीसा	41604	11866	5346	433	29	5
19.	पंजाब	12486	1430	2864	177	31	4
20.	राजस्थान	32878	9567	4424	171	50	10
21.	सिक्किम	531	118	86	1	0	0
22.	तमिलनाडु	30229	5593	5491	234	73	18
23.	त्रिपुरा	2063	431	482	14	2	1
24.	उत्तर प्रदेश	79522	15546	6637	436	34	29
25.	पश्चिम बंगाल	51021	3156	6728	303	62	12
26.	अ०व०नि०द्वीप समूह	188	44	72	2	1	0
27.	चण्डीगढ़	59	33	91	12	4	2
28.	दा० और नगर हवेली	125	43	13		0	0
29.	दमन व दीव	49	16	20	1	1	0
30.	दिल्ली	2072	531	1263	62	9	11
31.	लक्षद्वीप	19	4	11		0	0
32.	पांडिचेरी	342	119	125	7	4	1
	भारत	572923	155707	88411	5639	1125	213

* सम विश्विविद्यालय और संस्थान शामिल हैं।

a) इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान तथा शिक्षक प्रशिक्षण के कालेज ही शामिल हैं।

स्रोत : चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े 1993-94

विवरण संख्या 13

विभिन्न स्तरों पर दाखिला 1993-94 (30 सितम्बर 1993 की यथा स्थिति)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राथमिक			मिडिल			माध्य/उ०माध्य०			उच्चतर शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	4670000	3840000	8510000	1631000	1128000	2759000	1028953	558617	1587570	183010	77675	260600
2.	अरुणाचल प्रदेश	74222	56199	130421	19514	14139	33653	12719	7260	19979	2241	573	2814
3.	असम	1987299	1764596	3751895	747208	519478	1266686	432427	306282	738709	99016	45217	144233
4.	बिहार	5854713	3045027	8899740	1576661	644058	2220719	1834134	272035	1306169	451154	94041	495195
5.	गोवा	69000	63372	132372	42039	35913	77952	34484	31006	65490	7020	7868	14888
6.	गुजरात	3406339	2576579	5982918	1224325	770906	1995231	867000	574200	1441200	226900	165450	392350
7.	हरियाणा	1260000	1023000	2283000	516000	347000	863000	341190	177518	518708	71162	43452	114614
8.	हिमाचल प्रदेश	378900	333580	712480	219720	171680	391400	136340	82750	219090	16703	7701	24404
9.	जम्मू और कश्मीर	480039	319414	799453	210115	121392	331507	117436	57560	174996	25458	15105	40563
10.	कर्नाटक	3266851	2852807	6119658	1106714	830594	1937308	912832	511252	1424084	219526	107763	327289
11.	केरल	1549805	1469380	3019185	976737	929962	1906699	581242	607739	1188981	60241	64325	124566
12.	मध्य प्रदेश	5242000	3798000	9040000	2049000	1154000	3203000	700175	261530	961705	176466	72827	249293
13.	महाराष्ट्र	5854301	5102918	10957219	2392087	1810166	4202253	1878630	1149435	3028065	509531	262524	772055
14.	मणिपुर	127740	113760	241500	53150	45250	98400	39974	31080	71054	12309	9584	21893
15.	मेघालय	91269	84385	175654	28558	26233	54791	19609	17207	36816	4770	3222	7992
16.	मिजोरम	60874	54795	115669	30063	26734	56797	12873	11927	24800	2791	1567	4358
17.	नागालैण्ड	83779	74321	158100	31829	30136	61965	15155	11696	26851	2209	1110	3319
18.	उड़ीसा	2267000	1575000	3842000	730000	529000	1259000	685000	344000	1029000	75629	28725	104354
19.	पंजाब	1110047	956687	2066734	509397	401315	910712	386717	292395	679112	65147	72185	137332
20.	राजस्थान	3683000	1775000	5458000	1340000	464000	1804000	834000	192000	1026000	82476	36399	118875
21.	सिक्किम	40018	35135	75153	10737	10023	20760	6059	5088	11147	729	327	1056
22.	तमिलनाडु	4229731	3791219	8020950	1986075	1548711	3534786	1118734	764170	1882904	128985	87348	216333
23.	त्रिपुरा	219088	180991	400079	81112	60119	141231	42179	32044	74223	7378	4238	11616
24.	उत्तर प्रदेश	9853898	6130820	15984718	3859216	1668192	5527408	2605712	830699	3436411	374282	119377	493659
25.	पश्चिम बंगाल	5302000	4815000	10117000	2481000	2122000	4603000	1154126	727100	1881226	196157	134837	330994
26.	अ०व० नि० द्वीप समूह	23257	21054	44311	10307	8875	19182	7010	5960	12970	903	784	168
27.	चण्डीगढ़	31449	27786	59235	17479	15270	32749	14786	15184	29970	7099	6865	1396
28.	दा० और नगर हवेली	11189	7501	18690	3036	1766	4802	1813	1163	2976	0	0	
29.	दमन व दीव	6845	6047	12892	3637	3042	6679	2687	2000	4687	513	312	82
30.	दिल्ली	509247	447845	957092	292350	233063	525413	228050	175406	403456	79342	58068	13741
31.	लक्षद्वीप	4763	4010	8773	2129	1544	3673	1083	745	1828	0	0	
32.	पांडिचेरी	55646	50002	105648	32204	28622	60826	21174	18336	39510	3626	2995	662
	भारत	61804309	46396230	108200539	24213399	15701183	39914582	15274303	8075384	23349687	3042773	1532464	457523

विवरण संख्या 14

सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा I—V और VI—VIII में दाखिल अनुपात

	कक्षा I—V (6—11 आयु)			कक्षा VI—VIII (11—14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	116.4	100.1	108.4	73.9	53.1	63.7
अरुणाचल प्रदेश	132.5	99.2	115.8	62.5	46.3	54.5
असम	134.4	125.3	130.0	89.3	65.5	77.7
बिहार	95.9	54.4	76.1	47.4	21.0	34.7
गोवा	102.3	93.7	98.0	104.3	88.6	96.4
गुजरात	131.4	106.0	119.1	82.8	55.5	69.6
हरियाणा	109.7	95.4	102.8	81.8	59.2	70.9
हिमाचल प्रदेश	126.8	111.5	119.1	124.4	97.9	111.2
जम्मू और कश्मीर	104.3	72.6	88.8	79.7	48.8	64.7
कर्नाटक	124.3	115.2	119.9	72.4	57.2	65.0
केरल	103.8	100.8	102.3	108.3	105.7	107.0
मध्य प्रदेश	116.7	91.3	104.5	82.5	50.0	66.9
महाराष्ट्र	123.6	115.0	119.4	89.0	71.9	80.7
मणिपुर	100.3	96.0	98.2	77.9	68.4	73.2
मेघालय	77.8	71.8	74.8	42.7	38.3	40.5
मिज़ोरम	138.6	132.3	135.6	111.7	103.2	107.5
नागालैण्ड	110.9	101.6	106.3	70.1	68.9	69.5
उड़ीसा	116.8	77.6	96.8	67.5	46.9	57.0
पंजाब	92.9	88.1	90.6	71.8	63.4	67.8
राजस्थान	119.5	60.9	91.0	76.8	28.9	53.9
सिक्किम	123.8	111.1	117.6	59.9	59.3	59.6
तमिलनाडु	149.0	140.8	145.0	111.3	91.0	101.4
त्रिपुरा	141.3	119.1	130.3	92.9	72.2	82.8
उत्तर प्रदेश	103.9	72.8	89.3	72.2	35.4	55.0
पश्चिम बंगाल	124.7	123.0	123.9	98.2	89.1	93.8
अ० व नि० द्वीप समूह	101.5	85.5	93.2	84.4	75.2	79.9
चण्डीगढ़	65.5	64.0	64.8	62.2	63.3	62.7
दा० और नगर हवेली	125.7	92.6	109.9	58.3	36.7	48.0
दमन व दीव	...	...	...	...	...	...
दिल्ली	86.3	87.4	86.8	81.6	78.0	79.9
लक्षद्वीप	153.6	129.3	141.5	125.2	96.5	111.3
पांडिचेरी	146.4	133.7	140.1	138.8	125.5	132.2
भारत	115.3	92.9	104.5	79.3	55.2	67.7

विवरण संख्या 15

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जाति) 1993-94

(30 सित० 1993 को)

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	प्राइमरी			मिडिल			मा०/उ० मा०			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	808974	645811	1454785	207924	120878	328802	114841	54125	168966	23503	7842	31345
2.	अरुणाचल प्रदेश	94	64	158	37	19	56	14	10	24	5	6	11
3.	असम	233928	207594	441522	94425	77761	172186	61382	46744	108126	8082	4256	12338
4.	बिहार	857300	362057	1219357	170506	50132	220638	63111	11152	74263	0	0	0
5.	गोवा	1613	1443	3056	671	490	1161	443	274	717	80	42	122
6.	गुजरात	340355	268726	609081	121440	73731	195171	90075	49355	139430	20450	9960	30410
7.	हरियाणा	254353	215259	469612	80980	47512	128492	61382	17780	69898	8506	1429	9935
8.	हिमाचल प्रदेश	99010	83660	182670	43280	29430	72710	22990	11710	34700	1581	620	2201
9.	जम्मू व कश्मीर	42902	31279	74181	19073	13206	32279	8711	3775	12486	872	374	1246
10.	कर्नाटक	599535	489543	1089078	175505	114396	289901	127816	56140	183956	22329	7920	30249
11.	केरल	171154	163814	334968	108799	104097	212896	72263	67158	79041	151304	5399	10738
12.	मध्य प्रदेश	700661	475886	1176547	298860	83692	382552	103905	26512	130417	16048	2878	18926
13.	महाराष्ट्र	885079	760350	1645429	342332	234967	577299	259019	136242	395261	67841	24533	92374
14.	मणिपुर	2100	1950	4050	870	810	1680	1287	1468	2755	773	791	1564
15.	मेघालय	1293	1031	2324	568	403	971	681	355	1036	101	81	182
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	441100	280800	721900	134300	78300	212600	62950	23150	86100	5436	1108	6544
19.	पंजाब	416981	338873	755854	138459	96742	235201	78699	50498	129197	8689	5968	14657
20.	राजस्थान	605000	204000	809000	210000	45000	255000	127500	12500	140000	5842	373	6215
21.	सिक्किम	2482	2187	4669	501	462	963	265	224	489	22	22	44
22.	तमिलनाडु	854406	738150	1592556	367522	273347	640869	189699	103073	292772	18430	9592	28022
23.	त्रिपुरा	39674	33410	73084	13098	9242	22340	6703	3894	10597	930	376	1306
24.	उत्तर प्रदेश	1744149	737375	2481524	591194	155935	747129	392652	68117	460769	54358	4117	58475
25.	पश्चिम बंगाल	1176675	1012271	2188946	382175	352211	734386	125116	53875	178991	17364	7753	25117
26.	अ० व नि० द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	8555	6915	15470	3471	2780	6251	2409	2086	4495	470	164	634
28.	दा० और नगर हवेली	214	175	389	99	85	184	103	64	167	0	0	0
29.	दमन व दीव	272	280	552	163	135	298	136	107	243	31	17	48
20.	दिल्ली	113125	95154	208279	53840	42841	96681	35212	27354	62566	5286	3012	8298
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	10754	10995	21749	5674	5687	11361	2998	2574	5572	549	359	908
	भारत	10411738	7169052	17580790	3565766	2014291	5580057	2003098	842199	2845297	292917	98992	391909

विवरण सं० 16

अनुसूचित जाति के छात्रों का दाखिला अनुपात—1993-94

राज्य/संघ क्षेत्र	कक्षा I-V (6-11 वर्ष)			कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1	2	3	4	5	6	7
न्ध्र प्रदेश	135.62	113.26	124.69	63.40	36.33	51.11
णाचल प्रदेश	40.94	27.58	34.22	28.92	15.19	22.14
म	259.34	241.81	250.79	185.12	160.81	173.29
ार	96.86	44.61	71.86	35.38	11.27	23.81
ा	109.28	97.47	103.37	76.03	55.25	65.61
रात	183.45	154.51	169.45	114.72	74.25	95.13
ियाणा	116.12	105.33	110.91	67.33	42.51	55.37
ाचल प्रदेश	134.59	113.61	124.09	99.54	68.23	83.95
मू व कश्मीर	112.18	85.60	99.20	87.07	63.90	75.82
टिक	151.42	131.21	141.62	76.25	52.30	64.58
ल	114.48	112.22	113.36	120.47	118.18	119.34
य प्रदेश	110.64	81.21	96.49	85.35	25.76	56.68
हाष्ट्र	261.90	240.00	251.30	178.42	130.77	155.37
ापुर	130.92	130.60	130.77	101.24	97.26	99.28
लय	290.08	230.91	260.47	223.76	154.82	188.86
रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ा	155.03	94.46	124.08	84.71	47.44	65.70
ु	129.92	116.30	123.44	72.69	56.92	65.25
स्थान	112.88	40.22	77.55	69.24	16.15	43.82
किम	132.49	119.33	125.98	48.26	47.13	47.71
लनाडु	164.08	149.47	156.97	112.25	87.59	100.21
	169.06	145.28	157.29	99.10	73.37	86.54
प्रदेश	86.96	41.40	65.54	52.33	15.65	35.14
गाल	125.85	117.64	121.92	68.82	67.31	68.09
व निo द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ाड़	127.22	113.73	120.81	88.17	82.34	85.48
व नगर हवेली	97.35	87.47	92.64	77.08	71.69	74.49
व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	106.38	103.09	104.86	83.41	79.59	81.67
ंच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ारी	176.88	183.74	180.28	152.86	155.89	154.36
	123.33	91.15	107.81	74.21	45.01	60.13

100 M/o HRD-94

विवरण सं० 17

विभिन्न स्तरों पर नामांकन (अनुसूचित जनजातियां) 1993-94

(30 सित० 1993 तं

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	प्राइमरी			मिडिल			मा०/उ० मा०			उच्च शिक्षा		
		लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़कें	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	
1.	आन्ध्र प्रदेश	320466	205245	525711	57416	20485	77901	26676	7247	33923	3320	1451	47
2.	अरुणाचल प्रदेश	55034	42881	97915	12803	8903	21706	9097	4668	13765	1801	363	21
3.	असम	375211	311701	686912	1212710	93518	214788	80849	58886	149316	13552	6052	196
4.	बिहार	481706	293910	775616	97106	47206	144312	39129	16729	55858	0	0	
5.	गोवा	79	54	133	57	25	82	26	6	32	7	0	
6.	गुजरात	546112	388782	934895	135895	80909	216804	85210	49779	134989	18445	11180	296
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	हिमाचल प्रदेश	16940	13000	29940	7640	4180	11820	4410	2410	6820	586	232	
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	कर्नाटक	194503	151579	346082	54236	35599	89835	29992	13656	43648	6297	2025	8
11.	केरल	18905	18394	37299	9302	8467	17769	4244	4236	9329	222	165	
12.	मध्य प्रदेश	875031	518729	1393760	234112	74845	308957	89957	19422	109379	11626	2126	13
13.	महाराष्ट्र	587811	463262	1051073	164671	99227	263898	99010	46479	145489	13683	4409	18
14	मणिपुर	46060	39390	85450	15170	12250	27420	9025	6967	15992	1855	1158	3
15.	मेघालय	78864	73564	152428	21183	19771	40954	14997	13347	28344	2791	2211	5
16.	मिजोरम	60874	54795	114669	30063	26734	56797	11613	11144	22757	2603	1558	4
17.	नागालैंड	75728	67229	142957	27791	24769	52560	12511	10323	22834	1859	956	2
18.	उड़ीसा	545100	264200	809300	127200	57900	185100	39010	23090	62100	3882	896	4
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	राजस्थान	425000	143000	568000	143000	32000	175000	82000	6000	88000	4119	130	4
21.	सिक्किम	8954	7611	16565	2158	1943	4101	1286	1010	2296	126	94	
22.	तमिलनाडु	41451	32604	74055	14498	9912	24410	7431	4788	12219	408	218	
23.	त्रिपुरा	76311	55484	131795	24488	12271	36759	9436	4476	13912	400	160	
24.	उत्तर प्रदेश	19497	11307	30804	6291	2279	8570	3623	1392	5015	1258	510	
25.	पश्चिम बंगाल	286712	271767	558479	112115	92730	204845	22284	12163	34447	775	284	
26.	अ० व नि० द्वीपसमूह	1877	1710	3587	849	733	1582	492	483	975	25	18	
27.	चण्डीगढ़	4	10	14	1	2	39	72	38	110	178	17	
28.	दा० और नगर हवेली	9299	5881	15180	2260	1118	3378	1093	529	1622	0	0	
29.	दमन व दीव	990	810	1800	473	352	825	183	133	316	110	25	
30.	दिल्ली	371	315	686	262	160	422	272	158	430	421	252	
31.	लक्षद्वीप	4665	3912	8577	2064	1472	3536	1006	687	1693	0	0	
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	भारत	5153555	3441127	8594682	1424374	769760	2194134	696458	314890	997352	90266	36491	1

विवरण सं० 18

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का दाखिला अनुपात—1993-94

राज्य/संघ क्षेत्र	कक्षा I-V (6-11 वर्ष)			कक्षा VI-VIII (11-14 वर्ष)		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	134.72	90.26	112.99	43.90	16.29	30.37
अरुणाचल प्रदेश	140.71	108.48	124.51	58.76	41.80	50.37
असम	198.24	173.03	185.94	113.30	92.17	103.02
बिहार	95.03	63.23	79.82	35.18	18.53	27.19
गोवा	12.47	8.50	10.48	15.05	6.57	10.80
गुजरात	148.00	112.40	130.77	64.55	40.97	53.14
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	123.25	94.49	108.86	94.05	51.87	73.04
जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	150.78	124.70	138.12	72.32	49.95	61.42
केरल	123.01	122.59	122.80	100.20	93.51	96.90
मध्य प्रदेश	84.82	54.34	70.17	41.04	14.14	28.10
महाराष्ट्र	135.13	113.61	124.72	66.68	42.90	55.18
मणिपुर	132.97	122.16	127.76	81.75	68.11	75.03
मेघालय	83.43	77.69	80.55	39.35	35.81	37.56
मिजोरम	148.26	141.51	144.98	119.49	110.36	115.01
नागालैंड	119.41	109.49	114.53	72.87	67.48	70.23
उड़ीसा	125.22	58.09	90.92	52.44	22.93	37.39
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	113.00	40.18	77.59	67.19	16.36	42.85
सिक्किम	119.49	103.82	111.74	51.96	49.56	50.80
तमिलनाडु	136.52	113.22	125.18	75.94	54.47	65.46
त्रिपुरा	173.29	128.57	151.16	98.73	51.91	75.89
उत्तर प्रदेश	97.95	63.97	81.97	56.11	23.05	40.61
पश्चिम बंगाल	119.78	123.36	121.49	78.86	69.22	74.18
अ० व नि० द्वीपसमूह	67.52	57.26	62.20	57.32	51.17	54.30
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
द० व नगर हवेली	133.29	92.62	113.91	55.44	29.71	43.09
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	168.14	141.00	154.57	135.66	102.79	119.72
पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत	123.90	88.80	106.97	60.17	34.91	47.99

विवरण सं० 19 (i)

कक्षा I-V में पढ़ाई छोड़ कर जाने वालों का दर—1993-94

क्रम सं०	राज्य	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	42.48	41.78	42.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	60.09	61.09	60.52
3.	असम	38.65	39.55	39.05
4.	बिहार	61.85	66.20	63.36
5.	गोवा	−7.94	3.09	−2.57
6.	गुजरात	42.05	51.39	46.25
7.	हरियाणा	1.60	6.81	3.93
8.	हिमाचल प्रदेश	24.64	28.16	26.28
9	जम्मू और कश्मीर	53.12	42.35	48.66
10.	कर्नाटक	37.50	44.42	40.78
11.	केरल	−5.25	−3.05	−4.23
12.	मध्य प्रदेश	23.43	34.96	28.36
13.	महाराष्ट्र	24.10	31.63	27.62
14.	मणिपुर	68.02	68.53	68.26
15.	मेघालय	29.96	34.43	32.06
16.	मिजोरम	56.73	58.54	57.58
17.	नागालैंड	37.56	24.13	31.65
18.	उड़ीसा	52.78	52.23	52.54
19.	पंजाब	20.69	22.94	21.74
20.	राजस्थान	45.70	55.63	48.93
21.	सिक्किम	63.18	61.19	62.27
22.	तमिलनाडु	16.39	18.35	17.30
23.	त्रिपुरा	60.57	66.95	63.49
24.	उत्तर प्रदेश	19.86	20.08	19.94
25.	पश्चिम बंगाल	36.17	45.76	40.43
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	9.26	10.34	9.77
27.	चण्डीगढ़	−20.31	−9.04	−14.90
28.	दादर व नगर हवेली	40.50	55.19	47.00
29.	दमन व दीव	−7.32	−2.97	−5.32
30.	दिल्ली	19.25	28.83	25.74
31.	लक्षद्वीप	12.55	18.75	15.51
32.	पांडिचेरी	7.86	8.20	8.02
	भारत	35.05	38.57	36.32

विवरण सं० 19 (ii)

कक्षा I—VIII में पढ़ाई छोड़ कर जाने वालों का दर—1993-94

क्रम सं०	राज्य	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	59.94	66.46	62.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	69.62	67.45	68.72
3.	असम	63.81	71.80	67.55
4.	बिहार	76.70	82.73	78.74
5.	गोवा	8.57	16.34	12.28
6.	गुजरात	54.65	66.46	59.97
7.	हरियाणा	17.57	32.05	23.91
8.	हिमाचल प्रदेश	13.11	27.39	19.74
9.	जम्मू व कश्मीर	45.25	72.73	56.46
10.	कर्नाटक	56.83	69.72	62.98
11.	केरल	1.24	0.57	0.91
12.	मध्य प्रदेश	38.12	54.15	44.68
13.	महाराष्ट्र	44.02	56.30	49.79
14.	मणिपुर	72.41	72.26	72.34
15.	मेघालय	58.14	57.11	57.65
16.	मिजोरम	54.05	50.60	52.44
17.	नागालैंड	36.71	39.58	38.13
18.	उड़ीसा	62.64	59.04	61.21
19.	पंजाब	36.15	42.78	39.22
20.	राजस्थान	62.34	72.34	65.43
21.	सिक्किम	78.83	77.93	78.43
22.	तमिलनाडु	32.15	41.20	36.34
23.	त्रिपुरा	66.28	70.92	68.39
24.	उत्तर प्रदेश	31.99	47.63	37.51
25.	पश्चिम बंगाल	48.82	43.96	46.67
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	25.25	29.62	27.32
27.	चण्डीगढ़	−5.96	−12.79	−9.09
28.	दादर व नागर हवेली	57.77	67.93	62.21
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	19.89	31.24	25.35
31.	लक्षद्वीप	47.18	57.43	52.16
32.	पांडिचेरी	7.71	7.23	7.49
	भारत	49.95	56.78	52.80

*गोवा भी शामिल

विवरण सं० 19 (iii)

वर्ष 1993-94 के दौरान कक्षा I-X में पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें

क्रम सं०	राज्य	लड़के	लड़कियां	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	76.70	82.13	79.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	77.99	80.11	78.82
3.	असम	78.37	75.80	77.26
4.	बिहार	83.83	90.96	86.21
5.	गोवा	42.06	42.89	42.46
6.	गुजरात	64.74	71.10	67.57
7.	हरियाणा	45.80	58.81	51.19
8.	हिमाचल प्रदेश	41.00	56.91	48.29
9.	जम्मू व कश्मीर	66.12	78.30	70.97
10.	कर्नाटक	65.58	76.23	70.62
11.	केरल	33.42	24.51	29.07
12.	मध्य प्रदेश	75.46	85.24	79.31
13.	महाराष्ट्र	58.60	70.70	64.25
14.	मणिपुर	75.17	79.84	77.32
15.	मेघालय	67.28	67.57	67.42
16.	मिजोरम	73.45	71.12	72.33
17.	नागालैंड	75.01	78.92	76.87
18.	उड़ीसा	53.43	63.53	57.49
19.	पंजाब	44.87	52.80	48.54
20.	राजस्थान	77.87	88.02	80.89
21.	सिक्किम	87.37	86.21	86.82
22.	तमिलनाडु	62.98	69.85	66.17
23.	त्रिपुरा	79.12	78.49	78.84
24.	उत्तर प्रदेश	61.78	75.40	66.02
25.	पश्चिम बंगाल	75.68	76.53	76.05
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	49.12	55.27	52.10
27.	चण्डीगढ़	−0.50	−1.99	−1.21
28.	दादरा व नगर हवेली	73.21	76.54	74.52
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
30.	दिल्ली	33.59	46.64	39.91
31.	लक्षद्वीप	55.65	64.65	50.78
32.	पांडिचेरी	38.39	41.22	39.74
	भारत	68.41	74.74	70.90

*गोवा भी शामिल है।

विवरण संख्या 20

अनुसूचित जाति में कक्षा छोड़ने वालों की दर—1989-90

राज्य/संघ क्षेत्र	प्राइमरी स्तर			मिडिल स्तर			माध्यमिक स्तर		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1. आन्ध्र प्रदेश	60.53	65.83	62.80	77.41	85.44	80.85	84.17	88.74	86.15
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. असम	46.88	55.89	50.80	64.91	63.47	64.30	62.54	62.02	62.33
4. बिहार	67.69	73.50	69.33	83.37	89.79	85.04	87.98	94.20	89.50
5. गोवा	39.27	32.06	36.02	55.52	65.68	60.28	79.26	85.57	82.27
6. गुजरात	24.95	45.55	34.13	50.40	70.34	59.11	66.50	79.78	72.21
7. हरियाणा	33.90	43.18	38.00	59.19	75.36	65.71	64.64	80.72	69.84
8. हिमाचल प्रदेश	36.29	36.50	36.39	32.27	41.88	36.44	67.02	76.81	71.12
9. जम्मू और कश्मीर	39.27	30.39	35.84	50.11	52.73	51.10	77.86	82.32	79.52
10. कर्नाटक	51.05	59.59	54.90	62.11	73.77	67.08	73.63	84.60	78.45
11. केरल	0	1.78	0.50	19.04	15.60	17.37	54.47	47.76	51.20
12. मध्य प्रदेश	36.31	52.37	42.41	62.34	79.40	67.76	75.11	86.91	78.48
13. महाराष्ट्र	38.54	51.58	44.60	52.90	69.77	60.54	67.91	81.16	73.82
14. मणिपुर	79.86	82.21	81.03	84.82	86.07	85.48	82.14	82.69	82.42
15. मेघालय	33.13	41.88	37.46	27.86	51.85	39.64	34.62	66.39	50.00
16. मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17. नागालैण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18. उड़ीसा	55.16	59.22	56.77	75.97	83.19	78.76	77.86	86.42	81.22
19. पंजाब	36.53	41.59	38.79	63.36	70.56	66.52	78.88	85.96	82.12
20. राजस्थान	60.42	74.37	63.89	69.53	83.53	72.18	80.82	92.39	82.96
21. सिक्किम	70.00	67.85	69.04	84.96	83.67	84.37	91.62	93.60	92.51
22. तमिलनाडु	22.56	29.68	25.92	51.04	53.14	51.97	74.75	82.69	78.31
23. त्रिपुरा	58.21	63.09	60.47	75.87	81.84	78.69	86.88	90.20	88.39
24. उत्तर प्रदेश[1]	32.89	51.69	38.86	57.92	69.52	60.87	66.97	84.97	71.57
25. पश्चिम बंगाल	58.54	66.71	61.92	74.18	84.88	79.02	89.74	90.12	89.88
26. अ० व नि० द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27. चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	27.17	14.23	21.03
28. दा० और नगर हवेली@	18.60	36.96	28.09	0	0	0	45.28	70.27	55.56
29. दमन व दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30. दिल्ली	33.74	35.74	34.63	47.68	58.61	52.79	54.06	74.25	63.71
31. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32. पांडिचेरी	0	0	0	0	11.96	5.45	69.92	75.32	72.42
भारत	45.93	53.74	49.03	64.29	73.10	67.62	76.61	84.20	79.42

[1]—1988-89 से सम्बन्धित

@—गोवा भी शामिल

विवरण सं० 21

अनुसूचित जनजातियों के पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वालों की दर—1989-90

राज्य/संघ क्षेत्र	प्राइमरी I से V			मिडिल I से VIII			माध्यमिक I से X		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
आन्ध्र प्रदेश	65.24	70.54	67.22	84.16	89.92	86.28	89.59	92.95	90.84
अरुणाचल प्रदेश	63.47	59.43	61.98	78.52	77.90	78.30	81.97	88.10	84.06
असम	65.15	65.87	65.46	71.78	75.67	73.44	70.80	75.82	72.93
बिहार	70.78	70.93	70.83	85.67	87.57	86.33	90.89	92.72	91.51
गोवा	28.99	19.80	24.72	63.50	71.88	67.36	73.58	87.32	79.57
गुजरात	54.03	66.62	59.48	76.17	82.72	78.88	85.34	89.14	86.90
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	30.59	34.53	32.23	36.58	45.89	40.03	67.93	70.41	68.79
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कर्नाटक	47.97	50.69	49.13	56.82	66.68	61.09	72.70	77.23	74.46
केरल	18.88	15.88	17.44	36.02	35.30	35.68	70.14	65.86	68.12
मध्य प्रदेश	48.38	60.36	52.82	75.57	85.14	78.61	83.74	91.81	86.14
महाराष्ट्र	56.99	66.52	61.52	73.14	82.44	76.98	81.56	89.50	84.74
मणिपुर	77.54	78.43	77.95	84.76	85.79	85.23	85.44	87.24	86.26
मेघालय	40.07	55.34	41.24	72.78	72.98	72.87	91.47	93.14	92.28
मिजोरम	49.56	49.20	49.39	61.99	59.78	60.92	52.47	52.63	52.55
नागालैंड	34.75	43.54	39.00	70.71	64.85	68.15	75.97	73.87	75.10
उड़ीसा	*77.66	78.66	77.98	84.33	86.92	85.26	87.49	92.84	89.38
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—
राजस्थान	69.76	83.15	73.08	74.74	90.17	77.65	84.93	94.30	86.45
सिक्किम	62.87	50.46	57.73	71.26	65.41	68.70	85.52	86.81	86.07
तमिलनाडु	38.35	49.10	43.29	57.65	66.11	61.31	57.52	60.30	58.60
त्रिपुरा	71.97	76.53	73.91	85.55	88.19	86.64	90.47	93.24	91.56
उत्तर प्रदेश	17.22	59.64	34.11	47.73	74.11	55.59	33.49	78.84	46.31
पश्चिम बंगाल	*64.45	69.96	66.38	81.42	88.50	83.87	92.47	92.88	92.62
अ० व नि० द्वीपसमूह	5.73	19.77	12.36	49.44	47.88	48.73	55.23	62.50	58.57
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दादर और नगर हवेली	37.97	64.90	50.34	68.29	77.04	71.75	84.32	89.28	86.45
दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	41.03	50.62	45.53	75.15	81.85	78.34
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
भारत	61.86	66.98	63.81	77.42	82.67	79.35	84.83	88.90	86.28

*1988-89 से संबंधित

@ गोवा भी शामिल

विवरण संख्या 22

शिक्षकों की संख्या 1993-94

क्र० सं०	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	प्राइमरी स्कूल			मिडिल स्कूल			उच्चतर माध्यमिक स्कूल		
		पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग	पुरुष	महिलाएं	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	73173	32967	106140	24386	14516	38902	74104	38994	113098
2.	अरुणाचल प्रदेश	2043	670	2713	1454	400	1854	1998	551	2549
3.	असम	59685	17827	77512	35012	7753	42765	36754	10765	47519
4.	बिहार	91947	22137	114084	77521	20199	97720	40106	6761	46864
5.	गोवा	1040	1826	2866	198	233	431	2576	2171	4747
6.	गुजरात	23384	13294	36678	77376	63526	140902	69443	19153	88596
7.	हरियाणा	10392	8239	18631	7358	5462	12820	30246	22071	52317
8.	हिमाचल प्रदेश	4260	1286	5546	4210	1213	5423	9804	4087	13891
9.	जम्मू और कश्मीर	12103	6384	18487	11948	6457	18405	111755	6800	22025
10.	कर्नाटक	34901	14876	49777	56779	36043	92822	43313	14120	57433
11.	केरल	16082	31930	48012	18377	33102	51479	34222	59323	93545
12.	मध्य प्रदेश	150444	47509	197953	61466	21593	83059	43918	14771	58689
13.	महाराष्ट्र	78462	57820	136282	94260	61269	155529	173751	69072	230734
14.	मणिपुर	7744	3488	11232	4736	2186	6922	6979	3497	10476
15.	मेघालय	4253	2497	6750	2075	1350	3425	1933	1762	3695
16.	मिजोरम	2034	1810	3844	2932	806	3738	1587	391	1978
17.	नागालैण्ड	4702	1783	6485	3276	904	4180	3264	1533	4797
18.	उड़ीसा	78775	26565	105340	33515	5816	39331	39432	10611	50043
19.	पंजाब	21784	26419	48203	4871	4117	8988	27804	25704	50043
20.	राजस्थान	60786	22602	83388	54642	20302	74944	52724	15916	68540
21.	सिक्किम	1858	1424	3282	1092	516	1608	1266	948	2214
22.	तमिलनाडु	68677	47846	116523	32299	29893	62192	68407	48418	116825
23.	त्रिपुरा	8649	2318	10967	3764	1016	4780	7990	3125	11115
24.	उत्तर प्रदेश	218576	49378	267954	77191	19181	96372	82333	17273	99606
25.	पश्चिम बंगाल	148124	45511	193635	16091	5137	21228	78547	41766	120313
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	461	360	821	362	374	736	1244	1035	2279
27.	चण्डीगढ़	40	714	754	48	509	557	635	2566	3201
28.	दा० और नगर हवेली	126	71	197	180	255	435	125	54	179
29.	दमन व दीव	131	174	305	155	91	246	137	53	190
30.	दिल्ली	10505	16028	26533	2342	4436	6778	18976	27019	45995
31.	लक्षद्वीप	151	67	218	79	46	125	251	69	320
32.	पांडिचेरी	959	1093	2052	864	818	1682	1946	1431	3377
	भारत	1196251	506913	1703164	710859	369519	1080378	937545	467235	1404780

विवरण संख्या 23

वर्ष 1993-94 के लिए शिक्षा विभागों का बजट कुल राज्य बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता क्रमवार

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	शिक्षा विभाग का बजट			सम्पूर्ण राज्य बजट	राज्य के कुल बजट में शिक्षा बजट की प्रतिशतता
		योजनागत	योजनेत्तर	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली	78.91	307.98	386.89	1308.44	29.57
2.	प० बंगाल	121.38	1811.72	1933.10	7195.97	26.86
3.	केरल	38.73	1091.96	1130.69	4306.75	26.25
4.	असम	217.49	465.26	682.75	2774.50	24.61
5.	मणिपुर	13.42	80.08	93.50	388.84	24.05
6.	कर्नाटक	341.10	1068.41	1409.51	6588.49	21.39
7.	तमिलनाडु	67.90	1702.97	1770.87	8300.88	21.34
8.	हिमाचल प्रदेश	62.68	232.27	294.95	1393.81	21.16
9.	आन्ध्र प्रदेश	140.29	1520.86	1661.15	7924.66	20.96
10.	राजस्थान	183.71	945.67	1129.38	5404.70	20.90
11.	गुजरात	44.70	1192.41	1237.11	5947.72	20.80
12.	चण्डीगढ़	6.30	46.59	52.89	261.47	20.23
13.	त्रिपुरा	25.80	107.88	133.68	662.84	20.17
14.	बिहार	133.06	1327.16	1460.22	7266.19	20.10
15.	उड़ीसा	133.81	584.45	718.26	3626.00	19.81
16.	गोवा	13.75	70.17	83.92	429.58	19.54
17.	उत्तर प्रदेश	253.46	2221.13	2474.59	13172.80	18.79
18.	मध्य प्रदेश	168.09	1034.89	1202.98	6595.04	18.24
19.	महाराष्ट्र	106.47	2123.99	2230.46	12500.64	17.84
20.	मेघालय	26.58	64.50	91.08	516.59	17.63
21.	पंजाब	98.16	588.76	686.92	4001.11	17.17
22.	सिक्किम	9.70	21.92	31.62	186.42	16.96
23.	दमन और दीव	0.79	4.48	5.27	32.34	16.30
24.	हरियाणा	75.82	379.76	455.58	2829.32	16.10
25.	पांडिचेरी	10.44	35.37	45.81	296.70	15.44
26.	मिजोरम	10.79	44.39	55.18	364.88	15.12
27.	नागालैण्ड	8.63	51.36	59.99	501.30	11.97
28.	दादरा व नागर हवेली	1.20	3.86	5.06	42.96	11.78
29.	अरुणाचल प्रदेश	25.76	32.22	57.98	498.75	11.63
30.	अ० व नि० द्वीप समूह	3.51	21.33	24.84	206.16	12.05
31.	जम्मू व कश्मीर	23.95	114.15	138.10	1219.05	11.33
32.	लक्षद्वीप	1.05	7.59	8.64	78.09	11.06
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2447.43	19305.54	21752.97	106822.99	20.36
	केन्द्रीय क्षेत्र	1308.78	847.18	2155.96	101839.00	2.11
	जोड़ (केन्द्र तथा राज्य)	3756.21	20152.72	23908.93	208661.99	11.45

विवरण संख्या 24

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-97) के लिए स्वीकृत परिव्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग कालम 5 + कालम 6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	176.13	17.12	222.95	56.50	279.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	113.92	2.79	151.90	0.00	151.90
3.	असम	568.35	18.36	874.38	45.33	919.71
4.	बिहार	588.83	60.34	726.95	185.22	912.17
5.	गोवा	27.30	1.11	65.00	13.00	78.00
6.	गुजरात	149.82	22.47	227.00	90.00	317.00
7.	हरियाणा	202.44	6.40	407.04	106.30	513.34
8.	हिमाचल प्रदेश	98.90	1.77	230.00	42.00	272.00
9.	जम्मू और कश्मीर	157.65	7.16	315.30	19.00	334.30
10.	कर्नाटक	409.50	18.70	905.55	50.00	955.55
11.	केरल	22.21	0.77	82.25	94.00	176.25
12.	मध्य प्रदेश	432.68	19.84	618.12	85.38	703.50
13.	महाराष्ट्र	350.00	22.00	730.07	225.18	955.25
14.	मणिपुर	40.80	2.05	68.00	5.50	73.50
15.	मेघालय	64.33	3.37	90.60	1.37	91.97
16.	मिजोरम	23.02	1.25	41.85	3.50	45.35
17.	नागालैण्ड	18.47	0.72	42.95	4.50	47.45
18.	उड़ीसा	242.66	44.91	527.52	82.86	610.38
19.	पंजाब	47.15	10.80	216.78	196.00	412.78
20.	राजस्थान	567.75	30.50	860.23	100.18	960.41
21.	सिक्किम	36.40	0.68	55.00	2.80	57.80
22.	तमिलनाडु	252.47	40.00	440.00	37.14	477.14
23.	त्रिपुरा	69.60	2.34	120.00	1.50	121.50
24.	उत्तर प्रदेश	663.53	24.26	1087.75	257.40	1345.15
25.	पश्चिम बंगाल	350.00	26.72	500.00	100.00	600.00
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	20.74	0.34	42.22	13.20	55.42
27.	चण्डीगढ़	10.62	0.53	35.0	9.24	44.24
28.	दादरा व नागर हवेली	7.00	0.06	10.78	2.00	12.78
29.	दमन व दीव	2.67	0.15	5.04	3.50	8.54
30.	दिल्ली	321.80	6.37	450.00	110.00	560.00
31.	लक्षद्वीप	1.68	0.16	7.02	0.00	7.02
32.	पांडिचेरी	18.04	0.40	37.10	19.78	56.88
	सभी राज्य क्षेत्र	6056.46	394.44	10194.35	1962.38	12156.73
	केन्द्र	288.00	1400.00	6619.00	824.00	7443.00
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	8936.46	1794.44	16813.35	2786.38	19599.73

स्रोत : वार्षिक योजना 1992-93 (शिक्षा क्षेत्र) का विश्लेषण, योजना आयोग

विवरण संख्या 25

आठवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा पर हुए कुल परिव्यय में क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय की प्रतिशतता

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5 + कालम 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	63.03	6.13	79.78	20.22	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.00	1.84	100.00	0.00	100.00
3.	असम	61.80	2.00	95.07	4.93	100.00
4.	बिहार	64.55	6.61	79.69	20.31	100.00
5.	गोवा	35.00	1.42	83.33	16.67	100.00
6.	गुजरात	47.26	7.09	71.61	28.39	100.00
7.	हरियाणा	39.44	1.25	79.29	20.71	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	36.36	0.65	84.56	15.44	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	47.16	2.14	94.32	5.68	100.00
10.	कर्नाटक	42.85	1.96	94.77	5.23	100.00
11.	केरल	12.60	0.44	46.67	53.33	100.00
12.	मध्य प्रदेश	61.50	2.82	87.86	12.14	100.00
13.	महाराष्ट्र	36.64	2.30	76.43	23.57	100.00
14.	मणिपुर	55.51	2.79	92.52	7.48	100.00
15.	मेघालय	69.95	3.66	98.51	1.49	100.00
16.	मिजोरम	50.76	2.76	92.28	7.72	100.00
17.	नागालैण्ड	38.93	1.52	90.52	9.48	100.00
18.	उड़ीसा	39.76	7.36	86.42	13.58	100.00
19.	पंजाब	11.42	2.62	52.52	47.48	100.00
20.	राजस्थान	59.12	3.18	89.57	10.43	100.00
21.	सिक्किम	62.98	1.18	95.16	4.84	100.00
22.	तमिलनाडु	52.91	8.38	92.22	7.78	100.00
23.	त्रिपुरा	57.28	1.93	98.77	1.23	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	49.33	1.80	80.86	19.14	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	58.33	4.45	83.33	16.67	100.00
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	37.42	0.61	76.18	23.82	100.00
27.	चण्डीगढ़	24.01	1.20	79.11	20.89	100.00
28.	दादरा व नागर हवेली	54.77	0.47	84.35	15.65	100.00
29.	दमन व दीव	31.26	1.76	59.02	40.98	100.00
30.	दिल्ली	57.46	1.14	80.36	19.64	100.00
31.	लक्षद्वीप	23.93	2.28	100.00	0.00	100.00
32.	पांडिचेरी	31.72	0.70	65.23	34.77	100.00
	सभी राज्य क्षेत्र	49.82	3.24	83.86	16.14	100.00
	केन्द्र	38.69	18.81	88.93	11.07	100.00
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	45.59	9.16	85.78	14.22	100.00

विवरण संख्या 26

1994-95 के लिए क्षेत्रवार अनुमोदित योजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	जोड़ शिक्षा (कालम 5 + कालम 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.49	11.00	46.45	11.80	58.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	30.07	1.00	42.87	0.00	42.87
3.	असम	116.26	3.49	201.71	12.81	214.52
4.	बिहार	92.99	10.00	118.99	32.87	151.86
5.	गोवा	4.09	0.38	13.74	8.20	21.94
6.	गुजरात	14.51	3.95	34.35	24.00	58.35
7.	हरियाणा	34.24	2.00	74.00	38.97	113.37
8.	हिमाचल प्रदेश	29.24	0.60	67.47	11.37	78.84
9.	जम्मू और कश्मीर	34.49	1.03	76.49	4.91	81.40
0.	कर्नाटक	129.04	9.12	247.59	18.94	266.53
1.	केरल	0.00	0.00	25.75	25.00	50.75
2.	मध्य प्रदेश	101.65	6.80	193.63	49.90	243.53
3.	महाराष्ट्र	52.65	7.35	129.75	61.00	190.75
4.	मणिपुर	4.49	0.53	13.57	0.89	14.46
5.	मेघालय	19.50	1.00	25.75	0.56	26.31
6.	मिजोरम	5.75	0.18	9.81	0.75	10.56
7.	नागालैण्ड	4.87	0.07	8.93	1.10	10.03
8.	उड़ीसा	43.52	7.84	97.97	28.45	126.42
9.	पंजाब	12.33	1.50	54.28	41.90	96.18
0.	राजस्थान	110.00	4.10	211.94	28.81	240.75
1.	सिक्किम	6.60	0.12	10.25	0.25	10.50
2.	तमिलनाडु	42.57	19.24	81.60	15.03	96.63
3.	त्रिपुरा	17.00	0.80	27.50	0.15	27.65
4.	उत्तर प्रदेश	211.52	4.40	255.27	62.41	317.68
5.	पश्चिम बंगाल	29.49	5.26	78.94	21.70	100.64
6.	अ० व नि० द्वीप समूह	6.55	0.06	13.96	2.07	16.03
7.	चण्डीगढ़	3.14	0.00	9.87	2.16	12.03
8.	दादरा और नागर हवेली	1.50	0.05	2.75	0.85	3.60
9.	दमन व दीव	0.90	0.03	1.70	1.30	3.00
0.	दिल्ली	76.66	0.52	127.50	29.00	156.50
1.	लक्षद्वीप	0.54	0.03	1.48	0.00	1.48
2.	पांडिचेरी	5.27	0.00	12.76	3.24	16.00
	सभी राज्य क्षेत्र	1267.86	102.45	2319.02	540.39	2859.41
	केन्द्र	523.00	214.00	1318.46	231.00	1549.46
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	1790.86	316.45	3637.48	771.39	4408.87

: योजना आयोग

विवरण संख्या 27

क्षेत्रवार अनुमोदित परिव्यय की प्रतिशतता 1994-95

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रारम्भिक शिक्षा	प्रौढ़ शिक्षा	सामान्य शिक्षा	तकनीकी शिक्षा	कुल योग (कालम 5 + कालम 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	45.48	18.88	79.74	20.26	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	70.14	2.33	100.00	0.00	100.00
3.	असम	54.20	1.63	94.03	5.97	100.00
4.	बिहार	61.23	6.59	78.36	21.64	100.00
5.	गोवा	18.64	1.73	62.63	37.37	100.00
6.	गुजरात	24.87	6.77	58.87	41.13	100.00
7.	हरियाणा	30.20	1.76	65.63	34.37	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	37.09	0.76	85.58	14.42	100.00
9.	जम्मू और कश्मीर	42.37	1.27	93.97	6.03	100.00
10.	कर्नाटक	48.41	3.42	92.89	7.11	100.00
11.	केरल	0.00	0.00	50.74	49.26	100.00
12.	मध्य प्रदेश	41.74	2.79	79.51	20.49	100.00
13.	महाराष्ट्र	27.60	3.85	68.02	31.98	100.00
14.	मणिपुर	31.05	3.67	93.85	6.15	100.00
15.	मेघालय	74.12	3.80	97.87	2.13	100.00
16.	मिजोरम	54.45	1.70	92.90	7.10	100.00
17.	नागालैण्ड	48.55	0.70	89.03	10.97	100.00
18.	उड़ीसा	34.42	6.20	77.50	22.50	100.00
19.	पंजाब	12.82	1.56	56.44	43.56	100.00
20.	राजस्थान	45.69	1.70	88.03	11.97	100.00
21.	सिक्किम	62.86	1.14	97.62	2.38	100.00
22.	तमिलनाडु	44.05	19.91	84.45	15.55	100.00
23.	त्रिपुरा	61.48	2.89	99.46	0.54	100.00
24.	उत्तर प्रदेश	66.58	1.39	80.35	19.65	100.00
25.	पश्चिम बंगाल	29.30	5.23	78.44	21.56	100.00
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	40.86	0.37	87.09	12.91	100.00
27.	चण्डीगढ़	26.10	0.00	82.04	17.96	100.00
28.	दादरा और नागर हवेली	41.67	1.39	76.39	23.61	100.00
29.	दमन व दीव	30.00	1.00	56.67	43.33	100.00
30.	दिल्ली	48.98	0.33	81.47	18.53	100.00
31.	लक्षद्वीप	36.49	2.03	100.00	0.00	100.00
32.	पांडिचेरी	32.94	0.00	79.75	20.25	100.00
	सभी राज्य क्षेत्र	44.34	3.58	81.10	18.90	100.00
	केन्द्र	33.75	13.81	85.09	14.91	100.00
	जोड़ (केन्द्र व राज्य)	40.62	7.18	82.50	17.50	100.00

विवरण संख्या 28

शिक्षा पर बजट और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के निवल घरेलू उत्पाद के बीच सम्बन्ध

क्र० सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	वर्ष	शिक्षा विभाग द्वारा द्वारा शिक्षा पर व्यय	चालू कीमतों पर निवल घरेलू उत्पाद का अनुमान	निवल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर बजट की (सं०) प्रतिशतता
			(करोड़ रुपयों में)		
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1992-93	1355.31	39704.10	3.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1992-93	50.67	571.70	8.9
3.	असम	1992-93	680.01	11735.60	5.8
4.	बिहार	1992-93	1323.41	29341.50	4.5
5.	गोवा	1992-93	82.29	1222.00	6.7
6.	गुजरात	1992-93	1100.63	32239.80	3.4
7.	हरियाणा	1992-93	431.02	16391.80	2.6
8.	हिमाचल प्रदेश	1991-92	196.15	2797.90	7.0
9.	जम्मू और कश्मीर	1992-93	138.10	3368.10	4.1
10.	कर्नाटक	1992-93	1151.51	29121.50	4.0
11.	केरल	1993-94	1130.69	16944.60	6.7
12.	मध्य प्रदेश	1992-93	1118.89	32306.60	3.5
13.	महाराष्ट्र	1992-93	2305.12	75481.30	3.1
14.	मणिपुर	1991-92	85.23	760.50	11.2
15.	मेघालय	1992-93	77.17	1070.70	7.2
16.	मिजोरम	1990-91	42.51	304.00	14.0
17.	नागालैण्ड	1991-92	49.46	680.50	7.3
18.	उड़ीसा	1992-93	698.07	12922.20	5.4
19.	पंजाब	1992-93	657.93	22499.20	2.9
20.	राजस्थान	1993-94	1129.38	23302.20	4.8
21.	सिक्किम	1991-92	26.71	223.80	11.9
22.	तमिलनाडु	1992-93	1546.19	35224.50	4.4
23.	त्रिपुरा	1990-91	103.37	930.60	11.1
24.	उत्तर प्रदेश	1992-93	2267.67	61266.90	3.7
25.	पश्चिम बंगाल	1992-93	1515.11	41603.50	3.6
26.	अ० व नि० द्वीप समूह	1992-93	24.31	207.90	11.7
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
28.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—
29.	दमन व दीव	—	—	—	—
30.	दिल्ली	1991-92	306.08	11201.30	2.7
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	1992-93	42.08	792.80	5.3
	अखिल भारत (केन्द्र + रा/सं० क्षेत्र०)	1992-93	21369.90	556344.00	3.8

स्वैच्छिक संगठनों का अनुदान

29—1000 M/o HRD/94

वर्ष 1993-94 के दौरान एक-मुश्त 1.00 लाख और इससे अधिक रु० का अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों की सूची

क्र० सं०	संस्था/संगठन का नाम	अनावर्ती (रु० हजार में)	अनुदान का प्रयोजन
1.	अध्यक्ष, सिरसा साक्षरता मिशन सिरसा, हरियाणा	4500.00	पूर्ण साक्षरता अभियान
2.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भावनगर, गुजरात	7823.00	उ०सा०अ०
3.	अध्यक्ष, किन्नौर साक्षरता अभियान समिति, हिमाचल प्रदेश	400.00	पू०सा०अ०
4.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सतना मध्य प्रदेश	3000.00	पू०सा०अ०
5.	अध्यक्ष, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मधेपुरा, बिहार	2500.00	पू०सा०अ०
6.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, कोरापुट, उड़ीसा	10,875.00	पू०सा०अ०
7.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति बनासकांठा गुजरात	1500.00	पू०सा०अ०
8.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, आजमगढ़ पू प्र०	3000.00	पू०सा०अ०
9.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मऊ उ० प्र०	6142.50	पू०सा०अ०
10.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, कुडप्पा, आन्ध्र प्रदेश	3000.00	उ०सा०अ०
11.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति भरूच, गुजरात	4830.00	उ०सा०अ०
12.	अध्यक्ष, कच्छ जिला साक्षरता समिति भुज कच्छ, गुजरात	6000.00	पू०सा०अ०
13.	अध्यक्ष, ग्वालियर साक्षरता समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	6500.00	पू०सा०अ०
14.	अध्यक्ष, जिला अक्षर साधना, रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश	7300.00	पू०सा०अ०
15.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति, लातूर महाराष्ट्र	1800.00	उ०सा०अ०
16.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मलकानगिरि, उड़ीसा	8000.00	पू०सा०अ०
17.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, भोजपुर, बिहार	4000.00	पू०सा०अ०
18.	अध्यक्ष, विशाखा अक्षर ज्योति विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश	10000.00	पू०सा०अ०
19.	जिला साक्षरता समिति, भिण्ड, मध्य प्रदेश	4500.00	पू०सा०अ०
20.	जिला साक्षरता समिति, जौनपुर, उ०प्र०	3512.00	पू०सा०अ०
21.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति परभनी, महाराष्ट्र	7500.00	पू०सा०अ०
22.	अध्यक्ष, जिला मंजीरा अक्षर ग्रमा मेडक, आन्ध्र प्रदेश	13600.00	पू०सा०अ०
23.	अध्यक्ष, जिला अक्षर ज्योति समिति, जालना, महाराष्ट्र	1500.00	पू०सा०अ०
24.	अध्यक्ष, मदुरै जिला आरिवोलि आयक्कम, मदुरै	5000.00	पू०सा०अ०
25.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति, बीड, महाराष्ट्र	3000.00	पू०सा०अ०
26.	अध्यक्ष, सतपुड़ा साक्षरता समिति छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश	2000.00	पू०सा०अ०
27.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता परिषद गजपति, उड़ीसा	6188.00	पू०सा०अ०
28.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, जालौन, पू०प्र०	5337.00	पू०सा०अ०
29.	अध्यक्ष, मंडी साक्षरता समिति, मंडी, हि० प्र०	1500.00	पू०सा०अ०
30.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति पालि, राजस्थान	9300.00	पू०सा०अ०
31.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, दुमका, बिहार	14029.00	पू०सा०अ०
32.	अध्यक्ष, तेन्नारकाडु मावट्टा, आरिवोलि आयक्कम दक्षिणी अरकोट, तमिलनाडु	13,300.00	पू०सा०अ०
33.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति जमुई, बिहार	3000.00	पू०सा०अ०
34.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, खेड़ा, गुजरात	4200.00	उ०सा०अ०
35.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, अमरावती, महाराष्ट्र	6300.00	पू०सा०अ०
36.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मनाली, हि०प्र०	2134.00	पू०सा०अ०
37.	अध्यक्ष, अक्षर अलकू साक्षरता समिति, बेंगलूर ग्रामीण, कर्नाटक	11700.00	पू०सा०अ०
38.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, रीवा, म० प्र०	2000.00	उ०सा०अ०

क्र० सं०	संस्था/संगठन का नाम	अनावर्ती (रु० हजार में)	अनुदान का प्रयोजन
39.	अध्यक्ष, तिरुवन्नामलाई संबुवारियार आरिवोलि आयवक्कम, तमिलनाडु	16.000.00	उ०सा०अ८
40.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, वडोदरा, गुजरात	8250.00	उ०सा०अ८
41.	अध्यक्ष, साक्षर वाहिनी, मैसूर, कर्नाटक	19400.00	पु०सा०अ०/उ०सा०अ८
42.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, टोंक, राजस्थान	9750.00	पू०सा०अ८
43.	अध्यक्ष, अक्षर यात्रा अभियान समिति, बिलासपुर, मध्य प्रदेश	15000.00	उ०सा०अ०/पू०सा०अ८
44.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति, नान्देड, महाराष्ट्र	8166.00	उ०सा०अ०
45.	अध्यक्ष, कोवय आरिवोली आयवक्कम कोयम्बटूर, तमिलनाडु	3200.00	पू०सा०अ०
46.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति लखीमपुर खरी, उ० प्र०	23524.00	पू०सा०अ०
47.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति ललितपुर, उ० प्र०	5742.00	पू०सा०अ०
48.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति खगडिया, बिहार	8500.00	पू०सा०अ०
49.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति फर्रुखाबाद, उ० प्र०	15700.00	पू०सा०अ०
50.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	3200.00	पू०सा०अ०
51.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, देवास मध्य प्रदेश	5765.00	पू०सा०अ०
52.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मेहसाना, गुजरात	7013.00	पू०सा०अ०
53.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, जामनगर, गुजरात	5535.00	पू०सा०अ०
54.	अध्यक्ष, दिल्ली सर्वशिक्षा अभियान समिति, दिल्ली	5543.00	पू०सा०अ०
55.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति जम्मू, जम्मू और कश्मीर	2500.00	पू०सा०अ०
56.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति विजयनगरम	17500.00	पू०सा०अ०
57.	अध्यक्ष, अक्षर धारा, चिकमंगलूर, कर्नाटक	5700.00	पू०सा०अ०
58.	अध्यक्ष, तिरुनेलवल्ली कट्टबोम्मान जिला आरिवोलि आयवक्कम तिरुनेलवली, तमिलनाडु	1100.00	पू०सा०अ०
59.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, अमरेली, गुजरात	3050.00	पू०सा०अ०
60.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, झाबुआ, मध्य प्रदेश	1443.00	पू०सा०अ०
61.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति फैजाबाद, उ० प्र०	2000.00	पू०सा०अ०
62.	अध्यक्ष, डिंडीगुल अन्ना आरिवोलि आयवक्कम डिंडीगुल तमिलनाडु	5000.00	पू०सा०अ०
63.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सिरमौर, हि०प्र०	433.00	पू०सा०अ०
64.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, कांगड़ा, हि० प्र०	1500.00	पू०सा०अ०
65.	अध्यक्ष, बांकुड़ा जिला साक्षरता प्रसार समिति, बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल	1200.00	उ०सा०अ०
66.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति वर्दवान, प० बं०	1700.00	उ०सा०अ०
67.	अध्यक्ष, हमीरपुर साक्षरता अभियान समिति, हमीरपुर, हि० प्र०	500.00	पू०सा०अ०
68.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, दतिया, मध्य प्रदेश	4375.00	पू०सा०अ८
69.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, केन्द्र-शासित क्षेत्र चंडीगढ़	1800.00	पू०सा०अ८
70.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, बहराइच, उ० प्र०	16800.00	पू०सा०अ८
71.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, डूंगरपुर, राजस्थान	6200.00	उ०सा०अ८
72.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, आगरा, उ० प्र०	7500.00	पू०सा०अ८
73.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, अहमदाबाद ग्रामीण, गुजरात	2000.00	पू०सा०अ८
74.	अध्यक्ष, जिला सार्विक साक्षरता प्रसार समिति पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	16600.00	पू०सा०अ८
75.	अध्यक्ष, धर्मपुरी जिला आरिवोलि परिषद धर्मपुरी, तमिलनाडु	3000.00	पू०सा०अ८
76.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, साबरकांठा, गुजरात	1500.00	पू०सा०अ८
77.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, बलसाड, गुजरात	5500.00	पू०सा०अ८

क्र० सं०	संस्था/संगठन का नाम	अनावर्ती (रु० हजार में)	अनुदान का प्रयोजन
78.	अध्यक्ष, भारत ज्ञान विज्ञान समिति रायपुर, मध्य प्रदेश	18773.00	उ०सा०अ०/पू०सा०अ०
79.	अध्यक्ष, जिला अक्षर प्रभा समिति, बेलगाम, कर्नाटक	2500.00	पू०सा०अ०
80.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सुलतानपुर, उ० प्र०	13650.00	पू०सा०अ०
81.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति उत्तरी त्रिपुरा	3750.00	पू०सा०अ०
82.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति प्रतापगढ़, उ० प्र०	12500.00	पू०सा०अ०
83.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, राजकोट, गुजरात	4647.00	पू०सा०अ०
84.	अध्यक्ष, अहमदाबाद जिला साक्षरता समिति, अहमदाबाद	7232.00	उ०सा०अ०
85.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, गाजीपुर, उ० प्र०	15419.00	पू०सा०अ०
86.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सीधी, मध्य प्रदेश	3000.00	पू०सा०अ०
87.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश	4393.00	पू०सा०अ०
88.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, रायगढ़, मध्य प्रदेश	10009.00	पू०सा०अ०/उ०सा०अ०
89.	अध्यक्ष, साक्षरता वाहिनी, धनबाद, बिहार	17196.00	पू०सा०अ०
90.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मिर्जापुर, उ०प्र०	4564.00	पू०सा०अ०
91.	अध्यक्ष, सलेम जिला आरिवोली, आयक्कम सलेम, तमिलनाडु	21000.00	पू०सा०अ०
92.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति पंचमहल, गुजरात	14475.00	पू०सा०अ०
93.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता परिषद, दमन संघशासित क्षेत्र	140.00	पू०सा०अ०
94.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, उत्तर-काशी, उ० प्र०	1923.00	पू०सा०अ०
95.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मुंगेर, बिहार	11300.00	पू०सा०अ०
96.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, पन्ना, मध्य प्रदेश	4600.00	पू०सा०अ०
97.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, टिहरी गढ़वाल उ० प्र०	4521.00	पू०सा०अ०
98.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, शाजापुर, मध्य प्रदेश	6400.00	पू०सा०अ०
99.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, देवरिया, उ० प्र०	25670.00	पू०सा०अ०
00.	अध्यक्ष, साक्षर किरण समिति, गुलबर्गा, कर्नाटक	17300.00	पू०सा०अ०
01.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश	20500.00	पू०सा०अ०
02.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति पूर्वी-गोदावरी	28000.00	पू०सा०अ०
03.	अध्यक्ष, जिला सार्विक साक्षरता ओ-जन स्वास्थ्य अभियान समिति, मालदा	9000.00	पू०सा०अ०
04.	अध्यक्ष, साक्षर कावेरी समिति कोडगू, कर्नाटक	3000.00	पू०सा०अ०
105.	अध्यक्ष, साक्षर औरंगाबाद समिति, औरंगाबाद, बिहार	10725.00	पू०सा०अ०
106.	अध्यक्ष, जिला अक्षर्सयता समिति, अदीलाबाद, आन्ध्र प्रदेश	22400.00	पू०सा०अ०
[illegible].	अध्यक्ष, केरल साक्षरता समिति, केरल	10000.00	उ०सा०अ०
108.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता प्रसार समिति, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल	25365.00	पू०सा०अ०
109.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश	7500.00	पू०सा०अ०
10.	अध्यक्ष, साक्षर हक समिति ग्रेटर बंबई, महाराष्ट्र	18400.00	पू०सा०अ०
11.	अक्षर तेने कोलार जिला साक्षरता समिति, कोलर कर्नाटक	13200.00	पू०सा०अ०
12.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति संबलपुर, उड़ीसा	12130.00	पू०सा०अ०
13.	अध्यक्ष, अक्षरवाणी जिला साक्षरता समिति चित्रदुर्ग, कर्नाटक	13700.00	उ०सा०अ०
14.	अध्यक्ष, तुमकुर साक्षरता मित्र, तुमकुर, कर्नाटक	10000.00	उ०सा०अ०
15.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, खंडवा, मध्य प्रदेश	7683.00	पू०सा०अ०
16.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, नयागढ़, उड़ीसा	6045.00	पू०सा०अ०
17.	अध्यक्ष, धारवाड़ जिला साक्षर दीप समिति, धारवाड, कर्नाटक	17183.00	पू०सा०अ०/उ०सा०अ०

क्र० सं०	संस्था/संगठन का नाम	अनावर्ती (रु० हजार में)	अनुदान का प्रयोजन
118.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, रायसेना, मध्य प्रदेश	6450.00	पू०सा०अ८
119.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, हमीरपुर, उ० प्र०	10475.00	पू०सा०अ८
120.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति, कोल्हापुर महाराष्ट्र	8125.00	पू०सा०अ८
121.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, रायबरेली, उ० प्र०	17400.00	पू०सा०अ८
122.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, विदिशा, मध्य प्रदेश	4168.00	पू०सा०अ८
123.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	2500.00	पू०सा०अ८
124.	अध्यक्ष, काकतिया अक्षर दीपिका, वारंगल आन्ध्र प्रदेश	14600.00	पू०सा०अ८
125.	अध्यक्ष, अक्षर विजय बेल्लारी, कर्नाटक	14000.00	पू०सा०अ८
126.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सुपौल, बिहार	16158.00	पू०सा०अ८
127.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति सागर, मध्य प्रदेश	2500.00	पू०सा०अ८
128.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, बाराबंकी, उ० प्र०	16000.00	पू०सा०अ८
129.	अध्यक्ष, उत्तर कन्नड, साक्षरता जनाना वाहिनी, उत्तर कन्नड, कर्नाटक	800.00	पू०सा०अ८
130.	अध्यक्ष, त्रिचुरापल्लर भावट्टा, आरित्थोलि, आयक्कम, तमिलनाडु	23000.00	पू०सा०अ०
131.	अध्यक्ष, अक्षर कृष्णा साक्षरता समिति, कृष्णा आन्ध्र प्रदेश	19500.00	पू०सा०अ०
132.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता अभियान समिति, यावतमल, महाराष्ट्र	9736.00	पू०सा०अ०
133.	अध्यक्ष, हिसार साक्षरता समिति, हिसार, हरियाणा	13605.00	पू०सा०अ०
134.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, बारन, राजस्थान	7560.00	पू०सा०अ०
135.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति पश्चिमी त्रिपुरा, त्रिपुरा	8085.00	पू०सा०अ०
136.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, मथुरा, उ० प्र०	5465.00	पू०सा०अ०
137.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, होशियारपुर, पंजाब	2500.00	पू०सा०अ०
138.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, तिनसुकिया, असम	2500.00	पू०सा०अ०
139.	अध्यक्ष, जिला आरित्थोलि आयक्कम, तंजावूर, तमिलनाडु	2000.00	पू०सा०अ०
140.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, सतना, मध्य प्रदेश	5433.00	पू०सा०अ०
141.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, दक्षिणीत्रिपुरा, त्रिपुरा	10410.00	पू०सा०अ०
142.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, अलवर, राजस्थान	17387.00	पू०सा०अ०
143.	अध्यक्ष, अक्षर प्रभा समिति, बेलगाम, कर्नाटक	21000.00	पू०सा०अ०
144.	अध्यक्ष, जिला अक्षरयस्थ समिति, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश	7250.00	उ०सा०अ०
145.	अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	824.00	उ०सा०अ०

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य संसाधन केन्द्रों को जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य संसाधन केन्द्र का नाम	जारी किए गए अनुदान की राशि		उद्देश्य
		आवर्ती	अनावर्ती	
1.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र गुजरात विद्यापीठ आश्रम रोड, अहमदाबाद	8,00,000/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान, प्रचार माध्यम (मीडिया)/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
2.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, मार्फत भारतीय शिक्षा संस्थान, 28/2, जे० पी० नायक रोड, कोठरूड पुणे	8,00,000/- रु० 1,85,845/- रु०		अनुरक्षण अनुदान।
		9,85,845/- रु०	3,00,000/- रु०	प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
			2,00,000/- रु०	निर्माण अनुदान।
3.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, भारतीय ग्रामीण महिला संघ योजना संख्या-71, सैक्टर डी चन्द्रा नगर पुलिस स्टेशन के पीछे, इन्दौर शहर	12,88,242/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
4.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र मार्फत बंगाल समाज सेवा लीग 1/6 राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, कलकत्ता	8,33,838/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
5.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ, 7-ए-झालाना, डूंगरी इंस्टीटयूशनल एरिया, जयपुर	3,00,000/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
6.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड संख्या! वेस्ट फर्स्ट स्ट्रीट वैंकटारत्नम नगर, अडयार, मद्रास	9,86,692/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
7.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	16,76,051/- रु०	1,50,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
8.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता सदन, आंध्र महिला सभा, एम एस महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय रोड, हैदराबाद।	9,92,466/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाल आयोजित करने के लिए।
9.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षा भवन, यूनिट V भुवनेश्वर	10,37,667/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
10.	अनौपचारिक शिक्षा के लिए केरल संघ (कन्फैड), भागीरथ निवास टी सी XXIV/1691 तकक्षना थायकौड, थिरुवनंथपुरम।	7,40,295/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
11.	राज्य संसाधन केन्द्र "दीपायतन" बुद्ध कालोनी पटना	6,00,000/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।

क्र० सं०	राज्य संसाधन केन्द्र का नाम	जारी किए गए अनुदान की राशि		उद्देश्य
		आवर्ती	अनावर्ती	
12.	कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद 501, चित्रभान रोड ए एण्ड बी ब्लाक, कुवेम्पुनगर, मैसूर	8,00,000/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
13.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता सदन डाकखाना आलम बाग, लखनऊ	—	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
14.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	—	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
15.	राज्य संसाधन केन्द्र,महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	—	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
16.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, नसीम बाग परिसर कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरत बल, श्रीनगर	—	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।
17.	राज्य संसाधन केन्द्र उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय बिजानी काम्पलैक्स लैदुमखराम, शिलांग	— 3,00,000/- रु०	3,00,000/- रु०	अनुरक्षण अनुदान। प्रचार माध्यम/लेखक कार्यशाला आयोजित करने के लिए।

1-4-93 से 31-3-94 के बीच निजी संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तिगत को संस्वीकृत सहायता अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

कुल अवमुक्त अनुदान (आवर्ती) = 1,00,000 डी. आर.
कुल अवमुक्त अनुदान (अनावर्ती) = 1,00,000
मंत्रालय : मानव संसाधन विकास मंत्रालय
विभाग : शिक्षा विभाग

क्र० सं०	संस्था/संगठन का नाम		आवर्ती	अनावर्ती	अनुदान का उद्देश्य
1	2		3	4	5
1.	आंध्र महिला सभा		0	10,964	प्रौ०शि०के०
	कालेज कैम्पस		1,22,411	9,462	ज०शि०नि०
	यूनिवर्सिटी रोड				
	हैदराबाद-500007	कुल	1,22,411	20,426	
2.	बुद्ध समाज कल्याण		0	2,35,248	सं०सा०अ०
	परिषद				
	गांव सुजाना नगर, डा. भलुई चट्टी, गया (बिहार)-824201	कुल	0	2,35,248	
3.	लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान				
	कालेजरोड बारावतोली				
	लोहरदगा 835 302, बिहार	कुल	0	1,30,045	
4.	शर्मिला ग्रामीण शिल्प		0	1,20,522	प्रौ०शि०के०
	कला केन्द्र				
	पौठना, डाक-भगन बिघा				
	कोकामा, पटना				
	बिहार-843158	कुल	0	1,20,522	
5.	जे०वी० सरैसा सेवाश्रम		0	1,97,360	सं०सा०अ०
	कौवा चोक, डाक जोरपुरा				
	जिला समस्तीपुर (बिहार)-848504	कुल	0	1,97,360	
6.	शिशु नारी प्रशिक्षण संस्थान		0	1,06,142	सं०सा०अ०
	डाक. जलालपुर				
	मोहियुद्दीन नगर				
	जिला-समस्तीपुर				
	बिहार-848501	कुल	0	1,06,142	
7.	अल्टरनेटिव फार इंडिया	कुल	0	1,51,523	टी.आर.जी.
	डेवलपमेंट	कुल	0	1,51,523	टी.आर.जी.
	प्लोट नं० 1, बी. जी.				
	एन. नगर				
	इय्यपांथगल				
	डाक. कुट्टूपक्कम				
	मद्रास 600056, तमिलनाडु	कुल	0	3,03,046	

0—1000 M/o HRD/94

1	2		3	4	5
8.	गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट आशीर्वाद 9/बी. केशव नगर सोसाइटी सुभाष पुल के पास अहमदाबाद-380027		0	5,74,000	डी.आर
		कुल	0	5,74,000	
9.	श्रीमती बी. के. बलजोशी एजुकेशन ट्रस्ट दूसरा तल, रिलीप कम्प्लेक्स वेपारी जीन कलोल (एन.जी.) जिला मेहसाणा (382721)		0	1,98,000	डी.आ.
		कुल	0	1,98,000	
10.	वडोदरा जिला पंचायत सेवा मण्डल, सरदार भवन रावपुरा रोड, बड़ोदरा-390001		0	2,10,155	प्रौ०शि०व
		कुल	0	2,10,155	
11.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र मध्य प्रदेश भारतीय ग्रामीण महिला संघ एम.बी.ब्रांच इंदौर		0	2,00,000	एम.एस
		कुल	0	2,00,000	
12.	श्री मालवा महिला विकास समिति गबोईपुरा, जिला-राजगढ़ शाखा सिरोंज म० प्र०		0	4,55,000	सं०सा०
		कुल	0	4,55,000	
13.	इंडियन इंस्टीटयूट आफ एजुकेशन 128/2. जे.पी. नायक रोड़ कोथरूड पुणे-411029		0	7,28,000	डी. आर.
		कुल	0	7,28,000	
14.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी नगर, वर्धा महाराष्ट्र-442003		1,52,000	0	ज. शि.
		कुल	1,52,000	0	
15.	कमेटी आफ रिसोर्स आर्गनाइजेशन फार मास प्रोग्राम आफ फंक्शनल लिटेरेसी, द्वारा डा. माधव चव्हाण रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय, मातुंगा, बम्बई-400019		0	2,72,797	डी.आर
		कुल	0	2,72,797	

2		3	4	5
जयन्ती पाठागार खड़पाड़ा डाक : ब्रह्मब्रदा ब्लाक : धर्मुरला जिला कटक (उड़ीसा) पिन-755005		0	1,54,269	टी.एल.सी.
	कुल	0	1,54,269	
जोय भारती साथी समाज डाक-सबलोंग कानीपाड़ा वाया-चंडोल जिला-कटक, उड़ीसा-754208		0	9,96,902	सं.सा.अ.
	कुल	0	9,96,902	
पारादीप साक्षरता समिति पारादीप पोर्ट कटक उड़ीसा-754142	कुल	0	1,47,551	सं.सा.अ.
	कुल	0	1,47,551	
विश्वास खरियार रोड नवपाड़ा ब्लाक, जिला कालाहांडी-766104 उड़ीसा		0	3,00,000	सं.सा.अ.
	कुल	0	3,00,000	
भारतीय जन कल्याण केन्द्र जमुनादईपुर, डाक : भंजपुर जिला-मयूरभंज उड़ीसा-757002		0	4,63,824	सं.सा.अ.
	कुल	0	4,63,824	
अन्त्योदय चेतना मंडल, डाक : बरकांड वाया-मोरदा जिला : मयूरभंज उड़ीसा-757016		0	5,00,000	सं.सा.अ.
	कुल	0	5,00,000	
बापूजी युवा परिषद ठाकुरमुंडा जिला-मयूरभंज उड़ीसा		0	2,67,715	सं.सा.अ.
	कुल	0	2,67,715	
विद्युत क्लब हल्दियापाड़ा डाक : वाया बाजपुर जिला पुरी-752060		0	1,81,789	सं.सा.अ.
	कुल	0	1,81,798	

1	2		3	4	5
24.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान डाक : दयाविहार (कनार) जिला-पुरी (उड़ीसा) पिन-752017		0	3.03.909	सं.सा.अ.
		कुल	0	3,03,009	
25.	ग्राम उन्नयन समिति भुवनपति डाक मानपाड़ा वाया ब्रहमगिरि जिला पुरी, उड़ीसा		0	2,14,217	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,14,217	
26.	भारत सेवा परिषद कल्याण नगर डाक : सदनगोई जिला : पुरी, उड़ीसा-752015		0	1,94,742	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,94,742	
27.	श्री श्री बलिकापिलेश्वर युवा संघ तथा पाठागार दामपुर डाक : बीदबोई जिला : पुरी उड़ीसा-752016		0	1.79,430	सं.सा.अ.
		कुल	0	01,79,430	
28.	इंस्टीट्यूट फार सैल्फ एम्प्लायमेंट एंड रूरल डवलपमेंट कहलपाड़ा डाक : ब्रहनणिया जिला-पुरी, उड़ीसा-752011		0	1,45.406	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,45,406	
29.	नीरद छैलपाड़ा डाक : कालकाला वाया बायरी जिला : कटक उड़ीसा-754082		0	1,71.551	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,71,551	
30.	वारसा रामपुर डाक-रामकृशनपुर जिला-भद्रिक उड़ीसा-756113		0	1,16,030	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,16,030	
31.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ 8/199. सिन्धु नगर भीलवाड़ा-311001 राजस्थान		1,57,500	0	ज.शि.नि.
		कुल	1,57,500	0	

1	2		3	4	5
32.	नव युवक मण्डल एफ 138, मोहन नगर हिंडन सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान		0	2,23,714	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,23,714	
33.	एजुकेशन एंड अपलिफ्ट सोसाइटी फार रूरल डीउम टोडीन 6, आर.सी. स्कूल स्ट्रीट गांधी नगर मदुरान्तकम जिला-चंगलपट्टू तमिलनाडु-603306		2,48,160	80,250	सं.सा.अ.
		कुल	2,48,160	80,250	
34.	एशोसिएशन आफ नेशनल सर्विस 316, एन.जी.ओ.कालोनी चंगलपट्टू-603001 तमिलनाडु		0	6,24,249	सं.सा.अ.
		कुल	0	6,24,249	
35.	कंडास्वामी केंडस्स ट्रस्ट बोर्ड वेलूर, जिला-सेलम तमिलनाडु-638182		85,750	2,57,250	ज.शि.नि.
		कुल	85,750	2,57,250	
36.	कांग्रेगेशन आफ दी सिस्टर्स आफ दी क्रास आफ चवनोड पो०बो० नं० 395 ओल्ड गुड्स शेड रोड, टेम्पाकुलम, तिरुचरापल्ली तमिलनाडु-620002		83,221 0	2,44,781 1,00,000	ज.शि.नि. उ०सा०अ०
		कुल	83,221	3,44,781	
37.	अरनाड वेलालार संगम 1-2 सन्नाथी स्ट्रीट त्रिरुवनाकोइल तिरुचिरापल्ली-620005 तमिलनाडु		0 0	19,500 85,020	ज.शि.नि. सं.सा.अ.
		कुल	0	1,04,520	
38.	खाजामलाई लेडीज एशोसिएशन डाक-खाजामलई जिला-त्रिरुचिरापल्ली तमिलनाडु-620023		77,622 0	20,250 3,69,547	ज.शि.नि. उ.सा.अ.
		कुल	77,622	3,89,797	
	सोसाइटी फार एजुकेशन विलेज एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट नं. 6, III स्ट्रीट, अन्नानगर पैट्टाथालई जिला-तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु-639192		0	2,00,000	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,00,000	

1	2		3	4	5
40.	पंजाब एसोसिएशन लाजपतराय भवन पो.बा.नं. 416 170, 171, 172 पीटर्स रोड रोयापीट्टाह मद्रास-600014		1,57,500 0	45,500 1,00,000	ज.शि.नि. उ.सा.अ.
		कुल	1,57,500	1,45,500	
41.	वूमेन्स वालंटरी सर्विस आफ तमिलनाडु, 19, ईस्ट स्पुर टैंक रोड, चेटपेट, मद्रास-600031 तमिलनाडु		2,17,000	0	ज.शि.नि.
		कुल	2,17,000	0	
42.	वूमेन्स इंडिया एसोसिएशन 43, ग्रीनवेज रोड मद्रास-600028 तमिलनाडु		52,500 0	17,500 2,82,450	ज.शि.नि. उ.सा.अ.
		कुल	52,500	2,99,950	
43.	तमिलनाडु बोर्ड आफ कंटीन्यूइंग एजूकेशन द्वारा स्टेट रिसोर्स सेंटर नं. 4, II स्ट्रीट वेंकटेश्वर नगर, अडयार, मद्रास-600020		0	4,50,000	उ.सा.अ.
		कुल	0	4,50,000	
44.	बहरागंज, ग्रामोद्योग विकास संस्थान 109, टैगोर टाउन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-211002		0	1,13,750	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,13,750	
45.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान बिसोली, बदायूं, पिन-202520 उत्तर प्रदेश		0	2,83,600	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,83,600	
46.	सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइंस जल निगम कार्यालय के पास बदायूं-243601		0	3,62,000	सं.सा.अ.
		कुल	0	3,62,000	
47.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति ग्राम-भदेहदू, डाक बबेरू जिला-बाँदा उत्तर प्रदेश		0	3,71,500	सं.सा.अ.
		कुल	0	3,71,500	
48.	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्था मुरारी नगर जी.टी.रोड खुर्जा, जिला-बुलन्दशहर उ.प्र.		0	1,01,533	ज.शि.नि.
		कुल	0	1,01,533	

1	2		3	4	5
49.	रूरल लिटिगेशंस एंड एंटाइटलमेंट केन्द्र 21, ईस्ट कैनाल रोड, देहरादून 248001, उत्तर प्रदेश		0	6,58,129	सं.सा.अ.
		कुल	0	6,58,129	
50.	युवा एवं बाल विकास समिति राम गुलाम टोला काली मंदिर के पास देवरिया उत्तर प्रदेश-274001		0	2,40,500	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,40,500	
51.	मानव सेवा संस्थान अथारहा डाक-गौनरिया कप्तानगंज जिला देवरिया उ.प्र.-274301		0	1,17,435	उ.सा.अ.
		कुल	0	1,17,435	
0					
52.	किशन आदर्श शिक्षा समिति बभनौली, डाक-रामकोला जिला देवरिया उ.प्र.		0	1,19,620	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,19,620	
53.	मानव हितकारी समिति ग्राम-जटमालपुर डाक-पिपरपती देवरिया उत्तर प्रदेश		0	1,90,125	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,90,125	
54.	सुमन प्रौद्योगिकी संस्थान चान्दी, गंजडुंडवाडा, जिला-एटा उ.प्र.		0	1,64,110	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,64,110	
55.	इंस्टीट्यूट आफ सोशल हैल्थ		47,250	0	ज.शि.नि.
	वेल्फेयर रूरल डेवलपमेंट एंड एजूकेशनल सोसाइटी रसूलपुर (दियारा) दोस्तपुर फैजाबाद, उत्तर प्रदेश		0	3,42,225	सं.सा.अ.
		कुल	47,250	3,42,225	
56.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्राम तथा डाक-बीकापुर जिला फैजाबाद उ.प्र.-224205		0	1,09,305	उ.सा.अ.
		कुल	0	1,09,305	

1	2		3	4	5
57.	विवेकानन्द संस्थान अकबरपुर फैजाबाद उ.प्र.-224122		0	6.30.419	सं.सा.औ
		कुल	0	6.30.419	
58.	नेशनल हरिजन स्कूल		0	15.750	ज.शि.नि
	बहरियाबाद, तहसील सैदपुर जिला-गाजीपुर उ.प्र.-233001		0	3.04.580	सं.सा.अ
		कुल	0	3.20.330	
59.	अशोक संस्थान कुंडेसर जिला-गाजीपुर उ.प्र.-233234		0	2,65,927	उ.सा.अ
		कुल	0	2,65,927	
60.	आर.वी. असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान, डाक-कर्नलगंज जिला-गोंडा उ.प्र.		0	2,94,218	सं.सा.अ
		कुल	0	2,94,218	
61.	आदर्श जन कल्याण परिषद बिलग्राम जिला-हरदोई उ.प्र.		0	1,42,000	सं.सा.अ
		कुल	0	1,42,000	
62.	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान डाक-अलीपुर, जिला-हरदोई उ.प्र.-241001		0	173,425	सं.सा.अ
		कुल	0	1,73,425	
63.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति 504/63. टैगोर मार्ग निकट बड़ी माता मन्दिर डालीगंज लखनऊ		0	1,58,370	उ.सा.ए
		कुल	0	1,58,370	
64.	बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (वाया तुरी) जिला-मिर्जापुर (सोनभद्र) उ.प्र.-231211		0	20,18,097	सं.सा.ए
		कुल	0	20,18,097	
65.	महिला पुनरोत्थान समिति गांव व डाक बरकच्छा जिला-मिर्जापुर उ.प्र.-231001		0	2,26,638	सं.सा.ए
		कुल	0	2,26,638	

1	2		3	4	5
66.	स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति संकटा घाट मिर्जापुर उ.प्र.-231001		0	1,42,594	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,42,594	
67.	आदर्श सेवा समिति		0	17,500	ज.शि.नि.
	326/1. साकेत कालोनी		0	2,26,350	उ.सा.अ.
	लेन नं. 6, मुजफ्फरनगर पिन-251001				
		कुल	0	2,43,850	
68.	आजाद सेवा समिति वी.वी.इंटर कालेज रोड शामली-247776 उ.प्र.		0	4,77,500	सं.सा.अ.
		कुल	0	4,77,500	
69.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन महुआदबरा डाक-जसपुर जिला-नैनीताल (उ.प्र.) पिन-244712		0	3,00.000	सं.सा.अ.
		कूल	0	3,00.000	
70.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान ग्राम-कहल कबीरा डाक-भावाली जिला-नैनीताल उ.प्र.-263001		0	1,96,500	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,96,500	
71.	निशात शिक्षा समिति स्थान नई बस्ती,		0	70,000	ज.शि.नि.
	हल्द्वानी, जिला-नैनीताल		0	2,30,622	सं.सा.अ.
	उत्तर प्रदेश-पिन-263139				
		कुल	0	3,00,622	
72.	यू.पी. राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति		2,10,000	0	ज.शि.नि.
	गुलाब रोड, राय बरेली, उ.प्र.		0	3,25,530	उ.सा.अ.
		कुल	2,10,000	3,25,530	
73.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति गांव-खेड़ा अफगान ब्लाक-नकुल जिला सहारनपुर उ.प्र.		0	2,81,163	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,81,163	
	दिशा सामाजिक संगठन सुल्तानपुर चिल्काना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश-247231		0	3,24,385	सं.सा.अ.
		कुल	0	3,24,385	

31—1000 M/o HRD/94

1	2		3	4	5
75.	नव चेतना विकास समिति गांव व डाक-मैनासी सरैयाँ जिला-सीतापुर उत्तर प्रदेश		0	1,90,125	सं.सा.अ
		कुल	0	1,90,125	
76.	ग्राम विकास सेवा संस्थान डाक-जगदीशपुर जिला-सुल्तानपुर उ.प्र.-227809		0	1,15,500	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,15,500	
77.	माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सरेसर संस्थान डाक-सरेसर जिला-सहारनपुर उत्तर प्रदेश-227809		0	1,42,950	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,42,950	
78.	मानव सेवा केन्द्र सी-33/45, सी-27. चंदुआ छित्तुपुर-वाराणसी-221002 (उ.प्र.)		0	1,34,700	सं.सा.अ.
		कुल	0	1,34,700	सं.सा.अ
79.	बैरागी शिक्षा संस्थान 1/121-1 नारायणपुर (बैरागिलाग) डाक-शिवपुर. वाराणसी		0	1,50,000	सं.सा.अ
		कुल	0	1,50,000	
80.	मदर टेरेसा माडर्न चिल्ड्रन स्कूल एच ए एल, सरोंग डाक-नखीघट. वाराणसी		0	1,40,926	सं.सा.अ
		कुल	0	1,40,926	
81.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश		0	1,42,600	सं.सा.अ
		कुल	0	1,42,600	
82.	बर्दवान जिला साक्षरता समिति (बी जैड एस एस) जिला-बर्दवान पश्चिम बंगाल		1,50,00,000	0	ज.शि.नि
		कुल	1,50 00,000	0	
83.	आल इंडिया काउंसिल फार मास एजूकेशन एंड डेवलपमेंट 60. पटुवाटोला लेन कलकत्ता-700009		15,750	1,08,607	ज.शि.नि
		कुल	15,750	1,08,607	

1	2		3	4	5
84.	कलकत्ता अर्बन सर्विस कंसोर्टियम 16, सदर स्ट्रीट कलकत्ता-700016		0	1,77,573	प्रौ.शि.के.
		कुल	0	1,77,573	
85.	पटेल एजूकेशन सोसाइटी स्प्रिंगडेल्स स्कूल पूसा रोड नई दिल्ली-110008		0	1,67,650	एम.एस.सी.
		कुल	0	1,67,650	
86.	सेवा ग्राम विकास संस्थान 1, दरियागंज नई दिल्ली-110002		0	4,01,148	पु.प्रौ.
		कुल	0	4,01,148	
87.	डा. ए. वी. बालिगा मैमोरियल ट्रस्ट लिंक हाऊस, बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली-110002		0	2,69,000	उ.सा.अ.
		कुल	0	2,69,000	
88.	जामिया मिलिया इस्लामिया		0	1,93,200	पु.प्रौ.
	जामिया नगर		0	2,00,000	डब्ल्यू.एस.
	नई दिल्ली-110025				
		कुल	0	3,93.200	
89.	सेन्टर फार मिडिया स्टडीज 9.1, इंस्टीट्यूशनल एरिया जे.एन.यू. के सामने, नई दिल्ली-67		0	13,98,975	एम.एस.सी.
		कुल	0	13,98,975	
90.	श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन 1, मोती लाल नेंहरू प्लेस नई दिल्ली-100001		0	2,27,104	सं.सा.अ.
		कुल	0	2,27,104	

क्र० सं०	एजेन्सी/संगठन का नाम व पता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियों का विवरण	वर्ष 1993-94 में सहायता अनुदान की राशि (रु०)	अनुदान का उद्देश्य
1	2	3	4	5
स्कूल शिक्षा				
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार				
1.	विक्रम ए० साराभाई कम्युनिटी साईंस सेन्टर, अहमदाबाद	यह संगठन विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में उत्प्रेरक भूमिका अदा करने वाला अग्रणी संगठन है। यह विज्ञान एवं गणित विषयों के पठन-पाठन के प्रदर्श तथा सामग्री के रूप में नए विचारों तथा तकनीकों को विकसित करता है।	24,22,600/- रु०	विज्ञान एवं गणित शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए।
2.	एन० सी० एस० टी० सी०-नेटवर्क, नई दिल्ली	यह संगठन विज्ञान को लोकप्रिय विषय बनाने के लिए काम करता है।	11,60,000/- रु०	राष्ट्रीय चिल्ड्रन साईंस कॉंग्रेस-93 तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों के आयोजन के लिए।
3.	जगदीश बोस नेशनल साईंस टेलैंट सर्च, कलकत्ता	यह संगठन छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन तथा कैरियर संबंधी सलाह के माध्यम से विज्ञान एवं गणित विषयों के मेधावी छात्रों में तादात्म्य स्थापित करने तथा प्रशिक्षित करने का काम करता है।	11,47,665/- रु०	पश्चिम बंगाल तथा 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के उत्तरी जिलों में "सर्च एण्ड प्रोमोशन ऑफ क्रीएटिव एक्सीलैंस इन साईंस" परियोजना के कार्यान्वयन के लिए
4.	एकलव्य, भोपाल	यह संगठन नए पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पद्धतियों में शोध करना तथा नवाचारों के प्रचार का काम करता है।	3,99,000/- रु०	शिक्षकों के लिए हिन्दी में एक द्विमासिक गणित पत्रिका "सन्दर्भ" के प्रकाशन एवं वितरण के लिए।
5.	कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद्, बंगलौर	यह संगठन टेलीस्कोप, कार्यशालाएं, विज्ञान समारोह, विज्ञान लेखक कार्यशालाएं, राज्य स्तरीय विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यशालाएं, पर्यावरण कैम्प तथा स्लाइडों, विज्ञान फिल्मों, साईंस किटों आदि के उत्पादन तथा विज्ञान पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन के काम में संलग्न रहता है।	2,30,600/- रु०	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा सस्ती विज्ञान शिक्षण सामग्री पर एक प्रदर्शनी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए।
6.	राजघाट एज्युकेशन सैन्टर, कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इण्डिया, राजघाट फोर्ट वाराणसी	यह संगठन श्री जे० कृष्णामूर्ति की शिक्षाओं के संदर्भ में शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं मानवतावादी कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक एवं व्यावहारिक विज्ञान में अनुसंधान करने का काम करता है।	2,08,405/- रु०	विज्ञान एवं गणित शिक्षा के लिए सस्ती शिक्षण सामग्री के विकास के लिए एक संसाधन केन्द्र का गठन करने के लिए।
7.	एसोशिएशन ऑफ मैथेमैटिक्स टीचर्स ऑफ इण्डिया, मद्रास	शिक्षकों एवं छात्रों के लिए नवाचारी कार्यक्रम आयोजित करना।	1,84,600/- रु०	स्कूलों में गणित शिक्षण में नए कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए तथा पठन-पाठन सामग्री के उत्पादन के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन के लिए।
8.	दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली	प्रगतिशील शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना	1,66,000/- रु०	दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर० के० पुरम नई दिल्ली में माडल मैथेमैटिक्स लेबोरेटरी के विकास के लिए
9.	रूरल साईंस एक्सटेंशन सैन्टर, गांधी विद्यापीठ, वेदछी, जिला सूरत	विज्ञान कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए सस्ते वैज्ञानिक खिलौने, स्लाइड प्रोजैक्टर, पठन-पाठन सामग्री के विकास के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना।	1,60,100/- रु०	ग्रामीण स्कूलों में V, VI, और VII कक्षाओं में बाल केन्द्रित विज्ञान शिक्षा के लिए पैकेज तैयार करने के लिए।
10.	लोक भारती कम्युनिटी साईंस सैन्टर, सनोसर, जिला भावनगर	ग्रामीण जनता के सम्पूर्ण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सुधार तथा विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारी कार्यक्रम आरम्भ करना।	1,19,685/- रु०	—

क्र० सं०	एजेन्सी/संगठन का नाम व पता	संगठन की संक्षिप्त गतिविधियों का विवरण	वर्ष 1993-94 में सहायता अनुदान की राशि (रु०)	अनुदान का उद्देश्य
	2	3	4	5
	स्कूल शिक्षा में पर्यावरणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता			
1.	उत्तराखण्ड सेवा निधि अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)	यह संस्था उत्तर प्रदेश के कुमाऊँ तथा गढ़वाल क्षेत्रों में 'स्कूल शिक्षा में पर्यावरणात्मक प्रशिक्षण' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन तथा अल्मोड़ा में उत्तराखंड पर्यावरण शिक्षा केन्द्र की स्थापना के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में काम करती है।	60,53,276/-	वर्ष 1993-94 के दौरान अगले कालम में बताए गए कार्यकलापों को जारी रखने के लिए।
2.	सी० पी० आर० पर्यावरणात्मक शिक्षा केन्द्र, मद्रास	यह केन्द्र प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए पर्यावरण तथा परिस्थिति विज्ञान के सभी पहलुओं पर जनमानस, विशेषकर गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं, युवाओं तथा बच्चों में जागृति तथा रूचि पैदा करने के लिए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करता है।	5,13,625/-	पर्यावरणात्मक शिक्षा के माध्यम से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय संरक्षण नामक परियोजना को आरम्भ करना तथा पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न नई परियोजनाएं आरम्भ करके तमिलनाडु के छोटे गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए।
3.	बी० ए० आई० एफ० डिवैल्पमैंट रिसर्च फाउण्डेशन, पुणे	यह फाउण्डेशन पर्यावरणात्मक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देकर ग्रामीण विकास करता है।	4,86,000/-	दो पत्रिकाओं को तैयार करने, उत्पादन करने तथा उनके वितरण करने के लिए।
4.	एम० वैंकटरंगैय्या फाउण्डेशन, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	यह रंगारेड्डी जिले में बंधुआ बाल मजदूरों के पुनर्वास, शिक्षा तथा प्रोत्साहन, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा अनुवर्ती कार्यक्रमों को आरम्भ करने का काम करता है।	4,47,848/-	रंगारेड्डी जिले के 16 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा 4 समाज कल्याण छात्रावासों के बच्चों को पर्यावरणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।
5.	हिन्द स्वराज मण्डल, राजकोट	यह केन्द्र सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करता है।	2,50,100/-	स्कूल कार्यक्रमों का प्रारम्भिक अध्ययन तथा भारत देश का पर्यावरण पुस्तक का गुजराती रूपान्तर तैयार करने के लिए।
6.	कल्पवृक्ष, नई दिल्ली	यह संस्था स्कूलों तथा कालेजों में पर्यावरणात्मक जागरूकता तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।	1,56,585/-	निर्धारित नियमावली से शिक्षकों को शिक्षित करके लक्षद्वीप समूह में स्कूलों में पर्यावरणात्मक शिक्षा नैटवर्क स्थापित करने के लिए।
7.	विक्रम ए० साराभाई कम्युनिटी साईंस सैन्टर, अहमदाबाद	विज्ञान, गणित तथा पर्यावरणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है।	1,51,000/-	पर्यावरणात्मक जागरूकता के लिए एक सहयोगी चल प्रदर्शनी विकसित करना तथा स्कूल विज्ञान पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए।

क्र० सं०	एजेन्सी/संगठन का नाम और पता	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1993-94 (रु०) में सहायता अनुदान की राशि	परियोजना का नाम जिसके लिए अनुदान दिया गया
1	2	3	4	5
	शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता की योजना			
1.	बंगाल फाइन आर्टस कालेज, स्टेशन रोड, डाकघर-चन्दपारा बाजार, उत्तर-26, परगना-45	संगीत और दृश्य कलाओं पर सेमिनार चित्रकला तथा कला शिक्षा पाठ्यक्रम पर प्रदर्शनी आयोजित करना और इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना।	1,69,825/-	घेघाटा ब्लाक, नार्थ-24, परगना जिला, पश्चिमी बंगाल के स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिये कला शिक्षा की रचनात्मक कार्यशाला और ग्रीष्म शिविरों को आयोजित करना।
2.	रामाकृष्ण नैतिक और धार्मिक शिक्षा संस्थान, यादवगिरी, मैसूर-20	स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए विभिन्न तरह के नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम आयोजित करना और लड़कों के लिए उच्चतर माध्यमिक आवासीय स्कूल चलाना।	7,72,250/-	कर्नाटक के स्कूल शिक्षकों के लिए मूल्य शिक्षा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
3.	नाट्यशाला चैरिटी ट्रस्ट 7/8, शिवाजी नगर, डॉ० ऐनी बैसेन्ट रोड, बम्बई-26	सृजनात्मक नाटक	4,00,000/-	शिक्षा में थियेटर कला में महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण।
4.	नन्दीकर, कलकत्ता, 47/1, श्याम-बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-4	नाटकों का मंचन तथा रंगमंचीय प्रतिष्ठा तथा सांस्कृतिक विरासत का सृजन।	2,36,250/-	छात्र समुदाय के अभिप्रेरण और स्वतन्त्रता के लिए थियेटर कार्यकलाप।
5.	पोयट्री सोसाइटी इंडिया एल-67 ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली-17	भारतीय काव्य को प्रोन्नत करना।	2,91,000/-	क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर में कर्नाटक के युवा कवियों के लिए सृजनशील लेखन पर कार्यशाला आयोजित करना।
6.	शिक्षा और स्वैच्छिक कार्यक्रम (सी० ई० वी० ए०) 225, सेक्टर 16 ए, चंडीगढ़-16	इलैक्ट्रानिक प्रचार फिल्मों, स्ट्रीट थियेटर इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के बारे में जागरूकता सृजित करना।	1,99,000/-	स्कूल के बच्चों के लिए सामुदायिक थियेटर कार्यशाला और नाटकों को तैयार करना।
7.	विवेकानन्द निधि, 141/1 ई, रासबिहारी एवेन्यू, कलकत्ता	स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, युवा और व्यवसायियों के लिए मूल्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।	3,55,000/-	स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए मूल्य अभिविन्यास आवासीय कार्यक्रम।
8.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय ग्रामीण सांस्कृतिक केन्द्र, 24, अरावली अपार्टमेन्ट, अलकनन्दा, नई दिल्ली-19	विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं के लिए भारतीय उच्च कोटि की कलात्मक परम्पराओं को प्रोन्नत करना और कल्याण कार्यक्रम आयोजित करना।	2,00,000/-	स्कूलों में व्याख्यान कार्य-निष्पादन।
9.	मुतुआ संग्रहालय इम्फाल केसाम्पट जंक्शन, इम्फाल-795 001	सामान्यत: भारतीय संस्कृति और विशेषत: मणिपुर संस्कृति को परिरक्षित और प्रोन्नत करना तथा कला और संस्कृति का एक निजी संग्रहालय स्थापित किया।	2,63,000/-	इम्फाल और उसके पास के क्षेत्रों के अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में सांस्कृतिक निवेशों को सुदृढ़ करना।
10.	दर्पण परफोर्मिंग आर्टस अकादमी, उम्मानपुर, अहमदाबाद-380 013	युवाओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रशिक्षण देना।	2,84,000/-	लड़के-लड़की में समानता और साम्प्रदायिक एकता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने की दृष्टि से अहमदाबाद के कुछ चयनित स्कूलों के 10—14 आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित करके एक परियोजना का कार्यान्वयन।

1	2	3	4	5
11.	अखिल भारतीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संघ, एफ 55/ई० डी० डी० ए० मुनीरका, नई दिल्ली	शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सेमिनारों और कार्यशाला में अनुसंधान अध्ययनों को प्रोन्नत करना। शैक्षणिक प्रौद्योगिकी शीर्षक की एक मासिक समाचार पत्रिका निकालना।	4,92,200/-	हावड़ा, जिला पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को स्कूल में ही बनाए रखने की संख्या में वृद्धि करने के लिए संगीत और खेल का प्रयोग।
12.	पिंकी फ्लोवर एज्यूकेशनल सोसाइटी, एस 5/सी, 454, एन० जी० ओ० कालोनी वनस्थलीपुरम, आन्ध्र प्रदेश।	स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए पर्यावरणीयोन्मुखी कार्यक्रम।	3,20,000/-	धार्मिक एकता और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश के हैथानागर मंडल आफ रंगारेड्डी जिला के 20 स्कूलों के छात्रों को यूटीलाइज लोक थियेटर की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संवेदनशील बनाना।
13.	युवा इन्वॉयज इन्टरनेशनल, 139, काकटियानगर, हैदराबाद-8	स्कूल के बच्चों के लिए कला और व्यावसायिक अभिविन्यास। एक तिमाही पत्रिका, आर्ट ड्राईव का प्रकाशन और बच्चों के लिए कला और साहित्य की प्रदर्शनी आयोजित करना।	50,000/-	सृजनशीलता को बढ़ाने और बच्चों के आत्मविश्वास और विचार प्रस्तुत करने की शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से कला शिक्षा सृजनशीलता में आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के 130 ग्रामीण और अभावग्रस्त बच्चों के समूह को सम्मिलित करना।
14.	संस्कार शिक्षा समिति ई-7/327 (एम० आई० जी०) अरेरा कालोनी, भोपाल-16	मध्य प्रदेश के स्कूल के बच्चों के लिये शैक्षणिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम शुरू करना।	4,51,505/-	भारत की राष्ट्रीय एकता और परम्परागत सांस्कृतिक विरासत के बारे में मध्य प्रदेश के सेहोर और टिकमगढ़ जिलों के स्कूल के बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों के पर्यावरणीय कार्यकलापों का मूल्य अभिमुखीकरण योग-प्रशिक्षण और शैक्षणिक पर्यटन।
5.	राजकीय महिला कालेज, पटियाला	लड़कियों को उच्चतर शिक्षा देना।	3,74,000/-	पटियाला और उसके नजदीकी क्षेत्रों के 33 स्कूलों और इन्टर कालेजों के शिक्षकों और पूर्व-डिग्री छात्रों के लिए विभिन्न तरह की लोक कला पर कार्यशाला आयोजित करना।
6.	सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र, भगवान दास रोड़, नई दिल्ली।	पूरे देश के स्कूलों में भारतीय संस्कृति और कला संगीत और नृत्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।	8,82,500/-	भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (आई० एस० सी० ई०) के लिए परिषद से सम्बद्ध स्कूलों के सेवारत शिक्षकों को कला, शिल्प और संगीत का पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
		कुल	86,98,780/-	
			अथवा 0.87 करोड़ रुपए	

योजना को कार्यान्वित करने वाली स्वैच्छिक संगठन

(लाखों रुपये में)

क्र० सं०	स्वैच्छिक संगठन का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	जोड़
1.	ग्रामीण औद्योगिकरण सोसाइटी, रांची, बिहार	5.00	6.00	7.60	5.80	7.37	4.00	35.77
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	1.01	2.27	1.309				4.589
3.	रामकृष्ण विवेकानंद मिशन, बैरेकपुर, कलाकत्ता		0.746	0.346				1.092
4.	नूतन विद्या मंदिर, भरतपुर राजस्थान		0.511	0.419	0.267	0.507		1.704
5.	मानस कल्याण, नई दिल्ली		6.39					6.39
6.	फेप इंडिया, केरल, त्रिवेन्द्रम				4.73	4.13	1.61	10.47
7.	राजीव गांधी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, केरल, त्रिवेन्द्रम				4.80	0.748		5.548
8.	अफ्रोर्डा मणिपुर				1.523		0.188	1.711
9.	गुरु नानक महिला कालेज, मॉडलटाउन, लुधियाना					4.55		4.55
10.	शिला संसद, कलाकत्ता					0.988		0.988
11.	जनकल्याण आवाम नारी उत्थान समिति फैज़बाद, उत्तर प्रदेश					0.65		0.65
12.	डॉन बोस्को स्वरोजगार अनुसंधान संस्थान, हावड़ा					7.14	2.70	9.84
13.	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट, पटना					1.555		1.555
14.	मुयाललियांग न्यास सिक्किम					0.889		0.889
15.	राजेन्द्र शिक्षा व समाजकल्याण संस्थान, बिहार						0.98	0.98
16.	भारतीय माईम थियेटर, कलाकत्ता						1.072	1.072
17.	स्वावलम्बन शिक्षा केन्द्र, पटना						0.837	0.837
18.	भारत सेवक समाज, थिरूवंतलपूरम						2.185	2.185
19.	श्री स्वामी केश्वानंद समिति चेरीटेबल न्यास, संगराय, राजस्थान						1.954	1.954
20.	आशा महिला शिल्प कला बाल विद्यालय समिति, फिरोजाबाद						0.495	0.495
21.	सम्पूर्ण केरल महिला शिक्षा व सेवा सोसायटी, कालीकट						0.770	0.770
22.	विकास भुवनेश्वर, उड़ीसा						जारी किया जाना है।	
23.	नवभारत जागृति केन्द्र, हजारी बाग						0.700	0.700
24.	महासभा आर्य कन्या गुरूकुल करनाल, हरियाणा						0.750	0.750
25.	अमरज्योति स्कूल व सुधार केन्द्र, कड़कड़डूमा, विकास मार्ग, दिल्ली						0.785	0.785
	कुल							96.274

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में लगी एजेंसियां/संस्थान (अनुसंधान मूल्यांकन व अन्य कार्यकलाप)

(लाखों रुपये में)

क्र० सं०	एजेंसी का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	कुल
1.	गुजरात अनुसंधान सोसायटी, नई दिल्ली		0.30					0.30
2.	ओपन मेन सिस्टमज़ नई दिल्ली		0.75	6.166	0.579			7.498
3.	प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण (दक्षिण क्षेत्र), मद्रास (तमिलनाडु)	15.39	60.00					75.39
4.	प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण (पश्चिमी क्षेत्र), बम्बई (महाराष्ट्र)				2.50			20.80
5.	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली				8.00	5.00		13.00
6.	केन्द्रीय तिलक स्कूल, नई दिल्ली							3.11
7.	प्रशिक्षुता, प्रशिक्षण (उत्तरी क्षेत्र) कानपुर, उत्तरप्रदेश			1.00		3.01		4.01
8.	पी० एस० एस० सी० आई० वी० ई० भोपाल (मध्य प्रदेश)					50.11	32.38	82.49
	कुल	18.50	79.35	7.166	11.079	58.12	32.38	206.595
	प्रशासनिक व्यय	—	2.00	14.50	10.00	20.00		

32—1000 M/o HRD/94

क्र० सं०	पते के साथ एजेंसी/संगठन का नाम	1994-95 में सहायता अनुदान की राशि	सहायता अनुदान का 75%
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	1,51,800	1,13,850
2.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	5,37,323	4,02,992
3.	नगर हिन्दी वर्ग संचालक अध्यापक संघ, हैदराबाद	1,84,632	1,38,474
	असम		
1.	असम राज्य, राष्ट्र भाषा समिति, जोरहाट	10,32,500	7,34,375
2.	असम राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, गोहाटी	21,09,870	15,82,402
	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा		
1.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड़	21,09,870	15,82,402
2.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा धारवाड़ (गोवा राज्य रैंफिक)	28,62,350	21,46,762
3.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आंध्र) हैदराबाद	2,19,400	1,64,550
4.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (उच्च शिक्षा शोध संस्थान)	17,34,060	13,00,545
5.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (शोध पुस्तकालय)	31,97,200	31,97,200
6.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (शहर योजना)	1,39,800	1,04,850
7.	दक्षिण भारत हिन्दी	5,25,000	3,93,750
8.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (केरल) ईरनाकुलम	9,39,000	7,04,250
	गुजरात		
1.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	2,22,000	1,66,500
	कर्नाटक		
1.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर	18,09,325	13,56,994
2.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, बंगलौर	9,54,325	7,15,743
3.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर	13,17,300	9,87,975
4.	हिन्दी प्रचार संघ मुधोल, कर्नाटक	1,69,600	1,27,200
	केरल		
1.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	12,77,900	9,58,425
2.	हिन्दी विद्यापीठ (केरल)	1,94,300	1,45,725
	महाराष्ट्र		
1.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई	14,60,700	10,95,525
2.	हिन्दी सभा, बम्बई, बम्बई	2,50,800	1,88,100
3.	बम्बई प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, बम्बई	1,39,700	1,04,775
4.	बम्बई भाषा प्रचार सभा, वर्धा	3,49,755	2,62,316
5.	महाराष्ट्र सभा, पूना	2,79,300	2,09,475
6.	महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार सभा, औरंगाबाद	1,45,530	1,09,147
7.	विदर्भ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, नागपुर	1,78,000	1,33,500

1	2	3	4
8.	गोमांतक राष्ट्र भाषा विद्यापीठ मडगांव, गोवा	1,67,255	1,25,441
9.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, गोवा प्रदेश	1.36,290	1,02,217
	मणिपुर		
1.	मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	2,03,000	1,52,250
2.	मणिपुर हिन्दी प्रचार सभा, अकामपट	2.09.000	1,56,750
3.	मणिपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इम्फाल	1.89,000	1,41,750
	मिजोरम		
1.	मिज़ोरम हिन्दी प्रचार सभा, आईजोल	1.85,000	1,38,750
	उत्तर प्रदेश		
1.	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली	5,25,000	5,25,000
2.	नागरिक लिपि परिषद, नई दिल्ली	2,80,300	2,10,225
3.	भारतीय अनुवाद परिषद, दिल्ली	1.56,700	1,17,525
4.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान संघ, नई दिल्ली	5,50,000	5,50,000
5.	रुझायन संस्था, बोरूंडा	2,00,000	2,00,000

1993-94 के दौरान संस्कृत के अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता

क्रम संख्या	पते के साथ निजी व स्वैच्छिक संगठनों का नाम	संगठनों के संक्षेप कार्यकलाप	1993-94 के दौरान दी गई आवर्ती सहायता अनुदान की राशि	उद्देश्य जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया
1.	श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा	शिक्षण	8,07,399/-	आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान
2.	जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, लगमा, दरभंगा, बिहार	—वही—	10,13,728/-	—वही—
3.	भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय, डाकखाना कांगड़ी हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	—वही—	7,93,711/-	—वही—
4.	दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत कालिज, अम्बाला कैन्ट (हरियाणा)	—वही—	6,50,913/-	—वही—
5.	श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उ० प्र०)	—वही—	7,35,375/-	—वही—
6.	मद्रास संस्कृत कालिज एवं एम० एस० वी० पाठशाला, 84, रोयापीठ हाई रोड, माइलापुर, मद्रास	—वही—	10,16,828/-	—वही—
7.	मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय मार्फत भारतीय विद्याभवन, के० एम० मुंशी मार्ग, बम्बई	—वही—	8,46,455/-	—वही—
8.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	—वही—	7,00,469/-	—वही—
9.	कृष्णस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, बी-84, रोयापीठ रोड, माइलापुर, मद्रास	अनुसंधान	6,15,008/-	—वही—
10.	कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ बालासूरी, जिला कालीकट (केरल)	शिक्षण	8,51,006/-	—वही—
11.	वैदिक समशोधन मण्डल, तिलक विद्यापीठ, नगर, पूना-9	अनुसंधान	5,82,886/-	—वही—
12.	श्री एस० डी० संस्कृत महाविद्यालय, डाकखाना बानगाना, दोघ्री, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)	शिक्षण	4,84,975/-	—वही—
13.	लक्ष्मी देवी शराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय काली रेखा, गांव, डाकखाना देवगढ़ (बिहार)	—वही—	7,52,069/-	—वही—
14.	राजकुमारी गणेश शर्मा, आदर्श संस्कृत पाठशाला, कोलहांता पटोरी, बिहार	—वही—	7,01,043/-	—वही—
15.	हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय जंगला (रोहरू), हिमाचल प्रदेश	—वही—	7,60,000/-	—वही—
16.	स्वामी प्राणकृशचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, हुलासगंज, गया	—वही—	7,33,201/-	—वही—
17.	प्रजाना पाठशाला मंडल बाई, जिला सतारा, महाराष्ट्र	—वही—	—	वेद पाठशाला
18.	राजा वेद काव्य पाठशाला, डी० 76/III क्रास स्ट्रीट, श्रीनगर कालोनी, कुम्बाकोनम	—वही—	2,16,600/-	—वही—
19.	भारतीय चतुर्धन वेदभवन न्यास, स्वदेशी हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर	—वही—	1,33,200/-	—वही—
20.	मुख्याधीश धातई, कन्या गुरूकुल महाविद्यालय हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	—वही—	—	स्वैच्छिक संस्कृत संगठन
21.	कल्पतरू अनुसंधान अकादमी पोस्ट बाक्स संख्या 1857, बंगलौर	आगम आराधना पर परियोजना व्यय	—	—वही—
22.	मंत्री, कन्या गुरूकुल, नरेला, दिल्ली	अध्यापन	1,17,000/-	—वही—
23.	प्रधानाचार्य गुरूकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	—वही—	90,000/-	—वही—

क्रम संख्या	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	अनावर्ती अनुदान की राशि	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद, नई दिल्ली	3,00,000/-	माध्यमिक शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने के लिए
2.	प्रगतिशील शैक्षिक न्यास, हैदराबाद	1,00,000/-	त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए
3.	राजीव गांधी प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	20,00,000/-	राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए

1993-94 के दौरान अखिल भारतीय महत्त्व के उच्च अध्ययन संस्थानों को वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

क्रम संख्या	संगठन का नाम	दी गई राशि	अनुदान का उद्देश्य
1	2	3	4
1.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान, ओरोविले	26,91,384/-	अखिल भारतीय महत्व के उच्च अध्ययन संस्थानों को वित्तीय सहायता
2.	मित्रा निकेतन, वैल्लानद, केरल	4,00,000/-	—वही—
3.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डिचेरी	23,00,000/-	—वही—
4.	लोक भारती, संसोरा, गुजरात	शून्य	शून्य
5.	डा० जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट, दिल्ली	34,99,445/-	—वही—
6.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	20,09,713/-	—वही—

1993-94 के दौरान महिला समाख्या परियोजना जिलों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को दिए गए अनुदानों की राशि

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	संगठन के संक्षिप्त कार्यकलाप	1993-94 में सहायता अनुदान की राशि	सहायता अनुदान का प्रयोजन
1.	विशाखा, ओ-7, हास्पिटल रोड, जयपुर-302001	महिला विकास कार्यक्रम	1,59,000/-	महिला समाख्या परियोजना के अधीन ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों को अभिव्यक्ति के रूप में परियोजना साक्षरता के लिए
2.	वेंकटरगईया फाउंडेशन, वेस्ट माराडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026	—वही—	3,71,700/-	महिला शिक्षण केन्द्र व महिला संघ जारी रखने के लिए
3.	सूत्र, ग्रामीण कार्रवाई द्वारा समाज उत्थान, जगजीत नगर, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	—वही—	5,75,373/-	महिला समाख्या के अधीन सहयोगिनी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने के लिए
4.	रुकया, बंगलौर	—वही—	2,99,420/-	महिला समाख्या व अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए
5.	पूर्वांचल ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	—वही—	1,71,052/-	महिला समाख्या व अनौपचारिक शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए
6.	समुदाय, 80, पोस्ट रूसेरा, जिला समस्तीपुर (बिहार)	—वही—	1,02,973/-	महिला संघों, कार्यकर्ताओं, अनौपचारिक शिक्षा आदि के प्रशिक्षण के लिए
7.	अल्लारिप्पु, नई दिल्ली	—वही—	2,25,500/-	महिला समाख्या कार्यक्रम में उनके साक्षरता घटक के प्रस्ताव विकास के लिए

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	एजेन्सी का पता	जारी की गई राशि
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	सेवा मंदिर	हिन्दुपुर-सेवा मंदिर अनन्तपुर आंध्र प्रदेश-515212	409909
2.	प्रजा प्रगति ट्रस्ट	13-42, एल. बी. नगर जिला चित्तौड़ आंध्र प्रदेश	107736
3.	ग्राम विकास संस्था	कोठा इंदुल पुंगानुर जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	182652
4.	विकास कार्यों के लिए जन संस्था	डोर सं. 4-95 रामनगर कालोनी जिला चित्तौड़-517003 (आंध्र प्रदेश)	468248
5.	भारथा सेवा समिति	शुगर फैक्ट्री कर्मचारी फैक्ट्री 75. डोडीपल्ली जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	468248
6.	ग्रामीण शिक्षा समिति	पुंगानूर-517247 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	222900
7.	ग्रामीण पुर्ननिर्माण शिक्षा हेतु सामूहिक आदेश	14-65/5, पैलेस रोड कुप्पम-517425 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	368590
8.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण पुर्ननिर्माण मिशन	1-69, क्रास रोड़ पाईलर-517214 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	852913

1	2	3	4
9.	ग्राम सेवा समिति	गांव अनिगानर विलालापुरम पोस्ट कुप्पम-517425 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	385543
10.	पेनटरामपैले महिला कल्याण सहकारी समिति	पैन्टरामपैले पो. आफिस बिल्डिंग, तिरुपति-517501 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	381365
11.	रायालासीमा सेवा समिति	9. ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति-517501 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	8589470
12.	समेकित विकास हेतु सामाजिक कार्य	सं.11. एस. वी. यू. कैम्पसस आर. ई. बिल्डिंग के पास तिरुपति-517502 जिला चित्तौड़ (आंध्र प्रदेश)	812233
13.	संजय स्मारक तकनीकी शैक्षिक सोसायटी	10-3-32. बाजार स्ट्रीट चित्तौड़-517001	137768
14.	ग्रामीण पुर्ननिर्माण सोसायटी	चल्ला (ग्राम एवं पोस्ट) द्वारा कुथम-517425 जिला चित्तौड़	137768
15.	सामूहिक शैक्षिक आन्दोलन	14-65/2. पैलेस रोड़, कुप्पम-517425 जिला चित्तौड़, (आंध्र प्रदेश)	267325
16.	सोसायटी ऑफ एमेन्यूल ऐवेगिलिज्म कॉट रूरल डवलपमेन्ट	"कार्मल" 4-227. मोटकुर-508277 जिला नालगोण्डा	137768
17.	रवीस्ट चर्च रामपचेदवरम	रामपचेदवरम-533288 पूर्वी गोदावरी जिला आन्ध्र प्रदेश	518250
18.	ग्राम पुर्ननिर्माण संगठन	पेडाकाकानी. गुण्टूर-522509	669685

1	2	3	4
19.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक सोसायटी	12-23-5, कोठापेट, पुल्लादवारी स्ट्रीट गुण्टूर-522001 (आन्ध्र प्रदेश)	267325
20.	कन्द्रिका महिला मण्डली	कन्द्रिका पोस्ट फिरंगीपुरम मण्डलम जिला गुण्टूर-522529 (आंध्र प्रदेश)	128388
21.	श्री दुर्गा महिला मण्डली	इन्दिरा प्रियदर्शिनी कालोनी, मकान नं. 35, संगादिगुण्टा गुण्टूर-522004 (आन्ध्र प्रदेश)	128388
22.	आदर्श ग्राम विकास सोसाइटी	दग्गुमल्लीवारी स्ट्रीट म.नं. 17-1-120/ए, बपटला-522101 जिला गुण्टूर	137768
23.	कमजोर वर्ग विकास सोसायटी	सरदपुरम, अरुन्देलपेट, पोस्ट गुंटूर-522002	137763
24.	ग्राम विकास सेवा सोसायटी	हर्नामेटला, द्वारा नेकरीकल्लू, राजुपुलम मण्डलम-522615 गुण्टूर जिला	137768
25.	प्राच्य भाषा विद्यापीठ	राजेन्द्र नगर, छठी लाईन, गुडीवादा-521301 जिला कृष्णा	349373
26.	श्री त्रिवेणी शैक्षिक अकादमी	नन्दीग्राम-521185 जिला कृष्णा आन्ध्र प्रदेश	137768
27.	श्री पदमावती शैक्षिक सोसायटी	बांगला सिवा रामी रेड्डी जी बिल्डिंग, के. जी. रोड, आत्माकुर-518422 जिला कुरुनूल	232896
28.	श्री परमेश्वरी शैक्षिक समिति	करीवेना रोड़ आत्माकुर जिला कूरनूल	357015

	2	3	4
29.	श्री हनुमनधरैया शैक्षिक एवं चैरिटेबल समिति	पंडेकांती पब्लिक स्कूल कोठापेटा (पोस्ट) बंगानापल्ली मंडा जिला कुरनूल-518186	539033
30.	नालगोंडा सामाजिक सेवा समिति	सामाजिक सेवा केन्द्र दुप्पलपल्ली रोड़ नालगोंडा-508001	255900
31.	श्रीनिवास महिला मंडली	दरसी प्रकाशम. मरटूर मंडल जिला प्रकासम	422171
32.	विवेक एजुकेशनल फाउंडेशन	पैमूर-523018 जिला प्रकासम (आंध्र प्रदेश)	248575
33.	श्री माधव विद्यापीठम	लायरपेटा ओंगोले-523002 जिला प्रकासम (आन्ध्र प्रदेश)	222226
34.	महिला मण्डली	स्टेशन रोड़ चिराला-523155. जिला प्रकासम	267325
35.	एम. वेंकटरंगैया फाउंडेशन	10-2-96 मरैडपल्ली वेस्ट सिकन्दराबाद आंध्र प्रदेश	268158
36.	ग्रामीण हकदारी एवं विधिक सहायता केन्द्र (रीयल्स)	पंजीकृत कार्यालय धरमलक्ष्मीपुरम, वाया कोरसवाडा	267325
37.	भगवतुला चैरिटेबल ट्रस्ट	येल्लामनचिली-531055 जिला विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	640258
38.	प्रियदर्शिनी सेवा संगठन	जिला विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	518250
39.	श्रवणी चैरिटेबल संगठन	सरदार नगर, नरसीपटनम, 531116, जिला विशाखापटनम	518250
40.	नवजीवन शिक्षा सोसायटी	म. नं. एम आई जी. 1-72 युडा कालोनी, पेडागोन्टयडा, विशाखापटनम-530044	518250

—1000 M/o HRD/94

1	2	3	4
41.	57 स्टाइल्स सोसायटी	रोड़ नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	518250
42.	सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कार्यकलाप	फ्लेट नं. 3, द्वितीय तल, सूर्य निलय अपार्टमेंट गौतमी कापरेशन जूनियर कालोनी के मार्फत संजीवारेड्डी नगर, हैदराबाद-50008 (आंध्र प्रदेश)	222656
43.	हैदराबाद जिला महिला मण्डलुया समाख्या	8-3-896/1, नागार्जुन नगर, हैदराबाद-500873	239429
44.	कोठापेटा महिला मण्डली		518250
असम			
45.	बेशबंधु क्लब	पोस्ट आफिस बेहारा बाजार जिला कछार असम-788817	368615
46.	गौरीपुर विवेकानन्द क्लब	बरूआपट्टी रोड़ पो. आफिस गौरीपुर जिला धुबरी असम-783331	188538
47.	मोरीगांव महिला महफिल	सिविल हास्पिटल रोड़, पो. आफिस मोरीगांव जिला मोरीगांव असम-782105	430472
48.	असम चाह मजदूर बहुद्देश्यीय सामाजिक शिक्षा संघ	रंगाजन टी.ई. पोस्ट आफिस-रंगाराजन टीटाबार जिला-जोरहाट असम-785630	624288
49.	उदाली रहमानिया	पो.ओ. उदाली बाजार, जिला नगाण असम	12305
50.	शांति साधना आश्रम	पो. आफिस गेलटोला "शांतिवन" वशिष्ठा गुवाहाटी-781028 असम	11598

1	2	3	4
बिहार			
51.	ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संस्था	के. आर. हाई स्कूल, पो. आफिस बेलिया जिला : प. चंपारण बिहार-845438	467900
52.	दरभंगा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ	बेटा रोड़ पो. आफिस लहरियासराय दरभंगा, बिहार	410657
53.	संथाल परगना, ग्रामोद्योग समिति	बैधनाथ देवघर, बिहार-814112	147305
54.	संथाल परगना अन्त्योदया आश्रम	पुरानदहा, बी. देवघर-814112	217437
55.	कामिनी सेवा सदन	कतरस रोड़, मतकुरिया पोस्ट आफिस एवं ग्राम धनआर-826001 बिहार	121124
56.	समन्वय आश्रम	बोधगया, बिहार	142721
57.	प्रगतिशील युवा केन्द्र	बहेरा, वृन्दावन, चंपारन, जिला-हजारीगाग, बिहार-825406	207609
58.	नव भारत जागृति केन्द्र	बहेरा, वृन्दावन, चंपारन, जिला-हजारीबाग, बिहार-825406	482882
59.	छोटानागपुर विकास केन्द्र नव भारत जागृति केन्द्र	बहेरा, वृंदावन, चंपारन-जिला हजारीबाग, बिहार-825406	163675
60.	घघोरदिहा प्रखंड स्वराज विकास संघ	गांव एवं पोस्ट आफिस जगतपुर द्वारा घघोरदिहा, जिला-मधुबनी-847402. बिहार	222900
61.	प्रखण्ड लोक विकास समिति	माधेपुर, ग्राम एवं पोस्ट आफिस पचाही, जिला मधुबनी-847408. बिहार	217533

1	2	3	4
62.	कमलेश्वरी अन्तोदय आश्रम	माधेपुरा, ग्राम पोखरसम, पोस्ट आफिस सलिमपुर, द्वारा पण्डौल, जिला मधुबनी (बिहार)	137763
63.	श्रम भारती खादीग्राम	पोस्ट आफिस खादीग्राम	326933
64.	जन शिक्षण केन्द्र	गांव एवं पो. आफिस चाक, जिला-मुंगेर-811303, बिहार	152425
65.	आत्म रोजगारी महिला समिति केन्द्र	पो. आफिस-खादीग्राम, जिला-जामुई-811313 बिहार	556323
66.	ग्राम भारती (सर्वोदय आश्रम)	शिमुलतला-811313 जिला- (मुंगेर) जामुई बिहार	682111
67.	मोच्यर परीश सोसायटी राजाराजेश्वर हाई स्कूल	बरिबीघा, जिला मुंगेर बिहार-181101	137763
68.	ग्राम स्वराज्य आश्रम	लोकयात्रा धाम धर्मौली पोस्ट आफिस बेना नालन्दा-803110 बिहार	120500
69.	विनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षण केन्द्र	गांव एवं पोस्ट आफिस-जय कृष्णा नगर (बदय), पो. आ. बदय, द्वारा इस्लामपुर-801303, जिला नालन्दा बिहार	425465
70.	बिहार दलित विकास समिति	पश्चिम मलाही (बर), पो. ओ. बर, जिला-पटना-803213 बिहार	493752
71.	ग्राम स्वराज्य समिति	बख्यिार पुर, गांव एवं पो. ओ. सलीमपुर द्वारा खुसरूपुर, पटना बिहार	623940

	2	3	4
72.	मन्थान	मेडिकल कालोनी पोस्ट आफिस-खगौल जिला पटना बिहार-801105	281529
73.	इन्दिरा गांधी समाज सेवा आश्रम	एस-383, कमरा नं. 6 पश्चिम लोहिया नगर, पटना-800020 (बिहार)	946636
74.	अदिथी	2/30, स्टेट बैंक कालोनी-11 बेली रोड़, पटना-800014 (बिहार)	267325
75.	समता ग्राम सेवा संस्थान	पूर्वी लोहानगर, जिला पटना-800003 (बिहार)	267325
76.	इन्सान स्कूल	शिक्षा नगर, पोस्ट आफिस किशनगंज, जिलापुर्निया बिहार-855107	283812
77.	वनवासी सेवा केन्द्र	पो. आफिस-अधौरा जिला रोहतास बिहार	615219
78.	जे. पी. सरैसा सेवा आश्रम	कौवा चौक, पोस्ट आफिस जरपुरा, जिला समस्तीपुर-848504 बिहार	235537
79	गांधी सेवा आश्रम	जलालपुर बाजार, सारण-841412 बिहार	329079
80	सेंट जेवियर्स हाई स्कूल	पोस्ट बाक्स 10, चाईबासा-833201. जिला पश्चिमी सिंहभूम, बिहार	655848
81	श्री कृष्ण समाज कल्याण संस्थान	कछारी रोड़, सिवान, बिहार-841226	267325
82.	टैगोर ग्रामीण विकास सोसायटी, कलकत्ता		150818

1	2	3	4
दिल्ली			
83.	नेहरू बाल समिति	ई-63, साउथ एक्सटेंशन भाग-1, नई दिल्ली-110049	367611
84.	जनजागृति शिक्षा सोसायटी	मंगोलपुरी, ,दिल्ली	275525
गुजरात			
85.	लोक सेवा मंडल (सर्वेन्ट्स आंफ द पीपल सोसायटी)	मार्फत सी. एच. भगत कामकाजी महिला होस्टल, एन. आर. दलाल अपार्टमेंट, नया विकास गुरू मार्ग, पालड़ी, अहमदाबाद-380007	146596
86.	गुजरात राज्य अपराध निरोधक न्यास	''आर्शीवाद'' 9/8 केशव नगर सोसाइटी, सुभाष पुल के पास, अहमदाबाद-380027, गुजरात	71191
87.	श्रम कल्याण न्यास	गांधी मजूर सेवालय भाद्रा पोस्ट बक्स 110, अहमदाबाद-380017, गुजरात	14970
88.	अहमदाबाद नगर सामाजिक शिक्षा समिति	श्रम कल्याण केन्द्र भवन, रायपुर गेट के बाहर अहमदाबाद-380022 गुजरात	64474
89.	अमर भारती	मोती पावती, ताल्लुक देहगाम, जिला अहमदाबाद-382308, (गुजरात)	6641
90.	लाल भाई ग्रुप ग्राम विकास निधि	आनन्द जी कल्याण जी, ब्लाक्स, आश्रम रेलवे स्टोर के पास, अरविन्द मिल के सामने नरोदा रोड़, अहमदाबाद-380025 (गुजरात)	3455

1	2	3	4
91.	अंजुमन-ए-तालीमी इदारा पूण्यार्थ	कोर्ट रोड़, सरकारी खजाने के सामने, भारूच-392001 गुजरात	715744
92.	भावनगर महिला संघ	वधवा वाशिंग घाट के पास, भावनगर-364001 गुजरात	357300
93.	लोक भारती ग्राम विद्यापीठ	सनोसरा-364230. जिला भावनगर, गुजरात	345575
94.	गायत्री शिक्षण समाज	वनथली (सोरठ), द्वारा ए/44. जनकपुरी सोसाइटी, धनधूसर मार्ग, जुनागढ़-362001	277124
95.	कपड़वंज तालुक युवक मण्डल संघ	कथलाल ता. कपडवंज-387630	214576
96.	घसरा तालुक युवक मंडल संघ	डाकोर, तालुक घसरा जिला खेड़ा-388225 गुजरात	113387
97.	श्री केतन शिक्षण समाज	एयरोड्रम रोड़, राजकोट-360001 गुजरात	183973
98.	मानव सेवा मंडल न्यास	"शांडिलय" 5-ए अनुपम सोसाइटी, अमीन मार्ग, नूतननगर के पास, राजकोट-360001	692777
हिमाचल प्रदेश			
99.	ग्रामीण मानव अधिकार केन्द्र	शालाना, जिला सिरमौर, राजगढ़, हिमाचल प्रदेश-173101	505385
100.	पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीण विकास हेतु सामाजिक कार्रवाई सोसयाइटी	कफोता जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173029	432882
101.	जरूरतमंद लोगों के लिए जन कार्रवाई	अंधेरी, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश-173023	761701
102.	ग्रामीण कार्रवाई द्वारा सामाजिक उत्थान सोसाइटी	जगजीत नगर द्वारा जब्बर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश-173225	652804

1	2	3	4
उड़ीसा			
103.	मंडल पोखरी युवक संघ	एट/पी. ओ. मंदारी जनपद-बालासोर उड़ीसा-756125	368297
104.	नेताजी युवक संघ	बाली पोखरी ग्रा. पो. परमानन्दपुरम वाया अम्बुवापाडा जनपद-बालासोर उड़ीसा-7566122	548467
105.	समग्र विकास परिषद्	स्थान/डाकखाना बेलियापाल जिला बालासोर उड़ीसा-756026	271249
106.	गांधी सेवाश्रम	ग्रा.पो. जलेस्वर जनपद-बालासोर उड़ीसा-756032	627640
107.	राधानाथ पाठघर	ग्रा.पो. सोरे जनपद-बालासोर उड़ीसा-756045	173941
108.	पल्ली मंगल युवक संघ	ग्रा.डा. नयापल्ली पो. देवली जनपद-पुरी उड़ीसा-752064	432420
109.	भागवत पाठघर	ग्रा.पो. सालेपाली वाया-जड़ सिंधा जनपद-बंगलौर उड़ीसा-767067	387419
110.	ग्राम मंगल पाठघर	वाया जड़ सिंधा जनपद-बोलांगीर उड़ीसा-767067	1044726
111.	रामजी युवक संघ	ग्रा./पो. सदियापाली वाया चन्दन घाटी जनपद-बोलांगीर उड़ीसा-767065	732928

1	2	3	4
112.	श्री श्री शरदेश्वरी पाठघर	ग्रा. खर्दा पो. तुसरा जनपद-बोलांगीर उड़ीसा-767030	518355
113.	बापू जी पाठघर	गांव व डाकघर सूखा जनपद-बोलांगीर उड़ीसा-767064	195050
114.	जनकल्याण युवक संघ	एट सिनाखामन डा. कन्धा केलगांव जिला बोलांगीर उड़ीसा-767029	267325
115.	नेताजी युवक संघ	स्थान डा. गोयल माटी थाया टिटिलागढ़, जिला बोलांगीर उड़ीसा-767033	267325
116.	पालिश्री	गांव व डाकघर घासीपुर थाया-बांकी जनपद-कटक, उड़ीसा-754008	368051
17.	आंचलिक बल्देव जीव	स्थैच्छिक एजेन्सी गांव व डाकघर-अलकुंड नौगांव, थाया प्रितिपुर जनपद-कटक, उड़ीसा-755013	182802
	लोक नायक क्लब	गांव व डाकघर पातापुर थाया बांकी जनपद-कटक, उड़ीसा-754008	972475
19.	कटक जिला हरिजन आदिवासी सेवा संस्कार योजना	छत्ता गांव (हाफीमेलक) डाक-फकीराबाद थाया-ठाकुर पटना जनपद-कटक, उड़ीसा-754250	368607
	ज्योतिरमई महिला समिति	स्थान डा. टिनिमुरानी जिला कटक उड़ीसा-754211	1184125

-1000 M/o HRD/94

1	2	3	4
121.	ग्रामीण विकास समिति	डाक सुनीति थाया-मह काल पाड़ा जनपद-कटक उड़ीसा-754224	972668
122.	नव ज्योति	गांव व डाक-गेरुदगन थाया-कोटसाही जनपद-कटक उड़ीसा-754141	128740
123.	लुथेरेां महिला समिति	डाक पाटली अेक जनपद-कटक उड़ीसा-75414	396065
124.	अल्प आय उत्थान केन्द्र	रथ दण्ड (डाकघर के निकट) चौउक कुलान जनपद-कटक, उड़ीसा-754222	53661.
125.	जयंती पाठघर	स्थान साहपाड़ा डाकखाना ब्रहमाबरदा जिला कटक, उड़ीसा-755005	67529
126.	अन्तर्राष्ट्रीय अश्लीलता नियंत्रण आन्दोलन	बिदानासी (सोवानियां नगर) डाकघर तथा जिला कटक उड़ीसा-753008	38596
127.	ग्रामीण पुननिर्माण एवं उचित प्रौद्योगिकी स्वैच्छिक संघ	गांव बोलाकानी डा. वारादंगा जिला कटक उड़ीसा-754224	3452
128.	जाजपुर हरिजन सेवा समिति	गांव व डाक-अहियास जनपद-कटक उड़ीसा-755036	4205
129.	सीमानंद सेवाश्रम	गांव पिंगल, डा. कोरो थाया केन्दापाड़ा जिला कटक, उड़ीसा-754211	1371

1	2	3	4
130.	सांस्कृतिक विकास एवं संबंध परिषद्	दी यूनिवर्स मैत्री सारणी कटक, उड़ीसा-753001	267325
131.	उत्कल नवजीवन मंडल	गांव व डाकघर अंगुल जनपद-देनकानल उड़ीसा-759122	222900
132.	ग्रामीण पुनर्निर्माण युवक संघ	गांव व डाक बोइन्दो जनपद उड़ीसा-755127	421468
133.	न्यासाद्री	गांव व डाक शांतापुर वाया-गोदिया वाया-देनकानल उड़ीसा-759016	146914
134.	लोक सहभागी कार्य अनुसंधान संस्थान	गांव व डाक महिमागाड़ी जनपद-देनकानल उड़ीसा-759014	221645
135.	सामाजिक सेवा सदन	गांव बंझी कुसुम डाकघर-महिसापत जनपद देनकालन उड़ीसा-759001	479934
136.	प्रगति पाठघर	गांव/डा. बेलागुठा जनपद गजाम उड़ीसा-761119	128740
137.	जयन्ती पाठघर	डाकघर नवपाड़ा जनपद गंजम उड़ीसा-761011	681287
138.	ग्राम विकास	गांव व डा. मोहुदा, बेहरामपुर जि. गंजम उड़ीसा-760002	518250
139.	अन्त्योदय चेतना केन्द्र	मनकाटापलिया पोस्ट-हडगढ़ जनपद क्योंझार उड़ीसा-758023	449374

1	2	3	4
140.	प्रकल्पा	गांव व डा. ज्योतिपुर जि. कोंझार उड़ीसा-758046	137763
141.	डौना कुष्ट अनुसंधान ट्रस्ट	पोस्ट बेग-१, मुनिगुडा, जनपद कोरापुट, उड़ीसा-765020	590925
142.	स्वास्थ्य शिक्षा तथा विकास समिति	पोलीटेक्निक रोड़ रायगढ़ जनपद-कोरापुट उड़ीसा-765001	601231
143.	इंडियन रूरल रिकस्ट्रक्शन एण्ड डिसेस्टर रेसपोंस सर्विस	ग्राम/डाकघर कोलनारा वाया रामगढ़ उड़ीसा-765012	646649
144.	जागरण	ग्रा./डाक गुडारी जनपद कोरापुट उड़ीसा-765026	451925
145.	सर्वोदय समिति	डाकघर गांधी नगर जनपद कोरापुट उड़ीसा-764020	346110
146.	अग्रगामी	ग्राम/डाकघर काशीपुर जनपद कोरापुट उड़ीसा-765013	189880
147.	अंकुरण	गांव/डाकखाना नारायण पटना जिला कोरापुट, उड़ीसा-765014	137763
148.	स्वामी विवेकानन्द सामाजिक कार्य तथा सम्बद्ध सेवा संस्थान	खरियार रोड़ जनपद कालाहांडी उड़ीसा-766104	1002576
149.	जन विकास केन्द्र	गांव व डाकखाना रसगोविन्दापुर, जिला मयूरभंज, उड़ीसा-757016	421634

2	3	4
150. वीणापरणि युवक संघ	ग्राम वट्पोंडुगोंडी डाकघर-खैरी जशीपुर जनपद मयूरभंज उड़ीसा-757091.	368548
151. विशाल युवक क्लब	विशाल डाकघर-संबीसोल थाया-कर्म्टीपाड़ा जनपद मयूरभंज उड़ीसा-757040	745262
52. भारतीय जनकल्याण केन्द्र	गांव जमुनादीपुर डा० बारीपाड़ा जि० मयूरभंज उड़ीसा-757002	137763
53. टैगोर ग्रामीण विकास समिति	273, बापूजी नगर, भुवनेश्वर-751009 उड़ीसा-1	1541594
54. ग्रामीण शिक्षा तथा परिवर्तन कार्य	जगमारा डाकघर खंडीगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा-751009.	198900
55. सामुदायिक कल्याण तथा उत्थान समिति	एम०आई०जी० 11, 38/1 हाउसिंग बोर्ड कालोनी चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर उड़ीसा-751016.	108040
56. गोपीनाथ युवा संघ	आली सीसासन. डाकघर दारदा. थाया-आलीपटना, जनपदपुरी उड़ीसा-752102.	364666
57. उत्कलणि सेवा संघ	डाकघर बदसिराईपुर जनपद पुरी उड़ीसा-752031	357016
58. मो क्लब	गांव/डाकखाना कटाबाद थाया बाघमारी जिला पुरी उड़ीसा-752061	309112
59. भवानीशंकर क्लब	ग्राम गनपुर डाकघर सिमौर थाया बद्यमारी जनपद-पुरी उड़ीसा-752061	709091

1	2	3	4
160.	जन कल्याण समाज	गांव गोदीबारी, डा० कटाबाद, वाया जनला जिला पुरी, उड़ीसा-752054	643217
161.	रुचिका स्कूल	14. फारेस्ट पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा-751009	182857
162.	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	ग्राम/डाकघर-दया बिहार (क्रानास) जनपद पुरी उड़ीसा-752017	727415
163.	युवा ज्योति क्लब	गांव कुमनडोल डाकघर नैरी जनपद पुरी उड़ीसा-752029	1842844
164.	युवक तथा सामाजिक विकास केन्द्र	ए-70 शहीद नगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751007	1656826
165.	राष्ट्रीय समुदाय स्वास्थ्य संस्थान	981. सन्तरापुर भुवनेश्वर उड़ीसा-751002	137763
166.	गनिया उन्नयन कमेटी	जनपद पुरी उड़ीसा-752085	383168
167.	विकास	298. शहीदनगर भुवनेश्वर उड़ीसा-751007	331441
168.	विद्युत क्लब	हल्दीपाड़ा लोकपाल डाकघर हल्दीपाड़ा वाया बाजपुर जनपद पुरी उड़ीसा-752060	775011
169.	भैरवी क्लब	ग्राम कुरूमपाड़ा डाकघर हाड़ापाड़ा वाया नारंगगढ़ जनपद पुरी, उड़ीसा-752018	368612
170.	युवक एवं समेकित विकास केन्द्र	पोस्ट बाक्स नं० 30. मोची शाही स्कादर, जि० पुरी उड़ीसा-752001	19503

1	2	3	4
171.	आचार्य हरिहर शिशु भवन	सत्यावादी गांव/डा० सखि गोपाल जि० पुरी उड़ीसा-752014	642307
172.	बाल्मीकेश्वर युवक संघ	ग्राम/डाकघर-भालीपाड़ा थाया-नारंगढ़ जनपद-पुरी उड़ीसा-752018	120040
173.	आंचलिब कुजेश्वरी सांस्कृतिक संसद	ग्राम संवांचल पो० कनास जिला-पुरी उड़ीसा-752017	363296
174.	धाकोठा युवक संघ	ग्रा/पो० धाकोठा जिला-क्योंझर उड़ीसा-758049	664906
175.	राष्ट्रीय समाज कार्य तथा सामाजिक विज्ञान संस्थान	3—चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर उड़ीसा-7510116	536137
176.	दशरथी जनकल्याण संघ	गांव व डा० केन्दूधीपी थाया मान्धातापुर जिला पुरी उड़ीसा-752079	137763
177.	राष्ट्रीय समुदाय स्वास्थ्य संस्थान	981—संतरापुर भुवनेश्वर उड़ीसा-751002	137763
178.	वनवासी सेवा समिति	ग्राम/पो० बल्लीगुडा जिल फुलबनी उड़ीसा-762103	216441
179.	सुभद्रा महताब सेवा समिति	ग्राम/पो० जी० उदयगिरी जिला फूलबनी उड़ीसा-762100	732175
180.	वाग्देवी क्लब	ग्राम मुकंडपुर पो० जतहापंक थाया बौध जिला-फूलबनी उड़ीसा-762030	325751
181.	मानव संसाधन तथा परिस्थिति की विकास सोसाइटी	ग्राम/पो० कुंडी महल थाया-बघिया वहला जिला-फुलबनी उड़ीसा-762030	403814

1	2	3	4
182.	समन्वित ग्राम उन्नयन समिति	ग्राम/पोस्ट जी उदयगिरि जिला फूलबनी उड़ीसा-	401736
183.	विवेकानन्द पल्ली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान	ग्राम फेल्हीपामी मो० गोल्हारा वाया कुचिंदा जिला संबलपुर उड़ीसा-768222	803387
184.	लालबहादुर युवक संघ	ग्राम/डाकखाना टिंग बीर जिला सम्भलपुर उड़ीसा-768109	137763
185.	श्री सत्य साई सेवा समिति	ग्रा०/पो० देव भुवनपुर वाया काली शंकर जिला सुन्दरगढ़	519520
186.	ओल्ड राउरकेला शिक्षा सोसाइटी	ग्रा० बाली जोड़ी पो० राउरकेला जिला सुदरगढ़ उड़ीसा-769016	728485
187.	धर्मानन्द युवक संघ	ग्राम सिव्यी पानी पो० धाअईडीही जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा-770022.	120040
188.	प्रगति	गांव डाकखाना सुन्दरगढ़ उड़ीसा-770001.	137763
189.	सामाजिक कार्य अनुसंधान कार्यकलाप संस्थान		518250
190.	सेवा साहित्य संसद		137763
191.	अंतोदया चेतना मंडल		191784
राजस्थान			
192.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षा संघ,	शास्त्री नगर एक्सटेंशन, विद्युत मार्ग, अजमेर, राजस्थान-305006	966947
193.	जिला महिला जागृति परिषद्	स्टेशन रोड, बाडमेर	207022
194.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ	6/199 सिन्धु नगर, भीलवाड़ा-311001	314130

1	2	3	4
195.	गांधी विद्या मन्दिर	सरदार शहर, जिला चुरू	493875
196.	भोरूका दान न्यास	भोरू ग्राम, जिला चुरू	674587
197.	ग्रामोत्थान विद्यापीठ	संगरिया, गंगानगर, राजस्थान	267325
198.	लोक शिक्षण संस्थान	पी-87, गंगोरी बाजार, जयपुर।	668989
199.	सम्पूर्ण ग्रामीण विकास अनुसंधान संस्थान	नरसाना, जालौर	177291
200.	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ	गांधी भवन, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर।	791643
201.	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति	पो०आ० जेलु गगाड़ी, वाया तीनवाड़ी जिला जोधपुर	602421
202.	जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ, कोटा	प्रौढ़ शिक्षा भवन, १३, झलावर रोड़, कोटा, राजस्थान-324005.	672582
203.	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षा प्रतिष्ठान	प्रताप नगर, उदयपुर-313001	198766
204.	राजस्थान महिला विद्यालय	ज्ञान मार्ग, गुलाब बाग के निकट उदयपुर-313001	796972
205.	सेवा संघ	बिगू, जिला भीलवाड़ा	163675
206.	गौरव शिक्षा संस्थान	ब्रांच गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर	163675
	ग्राम विकास नवयुवक मंडल	गांवा लमोडिया, डा० गरदू वाया दूदू, जिला जयपुर	267325
त्तर प्रदेश			
08.	लोक विकास संस्थान	115 दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	444516
09.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	262/4, सालिकगंज रोड, मूधिगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	209029

15—1000 M/o HRD/94

1	2	3	4
210.	जन चेतना शिक्षण संस्थान	बी० 1346, करेली स्कीम इलाहाबाद (उ० प्र०)	308835
211.	आदर्श जनता शिक्षा समिति	पिड़ी करखाना इलाहाबाद (उ०प्र०)	1177840
212.	तिलक शैक्षिक समिति	69-ए तिलक नगर, बाघाम्बरी रोड, इलाहाबाद (उ०प्र०)	305426
213.	हरिजन अवाम आदिवासी विकास सेवा समिति	कमरा सं० 7, शान्ती मार्केट कोराव इलाहाबाद (उ०प्र०)	137763
214.	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ग्राम उद्योग प्रतिष्ठान।	लोक मनपुर, जी०टी० रोड, इलाहाबाद-221502 (उ०प्र०)	137763
215.	लोक शिक्षण ग्रामीण उत्थान अवाम अनुसंधान समिति।	358-ए दरियाबाद इलाहाबाद (उ०प्र०)	275524
216.	दलित अवाम शोषित समाज कल्याण समिति	30, पूरा बालदी, कीटगंज, इलाहाबाद (उ० प्र०)	137761
217.	अखिल भारतीय शिशु देखरेख तथा शैक्षिक विकास संस्थान, आजमगढ़, उ०प्र०।	आजमगढ़, उ० प्र०	649736
218.	श्री राम सरन स्मारक सेवा	मुहम्मदपुर मई, वाया बिलौली बदायूं-202520 (उ०प्र०)।	137764
219.	भारतीय साक्षरता बोर्ड,	साक्षरता भवन, आलमबाग, लखनऊ-226005 (उ०प्र०)	163246
220.	मयांना ग्राम उद्योग सेवा संस्था	मुरारी नगर, जी०टी० रोड, खुर्जा, उत्तर प्रदेश।	103395
221.	बाल कल्याण	पिपरा, जिला देवरिया-274001 (उ०प्र०)	81134
222.	जन कल्याण शिक्षा समिति,	ग्राम एवं पो०आ० मधाहिन, खुर्द, (लाला) जिला देवरिया	135644
223.	समाज कल्याण शिक्षा संस्थान	ग्राम करवानाही, पो०आ० नाकातोहन, मिश्रा, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश,	58891

1	2	3	4
224.	भारतीय ग्रामीण औद्योगिक सेवा संस्थान।	खुशीनगर, देवरिया-274403 (उ०प्र०)	137763
225.	श्री जगदम्बा बाल विद्या मन्दिर	सुल्तानगढ़, फतेहपुर उ०प्र०	308821
226.	बाल अवाम महिला कल्याण समिति	80, इस्माइलगंज, फतेहपुर-212601 (उ०प्र०)	197156
227.	स्वामी आतमदेव गोपालानंद शिक्षा संस्थान	ऊगारपुर, डा० पिपेरगांव, जिला फर्रुखाबाद (उ०प्र०)	335589
228.	गंगा रानी बालिका विद्यालय	रामपुर बैजू छिब्रामऊ फर्रुखाबाद (उ०प्र०)	672960
229.	वसुदेव विद्यापीठ शिक्षा संस्थान	गढ़ीआ, डा० कमकापुर जिला फर्रुखाबाद (उ०प्र०)।	137763
230.	श्री संजय गांधी शिक्षा प्रसार समिति	निशाई गैसिंगपुर डा० गैसिंगपुर फर्रुखाबाद (उ०प्र०)	137763
231.	श्री भापूसिंह विद्यालय	महमूदपुर खास डा० कुनवरपुर बनवारी जि० फर्रुखाबाद (उ०प्र०)	137763
232.	श्री संत राघवदास त्यागी जूनियर हाई स्कूल समिति	मेहमदपुर, देवरिया डा० जहांगंज जिला फर्रुखाबाद (उ०प्र०)।	137763
233.	अशोक संस्थान	कुन्देश्वर गाजीपुर-933234 (उ०प्र०)।	137763
234.	मध्यम सत्यकाम शिक्षा केन्द्र	विजयनगर कालोनी गोरखनाथ रोड, गोरखपुर-273015 (उ०प्र०)	881964
235.	ग्रामीण विकास संस्थान	पादरी बाजार, जि० गोरखपुर-273014 (उ०प्र०)।	137763
236.	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान	6वीं लेन, साकेत कालोनी मुजफ्फर नगर- 251001 (उ०प्र०)	137763

1	2	3	4
237.	सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान	गांव व डा० अलीपुर जिला-हरदोई (उ०प्र०)।	180402
238.	उर्मिला समाज कल्याण समिति	163-ई, पुरा बोर्डिंग हाउस, हरदोई (उ०प्र०)।	222656
239.	सर्वोदय आश्रम	8 खगेश्वर पुरवा कनाल रोड, जि० हरदोई-241001 (उ०प्र०).	267325
240.	स्वर्गीय डा० शेर सिंह वर्मा सेवा सदन	गांव व डा० सदरपुर जिला हरदोई (उ०प्र०)।	137763
241.	त्रिमूर्ति सेवा संस्थान	162 चौहान थोक हरदोई-241001 (उ०प्र०)।	137763
242.	कानपुर हरिजन सेवा संस्थान	22/9 लेबर कालोनी, ओल्ड कानपुर (उ०प्र०)।	518250
243.	शहीद मेमोरियल सोसाइटी	ई-1698. राजाजी पुरम, लखनऊ-225017	792622
244.	बोधिसत्व बाबा साहेब डा० आम्बेडकर स्मारक समिति	68/1363 छितवा पुर पजावा, लखनऊ	617190
245.	साक्षरता विकास संस्थान	ई-1824. राजाजी पुरम, लखनऊ (उ०प्र०)	275525
246.	इरशाद आकदमी	606. जैदी नगर मेरठ-250002 (उ०प्र०)	326117
247.	समाजोत्थान एवम् शिक्षा प्रचारणी संस्थान	दुर्वेशपुर, मवाना मेरठ (उ०प्र०)	442192
248.	सर्व दलीय मानव विकास केन्द्र	बहजोई मुरादाबाद-202410	589889
249.	आदर्श सेवा समिति	326/1. साकेत कालोनी मुजफ्फरनगर-251002 उ०प्र०	470529
250.	निशात शिक्षा समिति	427. अस्ताना नई बस्ती, हल्द्वानी नैनीताल (उ०प्र०)	275525
251.	जनप्रिय सेवा संस्थान	198. पल्टन बाजार प्रतापगढ़ (उ०प्र०)	518250
252.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवम् शिक्षा समिति	देवकली योजना कार्यलय के सामने प्रतापगढ़ (उ०प्र०)	137763

1	2	3	4
253.	यू०पी० राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति	गुलाब रोड, राय बरेली-229001 (उ०प्र०)	710704
254.	सामुदायिक विकास एवम् समाज कल्याण संस्थान	किला बाजार राय बरेली (उ०प्र०)	137763
255.	अवध लोक सेवा आश्रम	जवाहर मार्ग चौराहा मैन रोड, लाल गंज राय बरेली-229206 (उ०प्र०)	267325
256.	जय भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान	स्वतंत्र नगरी सहारनपुर-247001 (उ०प्र०)	137763
257.	भारतीय जागृति परिषद्	मौ० मालियान चौक जोगियान सहारनपुर-247001 (उ०प्र०)	137763
258.	अमेठी महिला स्वैच्छिक सेवा समिति	अमेठी सुल्तानपुर, उ०प्र०	167538
259.	ग्राम विकास सेवा संस्थान	रामलीला ग्राउण्ड के पास जगदीशपुर (एन० आर० निहालगढ़) जिला-सुल्तानपुर-227805 (उ०प्र०)	194224
260.	बनवासी सेवा आश्रम	गोविन्दपुर (वाया तुर्रा) सोनभद्र, उ०प्र०-231221	268211
261.	जन जाति विकास समिति	रेलवे स्टेशन रोड, राबर्ट्स गंज सोनभद्र-231216 (उ०प्र०)	120040
262.	बनवासी सेवा आश्रम	गोविन्दपुर (वाया तुर्रा) वाया--तुर्रा सोनभद्र-231221(उ०प्र०)	2558519
263.	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति	रेलवे स्टेशन रोड, शिकोहाबाद जिला-फिरोजाबाद (उ०प्र०)	368600
264.	श्रमिक विकास सेवाआश्रम		137763
265.	पिथौरा संस्कृति परिषद्		137763
कर्नाटक			
266	फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी	240. फर्स्ट क्रास, नागरथपेट चिकबल्लापुर-562101	518250

1	2	3	4
267.	जीवन धारा विद्यापीठ	112, मागधी रोड, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560023	400935
268.	कर्नाटक कल्याण समिति	चिकबल्लापुर पो० बो० नं०28 चिकबल्लापुर-562101	1238925
269.	कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद्	नं० 5/1, विनोबा रोड, मैसूर	5182500
महाराष्ट्र			
270.	पर्थ विद्या प्रसारक मण्डल	पथार्दी अहमद नगर, महाराष्ट्र	141112
271.	प्रताप शिक्षण प्रसारक मण्डल	पिम्परी (इयरिस्ट) ताल्लुक करंजा, जिला, जिला-अकोला (महाराष्ट्र)	137763
272.	जागृति शिक्षण-प्रसारक संस्था	उमरी उमरखेड रनपिसी नगर जिला-अकोला	267325
273.	राष्ट्रसंत तुकदोजी महाराज शिक्षण संस्थान	गुरुकुंज आश्रम जिला अमरावती (महाराष्ट्र)	409188
274.	संत कबीर शिक्षण प्रसार मंडल	कैलाश निवास घाटी औरंगाबाद-4431001	813811
275.	इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च	49, समर्थ नगर पी० ओ० बाक्स नं० 87 औरंगाबाद-431001	269997
276.	भारत शिक्षण प्रसारक मंडल	द्वारा नितिन किराना स्टोर्स किल्ली-धरूर, जिला-बीड़	137763
277.	राहुल लोक विकास मंडल	चमोर्शी जिला-गडचिरौली	137763
278.	ग्रामीण अपंग पुनर्वासन संस्था	मडयाल काडगांव रोड गधिगंलाज नायक तालाड नागपुर-2	248564
279.	समाज कल्याण मंडल	लालगंज नायक तालाड नागपुर-2	248175
280.	सती माता शिक्षण संस्था	नागपुर मुख्य कार्यालय 11, व्यंकटेश नगर खामला रोड, नागपुर-25	205730
281.	सिटीजन अपलिफ्ट सोसाइटी	17 पायनियर नगर गवांडे ले आउट, खामला रोड, नागपुर-440015	119794

1	2	3	4
282.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	ठक्कर बापा स्मारक सदन डा० अम्बेडकर मार्ग, नई दिल्ली	137763
283.	जवाहर लाल नेहरू शिक्षण प्रसारक मंडल	उमार्दी तालुक मुखेड जिला नान्देड	180450
284.	श्री आदर्श शिक्षा प्रसारक मंडल	लोनी, टी क्यू परांडा जिला उस्मानाबाद	518250
285.	महात्मा फुले ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडल	शेकपुर जिला-नान्देड	137763
286.	विश्व सोसाइटी फोर ह्यूमेन अपलिफ्ट, हिंगोली		137763
287.	श्री जगदम्बा विद्या प्रसारक मण्डल	दाराती, जिला परभनी	518250
288.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन	जे० पी० नाइक रोड कोथरुड पुणे पुणे-411029	393954
289.	चेतना विकास	डाक-गोपुरी जिला-वर्धा महाराष्ट्र-442114	201946
290.	दी जवाहर स्मृति शिक्षण समिति	मर्की (बी० के०) ताल-मरेगांव जिला यवतमाल	137763
291.	बाम्बे सिटी सोशल एजूकेशन समाज शिक्षा मन्दिर	समाज शिक्षण मन्दिर समाज शिक्षण मन्दिर मार्ग वरली बम्बई-400025	289747
पश्चिम बंगाल			
292.	विश्व भारती	जिला संसाधन इकाई डाक-श्रीनिकेतन वीरभूम पश्चिम बंगाल-731236	506054
293.	वर्दमान जिला साक्षरता समिति	जिला परिषद कार्यालय भवन कोर्ट कम्पाउण्ड, वर्दवान पश्चिम बंगाल-713101	288629
294.	ग्रामीण कल्याण समिति	डाक-पंचरूल हावड़ा	368615
295.	श्री रामकृष्ण सत्यानन्द आश्रम	गांव-जिराकपुर डाक-बसीरहाट रेलवे स्टेशन, जिला-24 परगना	2456100
296.	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	14, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता	571065
297.	कलकत्ता अर्बन सर्विस कंसोरटियम	16, सदर स्ट्रीट, कलकत्ता	1455513
298.	समतात संस्था	172, रास बिहारी एवेन्यू फ्लैट नं०-302, कलकत्ता-700029	351705

1	2	3	4
तमिलनाडु			
299.	अमुधन	कल्लीमंडयम्म डाक-प्लांट तालुक डिंडीडुल अन्ना जिला-624616	118892
300.	एजूकेशन एण्ड कम्यूनिटी हैल्थ आर्गनाइजेशन ट्रस्ट	नागमणि सॉ मिल मैन रोड एम० वादपट्टी पो० आ० नीलकोट्टइ तालुक डिंडीगल-अन्ना-624211	201748
301.	इंस्टीट्यूट फार रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार दी रूरल पूअर	137, हाउसिंग बोर्ड, गांधी नगर मनुरनतकम, चेंगई अन्ना जिला-603306	137763
302.	एसोसिएशन आफ नोशनल सर्विस	316, एन०जी०ओ० कालोनी चंगलपट्टू-603001	127655
303.	एजूकेशन एण्ड अपलिफ्ट मेन सोसाइटी फार रूरल डाउन्ट्रोडीन	81-ए, जी० एस० टी० रोड एस० जी० पेट्टई मोडुरन्तकम, चेंगई एम०जी०आर० जिला-603306	137763
304.	दी ग्रो ट्रस्ट	कलाइकठीर बिल्डिंग अवनाशी रोड कोयम्बतूर-641037	943542
305.	मीनाक्षी इलम पोथुनाला कल्वी संगम	नन्दीकोत्रिपट्टी मेलूर, पो० आर०-625106 जिला-मदुरई	188138
306.	आल इंडिया अन्नाई इंदिरा मदुरई पूरनगर मथारगल मुन्नेत्र संग्राम	1, कस्टम्स कालोनी न्यू नेदम रोड, मदुरई-625014	137763
307.	इंटीग्रेटिड रूरल प्यूपल डेवलपमेंट सोसाइटी	70-ए, वैस्ट स्ट्रीट मेलूर-625106 जिला-मदुरई	267325
308.	ओथाक्कडई रूरल हैल्थ सोशल वेल्फेयर सोसाइटी	वाई, ओथक्कडई जिला-मदुरई-625107	137763
309.	टैगोर एजुकेशनल सोसाइटी	तिन्दीवनम, साउथ अरकाट जिला-604001	222900
310.	मधुर नाला थोंडु निरूवनम	त्रिवेन्दीपुरम रोड पाधिरीकुप्पम कुडुलोर-607401 साउथ अरकाट जिला	484408
311.	काग्रेगेशन आफ दी सिस्टर्स आफ दी क्रास आफ चवनॉड	पो० आ० नं० 395 ओल्ड गुड्स शेड रोड, टेम्पाकुलम तिरुचिरापल्ली-620002	410477
312.	लीग फार दी एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट	7-फर्स्ट स्ट्रीट रायर थोप्पू, श्री राम पुरम श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली-620006	214561

1	2	3	4
313.	अर्नाड वेलालार संगम	1 और 2 सन्नाथी स्ट्रीट थिरुवनाईकोइल-620005 त्रिची जिला	872142
314.	खाजामलाई लेडीज एसोसिएशन	आल इंडिया वूमेन्स कांफ्रेस, न्यू दल्ही, खाजामलाई तिरुचरापल्ली-620023	137763
315.	डा० एनी बेसेन्ट माहालिर मन्दरम	64. मंगाम्मल गार्डन, न्यू वशीरमेन्पेट मद्रास-600081	234029
316.	वूमेन्स इंडियन एसोसिएशन	43 ग्रीनवेज रोड मद्रास-600028	120040
317.	वूमेन्स वालंटरी सर्विस आफ तमिलनाडु	19 मेयर वी० आर० रामानाथन रोड, चेटपेट, मद्रास-600031	424353
318.	डिस्ट्रिक्ट भूदेम ग्रामोहम डेवलपमेंट संघ	कम्पलीमेट्टी, डाक-डिंडीगुल-624306 डिंडीगुल कैद-ए-मिल्लाह जिला	137763
म्मू तथा कश्मीर			
319.	आल इंडिया सेन्टर फार अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट	5, भाई बीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001	176438
णिपुर			
20.	मणिपुर व्यावसायिक संस्थान	मिकाला बाजार शाखा डाकघर लैफराकोम वाया-तुलीहल उप-डाकघर इम्फाल	182505
ध्य प्रदेश			
21.	ख्वाजा गरीब नवाज शिक्षा समिति	बालाघाट, मध्य प्रदेश	334592
22.	ग्रामीण विकास महिला मंडल	जिला भिण्ड	267325
23.	मध्य प्रदेश बाल कल्याण परिषद	होटल सं० 5, मेल (बी० एच० ई० एल०) नगरी, पिपलानी भोपाल-462021 मध्य प्रदेश	657564
24.	माँ शारदा जन कल्याण शिक्षा समिति	60, गुजरपुरा, भोपाल	137762
25.	संत कबीर शिक्षा समिति	19, खेड़ापति कॉलोनी, ग्वालियर	841900
26.	बाल विकास शिक्षा समिति	रेशम मिल, बिरला नगर, ग्वालियर	267325
27.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास	कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर-452020 मध्य प्रदेश	833689

6—1000 M/o HRD/94

1	2	3	4
328.	गायत्री शक्ति शिक्षा समाज कल्याण समिति	1314, मिश्रा मार्केट, रांझी बस्ती, जबलपुर	117165
329.	तरूण संस्कार	1784, इंदिरा मार्केट, रांझी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	176844
330.	शिक्षा प्रसार समिति	धर्मगढ़ पोरसा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	711787
331.	बाल एवं महिला कल्याण समिति	जेल रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश	1225037
332.	श्री राधेकृष्ण शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	माल गोदाम रोड, गणेशपुरा, मुरैना	137762
333.	ग्रामीण चेतना एवं सेवा समिति	ओवर ब्रिज कालोनी, रेलवे स्टेशन के बगल में मुरैना-476001	137763
334.	पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मानव विकास सेवा समिति	राधेश्याम तोमर का मकान, सुभाष नगर, मुरैना	137763
335.	जनता शिक्षा परिषद	देवरी मलां, जिला सतना, मध्य प्रदेश	222489
336.	मांटेसरी शिक्षा सोसाइटी	खाचरोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश	232315
337.	पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास	विदिशा, मध्य प्रदेश	207062
338.	होरा शिक्षा सोसाइटी	रायपुर	267325
हरियाणा			
339.	लकी एजुकेशन सोसाइटी	मेहम, रोहतक, हरियाणा	776438
340.	विद्या महासभा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय	खरखोदा, सोनीपत, हरियाणा-124402	1466988
341.	जनता कल्याण समिति	बस स्टैंड के सामने, रिवाड़ी, हरियाणा	1109619
342.	जन विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान	नई दिल्ली	1754778
343.	पी० एच० डी० ग्रामीण विकास संस्थान	नई दिल्ली	704474

अनुबंध-II

वर्ष 1993-94 के दौरान, प्रायोगिक तथा नवाचारी योजना के अन्तर्गत एक लाख रु० अथवा इससे अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों का विवरण

क्रम सं०	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	संगठन के कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण	वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदान की राशि	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया
1	2	3	4	5
1.	भगवतुला चैरिटेबल ट्रस्ट, येलामनचिली विशाखा जिला, आन्ध्र प्रदेश	शैक्षिक	51,38,850/-	प्रयोगिक तथा अभिनव कार्यक्रम
2.	श्रमिक विद्यापीठ, गोल्डन थ्रिशोल्ड नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	—वही—	2,73,135/-	—वही—
3.	दक्कन विकास सोसाइटी, मीरा अपार्टमेंट्स, बशीर बाग, हैदराबाद	—वही—	5,21,470/-	—वही—
4.	ज्योत्योदय लोक कार्यक्रम (आलोक), मझारिया किशुन, नौतन ब्लाक, पश्चिमी चंपारन, जिला बिहार	—वही—	7,82,622/-	—वही—
5.	समन्वय आश्रम, बोध गया बिहार	—वही—	3,10,834/-	—वही—
6.	लेडी इर्विन कालेज, सिकन्दरा रोड, नई दिल्ली	—वही—	3,49,116/-	—वही—
7.	सामाजिक विश्लेषण तथा संचार संस्थान, ओखला, नई दिल्ली	—वही—	2,81,004/-	—वही—
8.	भारतीय शिक्षा संस्थान 128/2 जे० पी० नायक पथ का० कर्वे रोड कोथरूड, पुणे	—वही—	22,06,040/-	—वही—
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, 84-ए० आर० जी० थडानी मार्ग, वर्ली, बम्बई	—वही—	8,08,600/-	—वही—
10.	एकलव्य, ई-1/208 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	—वही—	15,07,080/-	—वही—
11.	दिशा ट्रस्ट, पो० आ० नं० 130, बिलाड़ीवाडा हिंदीपाड़ा वार्ड, रायपुर (हिमाचल प्रदेश)	—वही—	2,13,542/-	—वही—
12.	अग्रगामी ग्रा०/पो० काशीपुर, रायगढ़ जिला, उड़ीसा	—वही—	5,85,677/-	—वही—
13.	अग्रणी ग्रा०/पो० सरत, मयूरभंज जिला, उड़ीसा	—वही—	2,05,218/-	—वही—
14.	कमजोर वर्ग कल्याण सोसाइटी लालूशाही, गंजाम जिला उड़ीसा	—वही—	2,83,855/-	—वही—
15.	लोक दृष्टि, खैरियार, कालाहांडी जिला, उड़ीसा	—वही—	1,05,298/-	—वही—
16.	विकास अध्ययन संस्थान बी-124-ए-मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर	—वही—	1,99,248/-	—वही—

1	2	3	4	5
17.	दिगंतर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, 2. युधिष्ठिर मार्ग जयपुर	शैक्षिक	4,38,942/-	प्रायोगिक तथा अभिनव कार्यक्रम
18.	बोध शिक्षा समिति बी-118, मंगलमार्ग, बापू नगर, जयपुर	—वही—	8,43,222/-	—वही—
19.	कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन इंडिया, 64-65 ग्रीनवेज रोड, मद्रास	—वही—	4,80,129/-	—वही—
20.	मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, 27 सरकस एवेन्यू, कलकत्ता	—वही—	11,43,515/-	—वही—
21.	माझीहीरा राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, माझीहीरा, पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल	—वही—	4,99,145/-	—वही—
22.	मानव कल्याण प्रतिष्ठान आनंद आश्रम, हीराकुंड कालोनी, संबलपुर जिला, उड़ीसा	—वही—	1,00,000/-	—वही—
23.	आन्ध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् परिसर, हैदराबाद	—वही—	2,02,50,000/-	—वही—

बकाया लेखा-परीक्षा पैराओं का विवरण

31 मार्च, 1988-1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में शामिल किए गए अनिर्णीत लेखापरीक्षा पैराओं की स्थिति दर्शाने वाले विवरण

(20-1-95 तक)

क्रम सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय/संगठन का नाम	संबंधित विभाग	टिप्पणी
1	2	3	4	5
31 मार्च, 1988 को समाप्त वर्ष				
1.	39	चंडीगढ़ में कला को इलैक्ट्रानिक उपकरणों की खरीद पर हुई हानि	राजकीय यू.टी कालेज	
31 मार्च 1989 को समाप्त वर्ष				
1	7	भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर	तकनीकी	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई हैं।
2.	9	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय	संशोधित की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई हैं।
31 मार्च,, 1990 को समाप्त वर्ष				
1.	2	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय	वि. अ. आ. से स्पष्टीकरण अभी आना है।
2.	3	स्कूलों में कम्प्यूटर साहित्य एवं अध्ययन, रा. शै. अ. प्र. प	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	संशोधित की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा टिप्पणी सहित प्रस्तुत की गई है।
3.	7	भा. सा. वि. अ. प., नई दिल्ली	विश्वविद्यालय	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई हैं।
4.	9	गोदाम एवं कार्यालय ब्लाक्स का निर्माण, इं. गां. रा. मु. वि.	विश्वविद्यालय	निपटा दिए गए हैं।
	14	अप्रयुक्त व्यय-क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर	तकनीकी	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई हैं।
6.	15	लेवी सीमेन्ट उपलब्ध न होने के कारण हुई हानि-एस पी ए, नई दिल्ली	तकनीकी	
7.	20	राशियों का अग्रिम जमा करना-बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली	प्रा. शि.	शहरी विकास मंत्रालय के विचार अभी आने हैं।
8.	21	संविदाकारों को अनैच्छिक लाभ-बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली	प्रा. शि.	

1	2	3	4	5
31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष				
1.	3.3	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	प्रौढ़ शिक्षा विभाग	सी ए सी द्वारा चयनित
2.	5	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	स्कूल विभाग	संशोधित की गई कार्रवाई टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई हैं।
3.	8	परामर्श कार्य-योजना एवं वास्तुशिल्प स्कूल	तकनीकी	
4.	11.	पुराने कम्प्यूटरों का निपटारा-आई.आई. टी. मद्रास	तकनीकी	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखापरीक्षा के लिए भेजी गई हैं।
5.	12.	चिकित्सा लाभों का अनियमित अनुदान-आई. आई. टी., दिल्ली	तकनीकी	
6.	18	परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब-एन.सी.ई.आर.टी.	स्कूल	
31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाला वर्ष				
1.	7.2	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	ई.टी.	पी.ए.सी. द्वारा चयनित I एल. एस एस. को जवाब भेज दिया गया है (पी. ए. सी. शाखा)।
2.	7.3	उर्दू तरक्की ब्यूरो भाषा		की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा को भेज दी गई हैं।
3.	7.5	स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय प्रबोधन	ई.टी	लेखा परीक्षा की टिप्पणियों की देखते हुए की गई कार्रवाई टिप्पणियों में संशोधन कर दिए गए हैं।
4.	7.6	अनुदानों का अविवेकपूर्ण एवं अनियमित भुगतान-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	तकनीकी	
5.	7.7	अविवेकपूर्ण अनुदान जारी करने के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त राशियां-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	तकनीकी	
6.	13.	ब्याज सुविधाएं प्राप्त करने में असफलता-रा. शै. अ. प्र. प./सी आई ई टी	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	निपटा दिए गए हैं।
7.	14.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल	तकनीकी	
8.	16.	मरीजों की देखभाल भत्ते में अनधिकृत भुगतान-चिकित्सा विज्ञान का विश्वविद्यालय कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	वि.अ.आ. की टिप्पणी की अभी प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
9.	17	वेतन एवं भत्तों पर अनधिकृत व्यय-व्यवसायिक अध्ययन कालेज, वि. अ. आ.	विश्वविद्यालय	वि.अ.आ. से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
10.	18	सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कलाई घड़ियों का उपहार	तकनीकी	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई है।
11.	19	गलत वेतन f र्धारण के कारण 1.99 लाख रुपये का अधिक भुगतान. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	तकनीकी	
12.	20	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनियमित प्रोन्नतियां	विश्वविद्यालय	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां लेखा परीक्षा के लिए भेज दी गई हैं।
13.	21	निधियों में अवरोध-बिरला विश्वकर्मा एम बी. इंजीनियरिंग कालेज. खेड़ा	तकनीकी	
14.	10.22	बिस्कुटों की खरीद-संघ शासन चंडीगढ़	यू. टी	
15.	3.7	सरकारी निधियों के लेखे में अनियमितताएं	यू. टी.	
16.	3.8	न्यूनतम टैंडर की अनुचित नामंजूरी	यू. टी.	
17.	3.9	सहायता अनुदान का उपयोग ना होना	यू. टी	
31, मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष				
1.	1.11	उपयोगिता प्रमाणपत्र	उपयोगिता प्रमाण पत्र कक्ष	पी. ए. सी. द्वारा चयनित।
2.	2.4	अनुदान में बचत/विनियोग	आ. वि.	
3.	3.4	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	प्रा. शि.	राज्य सरकारों से प्राप्त जवाबों के आधार पर टिप्पणी भेजी जा रही है।
4.	3.5	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई	तकनीकी/विश्वविद्यालय स्कूल/भाषा	
5.	8	ब्याज सुविधाओं को उपलब्ध करने में असफलता-रा.शै.अ.प्र.प.	स्कूल	रा.शै.अ.प्र.प. का जवाब प्रतीक्षित है।
6.	9	निम्न स्तर के कागज की खरीद-इं.गां.रा.मु.वि.	विश्वविद्यालय	इं.गां.रा.मु.वि. से सूचना अभी प्रतीक्षित है।
7.	10	उपकरणों की खरीद पर परिहार्य व्यय-आई.आई.टी., कानपुर	तकनीकी	

1	2	3	4	5
8.	11	लिक्वीफायर सिस्टम की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	तकनीकी	
9.	12	कम्प्यूटर की प्राप्त-क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर	तकनीकी	
10.	13	त्रुटिपूर्ण हेलीयम लिक्वीफायर प्लान्ट की खरीद-दिल्ली विश्वविद्यालय	विश्वविद्यालय	दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना की प्रतीक्षा है।
11.	14	विद्यार्थी कार्यकलाप केन्द्र का निर्माण-आर.आई.टी. जमशेदपुर	तकनीकी	
12.	15	बोनस का अनियमित भुगतान-आर.आई.टी. जमशेदपुर	तकनीकी	
13.	16	बेकार उपकरण-आर.आई.टी. जमशेदपुर	तकनीकी	
14.	17	नगर भत्ते का भुगतान-आर.आई.टी. जमशेदपुर	तकनीकी	
15.	18	लाइब्रेरियन के वेतन पर निष्फल व्यय-के.वि.सं, नई दिल्ली	यू. टी	
16.	19	अनुप्रयुक्त एक्स-रे और जैनरेटर की खरीद के कारण निष्फल व्यय-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
17.	20	बिजली एवं पानी के बिलों का कम भुगतान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय	
18.	21	अप्रयुक्त परिव्यय-एन.ई.आर.आई.टी.	तकनीकी	जे. एम. आई. से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8536
Date 18-04-95
NIEPA DC
D08536

प्रशासनिक चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्री

उप मंत्री

शिक्षा सचिव

(1-1-1995 को यथास्थिति)

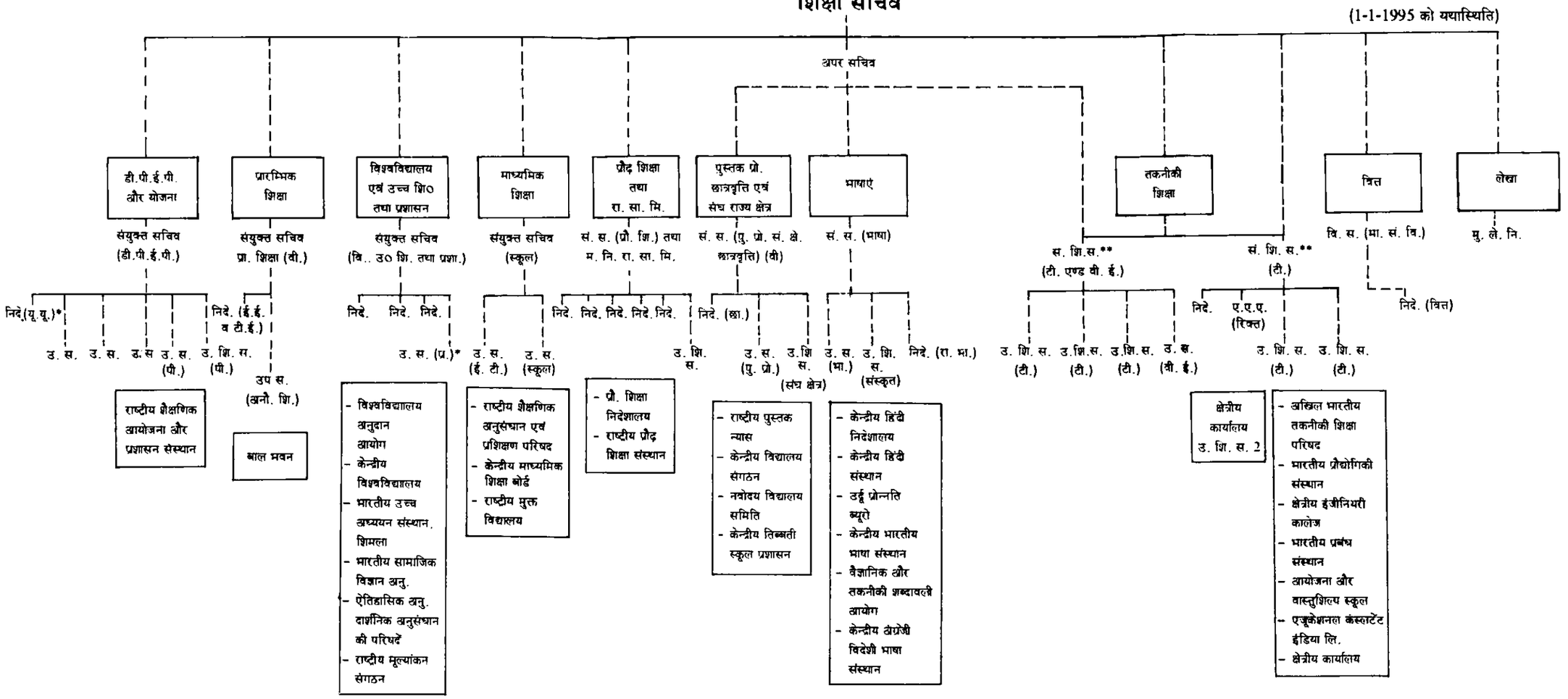

* निदेशक (यू. यू.) तथा उपसचिव (प्रशा.) से यह अपेक्षा की गई है कि वे मामलों को अपर सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करें।

** शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) (जो कि अपर सचिव के पद के समान नहीं है) के रिक्त पद के बदले में संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) का एक पद।